अष्टम माला, खण्ड 7, अंक 10

सोमवार, 5 अगस्त, 1985

14 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)



Acc. No. 54
Date 1/4/87

(खण्ड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

अष्टम माला, खण्ड 7, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 10, सोमवार, 5 अगस्त, 1985/14 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 184, 185, 188, 189 और 193	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—217
तारांकित प्रश्न संख्या : 183, 186, 187, 190, 191 और 194 से 202	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1838 से 1929, 1931 से 1962, 1964 से 1997 और 1999 से 2068	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	222—224
राज्य सभा से संदेश	224
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	224—229
एक्वेडोर की सरकार द्वारा तथाकथित विदेशस्थ खालिस्तान सरकार को दी जा रही मान्यता का समाचार	
श्री विष्णु मोदी	224
श्री खुर्शीद आलम खां	225
श्री विजय कुमार यादव	227
श्रीमती प्रभावती गुप्ता	228
विधेयक—पुरःस्थापित	229
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 1985	
नियम 377 के अधीन मामले	230—233
(एक) सातवीं योजना की अवधि में अन्तर्राज्यीय उड़ीसा समुद्रतटीय नहर के जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ करने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामणि जेना	230

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) कानपुर स्थित जे० एंड के० रेयन फैक्टरी को चालू करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री मदन पाण्डे	230
(तीन) श्री सावरकर को श्रद्धांजलि के रूप में "पोर्ट ब्लेयर" का नाम बदलकर "सावरकर धाम" रखने की आवश्यकता	
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी	231
(चार) हैदराबाद में अंगूर अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने और सातवीं योजना के दौरान वहां शराब उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	231
(पांच) असम मेल का मार्ग पुनः बदलने और ए० टी० मेल, वैशाली एक्सप्रेस तथा हल्दीवाड़ी एक्सप्रेस को, उत्तरी बंगाल के लोगों के व्यापक हित में, पुनः सिलीगुड़ी जंक्शन से होकर चलाने का आवश्यकता	
श्री आनन्द पाठक	232
(छः) अजमेर में डाक विभाग की सामग्री और पंजीकृत पत्रों की चोरी होने और ऐसे कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री शान्ति धारीवाल	232
दण्ड विधि संशोधन (संशोधन) विधेयक—(जारी)	**233—263**
विचार करने के लिए प्रस्ताव (जारी)	233—256
श्री के० पी० सिंह देव	233
श्री तम्पन थामस	234
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी	235
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	236
श्री ई० अय्याप्पु रेड्डी	237
श्री जी० एस० बसवराजू	240
श्री शान्ताराम नायक	240
श्री इन्द्रजीत गुप्त	242
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	245
श्री गिरधारी लाल व्यास	247
श्री अनिल बसु	249
श्री राजमंगल पाण्डे	252
श्री श्याम लाल यादव	253
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	255

विषय	पृष्ठ
खण्ड 2 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	256—263
श्री के० पी० सिंह देव	256
श्री बृज मोहन महन्ती	262
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	263
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1985-86	**263—291**
श्री सी० माधव रेड्डी	265
श्री पी० नामग्याल	268
श्रीमती कृष्णा साही	281
श्री अमल दत्त	283
श्री लाल विजय प्रताप सिंह	288
डा० गौरी शंकर राजहंस (भाषण असमाप्त)	290
आधे घंटे की चर्चा	**291—304**
चीनी के मूल्य में वृद्धि	
श्री मूल चन्द डागा	291
राव बीरेन्द्र सिंह	295
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	302
श्री बृज मोहन महन्ती	302
श्री राम पूजन पटेल	303

लोक सभा

सोमवार, 5 अगस्त, 1985/ 14 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहकर्मियों यदुनाथ किस्कू तथा बनारसी दास के दुःखद निधन का समाचार देना है।

श्री यदुनाथ किस्कू 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे जिसमें वे पश्चिमी बंगाल के झाड़ग्राम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

वे व्यवसाय से कृषक और अध्यापक थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में 1943-45 के दौरान सिविलियन परसोनल ऑफिस में असिटेन्ट मेम्बर के रूप में काम किया था।

श्री किस्कू का 13 जुलाई, 1985 को 62 वर्ष की आयु में कलकत्ता में देहान्त हुआ।

श्री बनारसी दास 1983-84 के दौरान सातवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह 1972-77 के दौरान राज्य-सभा के सदस्य थे, राज्य सभा का सदस्य चुने जाने से पहले वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के 1946-67 तथा पुनः 1977 से 1980 तक सदस्य थे। वह 1952-57 के दौरान उत्तर-प्रदेश सरकार के संसदीय सचिव थे, 1962 और 1967 के बीच राज्य मन्त्री-परिषद में मन्त्री थे तथा फरवरी, 1979 से फरवरी, 1980 तक राज्य के मुख्य मन्त्री थे।

एक योग्य सांसद होने के नाते वह सभा की कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी लेते थे। वर्ष 1977-79 के दौरान वह राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष थे और 1977 में वह राज्य सभा की साभपति-तालिका में भी थे।

एक महान स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में श्री बनारसी दास ने अपने छात्र जीवन से ही स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लिया तथा अनेक वर्षों तक वह जेल में रहे, एक गणमान्य समाज सेवक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने दलितों के कल्याण में विशेष रूचि ली है तथा अनेक पत्रिकाओं मेंलेख दिए हैं। श्री दास का 73 वर्ष की आयु में लखनऊ में 3 अगस्त, 1985 को देहान्त हुआ।

हम इन मित्रों के निधन से अत्यन्त दुखी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति शोक-संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

सभा अब इन दिवंगत सदस्यों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ देर मौन खड़ी रहे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।)

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मोहन लाल जी सदन में अनुपस्थित हैं, लेकिन इस प्रश्न की महत्ता और व्यापकता को देखते हुए यदि मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहें तो आप उनसे पूछ लें, हम पर बड़ी कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण चौबे।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय से पूछ लीजिए यदि वह उत्तर देना चाहें तो··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगली बार।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

खतरनाक औद्योगिक कारखानों का पता लगाना

*184. **श्री नारायण चौबे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में खतरनाक औद्योगिक कारखानों का पता लगाने तथा सुरक्षा के उपायों का उल्लंघन करने वाले दोषी मालिकों को दण्ड देने के लिए कुछ निर्णय किए हैं;

(ख) क्या उन निर्णयों से सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों को सूचित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किए गए निदेशों और दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके समुचित कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख). जी, हाँ।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गयी है कि वे स्टाफ फोर्स/समितियां गठित करें, जो अपने क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादन यूनिटों का सर्वेक्षण करेंगी और जोखिमपूर्ण यूनिटों का पता लगाएंगी तथा ऐसे यूनिटों की एक सूची बनाएंगी। इस तरह तैयार की गई सूची श्रम-मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशक को भेजी जाएगी, जो ऐसे जोखिमपूर्ण उद्योगों की एक सामूहिक सूची तैयार करेगा। इसे आधारिक सामग्री मानते हुए, अध्ययन के कार्यक्रम बनाए जायेंगे और सर्वेक्षण किए जायेंगे ताकि ऐसे सभी औद्योगिक यूनिटों में सुरक्षा मानकों को कारगर बनाया जा सके।

11 मई, 1985 को हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन में भी श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर और इस सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों पर विचार किया। सम्मेलन ने इस सम्बन्ध में कई सिफारिशें की। सम्मेलन की एक सिफारिश यह थी कि कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन किया जाए ताकि जोखिमपूर्ण उद्योगों में सुरक्षा बरतने के लिए विशेष अध्याय जोड़ा जा सके। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि जोखिमपूर्ण उद्योगों में सुरक्षा विनियमों का लगातार

उल्लंघन करने के लिए अनिवार्यतः कारावास का दण्ड दिया जाना चाहिए।

सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे राज्य कारखाना नियमों और सम्बद्ध अनुसूचियों में संशोधन करें और उनमें मॉडल नियमों तथा मॉडल अनुसूचियों के उपबन्धों को शामिल करें, जिनमें 26 खतरनाक उत्पादन संक्रियाओं के सम्बन्ध में नियन्त्रण उपाय समाविष्ट हैं और जिन्हें अपनाने के लिए उन्हें पहले ही परिचालित किया जा चुका है। सरकार कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के बारे में भी विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : अध्यक्ष जी, संस्कृत में एक श्लोक है "धुमायते बनही"। अगर कहीं पर धुंआ देखो तो समझ जाओ कि आग है। सभी मिनिस्टर बोलते हैं कि "स्टेटमेंट इज लेड ऑन दी टेबल" तब समझ जाओ कि खतरा है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। कुछ नहीं होने से ऐसा नहीं होता है। देखना यह है कि दाल में काला किसने रखा है। हमारे लेबर मिनिस्टर, लेबर के घर के आदमी हैं···(**व्यवधान**) जवाब में काला है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। भोपाल के इन्सीडेंट के बाद यह जवाब आता है। ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पहले तो शायद किसी ने प्रश्न पूछा ही नहीं था, जवाब कैसे देते।

श्री नारायण चौबे : भोपाल से पहले तो पूछने की गुंजाइश ही नहीं थी। भोपाल के बाद ही यह हुआ। आगे क्या होगा, यह आप देखिए।···(**व्यवधान**)

श्री बालकवि बैरागी : हम लोग मरते हैं तो ये लोग सवाल पूछते हैं।···(**व्यवधान**)

श्री मधु दण्डवते : मरने से पहले क्या कभी आबीच्युरी होती है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने हाऊस ऑफ कामन्स का नहीं सुना, उसमें सुन लेते तो आपको पता लग जाता।

श्री नारायण चौबे : मैं यह बताना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार ने क्या किया। केन्द्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स और इण्डियन ट्रेडर्स को एडवाइज दी कि आप लोग लिस्ट प्रिपेअर करो। लिस्ट तैयार होने के बाद वह केन्द्र के पास आयेगी। केन्द्र उसका सर्वे करेगा और उसके बाद स्ट्रीम-लाइन करेंगे। कब बाप मरेगा और कब बैल बंटेगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : जमीन बंटती देखी है, बैल बंटते नहीं देखा है।

श्री नारायण चौबे : 11 मई 1985 को लेबर मिनिस्टर्स दिल्ली आए। उनके साथ बैठक हुई। उसमें उन लोगों ने तय किया कि फैक्टरी एक्ट में तब्दीली लाई जायेगी और इम्प्रीजमेंट कम्पलसरी किया जायेगा। उनको जेल अवश्य होगी। मेरा सवाल यह है कि मई महीने के बाद अब अगस्त का महीना आ गया है, कितनी किस्म के आप बिल लाते हो। भोपाल में इतना बड़ा काण्ड हो गया। उसके बाद भी आज तक वह बिल आप क्यों नहीं लाए। वह बिल कब आयेगा।

श्री टी० अंजैया : अध्यक्ष जी, चौबे साहब कह रहे थे कि दाल में कुछ काला है। असल में में न काला है और न गोरा है।···(**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : लाल तो नहीं है... (**व्यवधान**)

श्री टी० अंजैया : जवाब यही है कि भोपाल का इन्सीडेंट होने के बाद तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को एक डाइरेक्टिव दिया गया। वह डाइरेक्टिव यह है कि एक टास्क फोर्स बनाया जाए। उसके

अन्दर अब तक 26 इण्डस्ट्रीज को हैजार्डस इण्डस्ट्रीज डिक्लेअर किया है। उसकी एक कापी मैं टेबल पर रख दूंगा जिसके अन्दर हमने आइडेन्टीफाइ किया है कि कौन-कौन सी इण्डस्ट्रीज हैल्थ हैजार्डस हैं। इसके अन्दर वैस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। इसके साथ हमने आई० एल० ओ० से भी कुछ एसिस्टेंस ली है। उन लोगों ने वैस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों में विजिट की है और उनकी कुछ रिकमैन्डेशन्स भी हमें प्राप्त हुई हैं। उन रिकमैन्डेशन्स पर हम एक्शन लेते जा रहे हैं। दूसरी बात आपने फैक्टरी लॉ में अमेंडमैंट लाने के बारे में कही है। फैक्टरी लॉ में संशोधन लाने के लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम तमाम लेबर मिनिस्टर्स को बुलाकर मीटिंग करेंगे, उनके विचार जानेंगे और तब इम्प्रीजनमैंट, फाइन, स्ट्रिन्जेंसी आदि के बारे में कोई निर्णय लेंगे, ऐसा हमारा विचार है। लेबर मिनिस्टर्स की वह कान्फरेंस अक्तूबर-नवम्बर में होगी और उसमें हम तमाम ट्रेड यूनियन के लीडर्स, एम्पलायर्स आदि, सारे लोगों को भी बुलायेंगे और लेबर-लॉज में जितने डिफैक्ट्स हमारे ध्यान में लाए गए हैं, उनकी संख्या एक-दो नहीं, 20-25 के करीब हैं, उन सारे डिफैक्टस को कैसे दूर किया जाए, उस पर विचार करके, हम लेबर लॉ में परिवर्तन लायेंगे। जहां तक सेफ्टी का प्रश्न है, उसको हम फर्स्ट प्रियोरिटी दे रहे हैं और इस बारे में मैनेजमैंट को जो भी शिक्षा देने की आवश्यकता होगी, उस पर भी हम लोग सोच रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि अक्तूबर या नवम्बर में सब लोगों को बुलाकर मीटिंग की जाएगी और तब कोई कानून लायेंगे : शायद भोपाल इन्सीडेंट की एनीवर्सरी के बाद ही कोई कार्यवाही होगी, ऐसा लगता है। इनकी सरकार इतनी तेजी से चल रही है :

[अनुवाद]

यह सरकार काम करती ही नहीं वरन् बहुत तेज और अत्यधिक तेज काम करती है।

[हिन्दी]

सर, भोपाल में इतना बड़ा काण्ड हुआ, सारी दुनिया में उतना बड़ा इन्सीडेंट कहीं नहीं हुआ।

श्री टी० अन्जैया : आ रहा है···

श्री नारायण चौबे : अभी 3 तारीख के पेपर में मैंने देखा है, उसमें लिखा हुआ है कि जब सेफ्टी कौंसिल के लोग भोपाल में देखने के लिए, तो उन लोगों को भोपाल पुलिस ने वहां घुसने नहीं दिया, रोक दिया। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि यूनियन कार्बाइड के साथ, जो कि भोपाल के किलर्स हैं, इण्डियन पैट्रो कैमिकल कार्पोरेशन, जो भारत सरकार का एक संस्थान है, एक टैकनीकल कोलैबोरेशन कर रहा है। यह कोलैबोरेशन उनके साथ किया जा रहा है, जिन्होंने इतने बड़े हादसे का अभी तक हमको कोई हर्जाना नहीं दिया है। इतने बड़े पापी के साथ आपका इण्डियन पैट्रो-कैमिकल कार्पोरेशन टैकनीकल कोलैबोरेशन करने जा रहा है···

अध्यक्ष महोदय : जल्दी से प्रश्न कीजिए···

श्री नारायण चौबे : मेरा सवाल यह है कि क्या आपके पास ऐसी जानकारी है कि जो लोग भोपाल में इंक्वायरी के लिए गए थे, आपके सेफ्टी कौंसिल के उन लोगों को भोपाल में घुसने नहीं दिया गया। वह तो आपके डिपार्टमेंट के लोग थे, उनको किस आधार पर रोका गया। यदि आपको

पता है, तो आपने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में क्या कार्यवाही की। क्या आप उनको इंक्वायरी करने दोगे या नहीं।

श्री टी० अन्जैया : वह मामला सी० बी० आई० को हमने इंक्वारी के लिए दिया हुआ है, और कान्फीडैन्शयल है। उन लोगों ने कई आदमियों को परमीशन दिया है और कई लोगों ने वहां जाकर देखा है। अब यह मामला चूंकि वर्ल्ड कोर्ट में चल रहा है, कम्पैन्सशन का केस वहां चल रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई सीक्रेट लीकेज हो। इसलिए हम इससे ज्यादा आपको सूचना देने में असमर्थ हैं। कुछ लोगों को परमीशन दी गई है और उनकी रिपोर्ट कान्फीडैन्शयल है। उस रिपोर्ट के बारे में कैमिकल मिनिस्टर साहब आपको जवाब दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री हारूभाई मेहता : गोधरा के निकट पंचमहल जिले में एक क्वार्टज (स्फटिक) क्रशिंग कारखाना चल रहा है। क्वार्टज के अत्यन्त सूक्ष्म सिलिकॉन कण बहुत ज्यादा वायु-प्रदूषण कर रहे हैं तथा उस उद्योग में कार्यरत कामगारों के फेफड़ों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु कम होती है तथा दो या तीन वर्ष के भीतर ही कामगार मर जाता है। गुजरात उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक हित के एक मुकदमें में एक आदेश जारी कर कर्मचारी राज्य बीमा निगम को कुछ सिफारिशें की हैं। क्या सरकार को इसकी जानकारी है, यदि हां, तो सरकार ने इस खतरनाक उद्योग में कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : हमें गुजरात गवर्नमैंट से भी एक रिपोर्ट मिली है और इसके ऊपर वे लोग कुछ एक्शन ले रहे हैं। जहां तक मैंने 26 इंडस्ट्रीज को आइडैन्टीफाइ करने की बात कही है, सैन्टर की तरफ से उन तमाम इंडस्ट्रीज को विजिट करने के बारे में हम सोच रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में अभी एक कमैटी का गठन किया गया है, उसका भी हम लोग सोच रहे हैं। 17-18 तारीख को उसकी प्रेलिमिनरी रिपोर्ट आपके पास पेश करेंगे। गुजरात की रिपोर्ट भी हमारे पास आ रही है, वह भी आपके पास पेश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मन्त्री को कुड्डप्पा जिले के येरागुंटला की जनता से कोई शिकायत मिली है जहां कि सीमेंट उद्योग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है। केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन भारतीय सीमेंट निगम के तीन कारखानों में से एक में दोषपूर्ण मशीनरी के कारण काफ़ी धूल उड़ती है, जिससे लगभग एक लाख की आबादी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अन्य दो कारखानों से सीमेंट की धूल नहीं उड़ती है। यदि हो, तो सरकार ने उस सीमेंट कारखाने की मशीनों में सुधार कर स्वास्थ्य के लिए होने वाले खतरों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : सर, स्टेट गवर्नमेण्ट से हम लोगों ने पता किया है और अगर ऐसी कोई डेंजरस फैक्ट्री दिखाई देती है, तो कम से कम डिपार्टमेंट को चाहिए कि वह उसे रोक दे और चालू न होने तथा चालू करने से पहले उसके अन्दर जो खतरा है, उसको पूरी तरह से दूर करने के बाद ही फिर से चालू करना चाहिए, यह हमने कहा है।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : यह अब आपके ध्यान में लाया गया है।

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : सर, अगर वह हमारे नोटिस में लायेंगे, तो हम उसे जरूर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस : श्री मान हाल ही में विभिन्न उच्च न्यायलयों ने श्रमिकों को जोखिम से पूर्ण कार्यों पर लगाये जाने के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय कैमिकल फैक्टरी बम्बई के सम्बन्ध में उसके एक प्लांट के कार्य करने पर रोक लगाने के लिए बम्बई उच्च न्यायलय ने एक आदेश दिया था। केरल में प्रदूषण के कारण केरल उच्च न्यायालय ने इंडियन रेयर अर्थस के कार्यकरण में हस्तक्षेप किया। समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार छपा था कि केरल खनिज एवं धातु फैक्टरी से समुद्र और इसके आस-पास के क्षेत्र में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या इस मामले में विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के आधार पर कार्यवाही की जायेगी और क्या दोषी प्रबन्धकों के विरुद्ध दंड विधि संहिता की धारा 33 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा सकती है ?

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : अध्यक्ष जी, मैम्बर्स ने जो बातें कही हैं, वे सही हैं। मगर जहाँ तक हो सके, सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट से जो असिस्टेंस लेने की बात है, वह आई० एल० ओ० के लोगों से हम लोगों ने मदद लेकर किसी भी तरीके से उस इंडस्ट्री को लगाया है। जैसा अभी कहा कि जहाँ बिलकुल डेंजरस सिचुएशन है और आपने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला है, उसको हम एग्जामिन करेंगे और अगर एक्शन लेना होगा, तो एक्शन लेने का फैसला भी हम जरूर करेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सरिता विहार में मकानों का आवंटन

*185. **श्री सरफराज अहमद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दैनिक "जन सत्ता" में "और अब हवा में मकान, डी० डी० ए० का नया कमाल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरिता विहार में मकान आवंटित कर दिए हैं, जबकि उसने वहां पर कोई मकान नहीं बनाये हैं और वास्तव में वहाँ भूमि भी अधिगृहीत नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन मकानों के लिए आवेदन पत्र कब आमन्त्रित किए गए थे तथा आवेदकों से कितनी राशि वसूल की गई थी;

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें वे मकान आवंटित किए गए थे तथा उन आवंटनों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) ऐसे आवंटनों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

[अनुवाद]

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1.9.83 से 30.9.83 और 10.2.84 से 9.3.84 तक की अवधि के दौरान आवंटन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे। श्रेणी-III के लिए और श्रेणी-II के लिए फ्लैटों की अनुमानित लागत क्रमशः 2,48,000/-रुपये और 2,82,000/- रुपए तथा 1,61,000/-रुपए और 1,92,000/-रुपये के बीच भिन्न-भिन्न है। आवंटियों से कहा गया था कि वे अनुमानित लागत की क्रमशः 25 प्रतिशत और 20 प्रतिशत राशि दो किश्तों में और तीसरी किश्त भी जो 1.6.85 को देय हो गई है, अदा करें।

2. 405 व्यक्तियों को सरिता विहार के पाकेट "डी" और "ई" में नियतन किया गया था। पंजीकृतों द्वारा किए गए विदड्राल आदि की गणना करने के पश्चात्, इन दो पाकेटों में मौजूदा नियतन 258 है।

3. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पाकेट "डी" और "ई" में भूमि की धारा 4 तथा 6 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था। तथापि, उच्च न्यायालय से रोकादेशों के कारण अन्तिम अधिग्रहण नहीं किया जा सका। जिन पंजीकृतों को इन पाकेटों में फ्लैटों का आवंटन किया गया है, अब उन्हें अन्य पाकेटों में बसाया जाएगा। किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

[हिन्दी]

श्री सरफराज अहमद : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि जिन लोगों को सरिता विहार में अलॉटमेंट की गई थी उन लोगों को दूसरी जगह बसाया जाएगा, तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या अलॉटमेण्ट लेटर उस जगह के लिए इश्यू कर दिया गया था और क्या अलॉटमेण्ट लेटर जमीन एक्वायर होने के बाद इश्यू किया जाता है या पहले किया जाता है ?

[अनुवाद]

श्री अब्दुल गफूर : श्रीमान, 10 पाकेटों में मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इन दस पाकेटों में से पाकेट 'डी' और पाकेट 'ई' में भूमि के सम्बन्ध में कुछ झगड़ा था और इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से रोका देश मिल गया है। अतः पाकेट 'डी' और पाकेट 'ई' में मकानों का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन जितनी संख्या में मकानों का निर्माण किया जा रहा है वह पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या से कहीं ज्यादा है। अतः पाकेट 'डी' और पाकेट 'ई' के लिए जिन व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया था, उन्हें सूचित किया गया है कि वे या तो 'ए०', 'बी०', 'सी०' अथवा 'एफ०', 'जी०', 'एच०' पाकेटों में स्थानान्तरिक कर दिए जाएंगे और उनको मकान उपलब्ध कराए जायेंगे। आपकी सूचना के लिए मैं यह बता दूं कि इस मामले में अनुसूचित देती हुई है जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से कहा गया है कि वह उन लोगों को, जिनको घर नहीं दिए गए हैं, 10 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करे।

[हिन्दी]

श्री सरफराज अहमद : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि कब तक इन लोगों को बसा दिया जायेगा और क्या हाई कोर्ट के खिलाफ डी० डी० ए० की सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं समझी गई ?

श्री अब्दुल गफूर : अगर इसकी सफाई के लिए कोई भी प्रश्न इस सिलसिले में करे, उन

तमाम सदस्यों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि डी० डी० ए० में यह बात चल रही थी कि डी० डी० ए० को पूरा हक है या नहीं, लेकिन वह रजिस्ट्रेशन के लिए एनाऊंस कर देता था। मैंने कहा है कि एक भी इंच जमीन के लिए कोई रजिस्ट्रेशन मत कीजिए।

[अनुवाद]

जब तक आप इस बात से पूर्णतया संतुष्ट नहीं हैं कि यह भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण की है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसलिए रंगा साहब हंस रहे थे।

श्री अब्दुल गफूर : रजिट्रेशन हो गया और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने स्टे ले लिया। मैंने अभी उन लोगों से बातचीत कर यह ताकीद किया है कि किसी भी जगह जब तक जमीन साफ न हो, वह अपना मकान न बनायें, रजिस्ट्रेशन न करें, इसलिए आईंदा यह नहीं होगा। 245 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उनको सबको खबर गई है कि इसी सरिता विहार में मकान ले सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम : सम्बन्धित भूमि का अधिग्रहण करते समय आप सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा मकानों के आवंटन के लिए किश्त माँगना कहाँ तक उचित समझते हैं ? भाग (ग) और भाग (घ) में पूछे गये प्रश्न दो विशिष्ट मुद्दों के बारे में है जिनका उत्तर नहीं दिया गया है। अब माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रश्न रखा है उन अधिकारियों के नाम जानना चाहते हैं जो इस आवंटन के लिए जिम्मेदार है और वह यह भी जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के आवंटन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही बताया जा चुका है कि उन लोगों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

श्री अब्दुल गफूर : माननीय सदस्य ने जिस अंश का उल्लेख किया है वह सभा पटल पर रखे गये विवरण से लिया गया है। मैं इसे पुन: पढ़ता हूं :

> "श्रेणी III के लिए फ्लैटों की अनुमानित लागत क्रमश: 2,48,000/-रुपये और 2,82,000 रुपये के बीच और श्रेणी II के लिए यह लागत क्रमश: 1,61,000/- और 1,92,000/-रु० के बीच भिन्न-भिन्न है"।

जहाँ तक किसी अधिकारी का इस बात के लिये जिम्मेदार होने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से रोकादेश ले लिया होगा।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो मकान डी० डी० ए० ने बना रखे हैं, वह पूरे हो गये हैं, लेकिन बरसों से हैंड-ओवर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एलाटी को डेढ़ गुना ज्यादा देना पड़ेगा। अब हवा महल जो बनेंगे उनकी क्या स्थिति होगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो खराब कभी नहीं होंगे।

श्री अब्दुल गफूर : यह जवाब जो दिया है, यह हवा महल का नहीं दिया है।

[अनुवाद]

प्रसार भारती विधेयक

*188. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये छठी लोक सभा में प्रसार भारती विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, जिसे बाद में प्रवर समिति को सौंपा गया था;

(ख) क्या प्रवर समिति का प्रतिवेदन लोक सभा भंग होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार विचार इन माध्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रसार भारती विधेयक को पुनः लाने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

भारत के लिये प्रसार भारती के नाम से एक प्रसारण निगम की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए "प्रसार भारती विधेयक" 16-5-1979 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। बाद में इस विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। संयुक्त समिति, लोक सभा के भंग होने से पहले अपनी बैठकें पूरी नहीं कर सकी या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी।

विधेयक को पुनः प्रस्तुत करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का यह मत है कि इन माध्यमों के लिए अपने मुख्य उद्देश्यों अर्थात् जनता की सेवा को पूरा करने हेतु एक स्वायत्त निगम जैसा ढांचा आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त, माध्यमों को सभी व्यावसायिक मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान, माननीय मन्त्री महोदय ने जो विवरण दिया है उससे इस बात का पता नहीं चलता है कि क्या सरकार वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस विषय पर विचार करेगी और यह सब कुछ संविधान सभा के दिनों से चल रहा है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि—यदि वह यह समझते हैं कि इसका उत्तर उपलब्ध नहीं है तो वह प्रो० रंगा से विचार विमर्श कर सकते हैं जो उस समय संविधान सभा के सदस्य थे—क्या यह सच है कि 15 मार्च, 1984 को संविधान सभा में पंडित नेहरू ने स्वयं यह कहा था कि हमारे यहां ब्रिटिश ब्राड कास्टिंग (बी० बी० सी०) जैसा ढांचा होना चाहिए, हमारे यहाँ अर्द्ध स्वायत्त निगम होना चाहिए; इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सम्बन्ध में बनायी गयी नीति पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए लेकिन रोजमर्रा का विभागीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और यह एक अर्द्ध स्वायत्त निगम होना चाहिए।

दूसरे, क्या यह सच है कि वर्ष 1966 में चंदा समिति ने पुनः स्वायत्त किस्म के एक पृथक निगम की स्थापना की सिफारिश की थी और 1978 में वर्गीस कार्यकारीदल ने विस्तृत रूप में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर विधान लाया जा सकता था ? यदि यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और चूंकि सरकार स्वयं भी एक निरन्तर प्रक्रिया है, तो क्या सरकार इन पिछले प्रतिवेदनों

पर विचार करेगी ? क्या आप इस समस्या पर पुन: विचार करेंगे ताकि स्वयात्त निगम कारगर रूप से कार्य कर सके और बेहतर सेवा दे सके और इसके साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बनाये रखी जा सके।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस बीच डा० चौहान ने बी० बी० सी० के माध्यम से अपनी बात कहनी शुरू कर दी और हमारी प्रधान मन्त्री जी को धमकी दी थी। इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : श्री वाई० वी० चव्हाण तो मर चुके हैं। वह उनका उल्लेख क्यों कर रहे हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : डा० चौहान।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे खेद है कि मुझे समझने में गलती हुई।

श्री वी० एन० गाडगिल : यह मामला सदन में बहुत बार उठाया गया है और इसका जवाब भी बहुत बार दिया जा चुका है। पिछले सत्र में, श्री श्रीहरि राव ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिस पर दो शुक्रवारों को सात घंटे तक वाद-विवाद हुआ था। वह अपनी दलीलें दोहराएंगे और मैं अपने वही तर्क फिर से दूंगा। सरकार यह बात स्पष्ट कर चुकी है कि वह इस बात को नहीं मानती कि बी० बी० सी० या किसी अन्य प्रसारण संस्था जैसा स्वायत्त निगम बनाना अभी आवश्यक है। जैसाकि मैंने उस समय वाद-विवाद के दौरान कहा था कि स्वायत्तता केवल स्वरूप का ही प्रश्न है। यह सब कुछ सरकार के रवैये तथा दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है तो चाहे यह स्वायत्त निकाय ही क्यों न हो, वह हस्तक्षेप कर सकती है। सवाल यह है कि कितनी स्वतंत्रता दी जाये। सवाल यही है और इसीलिये स्वायत्तता मूल प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : पिछले ठोस अनुभव के आधार, क्या यह सच नहीं है कि जहां तक संसद की कार्यवाही वृतांत का सवाल है, महोदय, याद कीजिये आप भी इससे प्रभावित हो सकते हैं···

अध्यक्ष महोदय : मुझे सावधान हो जाने दीजिये।

प्रो० मधु दण्डवते : चाहे कुछ भी हो, जहां तक सभा में संसद सदस्यों की बात को सुने जाने और देश में प्रचार माध्यमों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करने सम्बन्धी उनके अधिकारों का सम्बन्ध है, उन्हें संसद सदस्यों के अहस्तान्तरणीय अधिकारों के रूप में सुरक्षित रखा जाना होगा। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि आपातकाल के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के इसी स्वरूप के कारण, जिन संसद सदस्यों ने आपातकाल का विरोध किया था और सरकार की आलोचना की थी, उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आपातकाल और सरकार की आलोचना प्रसारित ही नहीं करने दी गई ? यदि पिछला अनुभव यह रहा है, तो न केवल आपातकाल के दौरान बल्कि आपातकाल से इतर अवधि के दौरान भी ऐसी स्थिति से बचने के लिए, क्या वह अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करेंगे ?

मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा है कि मेरे सवाल वही होंगे और उनके जवाब भी वही होंगे। इसलिये मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा।

मैंने वर्गीज समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रसार भारती विधेयक के बारे में पहले ही सूचना दे रखी है और सौभाग्य से यह विधेयक इस सत्र के अन्तिम दिन पेश किया जाना है—ठीक है अंत भले का भला। क्या माननीय मन्त्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि वह कोई पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे क्योंकि मस्तिष्क को जब खुला छोड़ा जाता है, तो वह उसी प्रकार अच्छी तरह सोच-विचार कर

सकता है जिस प्रकार पैराशूट खुलने के बाद करता है ? क्या वह उस विधेयक की ओर ध्यान देंगे जो 23 तारीख को पुरःस्थापित किया जायेगा, क्या उस पर बारिकी से चर्चा करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो क्या इसे प्रवर समिति को भेजेंगे, क्योंकि विगत में गैर-सरकारी सदस्यों के कुछ विधेयकों को भी प्रवर समिति को भेजा गया था, और वह समिति उस निर्णय पर पहुँचेगी जो सरकार के अब के मत से भिन्न होगा।

श्री वी० एन० गाडगिल : यदि यह विधेयक आयेगा तो इस पर निश्चित रूप से प्रक्रिया के अनुसार चर्चा की जायेगी और इस समय मैं अपने और तर्क भी दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे खुशी है कि कम-से-कम उस दिन तो इनका कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं जानना चाहूँगा कि क्या माननीय मन्त्री महोदय को पार्थसारथी समिति के बारे में जानकारी है जो नौवें दशक में उनके ही दल की सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी और जिसने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों के लिए स्वायत्त निगम बनाने की सिफारिश की थी। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय को प्रधानमन्त्री की उस दलील का,— मैं पुरानी दलीलों की बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने हाल ही में दूरदर्शन पर दिखाये गए संवाददाता सम्मेलन में दी थी कि क्योंकि भारतीय समाचार पत्र गैर-जिम्मेदार हैं इसलिए आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता नहीं दी जानी चाहिए ताकि सरकार भी उसी तरह समान रूप से जिम्मेदार हो।

श्री वी० एन० गाडगिल : मेरे लिये यह उचित नहीं होगा कि मैं प्रधान मन्त्री जी की बात की व्याख्या करूँ, परन्तु जहां तक उनके अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है, उस समय वह भी उपस्थित थे, मेरे वाद-विवाद में मैं इसका बहुत बार जवाब दे चुका हूं और इसी तर्क को बार-बार दोहराकर सभा का समय बरबाद करने का कोई फायदा नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह कहना कि 'सभा का समय बरबाद हो रहा है,' मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या संसद के प्रत्येक सत्र के अन्त में विभिन्न दलों के नेताओं को सभा में इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने का कोई प्रस्ताव है कि उन्होंने क्या कुछ किया है उनके दल का क्या विचार है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : यह बहुत अच्छा प्रश्न है ?

प्रो० मधु दण्डवते : हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि यदि सत्र के दौरान भी दल के नेताओं को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है।

श्री वी० एन० गाडगिल : मुझे विश्वास है कि आप ऐसा हर रोज ही चाहेंगे और आप यह भी चाहेंगे कि आपको हर रोज दूरदर्शन पर दिखलाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : और यह आपकी बात मानने वाले नहीं हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : हमारे पास एक कार्यक्रम है जिसका नाम है 'इंडिया विफोर पार्लियामेंट' (संसद के समक्ष भारत) जिसमें सभी दलों के सदस्य भाग लेते हैं। पिछली बार भी बहुत से प्रतिपक्षी सदस्यों ने इसमें भाग लिया था।

डा० कृपा सिन्धु भोई : हम संविधान सभा और पण्डित नेहरु के विचारों का बहुत सम्मान

करते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि संविधान सभा के समय से, पन्डित नेहरू के समय से तथा अनेक समितियों की रिपोर्टें आने के समय से देश में सभी क्षेत्रों में परिस्थितियां बदल गई हैं। देश में अलगाववादी आन्दोलन, आतंकवादी आन्दोलन हो रहे हैं और हमारे देश के समक्ष अन्य खतरे भी हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इसी दृष्टिकोण को देखते हुए क्या वह प्रो० मधु दण्डवते द्वारा दिये गये अनावश्यक तर्क के सामने झुक जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : डा० साहब, वे इसका उत्तर दे चुके हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आतंकवादी गतिविधियों के लिए मुझे भी बन्द किया जाना चाहिए।

यूनियन कार्बाइड संयंत्र भोपाल के बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार देना

*189. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूनियन कार्बाइड पेस्टीसाइड्स संयंत्र, भोपाल, के हजारों श्रमिक इस संयंत्र को बन्द कर दिए जाने के कारण बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यूनियन कार्बाइड के छंटनी किए गए कर्मचारियों को दूसरे संगठनों में सहानुभूति के आधार पर रोजगार देने के लिए राज्य सरकार को अनुदेश देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, भोपाल में पेस्टीसाइड प्लान्ट की कामबंदी के कारण 632 श्रमिक प्रभावित हुए। राज्य सरकार ने इन प्रभावित कर्मकारों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं —भोपाल में रोजगार कार्यालयों में कर्मकारों को पंजीकृत करने के लिए विशेष कदम उठाना, कर्मकारों की व्यवसाय-वार सूची बनाना और उन्हें राज्य में सभी जिला रोजगार कार्यालयों और सभी बड़े सार्वजनिक तथा मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में परिचालित करना, जिला कलैक्टरों को निर्देश देना कि वे अपने-अपने जिलों में स्थित स्थानीय उद्योगों में इन कर्मकारों को रोजगार देने के लिए कदम उठायें और स्व-रोजगार का फायदा उठाने के लिए इन कर्मकारों को प्रोत्साहन करने के लिए विशेष प्रयत्न करना, जिसके अधीन किसी व्यवसाय, लघु उद्योग या काम-धन्धा शुरू करने के लिए 50,000 रुपए तक की पेशगी रकम दी जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो) ने भी मध्य प्रदेश में स्थित सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इन छंटनी किए हुए कर्मकारों को रोजगार देने में प्राथमिकता दें, जिसके लिए यदि आवश्यक हो, तो आयु सीमा में छूट दें। राज्य सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने भी राज्य सरकार के उपक्रमों को उसी प्रकार के निर्देश जारी किए हैं। राज्य श्रम आयुक्त और उद्योग आयुक्तों से कहा गया है कि वे सभी कर्मकारों के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से भी प्रयत्न करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने विशेष सचिव(श्रम) की अध्यक्षता में एक विशेष ब्यूरो गठित किया है जिसका

मार्गदर्शन वित्त, उद्योग, बिजली और श्रम सचिवों की समिति करती है तथा यह इन कर्मकारों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। अभी तक छंटनी किए गए 283 कर्मकारों को विभिन्न राज्य सार्वजनिक उद्यमों और विभागों में रोजगार देने के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं और 618 कर्मकारों को भोपाल में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत किया गया है। बाकी कर्मकारों को भी रोजगार देने की कार्रवाई को तेज किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की राज्य श्रम सचिव द्वारा पाक्षिक समीक्षा की जाती है।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि भोपाल में पेस्टीसाइड प्लान्ट में काम बन्द हो जाने के कारण 632 श्रमिक प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त, लगभग 250 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं तथा बहुत संख्या में अनियमित श्रमिकों तथा दैनिक मजदूरी प्राप्त कर्मकारों को यूनियन कार्बाइड से निकाल दिया गया है। और वास्तव में ये श्रमिक सड़कों पर भटक रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इन नैमित्तिक श्रमिकों तथा दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : यह फैक्टरी रेट्रेन्चमेंट में क्लोज-डाउन नहीं हुई है। आनरेबल मैम्बर्स जानते हैं कि यह फैक्टरी बन्द है और जिसके अन्दर स्टेट गवर्नमेंट ने जो आफर किया है, अभी 325 लोगों को एम्पलायमेंट देने के लिए स्टेट गवर्नमेन्ट ने कोशिश की है। 600 में से 325 को आफर गया है और जो बाकी लोग हैं उनको इस महीने के आखिर तक या नेक्स्ट मंथ तक, सारे ही लोगों को इम्पलायमेंट देने के लिए तीन तारीख को वहां के मुख्य मन्त्री और लेबर मिनिस्टर से बात-चीत हुई है और उन्होंने ऐसा एश्योरेन्स दिया है।

श्री के० एन० प्रधान : अध्यक्ष महोदय, सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन हो गया है और पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आपने लिख भी दिया है लेकिन अभी देश में जो एम्पलायमेंट की पोजीशन है, उसमें जो सैच्युरेशन है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि इनको वहां पर एब्जार्ब किया जा सकेगा और खतरा है काफी दिनों तक वे बेरोजगार रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यूनियन कार्बाइड की जो दूसरी यूनिट्स हैं, क्या आप उनको इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि इन सभी लोगों को वे उन यूनिट्स में एम्पलायमेंट दें ? दूसरे—जो मुआवजे के केस बनाए गए हैं उनमें क्या इनके मुआवजे के केसेज भी तैयार किए गए हैं ? संक्षेप में मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं :

(अ) यूनियन कार्बाइड के दूसरे कारखानों में इनको लगाने के लिए क्या आप उनको मजबूर नहीं कर सकते ?

(ब) क्या इन लोगों के मुआवजे के केसेज भी तैयार किए जा रहे हैं या नहीं ?

श्री टी० अन्जैया : वर्कर्स वहां से जाना नहीं चाहते हैं। अभी 325 लोगों को आफर किया गया है, वर्कर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि पूना में एक फैक्टरी है और इस किस्म की जो दूसरी फैक्टरीज हैं उनमें उनको लिया जाए। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट के जरिए यह कोशिश हो रही है।

जहां तक इनके कम्पेन्सेशन की बात है, एपार्ट फ्राम प्राविडेंट फंड, क्लोज-डाउन का जो पैसा मिलना चाहिए, तीन महीने की नोटिस का जो पैसा मिलना चाहिए—यह सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट ने की हैं। आपका जो प्रपोजल है उनकी दूसरी यूनिट्स में लेने का उस पर स्टेट गवर्नमेंट से बात-चीत

नहीं हुई है लेकिन बात-चीत की जा सकती है पर अभी वे लोग इस मूड में नहीं हैं कि स्टेट छोड़कर दूसरी जगह जायें। अगर जाने के लिए तैयार हों तो विचार कर सकते हैं।

श्री के० एन० प्रधान : इन कर्मचारियों को, जो कुल इमालुमेन्टेस हैं वह भी नहीं दिये जा रहे हैं। दूसरे—अमरीका की कोर्टस में आप जो कम्पेसेशन के केसेज लगा रहे हैं उनमें क्या इन के केसेज भी हैं ?

श्री टी० अन्जैया : वर्कर्स को अमरीका में जाकर पैसा हासिल करने में काफी दिक्कत आएगी यहां पर वे अपने कम्पेसेशन ऐक्ट के मुताबिक उसको हासिल कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि सभा पटल पर रखे गए विवरण में "छंटनी किए गए कर्मचारी" शब्द का प्रयोग किया है न कि तालाबन्दी शब्द का। मेरा विचार है कि यह एक गलती है, जिसकी ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना आवश्यक है क्योंकि उन्होंने स्वयं 'छटनी' का नहीं तालाबन्दी शब्द को स्पष्ट किया है।

दूसरे, मैं मन्त्री महोदय जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। वक्तव्य में कहा गया है कि भोपाल के रोजगार कार्यालय में 610 श्रमिकों के नाम पंजीकृत किए गए हैं। मेरा विचार है कि पूरे सदन तथा साथ ही मन्त्री महोदय को जानकारी होगी कि यदि आप रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत करवाते हैं तो लगभग सेवानिवृत्ति की आयु होने तक आपको रोजगार का अवसर मिलता है।...

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या उन लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री टी० अन्जैया : पहले ही उन्होंने 325 लोगों को रोजगार की पेशकश की है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही कहा है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार तथा अन्य उपक्रमों द्वारा 325 लोगों को नियुक्त किया गया है। शेष लोगों के नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही यह कहा है कि उन्होंने मुख्य मन्त्री जी से बातचीत की है और एक मास के भीतर उन्हें रोजगार दे दिया जाएगा। उन्होंने सभा में यही बताया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं यह इंगित कर सकता हूँ कि वक्तव्य में कुल गलती है ? कम से कम सभा पटल पर रखे गए, विवरण जो हमें प्रदान किया गया है, के प्रारम्भ में कहा गया है कि भोपाल में पेस्टीसाइड प्लांट के बन्द होने के कारण 632 श्रमिक प्रभावित हुए। यह बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे विचार से इस सन्दर्भ में "प्रभावित हुए" का अर्थ है कि उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। इसके बाद, विवरण में बताया गया है कि छंटनी किए गये 203 कर्मचारियों को राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों और विभागों में रोजगार देने के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं और 610 कर्मकारों को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत किया गया है। अतः 203 कर्मकारों, जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया है...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है 325।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्लोजर कम्पैन्सेशन क्या चीज है ? कानून में ऐसी कोई चीज नहीं है।

श्री टी० अन्जैया : 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है या 3 महीने का पैसा देना चाहिए। 3 महीने का और ग्रैच्युटी का पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन वर्कर्स इससे सन्तुष्ट नहीं है, वह ज्यादा पैसा चाहते हैं। इस बारे में बातचीत हो रही है।

आपने कहा कि दूसरे जो इफैक्टिड हैं, अब तक 40 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और हर महीने 2 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। जो फैमिली इफैक्टेड हैं, पब्लिक पर असर पड़ा है, नुकसान हुआ है, उनको शक्कर और दूध दिया जा रहा है। उनका रिहैब्लीटेशन किया गया है, फैमिलीज को 10, 10 हजार रुपये दिया गया है। यह सब स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर की मदद से कर रही है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह नहीं पूछा कि भोपाल में रहने वाले लोगों—भारतीयों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि श्रमिकों, जिनके परिवार, और वह स्वयं भी, अर्थात् उनमें से कुछ विषैली गैस के रिसने से प्रभावित हुए हैं—उसके बाद भी कुछ स्वास्थ्य सम्बन्धी खराबियां होती रहती हैं और मैं अब इनके बारे में विस्तार से नहीं कह सकता हूं—क्या वह सोचते हैं कि भोपाल में रहने से कम से कम राहत, चिकित्सा के लिए तथा बच्चों के लिए दूध इत्यादि जो भी विशेष राहत उपाय किए जाएंगे, उन्हें उपलब्ध होंगे, चाहे वे अपर्याप्त ही क्यों न हों। परन्तु जो कुछ भी उपलब्ध कराया जा रहा है उनके किसी और स्थान पर चले जाने से वह उपलब्ध नहीं हो सकेगा, और यही कारण हो सकता है कि वे भोपाल छोड़ना नहीं चाहते; और इस मामले में वह अन्यत्र कहीं रोजगार के अवसर का लाभ उठाने में समर्थ नहीं होंगे। क्या इसे विशेष मामला समझा जाएगा और सरकार के, न केवल यह देखने के लिए कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से मुआवजा दिया जाए अपितु उन्हें आजीविका के दूसरे साधन आवश्य प्रदान किए जाएं, विशिष्ट उपाय करने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि वर्कर्स की फैमिली बहुत ही मीगर है और ज्यादा लोग इफैक्टिड नहीं हुए हैं। हर आदमी को उसी तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जैसे दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वर्कर्स की फैमिली हो या आम सीटीजन की फैमिली हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसीलिए क्या वे भोपाल को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं।

श्री टी० अन्जैया : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है यूनियन कार्बाइड से कहा जाए, जैसा आप सब लोग कहते है कि फैक्ट्री को खोलना चाहिए। वे लोग खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उसका डिसीजन ले लिया है। इस फैक्ट्री को खोलने से आम जनता में बहुत डर है। इस फैक्ट्री को स्टेट गवर्नमेंट चलाए या सैन्ट्रल गवर्नमेंट चलाए या उनसे बाइप्रोडक्ट बनाने के लिए कहा जाए। इस बारे में हम लोगों को फैसला लेना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम खोलना नहीं चाहते हैं। यूनियन कार्बाइड की तमाम फैक्ट्री को बन्द कर दीजिए। इसको खोलने के लिए हमने नहीं कहा है।

[अनुवाद]

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : क्या यह सत्य है कि यूनियन कार्बाइट ने भोपाल में बैटरी ड्राई सैल' का निर्माण करने वाला संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है जिससे छटनी में निकाले गए कर्मचारियों को वैकल्पिक रोज़गार प्रदान किया जा सके, यदि हां, तो क्या सरकार को बैटरी फैक्ट्री लगाने की अनुमति देने में कोई अपत्ति है ?

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : इस बारे में मैंने सुना है। चीफ मिनिस्टर से बातचीत हुई है कि वे लोग बाइप्रोडक्ट की दूसरी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। लेकिन यह तो एक दफा भुतबंगला बन गया है। यूनियन कार्बाइड के नाम पर मध्य प्रदेश के अन्दर लोग डरते हैं कि यह फैक्ट्री फिर चालू होगी इसी के नाम पर।

[अनुवाद]

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : आप छंटनी में निकाले गए कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब वह ऐसे उत्पाद बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं जिससे लोगों की जान को ख़तरा नहीं तो सरकार को आपत्ति क्यों हैं ?

[हिन्दी]

श्री टी० अन्जैया : अध्यक्ष महोदय, आप बताइए, वहां का सिचुएशन है। वहां के लोगों में डर है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला ले लिया है। वहां के लोगों में फैक्ट्री के बारे में डर है कि फिर कुछ हो सकता है। ठीक है, अब आपने यह सवाल उठाया है तो हम मध्य प्रदेश सरकार से इस बारे में बातचीत करेंगे।

[अनुवाद]

आवास योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों से ऋण

*193. **श्री मुरली देवरा** :

श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विस्तार आवास योजनाओं के लिए ऋण प्राप्त कराने हेतु केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों का अधिक सक्रिय सहयोग लेने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार आवास योजनाओं के लिए किसी केन्द्रीय शीर्षस्थ निकाय अथवा राज्यों के आवास विभागों के अन्तर्गत विशेष रूप से बनाई गई राज्य एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों के भविष्य निधि का उपयोग करने का है;

(ग) क्या केन्द्रीय वित्तीय संस्थान पुराने मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए लोगों को आसान शर्तों पर ऋण की व्यवस्था करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि न्यास बोर्ड जो कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना

को प्रशासित करता है, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंशदाताओं को उनके अपने भविष्य निधि अंशदानों में से मकानों के निर्माणार्थ धन देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ). हुडको का सातवीं पंचवर्षीय योजना में मरम्मत तथा पुनर्निर्माण योजनाओं के लिए एक विशिष्ट प्रावधान करने का प्रस्ताव है जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

श्री मुरली देवरा : चूंकि आवास प्राथमिकता क्षेत्र में नहीं आता इसलिए पर्याप्त निधि प्रदान नहीं की जाती। नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 2.40 करोड़ मकानों की कमी होने की आशा है। क्या वह इस बात के लिए प्रयत्न करेंगे कि सरकार आवास को प्राथमिकता क्षेत्र में ले ले और पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाये? मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि कर्मचारियों को मकानों के आवंटन अथवा मकान खरीदने के लिए वित्त-पोषण के प्रश्न पर भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विचार किया जा रहा है।

महोदय, आप जानते हैं कि सेवानिवृत्ति के समय सभी कर्मचारी —चाहे वे सरकारी नौकरी करते हों अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करते हों—बेघर होते हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि भविष्य निधि आयुक्त की इस योजना को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा?

श्री अब्दुल गफूर : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए दो बातें हैं जिन पर सरकार गम्भीरता से ध्यान दे रही है। एक राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय आवास योजना; और दूसरी, कर्मचारियों के लिए ग्रुप हाउसिंग बीमा और भविष्य निधि योजना। हम इस बात का पता लगाते हैं कि क्या इन निधियों का उपयोग मकान निर्माण के लिए किया जा सकता है? सरकार ने इतनी छूट दी हुई है कि यदि कोई कर्मचारी, जिसने भविष्य निधि में अंशदान दिया है, चाहे तो मकान निर्माण के लिए न केवल 50 या 60 या 70 प्रतिशत, बल्कि शत-प्रतिशत राशि निकाल सकता है। पूरी योजना विचाराधीन है। मेरे माननीय मित्र, श्रम मन्त्री, श्री अन्जैया यहाँ बैठे हैं और इस-मामले पर उनका भी ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। भविष्य निधि में अंशदान करने वाले लोगों की अपनी सोसायटी या न्याय होना चाहिए ताकि वे स्वयं ही विभिन्न आवास सोसायटियों से सम्पर्क करके अपने लिए मकान बनवायें।

जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इसमें कितना समय लगेगा, मैं भी इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं। हमने इस विषय पर चर्चा की है और इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए योजना आयोग ने एक ग्रुप हाउसिंग समिति बनाई है। उन्होंने भी सुझाव दिए हैं और आपको भी मालूम है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सभी प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है और अब समय दूर नहीं है। हमें सन्तुष्ट होना चाहिए कि शीघ्र ही हमारी एक राष्ट्रीय आवास योजना या सोसायटी होगी जो कि एक कम्पनी या संसद के अधिनियम के माध्यम से होगी और इन सब बातों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा। मैं आपको इन बातों का निश्चित समय और ब्यौरा नहीं दे सकता परन्तु यह सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

श्री मुरली देवरा : इसे प्राथमिकता क्षेत्र में लाने के बारे में क्या विचार है?

श्री अब्दुल गफूर : आप वास्तविक स्थिति के बारे में जानकर आश्चर्य चकित होंगे। यदि आप इसके लिए अलग प्रश्न पूछें तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आवास के लिए निर्धारित राशि काफी अधिक थी। इसे दूसरी पंचवर्षीय

योजना में कम किया गया और तीसरी योजना में और कम किया गया अब सातवीं योजना के बारे में हमें अभी मालूम नहीं है कि कुल कितनी राशि निर्धारित की जायगी। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि पिछले वर्ष आवास योजना के लिए 90 करोड़ की मंजूरी दी गयी थी परन्तु मेरे विचार से इस वर्ष लगभग 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। मुझे मालूम नहीं है कि वे इन सब बातों पर विचार करेंगे या नहीं ? लेकिन आप जानते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपने माननीय मित्रों, इस सदन के सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूँ कि इस मामले में अपने प्रभाव इस्तेमाल करें।

श्री मुरली देवरा : मैं मन्त्री महोदय से बैंकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त हो सकने वाले ऋणों के बारे में पूछना चाहता हूँ मन्त्री महोदय द्वारा इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। कृपया वह स्पष्ट करें।

दूसरी बात यह है कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसे बड़े नगरों में नए मकान बनाने के लिए ऋण उपलब्ध हैं। लेकिन जब ये मकान पुराने हो जाते हैं तो इनकी मरम्मत कराने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि मकानों की मरम्मत और इन्हें दोबारा बनवाने के लिए भी ऋण दिए जायें।

श्री अब्दुल गफूर : मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे माननीय मित्र ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। हम उन लोगों की दशा पर विचार कर रहे हैं जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वे उनकी मरम्मत करवाने की स्थिति में नहीं हैं। हम पुराने मकानों की मरम्मत और उन्हें दोबारा बनवाने के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण अथवा कुछ सहायता देने की संभावनाओं के बारे में भी पता लगा रहे हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हुडको, जो कि मुख्य वित्तीय संस्थान है, उन लोगों को ऋण देने पर सहमत हो गया है जो अपने मकानों की मरम्मत करवाना चाहते हैं।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : यह अच्छा है कि मन्त्री महोदय ने प्रश्न 'क' के उत्तर में यह बताया है कि वह आवास योजना में बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों को शामिल करेंगे। आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। विशेषतया ग्रामीण इलाकों में उनकी स्थिति इतनी शोचनीय है कि वे अपने लिए छप्पर वाला घर भी नहीं बना सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय इन लोगों को ब्याज की रियायती दरों पर लम्बी अवधि के लिए ऋण देने के लिए बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों को इस काम में लगाने पर विचार करेंगे। यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्री अब्दुल गफूर : मेरे विचार से इस सभा का प्रत्येक माननीय सदस्य यह जानता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हम समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस श्रेणी के लोगों के लिए राज्य सरकारों द्वारा कितने मकान बनाये गए हैं। इस विशेष योजना में हुडको विशेष रूप से 60 प्रतिशत से अधिक योगदान दे रहा है।

श्री आनन्द गजपति राजु : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या किराया नियंत्रण अधिनियम तथा आवास के अन्तर्गत अन्य विभिन्न अधिनियमों की जांच करने के लिए कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं। और क्या सरकार इस बात के लिए ऋण लेने का प्रयत्न करेगी ताकि आवास योजना को अधिक गतिशील बनाया जा सके क्योंकि आवास कार्यक्रम अर्थव्यवस्था का विकास बिन्दु बन सकता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने श्रमदिवसों का उपयोग किया जा सकता है और क्या इन्हें ग्रामीण कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है ताकि आवास कार्यक्रम को अधिक गतिशील बनाया जा सके ?

श्री अब्दुल गफूर : यह बात सम्बद्ध राज्य सरकारों की बुद्धिमता पर निर्भर करती है । जहां तक किराया नियन्त्रण का सम्बन्ध है, मैं जानता हूँ कि आप इसमें संशोधन के लिए आतुर हैं। इस सत्र में इसे पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि निकट भविष्य में हम इसे आपके सामने रखेंगे और इस पर विचार करेंगे।

अन्त में मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से यही अपील करता हूँ···

अध्यक्ष महोदय : अधिक प्रश्न मत पूछिए।

श्री अब्दुल गफूर : ···यदि पर्याप्त राशि उपलब्ध हो तो हम काम भली प्रकार कर सकेंगे।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जिन क्वार्टरों में संसद सदस्य रह रहे हैं उनमें सदा ही मरम्मत की आवश्यकता रहती है। मरम्मत शुरू की गई है लेकिन पूरी नहीं की गई। उन्हें मरम्मत करने में तथा सदस्यों के आराम के लिए कुछ और सुविधायें उपलब्ध कराने में कितना समय लगेगा ?

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : आप लोगों के आराम के लिए तो जो कुछ चाहें, वह कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुख राम : क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि पिछले आवास मन्त्रियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव यह था कि देश के पहाड़ी इलाकों के सम्बन्ध में ऋण की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाये ? यदि हां, तो सरकार को देश के पहाड़ी इलाकों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाने में कितना समय लगेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण लागत तुलना में अधिक है। अत: सम्मेलन में यह प्रस्ताव था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बनाने के काम की गति को तीव्र करने के लिए ऋण की सीमा में वृद्धि की जाये।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : आपने अच्छा सजेशन दिया है। आप सब लोगों को मालूम है कि जहां तक हाउसिंग में सुधार लाने का सवाल है, बहुत सी जगह पर हिन्दुस्तान में रिसर्च हो रही है कि किस तरह से कौन-सा मेटीरियल लगाकर कम से कम कीमत का मकान छोटे-छोटे लोगों को बनाकर दिया जाए। जहां तक हिली रीजन्स और खास-तौर से आदिवासी लोगों की बात है, इन लोगों के लिए हम लोगों की तरफ से यह सोचा जा रहा है कि मुकामी चीजों को, लोकल अवेलेबल मेटीरियल से सस्ता मकान गवर्नमेंट की मदद से बनाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बस अब प्रश्न-काल समाप्त होता है।

———

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मंडला में दूरदर्शन रिले केन्द्र

*183. एम० एल० शिकराम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान उन स्थानों की सूची में जहाँ दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, मंडला को शामिल किया गया है; और

(ख) मंडला में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). मंडला में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल खंडों का पुनर्मूल्यांकन

*186. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल खण्डों का पुनर्मूल्यांकन करने का विचार कर रहा है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के सभी खण्डों को सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या सरकार को राजगढ़ जिले को सूखा-प्रवण क्षेत्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ). अन्तर-मन्त्रालय समिति की सिफारिस पर सरकार ने सातवीं योजना के वर्ष 1985-86 हेतु सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्डों की संख्या को पहले ही 511 से बढ़ाकर 615 कर दिया है। इस समय किसी नए खण्ड को इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सारे मामले की समीक्षा मध्यावधि मूल्यांकन के समय की जाएगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार और महाराष्ट्र में हुडको द्वारा सस्ते मकानों का निर्माण

* 187. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार और महाराष्ट्र में सस्ते मकान बनाने का प्रस्ताव "हुडको" के विचाराधीन है;

(ख) क्या उन स्थानों का चयन कर लिया गया है, जिस पर "हुडको" का सस्ते मकान बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक द्वारा इसके सम्बन्ध में कोई सहायता प्रदान की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और "हुडको" कब तक निर्माण कार्य शुरू करेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) हुडको निर्माण अभिकरण नहीं है। ऋण लेने वाले विभिन्न अभिकरणों द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं को यह अपने मार्ग-निर्देशनों के अनुसार वित्त देता है। सातवीं योजना के दौरान आरम्भ की जाने वाली योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) से (ङ). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

कीट-पतंगों से फसलों का बचाव

* 190. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित क्रांति के तरीकों को अपनाने से प्रति हेक्टेयर खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ कीट-पंतगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कीट-पतंगों से फसलों को बचाने के लिए क्या उपाय किए-गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। विभिन्न फसलों में कीट और कृमियों की संख्या में अलग-अलग मात्रा में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) फसलों को कीट और कृमियों से बचाने के लिए किए गए उपायों में कीट प्रबन्ध की एकीकृत कार्यनीति है, जिसके निम्नलिखित मुख्य घटक हैं :—

(1) फसलों पर कीट और कृमियों का प्रभाव का पता लगाने के लिए फसलों की किस्मों की छान-बीन करना और जिन किस्मों पर कीट और कृमियों का प्रभाव पड़ने का अधिक खतरा हो उनका परिहार्य करना और अधिक सहनशील/प्रतिरोधक किस्मों को अपनाना।

(2) प्रमुख कीटों के प्रबोधन के लिए सर्वेक्षण और निगरानी के व्यापक कार्यक्रम, समय पूर्व चेतावनी देना तथा सही समय पर नियन्त्रण संबंधी प्रभावी उपाय करना।

(3) प्रमुख कीटों के जैव-नियंत्रण के लिए प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण और उनकी संख्या में बढ़ोतरी।

(4) ऐसी ठोस सस्य विज्ञान और संवर्धन पद्धतियां तथा फसल कार्यनीतियां अपनाना जो कीट और कृमियों एवं रोगजनकों को विनाशकारी हद तक पनपने से रोकें।

(5) सुरक्षित कीटनाशी दवाइयों का विवेकपूर्ण तथा आवश्यकता पर आधारित उपयोग।

उपर्युक्त उपायों से फसल उत्पादन कार्यक्रमों में कीट और कृमियों की अधिकांश समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करने में सहायता मिली है।

मकान बनाने के लिए बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त प्रदान किया जाना

* 191. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मकान बनाने के लिए किसी विशिष्ट बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस व्यवस्था के अन्तर्गत किन वर्गों के लोग मकान बनाने के लिए वित्त लेने के हकदार होंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग). आवास वित्त देने वाली मौजूदा संस्थाओं के अतिरिक्त इन प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट संस्था की स्थापना के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

देश में बेरोजगार तथा रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का अनुपात

* 194. **श्री अजय बिश्वास** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोजगार प्राप्त और बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात क्या है; और

(ख) छठी योजना के दौरान प्रति वर्ष बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में किस दर से वृद्धि हुई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों से नवीनतम उपलब्ध सूचना 1977-78 के दौरान रोजगार एवं बेरोजगारी के बारे में किए गए 32 वें दौर सर्वेक्षण से सम्बन्धित है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य स्तर पर 15 वर्ष और उससे उमर की आयु के रोजगार में लगे और बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशतताएँ नीचे दी गई हैं :

	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
रोजगार में लगे	87.3	38.0	77.1	18.5
बेरोजगार	2.0	2.3	5.3	4.1

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर नौकरी चाहने वालों की संख्या (उनमें से सभी बेरोजगार नहीं हैं) तथा वर्ष 1980 से 1984 के दौरान उनमें हुई वृद्धि की प्रतिशतता नीचे दी गयी है :

वर्ष	रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की सं० (लाखों में)	पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि की प्रतिशतता
1980	162.00	13.0
1981	178.38	10.1

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता; परन्तु यहां 210 कर्मकारों को रोजगार दिये जाने के बारे में कहा गया है। उन्हें हमें उस समय यह बताना चाहिए था कि यह उनकी भूल है और इसे ठीक किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री जी० अंजैया : लेटेस्ट पोजीशन 325 बताई है।

[अनुवाद]

मैंने मुख्य मन्त्री तथा श्रम मन्त्री जी से बात की है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 325 उन क्षेत्रों के ताजे आंकड़े हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। कितने लोगों को पंजीकृत किया गया है ?

श्री टी० अंजैया : सभी श्रमिकों के नाम पंजीकृत किए गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि : विद्यमान कानून के अन्तर्गत···दुर्भाग्यवश यह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आता है···औद्योगिक विवाद अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि, जैसाकि सभी जानते हैं, फैक्ट्री को बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में बन्द करना पड़ा। क्या यह श्रमिक सामान्य छंटनी मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं जो कि फैक्ट्रियों के बन्द हो जाने की स्थिति में दिया जाता है, अथवा जैसाकि मन्त्री महोदय ने कुछ समय पहले कहा है कि यह छंटनी का मामला नहीं है अपितु फैक्ट्री के बन्द होने का मामला है ? यदि इसे छंटनी का मामला नहीं बल्कि फैक्ट्री बन्द हो जाने का मामला समझा जाए, तो यह श्रमिक छंटनी क्षतिपूर्ति से वंचित रहेंगे। अतः, मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है। इसे मध्य प्रदेश सरकार पर मत छोड़िए। यह एक राष्ट्रीय दुर्घटना है जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएँ हुईं। इसलिए, केन्द्र सरकार को हमें यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस मामले को निपटाने के लिए वे मध्य प्रदेश सरकार को क्या सलाह दे रहे हैं। क्या उन्हें छंटनी मुआवजा प्रदान किया जाएगा अथवा नहीं ? यह सच है कि बहुत से श्रमिक भोपाल छोड़ना नहीं चाहते ? यह तथ्य है कि उनके परिवार के सदस्य और अन्य लोग वास्तव में विषैली गैस से प्रभावित हुए हैं, गैस के रिसाव के बाद के प्रभाव से इन श्रमिकों के परिवार भी प्रभावित हुए है और वह नहीं जानते कि वह कहा जाएँ। उन्हें आशा है कि भोपाल में उनके राहत, उपचार आदि के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी। क्या यही मुख्य कारण है जो वह भोपाल को छोड़ना नहीं चाहते ? अन्यथा यदि उन्हें बदले में वैकल्पिक रोजगार दिया जाता है तो वे क्यों नहीं जाते ?

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैया : जहाँ तक रिमैनिंग वर्कर्स के एम्पलायमेंट का सवाल है उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि वह सबको काम पर लगायेगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक सैक्टर में पूना फर्टिलाइजर फैक्टर जो आ रही है, उसमें भी लोगों को लगायें। चीफ मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है कि इन लोगों को किस तरह से एब्जार्ब करेंगे।

जहाँ तक कम्पैन्सेशन देने की बात है, कम्पेंसेशन देने के लिये मैनेजमेंट तैयार है। वर्कर्स ने इसे रिफ्यूज किया है, वह समझते हैं कि 20 साल की सर्विस होती है, 10 साल हो गये हैं और वह चाहते हैं कि हर महीने 75 परसेंट के हिसाब से पैसा मिलना चाहिये। एजयूजुअल जो कम्पैन्सेशन मिलना चाहिये, क्लोजर कम्पेंसेशन वह देना चाहते हैं।

1982	197.53	10.7
1983	219.53	11.1
1984	235.47	7.3

गन्दी बस्तियों की वृद्धि को रोकना

* 195. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल की सप्लाई को नियन्त्रित करने और गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की दयनीय दशा को श्रव्य और दृश्य माध्यमों के द्वारा ग्रामीण जनता को दिखाकर गन्दी बस्तियों की वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सरकार की कोई योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). कार्यान्वयनाधीन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जलपूर्ति में सुधार के लिए कार्यक्रम निष्पादित किया जा रहा है। मलिन बस्तियों में जीवन स्तर सुधारने के लिए मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की योजना लागू है। अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ इन कार्यक्रमों को विभिन्न माध्यमों से प्रचारित किया जा रहा है।

गन्ने की खेती के लिए "पिट" कृषि प्रौद्योगिकी

* 196. **श्री रेणुपद दास** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तराई क्षेत्र और पंजाब में गन्ने की परम्परागत खेती के मुकाबले में "पिट" कृषि प्रौद्योगिकी बेहतर साबित हुई है;

(ख) क्या इस प्रौद्योगिकी को देश के अन्य भागों में अपनाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो "पिट" कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनमें अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान। कुछ समय के लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा पिट कृषि प्रौद्योगिकी पर परीक्षण किए गए हैं और इससे परम्परागत गन्ने की खेती की अपेक्षा अच्छी फसल प्राप्त हुई है। तथापि, और अधिक विस्तृत परीक्षण की योजना बनाई जा रही है जिससे कि इस प्रौद्योगिकी की परम्परागत प्रौद्योगिकियों के समकक्ष बनाया जा सके। इसके परिणामों की अभी पुष्टि की जानी है।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा ट्राइसेम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

* 197. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा ग्रामीण युवा स्वनियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो 1985-86 के लिए राज्यों को आबंटित निधि के विस्तृत आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां। भारत सरकार द्वारा राज्यों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रशिक्षण ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए कुल आवंटन की 50 प्रतिशत निधियां तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 प्रतिशत निधियां प्रदान की जाती है। संघ शासित क्षेत्रों का भारत सरकार इन सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करती है। ट्राइसेम के अन्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने और ऐसे युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अपेक्षित निधियां समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बजट में से दी जाती हैं।

(ख) और (ग). एक विवरण (पृष्ठ 26—28) संलग्न है।

[अनुवाद]

"टुडे इन पार्लियामेंट"/संसद समीक्षा प्रसारण

*198. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की जानकारी है कि करोड़ों लोग, जो अंग्रेजी या हिन्दी नहीं समझते, संसद के अधिवेशन के दिनों में आकाशवाणी से "टुडे इन पार्लियामेंट" अथवा "संसद समीक्षा" प्रसारणों को समझ नहीं पाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए दक्षिणी राज्यों की राजधानियों से उनकी राजभाषा में अनूदित "संसद समीक्षा" प्रसारित करने पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) यद्यपि वे लोग, जो हिन्दी या अंग्रेजी नहीं जानते, "टुडे इन पार्लियामेंट" या संसद समीक्षा" नहीं समझ पाते, वे स्थानीय भाषाओं/बोलियों में प्रसारित क्षेत्रीय भाषा के बुलेटिनों में शामिल संसद बहस अंशों को समझते हैं।

(ख) जी, नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

*199. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विवरण

1985-86 के दौरान (जून, 85 तक) निधियों का केन्द्रीय आबंटन तथा लाभार्थियों की संख्या (अनन्तिम)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन 1985-86 (रु० लाखों में) (अनन्तिम)		अब तक समाविष्ट लाभार्थियों की सं०		प्रशिक्षित युवकों की सं०	सृजित रोजगार, लाख श्रम दिनों में	
		स० ग्रा० वि० का०	रा० ग्रा० रो० का०	ग्रा० भू० रो० गा० कार्यक्रम (अ)	स० ग्रा० वि० का०	ट्राइसेग	रा० ग्रा० रो० का०	ग्रा० भ० रो० गा० कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1333.16	2270.00	4887.00	13098	3959	53.48	22.92
2.	असम	688.60	498.00	1076.00	21796	1309	9.74	16.00
3.	बिहार	2624.20	3274.00	7074.00	60468	668	67.50	17.12
4.	गुजरात	798.55	740.00	1606.00	7628	असूचित	19.33	30.20
5.	हरियाणा	220.62	196.00	432.00	3182	228	0.83	0.87
6.	हिमाचल प्रदेश	155.32	138.00	300.00	5525	456	1.55	2.51
7.	जम्मू और कश्मीर	274.89	170.00	363.00	4549ब	असूचित	0.46	शून्य
8.	कर्नाटक	863.29	1080.00	2350.00	19671	160	24.42	13.65
9.	केरल	670.66	1060.00	2278.00	3142	277	20.50	13.02

10. मध्य प्रदेश	1881.40	1676.00	3644.00	36767	2963	35.62	35.30
11. महाराष्ट्र	1528.93	1826.00	3940.00	19154	असूचित	20.43	74.56
12. मणिपुर	63.21	25.00	55.00	1655	284	0.27	0.07
13. मेघालय	85.46	34.00	71.00	1382	असूचित	0.95	0.2
14. नागालैंड	50.14	24.00	50.50	3134	असूचिश	0.70	0.5
15. उड़ीसा	1248.20	1036.00	2236.00	15017	असूचित	24.43	31.52
16. पंजाब	265.53	316.00	692.00	4123	3152	0.18	2.43
17. राजस्थान	793.82	550.00	1186.00	8716	असूचित	34.24	18.93
18. सिक्किम	10.04	18.00	40.60	184	असूचित	1.03	0.64
19. तमिलनाडु	1388.43	2050.00	4419.00	16869	असूचित	27.10	37.25
20. त्रिपुरा	82.88	76.00	163.00	1383	असूचित	असूचित	असूचित
21. उत्तर प्रदेश	3413.62	3922.00	8438.00	69775	2227	62.56	78.34
22. पश्चिमी बंगाल	1701.64	1774.00	3822.00	1501**	असूचित	26.84	33.10
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.32	36.00	40.50	67	असूचित	0.56	0.19
24. अरुणाचल प्रदेश	214.26	36.00	40.50	814	12	शून्य	शून्य
25. चंडीगढ़	4.46	10.00	10.10	30	असूचित	0.11	0.01
26. दादरा और नगर हवेली	4.46	18.00	20.40	151	14	0.71	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	दिल्ली	22.32	16.00	20.20	178	171	0.05	0.09
28.	गोवा, दमन और दीव	53.56	42.00	54.00	546	652	1.73	0.48
29.	लक्ष्यद्वीप	22.32	10.00	10.20	55	29	0.24	0.24
30.	मिजोरम	89.28	36.00	40.50	972	17	0.24	0.34
31.	पांडिचेरी	17.86	36.00	40.50	243	10	0.31	0.10
			7.00*	600.00***				
	अखिल भारत :	20593.42	23000.00	50000.00	321775	17288	436.11	431.10

अ आबंटन जिसमें खाद्यान्न के ऊपर आर्थिक सहायता शामिल है।

*स्थापना पर व्यय और अनु०जाति/अनु० जनजाति के लोगों के आवासों के लिए अतिरिक्त आबंटन।

ब मई, 1985 तक

**अप्रैल, 1985 तक

***प्रयोगात्मक ग्रामीण आवासों के लिए 1 करोड़ रु० तथा स्वैच्छिक संगठनों के जरिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5 करोड़ रु० को दर्शाता है।

नोट : ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण ढांचे को सुदृढ़ बनाने की योजना के अन्तर्गत निधियां राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंजूर की जाती है।

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजनाबोर्ड की प्रथम बैठक 4 जून 1985 को हुई थी।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ मामलों के अलावा क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित विभिन्न नीति मामलों पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि नीति मामलों की विस्तृत रूप से जाँच योजना समिति द्वारा की जाएगी तथा ठोस प्रस्ताव बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) तैयार होने और बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। योजना बनाई जा रही है और बोर्ड द्वारा यथा सम्भव शीघ्र अनुमोदित की जाएगी।

श्रमिकों की शिक्षा पर राष्ट्रीय गोष्ठी

*200. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री ए च० जी० रामुलू :

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में श्रमिकों की शिक्षा पर हुई राष्ट्रीय गोष्ठी में महिलाओं, बाल श्रमिकों और ग्रामीण असंगठित श्रमिकों की समस्याओं के बारे में चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में महिलाओं को रोजगार देने, बाल श्रमिकों की प्रथा का उन्मूलन करने और ग्रामीण असंगठित मजदूरों की कार्यदशाओं को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नई दिल्ली में 9 से 11 जुलाई, 1985 तक "अगले दशक में श्रमिक शिक्षा" सम्बन्धी एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। इस सेमिनार के मुख्य विषय राष्ट्रीय निम्न प्रकार से थे।

(i) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन और इसे सुदृढ़ करना और श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए वित्त व्यवस्था करना।

(ii) श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों में ट्रेड यूनियनों, नियोजकों, स्वैच्छिक संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका-उनकी अधिकतम सहभागिता के लिए आवश्यक उपाय और पद्धतियां।

(iii) ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें कोयला खानों और अन्य कल्याण निधियों का श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग लेना शामिल है।

(iv) संगठित क्षेत्र में श्रमिक कार्यक्रमों की विषय-वस्तु, तरीके, संस्थात्मक और वैधानिक संरचना की समीक्षा और पुनर्संगठन।

इसलिए सेमिनार का मुख्य उद्देश्य श्रमिक शिक्षा के विद्यमान कार्यक्रमों में सुधार लाना और केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की योजना के भावी कार्यकरण को नई दिशा प्रदान करना था। सेमिनार के निष्कर्ष और सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं।

इस सेमिनार ने महिलाओं के रोजगार, बाल श्रम पद्धति को समाप्त करने और ग्रामीण असंगठित श्रमिकों की दशाओं में सुधार लाने से सम्बन्धित विषयों के बारे में स्वयं किसी प्रकार का स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श नहीं किया।

नई दिल्ली में राज्यों के श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन

*201. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री वी० तुलसी राम :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1985 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में राज्यों के श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) उस सम्मेलन में क्या विचार विमर्श हुआ;

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये; और

(घ) क्या उक्त सम्मेलन में मजदूरों के दावों की सुरक्षा के लिए एक गारन्टी निधि बनाने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी; यदि हाँ, तो इसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (घ). जी, नहीं। श्रम मन्त्री सम्मेलन का 35वां अधिवेशन 11 मई, 1985 को हुआ था। एक विवरण संलग्न है जिसमें सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों/सुझावों का संक्षिप्त सार दिया गया है। सम्मेलन में श्रमिकों के दावों की रक्षा के लिए गारण्टी निधि सृजित करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया और यह महसूस किया गया कि इसके लिए गहन जाँच और इस पर विभिन्न पहलुओं से विचार करने की आवश्यकता है। सम्मेलन ने इस मामले को विचार करने हेतु श्रम मन्त्रियों के ग्रुप को भेज दिया।

विवरण

सम्मेलन के मुख्य सुझावों निष्कर्षों का संक्षेप

1. तालाबन्दी के कारणों की औद्योगिक सम्बन्धतंत्र द्वारा जाँच की जानी चाहिए और ऐसी जाँच के परिणामों का संकलन करने पर स्थिति का सही आंकलन करना चाहिए।

2. इस बात की जाँच की जानी चाहिए कि क्या तालाबन्दी की परिभाषा विस्तृत की जाय ताकि संक्रिया या व्यापार को अस्थायी तौर पर बन्द कर तालाबन्दी करने की परिपाटी से निपटा जाय।

3. कामबन्दी, जबरी छुट्टी और छटनी से सम्बन्धित मामलों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के बारे में स्थगन आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिए उचित प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहियें।

4. श्रम मामलों में न्याय-निर्णयन शीघ्र निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों और उच्च अधिकार प्राप्त अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए।

5. औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति को मानीटर करने के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए।

6. श्रमिकों को देय राशियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके लिए सम्बन्धित अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन किए जाएं।

7. श्रमिकों को देय राशियों की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए समुचित बीमा योजना के ब्यौरे तैयार किए जाएं।

8. कम्पनी/यूनिटों के लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा करते समय इस आशय का प्रमाणपत्र लेने की पद्धति कि वार्धक्य/सेवा-निवृत्ति की बचन बद्धता जैसे उपदान आदि के लिए अपेक्षित फण्ड्स विद्यमान हैं।

9. मजदूरी/बोनस/उपदान, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और केन्द्रीय भविष्य निधि की अदायगी से सम्बन्धित कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

10. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आने के लिए विद्यमान 1600/-रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा को समाप्त किया जाय और इस अधिनियम के उपबन्धों को 10 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने के लिए समुचित सरकारों को शक्तियां प्रदान की जाएं।

11. अधिनियम के सीमा क्षेत्र का विस्तार किया जाय ताकि काफी संख्या में महिला श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को उसके अन्तर्गत लाया जा सके और इसके विस्तार को अधिक बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

12. कर्मचारी राज्य बीमा निगम को बल-श्रमिकों के स्वास्थ्य देख-रेख के लिए कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

13. राज्य सरकारों को शिथिल करने के प्रमाणन को कम करने की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

14. उन प्रतिष्ठानों के खिलाफ दांडिक कार्रवाई चलानी चाहिए जिन्होंने श्रमिकों से निधियों की वसूली तो की है मगर उसे जमा नहीं कराया है और रुग्ण हो गए या बन्द कर गए या समापनाधीन हैं।

15. दांडिक अभियोजन चलाने के अलावा, देय राशियों की वसूली करने के लिए यथासंभव शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

16. दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकने के हित में, मुख्य कारखाना निरीक्षक को जोखिमपूर्ण उद्योग में कार्यकलाप बन्द करने के आदेश जारी करने की शक्तियां प्रदत्त की जानी चाहिए। जोखिमपूर्ण उद्योगों में सुरक्षा विनियमों का लगातार उल्लंघन करने पर अनिवार्यत: सजा दी जाय।

17. राज्य सरकार खतरनाक उत्पादन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में मॉडल नियमों और अनुसूचियों में निर्धारित नियंत्रण उपायों को राज्य कारखाना नियमों में शामिल कर इन सभी उपायों

को अपनाएंगे।

18. राज्य, संघ क्षेत्र सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में अपने नियमों की समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इनमें सुरक्षा अधिकारियों की अपेक्षित अर्हताएँ, कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।

19. टास्क फोर्सों की रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकारें जोखिमपूर्ण उद्योगों की एक सूची बनाएंगे और ब्यौरे कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय को भेजेंगे, जो ऐसे जोखिमपूर्ण उद्योगों की एक सामान्य सूची बनाएंगे ताकि अखिल भारतीय आधार पर आम हित के अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए भविष्य की कार्रवाई योजना बनाई जा सके।

20. जोखिमपूर्ण रसायनिक उद्योगों में पर्यावरण की मानीटरिंग करने के लिए आवश्यक जन-शक्ति, उपकरणों और सुविधाओं सहित औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को राज्यों में स्थापित करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना बनाई जाय जिसमें 50 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकारें और 50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार करेगी।

21. विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति राज्य स्तर पर गठित की जाएगी जिसका संयोजक मुख्य कारखाना निरीक्षक होगा। यह समिति, समय-समय पर जोखिमपूर्ण उद्योगों की सुरक्षा दशाओं की जाँच करेगी और राज्य स्तर पर एक त्रिपक्षीय समिति को इनके बारे में उपचारी उपायों की रिपोर्ट देगी।

22. श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति राज्य स्तर पर होगी। यह समिति राज्य-भर के कारखानों में समग्र सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में नीति विषयक मामलों का निर्धारण करेगी।

23. देश में व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक काडर बनाया जाएगा ताकि निम्नलिखित उपाय किए जा सकें।

(क) कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय द्वारा प्रशिक्षण और विकास के लिए समुचित कार्यक्रम बनाए जाएंगे और उन्हें लागू किया जाएगा, जिसमें वह एन० आई० ओ० एच०, आई० आर० टी० सी० और राज्य सरकारों के कारखाना निरीक्षणालयों का सहयोग प्राप्त करेगा।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रत्येक राज्य में व्यावसायिक स्वास्थ्य नैदानिक केन्द्र स्थापित करेगा और ये केन्द्र कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र के व्यसावायिक स्वास्थ्य क्लीनिकों, जिनकी सातवीं पंच-वर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है, के पूर्ण सहयोग से काम करेंगे।

24. बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास कार्यक्रम को विद्यमान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ समन्वित किया जाना चाहिए।

25. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध अनुदान, बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मिलने वाले अनुदान के अतिरिक्त होगा।

26. बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए अनुदान को बैंकों से ऋण लेने के लिए मूल धन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए तथापि यह स्वीकृत परियोजना लागत की सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

27. केन्द्रीय सैक्टर योजना के अधीन 4000/-रुपये की सीमा काफी साल पहले निर्धारित

की गई थी और इस सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

28. 4000/-रुपये के अनुज्ञेय अनुदान के अलावा, पता लगाने के समय और कार्यक्रम शुरू होने के समय के बीच की अवधि के लिए अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की जाय।

29. बन्धुओं श्रमिकों के पुनर्वास के लिए अनुदान के उपयोग प्रमाण-पत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्त पर जोर न देते हुए रिलीज किया जाना चाहिए। यदि प्राप्त होने वाले उपयोग प्रमाण-पत्रों का 75 प्रतिशत भी प्राप्त हो जाय तो अनुदान रिलीज करने के प्रयोजनार्थ उपयोग प्रमाण-पत्रों की अप्राप्ति को टाला जा सकता है।

30. जहां कहीं संभव हो, वहां स्वैच्छिक ऐजेन्सियों की सक्षमता और इच्छा का उपयोग किया जाय ताकि ग्रामीण समाज में मूल भूत परिवर्तन किया जा सकें। इन स्वैच्छिक एजेन्सियों के कामकाज को ग्रामीण संगठकों की विद्यमान योजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है।

31. जब कभी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या सरकार प्रधान नियोजक हो तो ठेके में यह उपबन्ध किया जाना चाहिए कि ठेकेदार अपने ठेका श्रमिकों को कम से कम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की अदायगी करेगा। ठेकेदार के सभी बिल भुगतान के लिए केवल तभी पास किए जायं जब प्रधान नियोजक यह प्रमाणित कर दे कि निर्धारित न्यूनतत मजदूरी अदा की गई है।

32. बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास योजनाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विद्यमान आवास योजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

33. एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शुरू की जाएगी ताकि जिन क्षेत्रों में बाल श्रमिक संकेन्द्रित हैं उनमें प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप किया जा सके।

34. जब दो या अधिक राज्यों में विद्यमान किसी अनुसूचित रोजगार में मजदूरी में व्यापक असमानता हो, तो वहां सभी सम्बन्धित पक्षों द्वारा इस असमानता को कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

35. स्व-नियोजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार कार्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय योजना को, जो इस समय प्रायोगिक आधार पर 30 जिलों में चलाई जा रही है, यथा संभव सारे देश में लागू किया जाना चाहिए।

36. सम्मेलन इस पक्ष में था कि रोजगार कार्यालयों के काम में क्रमबद्ध तरीके से कम्प्यूटर लगाया जाय ताकि रजिस्टर हुए व्यक्तियों और नियोजकों को तत्पर, उद्देश्ययुक्त और प्रभावी सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

37. प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मॉडल रोजगार कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यालय में समुचित स्टाफ, उचित भवन, आगन्तुकों और रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले व्यक्तियों आदि के लिए उचित सुविधाएं हों।

38. केवल महिलाओं के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कोर्सों को स्थानान्तरित किया जाय ताकि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार किया जा सके।

39. निम्नलिखित मामलों की जांच करने के लिए श्रम मन्त्रियों का एक दल गठित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के श्रम मन्त्री इस दल के संयोजक होंगे :

1. औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना होने से ही पृथक निर्दिष्ट निधि का सृजन जिसका श्रमिकों की देय राशियों की अदायगी के लिए, जब कभी आवश्यक हो, प्रयोग किया जा सके।

2. गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता और सांविधिक उपबन्धों का प्रश्न।

3. उपदान बीमा स्कीम।

4. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी।

5. महिला श्रमिकों से सम्बन्धित श्रम कानूनों की समीक्षा।

6. कोई अन्य मद जिसे केन्द्रीय श्रम मन्त्री, समिति के विचारार्थ निर्दिष्ट करें।

(श्रम मन्त्रियों के ग्रुप की पहली बैठक 27 जुलाई, 1985 को नई दिल्ली में हुई। अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है)

दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने के स्थानों के बारे में सर्वेक्षण

*202. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने के लिए स्थानों का निर्धारण करने हेतु कोई देश व्यापी सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या इसके सम्बन्ध में कोई दिशानिर्देश अथवा मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). जबकि देश में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के लगाने के लिए स्थानों का निर्धारण करने के लिए कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, स्थानों का चयन करने के लिए सुनिर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं।

(ग) एक विवरण, जिसमें दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के मानक दिए हुए हैं; सलग्न है।

विवरण

दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना करने के मानदंडों में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के कवरेज की मात्रा, पिछड़े, दूरस्थ और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सेवा, श्रमजीवी वर्ग/औद्योगिक जनसंख्या का कवरेज तथा कार्यक्रम निर्माण और कार्यक्रम लिंकिंग सुविधाओं एवं अन्य अवस्थापना की उपलब्धता जैसी बातें शामिल हैं। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक महत्व के स्थानों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। उन क्षेत्रों, जिन्हें अभी तक दूरदर्शन सिग्नलों द्वारा कवर नहीं किया गया है, को प्राथमिकता देने के प्रयास भी किये जाते हैं। किसी ट्रांसमीटर विशेष के लिए स्थान का चयन करते समय, स्थानीय भू-भाग की विचित्रताओं का भी विचार किया जाता है ताकि ट्रांसमीटर द्वारा कवर किये जाने वाले क्षेत्र को अधिकतम किया जा सके। यह संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष अग्रताओं पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन के नेटवर्क कार्यक्रम में समाचारों का चयन

1838. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के नेटवर्क कार्यक्रम में प्रसारित समाचार बुलेटिन के लिए समाचारों के चयन के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

समाचार नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. समाचारों और विचारों के बीच जो अन्तर है उसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। समाचारों की रिपोर्टिंग तथ्यात्मक सही वस्तुनिष्ठ है तथा केवल उन्हीं विचारों को जिनसे समाचार बनते हों, समाचार प्रसारणों में स्थान मिलना चाहिए। समाचारों के प्रसारण में कोई सम्पादकीयता नहीं हो सकती।

2. प्रत्येक समाचार कहानी का आकलन सर्वथा उसके समाचारिक मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों के चयन में तथा समाचारों के सम्पादन में, आकाशवाणी और दूरदर्शन का मार्गदर्शन यथा संभव उच्चतम व्यावसायिक मानकों से होना चाहिए। जबकि समाचारिक मूल्य समाचारों के चयन का आधार होगा; इसका प्रतिपादन तथा प्रस्तुतीकरण प्रत्येक माध्यम की विशेषताओं और क्षमता तथा लक्ष्य श्रोताओं से सम्बन्धित होना चाहिए।

4. समाचारों को तथ्यात्मकता और वस्तुनिष्ठता से प्रस्तुत करने के अलावा, आकाशवाणी और दूरदर्शन को जहां आवश्यक हो, घटनाओं की पृष्ठभूमि उपलब्ध करनी चाहिए ताकि देश के किसी भी भाग के श्रोता इस प्रकार की घटनाओं को उचित परिप्रेक्ष्य में रख सकें।

5. समाचार को तथ्यात्मकता तथा उत्तरादायित्व के उच्चतम मानदण्ड को पूरा करना चाहिए। आकाशवाणी और दूरदर्शन ऐसी कल्पित कहानियों में रत नहीं हो सकते, जो कतिपय पत्रिकाओं में छपती हैं। उनको घटनाओं के सत्यापन के लिए अपने साधन विकसित करने चाहियें।

6. हमारे जैसे विकाशील देश में, प्रसारण का विशेष कार्य विकास, इसके महत्व, उपलब्धियों तथा समस्याओं को कवर करना होना चाहिए। विकास सम्बन्धी समाचार व्यापक आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक, आदि गतिविधियों को कवर करते हैं। इसको मात्र विवरणों और योजनाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके महत्व को स्पष्ट करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की समाचार एकत्रन व्यवस्था का विस्तार किया जाना चाहिए और उनका उपयुक्त रूप से फैलाव किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाचार एकत्रन व्यवस्था को विकास और राष्ट्र निर्माण समाचारों के नए क्षेत्रों का पता करने का दिली प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियों में लोगों की भागीदारी तथा स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्य पर पूरा प्रकाश डाला जाना चाहिए। इससे प्रसारण माध्यम न केवल उस कार्य की अनुपूर्ति करेंगे जिसे सामान्यतया समाचार एजेंसियों द्वारा किया जाता है, बल्कि स्वयं अच्छी पृष्ठ भूमि युक्त कहानियां प्रस्तुत करेंगे।

7. समय सीमित होने के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे समाचार कवरेज के उस पैटर्न को अपनाएं जो समाचार पत्रों द्वारा अपनाया जाता है।

समाचार एकत्रन की रेंज और स्कोप तथा चयन को माध्यमों के अनुरूप होना होगा ।

8. समाचार रिपोर्टिंग की शैली तथा प्रणाली को उन मौलिक सिद्धान्तों को सुदृढ़ करना चाहिए जिन पर राष्ट्रीय नीतियां आधारित हैं। इन मौलिक सिद्धान्तों में देश की अखंडता, राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण तथा संसद राज्य विधान मंडलों तथा न्यायपालिका की गरिमा तथा सम्मान को कायम रखना शामिल है।

9. नीति सम्बन्धी मामलों पर मन्त्रालयीन वक्तव्य, विशेषकर प्रधान मन्त्री के वक्तव्य जनता को राष्ट्रीय नीतियों को समझाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वियवन को समाचारों में उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिए। व्यक्तियों की अपेक्षा सूचना पर बल होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सरकारी नीतियों तथा उनको कार्यान्वियवन के तरीके की आलोचना वाले विचारों को प्रर्याप्त समय मिलना चाहिए।

10. राजनीतिक विवादों पर रिपोर्टिंग में, प्रसारण माध्यमों को वस्तुनिष्ठता का अनुसरण करना चाहिए। विभिन्न मतों को प्रतिनिधित्व देना उद्देश्य होना चाहिए । यदि उसी बुलेटिन में विभिन्न मतों को प्रतिबिम्बित नहीं किया जा सकता हो तो शेष को उचित समय के अन्दर प्रतिबिम्बित करना चाहिए।

11. अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के चयन में, उद्देश्य लोगों को विश्व की घटनाओं से सूचित करने का होना चाहिए। घटनाओं की उपयुक्त पृष्ठभूमि देने के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। समाचारों के चयन में विकासील देशों, विशेषकर हमारे पड़ोसी देशों की घटनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चहिए। विश्वव्यापी एजेंसियों, जिनके पास उन्नत देशों के समाचार अधिक होते हैं तथा जो सूक्ष्म पूर्वाग्रही होती हैं, की प्रति की छंटाई से छंटाई तथा सम्पादन करने के अलावा, आकाश वाणी के लिए यह वांछनीय होगा कि निर्गुट समाचार पूल तथा तृतीय विश्व की अन्य एजेंसियों की प्रति का समाचारिक मूल्य के आधार पर उपयोग करें । आकाशवाणी के लिए जो अत्यावश्यक है, वह यह है कि वह विदेशों में अपने संवाददाताओं की संख्या बढ़ाये तथा समाचार कवरेज के स्थान तथा क्षेत्र का सावधानी पूर्वक चयन करे ताकि हम विश्व की घटनाओं के बारे में वह दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें जो भारत और अन्य निर्गुट तथा विकास शील देशों द्वारा लिया जाता है।

12. अकाशवाणी और दूर दर्शन का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा घटना क्रमों के बारे में ठीक जन मत सृजित करना होना चाहिए। समाचार तथा सामयिक मामलों के कार्यक्रम तैयार करने में, राष्ट्रीय हित को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए । शान्ति तथा शान्तपूर्ण सह अस्तित्व, निर्गुटता, सभी देशों के साथ मित्रता, स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे लोगों तथा जाति-वाद और जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष तथा न्याय एवं समानता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए समर्थन देने की राष्ट्रीय नीति पर प्रकाश डाला जाना चाहिए । यह सरकार की विदेश नीति की किसी भी महत्वपूर्ण आलोचना की रिपोर्टिंग की मनाही नहीं करता है।

13. सामयिक मामलों के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं पर लोगों को जानकारी देना होना चाहिए । विषय का प्रति-पादन व्यापक होना चाहिए जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिबिम्बित किया जाए। इसका उद्देश्य घटनाओं तथा मुद्दों की उपयुक्त रूप से समझ-बूझ तथा व्याख्या के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि उपलब्ध करना होना चाहिए।

14. सामयिक मामलों के कार्यक्रम विषयों तथा भाग लेने वाले व्यक्तियों के चयन में व्यापक होने चाहिए। विभिन्न वर्गों के लोगों की रुचियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। रूप नवीन होने

चाहिए तथा माध्यम के अनुरूप होने चाहिए।

15. समाचारों तथा सामयिक मामलों के कार्यक्रमों के प्रसारण के बाद उनका आन्तरिक मूल्यांकन दैनिक आधार पर नियमित रूप से होना चाहिए। भाषा विशेष के समाचारों तथा सामयिक मामलों के लिए बाहरी विशेषज्ञों के पैनल पर विचार किया जाना चाहिए।

16. प्रसारण माध्यमों की विशिष्टताएं तथा संभावित पहुंच समाचार सामग्रियों को बोल-चाल की भाषा में तैयार करने की जरूरत है। भाषा को कान को सम्बोधित किया जाना चाहिए, समाचार-पत्र या पत्रिका में मुद्रित शब्द, जो पढ़ने के लिए होता है, की तरह नहीं।

समय का अभाव भी सूक्ष्मता तथा संक्षिप्तता के लिए बाध्य करता है। श्रोताओं की समझ के स्तर में अन्तरों को भी ध्यान में रखा जाना है। सरलता तथा स्पष्टता आवश्यक हैं। रिपोर्टरों तथा वार्ताकारों का उद्देश्य लोगों के साथ सरल सम्प्रेषण होना चाहिए, अपनी साहित्यिक कुशलताओं का प्रदर्शन करना नहीं। आकाशवाणी और दूरदर्शन को अपने मुहावरे तथा शैली विकसित करनी चाहिए।

17. बुलेटिनों की भाषा का समय-समय पर मूल्यांकन करने का प्रावधान होना चाहिए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार कार्मिकों की विशेषज्ञता तथा प्रशिक्षण पर बहुत ज्यादा जोर देना होगा। प्रत्येक भाषा में एक शैली पुस्तक बिना देरी किए तैयार की जानी चाहिए।

18. इन नीतियों तथा मानदंडों का कार्यान्वयन समाचार तथा सामयिक मामलों के कार्यक्रमों को संचालित करने वाले लोगों की व्यावसायिक क्षमता पर निर्भर करता है। कार्मिकों का चयन अति महत्वपूर्ण है। एक व्यावसायिक को समाचार कार्य में अवश्य प्रशिक्षित होना चाहिए। उसे समाचार कहानियों का चयन करने तथा उनको माध्यम के अनुरूप पुनः लिखने के योग्य होना चाहिए। एक लोकतान्त्रिक समाज में माध्यमों की भूमिका का व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन उन्हें सही निर्णय लेने में विश्वास पैदा करेगा।

परियोजनाओं और उद्योगों में महिलाओं के रोजगार लिए राज्यों को दिशा-निर्देश

1839. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों को अपनी परियोजनाओं में रोजगार के मामले में महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए कहने हेतु राज्यों को कोई अनुदेश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). राज्य सरकारी और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे राज्य क्षेत्रों और इलैक्ट्रोनिक्स, कैटरिंग, होटल प्रबन्धतंत्र इत्यादि जैसे क्षेत्रों, जिनमें महिलाओं के नियोजन में वृद्धि की जा सकती है, में महिलाओं के किए अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 6 के अधीन सलाहकार समितियां स्थापित करें। अधिकतर राज्य सरकारों ने इस प्रकार की सलाहकार समितियां पहले ही स्थापित कर ली हैं। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे अधिक क्षेत्रों में नियोजन के लिए महिलाओं की क्षमता बढ़ाने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करें और उन्हें सुदृढ़ बनाएं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने के बदले में किसानों को प्लाटों का आवंटन

1840. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के किसानों की भूमि का अधिग्रहण करते समय दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह वचन दिया था कि प्रत्येक उस किसान को जिसकी भूमि का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किया गया है 400 वर्ग गज का विकसित प्लाट आवंटित किया जाएगा और उसके परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो कितने किसानों को 400 वर्ग गज के विकसित प्लाट आवंटित किए गए हैं और कितने परिवारों के एक-एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ; और

(ग) यदि ऐसा नहीं किया है तो उसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली प्रशासन की सिफारिश पर उन किसानों, जिनकी भूमि बड़े पैमाने पर अधिग्रहण की योजना के अन्तर्गत सम्पत्ति के 40 प्रतिशत के अधिग्रहण के मापदण्ड की शर्त पूरी होने पर अधिगृहित कर ली गई हैं : को 40 वर्ग गज से 400 वर्ग गज के बीच विभिन्न आकारों के प्लाट आवंटित करता है ।

(ख) और (ग). 114 व्यक्तियों को 400 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किए गए हैं, प्रभावित 34 व्यक्तियों को श्रेणी-IV तथा 45 व्यक्यिों को श्रेणी-III की नौकरियां दी गई हैं । तथापि, 1978-79 में यह योजना बन्द कर दी गई है तथा इसके बदले में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सितम्बर, 1984 में भावी भर्तियों के लिए उन व्यक्तियों के बच्चों को जिनकी भूमि अधिगृहित की गई है, 5 प्रतिशत अंकों का लाभ देने का निर्णय लिया है ।

[अनुवाद]

दिल्ली में समितियों द्वारा प्रारम्भ किया गया निर्माण कार्य

1841. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रिहायशी एककों के निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, गैर सरकारी क्षेत्र में उनके निर्माण को प्रोत्साहन देने का विचार है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) कुल कितनी समितियों ने रिहायशी एककों के निर्माण के लिए आवेदन किया है और उनमें से अब तक कितनी समितियों को भूमि आवंटित की गई है और उनमें से कितनों को भूमि का कब्जा दे दिया गया है ;

(ग) कितनी समितियों को भूमि आवंटित कर दी गई है किन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाने वाला विकास कार्य अभी तक नहीं किया गया है तथा उनमें से उन समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने रिहायशी एककों का निर्माण कर लिया है, किन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य अभी पूरा नहीं किया गया है और यह कौन-कौन से क्षेत्र हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफ़ूर) : (क) सहकारी आवास समितियां अपने मकानों/फ्लैटों का निर्माण गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से कराती है।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :—

I.	(क) 1981 में भूमि के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन करने वाली सहकारी सामूहिक आवास समितियों की संख्या	453
	(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की गई समितियों की संख्या	424
	(ग) उन समितियों की संख्या जिन्हें भूमि का कब्जा दिया	392
II.	1983 में नये पंजीकरण के आधार पर सहकारी समितियों के पंजीकार द्वारा प्रवर्तित उन समितियों कीसंख्या भूमि के आवंटन के लिए जिन पर विचार किया जाना है।	651

(ग) सूचना एकत्र की जा रही तथा संभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अपने फ्लैटों का शीघ्र निर्माण कराने के लिए सभी सम्भावित तरीकों से सहकारी ग्रुप आवास समितियों को प्रोत्साहित करना सरकार की नीति है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में खेलों के "कमेंटेटर"

1842. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन में खेल कमेंटेटरों के लिए पेनल के चयन की प्रक्रिया क्या है और इस समय विभिन्न खेलों के उन कमेंटेटरों की सूची क्या है जिनके पेनल में नाम हैं ;

(ख) उत्तर प्रदेश में गत राष्ट्रीय फुटबाल चैम्पियनशिप में आंखों देखा हाल सुनाने का स्तर बहुत घटिया था ;

(ग) यदि हां, तो खेलों का आंखों देखा हाल सुनाने का स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या आकाशवाणी का कोई सेवा निवृत कर्मचारी खेल कमेंटेटरों की पेनल सूची में है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए खेल कमेंटेटरों का चयन खेलों के क्षेत्र के बाहरी प्रख्यात विशेषज्ञों और माध्यमों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्क्रीनिंग/आडिशन समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति कमेंटेटरों का उनकी योग्यता के अनुसार श्रेणीकरण करती है तथा कमेंटेटरों की अनुमोदित सूची का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है और उन व्यक्तियों को उसमें से निकाल दिया जाता है जो अपेक्षित स्तर के नहीं होते। आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए उन खेल कमेंटेटरों, जिनके पैनल में

नाम हैं, की सूची संलग्न है (परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2)। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1296/85**]

(ख) जी, नहीं। आकाशवाणी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तथापि, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण आखरी समय पर दूरदर्शन के सीधे टेलीकास्ट में कुछ खराबी हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) स्क्रीनिंग और चयन की विधिवत् प्रक्रिया के बाद आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खेल कमेंटेटर बनने पर कोई रोक नहीं है।

खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भरता

1843. **श्री हरिहर सोरन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए हैं ;

(ख) क्या इन उपायों के अन्तर्गत उर्वरक की खपत बढ़ाने के प्रयास किए गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को उर्वरक की सप्लाई तथा इनका उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). जी हां। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जा रहे हैं। उर्वरकों का बढ़ा हुआ उपयोग इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक हिस्सा है।

(ग) और (घ). उर्वरकों की मांग की पूर्ति घरेलू उत्पादन तथा आयात के जरिए पूरी की जाती है। उर्वरकों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए नई संयंत्र क्षमता बढ़ाई जा रही है। तथापि घरेलू उत्पादन और अनुमानित मांग को पूरी न की जा सकने वाली कमी को विगत समय की तरह उर्वरकों के आयात के जरिए पूरा किया जाएगा।

उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

(1) उर्वरकों के घरेलू उत्पादन और आयात के जरिए उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

(2) उन चुनींदा जिलों में, जहां उर्वरकों की खपत की क्षमता मौजूद हैं किन्तु इस समय उर्वरकों की खपत कम है, एक गहन उर्वरक संवर्धन अभियान चलाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चुनींदा जिलों की संख्या 1981 के 67 के मुकाबले बढ़ाकर इस समय 104 कर दी गई है।

(3) सारे देश में उर्वरकों की सुपुर्दगी सरकार के खर्चे पर प्रखंड स्तर पर की जाती है। अभी तक सुपुर्दगी रेल की दूरी वाले स्थानों तक ही की जाती थीं।

(4) 15-8-81 से वितरण एजेंसियों की वितरण सीमा को करीब 22 प्रतिशत बढ़ाया गया तथा 20-5-1983 से इसे और अधिक बढ़ामा गया है।

(5) कृषि आदानों, जिनमें उर्वरक भी शामिल हैं, की खरीद और वितरण के लिए राज्यों को दी जाने वाली अल्पावधि ऋण की मात्रा जो कि 1979-80 में 136 करोड़ रुपए थी, को बढ़ाकर 1980-81 और 1981-82 में 200 करोड़ रुपए, 1982-83 में 250 करोड़ रुपए तथा 1983-84 तथा 1984-85 में 260 करोड़ रुपए कर दी गई। 1985-86 के लिए भी यह राशि 260 करोड़ रुपए रखी गई है।

(6) खपत केन्द्रों के नजदीक उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बिक्री केन्द्रों की संख्या 30-11-1981 के 1.11 लाख के मुकाबले बढ़ाकर 31-3-1984 को 1.47 लाख कर दी गई।

(7) 29-6-1983 से उर्वरकों की सभी किस्मों के मूल्य करीब 7.5 प्रतिशत कम कर दिए गए हैं।

(8) उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि पर विचार करते हुए फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर अनुकूल लागत-लाभ अनुपात सुनिश्चित किया गया है। 1982-83 में जहां 1 किलोग्राम नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व खरीदने के लिए 4.19 किलोग्राम धान की आवश्यकता होती थी वहां 29-6-1984 से उर्वरकों के मूल्यों में की गई कमी तथा धान के बढ़े हुए समर्थन मूल्य के फलस्वरूप अब 3 41 किलोग्राम धान की आवश्यकता होगी।

दार्जिलिंग में केन्द्रीय समाचार सेवा एजेंसी की स्थापना

1844. **श्री अमल दत्त** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग में एक केन्द्रीय समाचार सेवा एजेन्सी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार का आकाशवाणी का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दार्जिलिंग में आकाशवाणी का कोई केन्द्र नहीं है। अतः इस प्रकार की यूनिट की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

आकाशवाणी की विदेश सेवाएं

1845. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की विदेश सेवाओं का स्तर अन्य देशों की तुलना में अच्छा नहीं है ;

(ख) क्या आकाशवाणी के पास 10 किलोवाट और 50 किलोवाट के शार्ट-वेव स्टेशन हैं जबकि अधिकतर देश दूसरे देशों में सुनने वालों के लिए 250 किलोवाट और 500 किलोवाट के स्टेशनों का उपयोग कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो विदेश सेवा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशों में सुनने वालों के लिए प्रसारण की अवधि बढ़ाने का है ;

(ङ) क्या कुछ केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि पड़ोसी देशों में अधिक सुनने वालों तक कार्यक्रम पहुंच सके और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या आकाशवाणी का विचार खाड़ी देशों के लिए कुशल सेवा प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) हमारे ट्रांसमीटरों के कम शक्ति के होने और अन्य अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से व्यवधान होने जैसी बातों के कारण यह हो सकता है कि कुछ लक्ष्य क्षेत्रों में सिगनल की वांछित शक्ति न हो।

(ख), (ग) और (ङ). विदेश प्रसारण सेवाओं के लिए आकाशवाणी के संजाल में 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट और 250 किलोवाट शार्टवेव के मिले जुले ट्रांसमीटर हैं। अलीगढ़ में मौजूदा 250 किलोवाट के दो शार्टवेव ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अलीगढ़ में 250 किलोवाट के दो और शार्टवेव ट्रांसमीटर लगाए और चालू किए गए हैं। 250 किलोवाट के दो और शार्टवेव ट्रांसमीटर दिल्ली में और 500 किलोवाट के दो शार्टवेव ट्रांसमीटर बंगलौर में लगाने की स्कीमों को कार्यान्वित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इन स्कीमों के 1986-87 में पूरा होने की आशा है।

इन ट्रांसमीटरों के लग जाने और चालू हो जाने से आकाशवाणी की विदेशी सेवाओं के सिगनल लक्ष्य क्षेत्र-देशों में अधिक स्पष्ट और साफ सुने जा सकेंगे।

(घ) जी, नहीं। इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) जी, हां। सातवीं योजना के अपने मसौदा प्रस्तावों में, आकाशवाणी ने खाड़ी देशों के लिए वाणिज्यिक सेवा के लिए स्टूडियो सुविधाओं इत्यादि के साथ 250 किलोवाट के दो ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव किया है। इसका कार्यान्वयन सातवीं योजना के अन्तिम स्वरूप पर निर्भर करेगा।

चितरंजन पार्क में मार्किट कम्पलैक्स का विकास

1846. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ई० पी० डी० पी० एसोसिएशन चितरंजन पार्क, नई दिल्ली द्वारा चितरंजन पार्क में मार्किट संख्या 1 और 2 के रूप में मार्किट काम्पलैक्स के विकास हेतु सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनेक अभ्यावेदन दिए गए हैं ताकि तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के भूतपूर्व शरणार्थियों को भूमि के विशिष्ट भूखन्ड आवंटित करने के बजाय उन्हें किराए पर दुकानें तथा व्यापारिक परिसर दिए जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर कैलाश आदि जैसी कालोनियों में इस प्रकार के मार्किट काम्पलैक्सों का विकास किया था ;

(घ) क्या अभ्यावेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ चितरंजन पार्क के बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित भूमि के गलत सौदों को रोकने की भी मांग की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो चितरंजन पार्क क्षेत्र में मार्किट काम्पलैक्स का जल्द से जल्द विकास करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के ऐसोसियेशन ने सुझाव दिया है कि किसी सरकारी अभिकरण द्वारा मार्किटों का निर्माण किया जाए तथा इन्हें पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के दुकान/झौपड़ी मालिकों को आवंटित किया जाए।

(ग) ग्रेटर कैलाश में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस प्रकार की किसी मार्किट का विकास नहीं किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले देशों में ही विपणन केन्द्रों का विकास/निर्माण करता है।

(घ) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मर्किट प्लाट संख्या I तथा II में भूमि का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(ङ) इस मार्किट काम्प्लैक्स का विकास चितरंजन पार्क (ई० पी० डी० पी०) ट्रैडर्स वैलफेयर ऐसोसियेशन द्वारा किया जाता है।

संगीत और नाटक प्रभाग द्वारा लोक गीतों का परिरक्षण

1847. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के संगीत और नाटक प्रभाग में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर पश्चिम राज्यों अर्थात् जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लोक गीतों को रिकार्ड करने, उनका परीक्षण करने और उन्हें बढ़ावा देने का कोई प्रयास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). लोक संगीत आकाशवाणी के सभी केन्द्रों के नियमित संगीत प्रसारणों का महत्वपूर्ण अंग है। आकाशवाणी केन्द्र न केवल सम्बन्धित क्षेत्र का संगीत ही अपितु, अन्य क्षेत्रों का संगीत भी प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा 1984 में प्रसारित लोक संगीत की कुल अवधि 16,821 घंटे थी जो समूचे संजाल के संगीत प्रसारण समय का लगभग 11 प्रतिशत बैठती है। प्रश्नास्पद राज्यों के आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा 1984 में किए गए प्रसारणों का ब्यौरा क्या है :—

1. शिमला—239 घण्टे 35 मिनट,
2. रोहतक—325 घण्टे 29 मिनट,
3. श्रीनगर—760 घण्टे 11 मिनट,

4. जम्मू—404 घण्टे 11 मिनट।

आकाशवाणी, रोहतक ने पर्याप्त संख्या में स्थानीय मौसमी गीत, क्षेत्रीय गाथा गीत, पारस्परिक लोकगीत विशिष्ट जोगी गीत, तथा मेवाती गीत एकत्र किए हैं और एकत्र सामग्री पर आधारित 10 मिनट का एक कार्यक्रम केन्द्र का दैनिक प्रसारण है। आकाशवाणी, शिमला के लोकगीतों का महत्वपूर्ण संग्रह है। इसने महासुवी बोली ने भरथा हरी के उद्धरण, हिमाचल प्रदेश के लोक तालों पर आधारित संगीत रचनाएं तथा लोक गीतों पर आधारित एक रूपक प्रसारित किया है। श्रीनगर तथा जम्मू केन्द्रों में भी उनके क्षेत्र के लोकगीतों के काफी बड़े संकलन हैं।

कर्नाटक को बाढ़ सहायता

1848. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** कर्नाटक को बाढ़ सहायता के बारे में 8 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2138 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने अब तक अपेक्षित स्पष्टीकरण दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). राज्य सरकार से अपेक्षित स्पष्टीकरण अब प्राप्त हो गया है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रघुबीर नगर दिल्ली में धोबी घाट का निर्माण

1849. **श्री भरत सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रघुबीर नगर दिल्ली में धोबी घाट का निर्माण कार्य शुरू किया था ;

(ख) क्या इस धोबी घाट का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह निर्माण कार्य पुनः शुरू किया जाएगा और किस समय तक इसके पूरा होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। पास पड़ोस में रहने वाले कतिपय व्यक्तियों के विरोध के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आपत्तियों पर विचार किया है तथा निर्माणकार्य पुनः आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इसके लगभग छह माह में पूरा हो जाने की सम्भावना है बशर्ते कि निवासी निर्माण कार्य के निष्पादन में कोई नई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं ?

[अनुवाद]

श्रम विवादों पर असफलता के सम्बन्ध में समझौते की रिपोर्ट

1850. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत तीन वर्षों में श्रम मन्त्रालय में श्रम विवादों पर समझौतों की असफलता की कितनी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं तथा कितनी रिपोर्टों का निपटान किया गया ;

(ख) ऐसी कितनी रिपोर्टों को निर्णय के लिए भेजा गया ; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिन पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया गया ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1982-84 के दौरान, श्रम मन्त्रालय में 6,050 संराधन विफलता रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त अवधि के दौरान 6,039 संराधन विफलता रिपोर्टों को निपटाया गया ; इनमें पिछले वर्षों से लम्बित पड़ी रिपोर्टें भी शामिल हैं।

(ख) 2361 विवादों को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किया गया।

(ग) 139 मामलों में अभी निर्णय लिया जाना है।

नेपाली में वृत्त चित्र तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता

1851. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेपाली में वृत्त चित्र तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग). नेपाली सहित किसी भी भाषा में डाकुमेंट्री फिल्में बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सभी भारतीय भाषाओं में प्रायोजित डाकुमेंट्री फिल्में बनाने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

भारत में गेहूं तथा चावल का विश्व की औसत से कम उत्पादन

1852. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हरित क्रान्ति के बावजूद भी यहां गेहूं तथा चावल की उत्पादिकता विश्व की औसत से नीचे है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रति एकड़ पैदावार औसतन कितनी कम है विशेष रूप से गेहूं, चीनी और मूंगफली में कितनी कम है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) और (ख). भारत और विश्व में चुनीन्दा फसलों की प्रति हैक्टार उपज का तुलनात्मक विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :

प्रति हैक्टार पैदावर कि० ग्रा० में

फसल	भारत (1983-84)	विश्व (1983)
धान	2185	3127

गेहूं	1851	2153
गन्ना	55904	57733
मूंगफली	953	1044

यद्यपि, भारत की पैदावार विश्व की औसत पैदावार से अभी भी कम है, तथापि पिछले कुछ वर्षों में इनमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, और वृत्ति की यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

डी० डी० ए० नीड्स ओवर हाल शीर्षक से समाचार

1853. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के लेख "डी० डी० ए० में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है" शीर्षक की ओर दिलाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण को और अधिक अर्थपूर्ण तथा सेवान्मुख बनाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण को दो भागों में एक भूमि तथा दूसरा आवास की देखभाल करने के लिए विभाजित करने और बम्बई आवास बोर्ड की तरह एक अलग आवासीय बोर्ड की स्थापना करने का है ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) गत कुछ वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण की गतिविधियों में और इसकी कार्य क्षमता में भारी वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी कार्य प्रणाली को सुधारने का निर्णय लिया है। कार्यप्रणाली तथा लेखा प्रक्रिया की प्रणाली में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिए इसने एक विशेषज्ञ अभिकरण की सेवाएं ली हैं।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) दिल्ली में पहले ही बहुत से प्राधिकरण हैं जिससे समन्वय की अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और अलग आवास बोर्ड के गठन से स्थिति और बिगड़ सकती है। इससे नए संगठन पर अतिरिक्त व्यय भी होगा जो प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषाओं के चलचित्रों का दिखाया जाना

1854. **श्री के० प्रधानी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्रों से दिखाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के चलचित्रों का चयन करने के लिए कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) दूरदर्शन पर ये चलचित्र कितने अन्तराल पर दिखाए जाते हैं ;

(ग) क्या चयन समिति में ऐसे लोगों को रखा जाता है ; जिन्हें चुने जाने वाले चलचित्र से सम्बन्धित क्षेत्र की भाषा और संस्कृति का पूर्ण ज्ञान हो ;

(घ) क्या क्षेत्रीय भाषाओं के चलचित्रों का भी "ए", "बी" और "सी" के रूप में वर्गीकरण किया जाता है जैसा कि हिन्दी चलचित्रों के मामले में किया जाता है ;

(ङ) क्षेत्रीय भाषाओं के चलचित्रों के मामले का किस दर से भुगतान किया जाता है ;

(च) क्या क्षेत्रीय भाषाओं के चलचित्रों के मामले में कम पैसा दिया जाना "ए" ग्रेड के चलचित्र न चुने जाने का एक कारण है ; और

(छ) वर्ष 1984 के दौरान और 1985 में अब तक विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से कितने उड़िया चलचित्र दिखाए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित जिन फीचर फिल्मों के निर्माताओं/दूरदर्शन अधिकार धारकों द्वारा पेशकश की जाती है, उनका चयन करने तथा उनका, फिल्मों के निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उस क्रम में तीन श्रेणियों अर्थात् "ए", "बी" और "सी" में श्रेणीकरण करने के लिए विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में गठित समितियों तथा दूरदर्शन महानिदेशालय में भी गठित समिति द्वारा उनकी छानबीन की जाती है :—

(1) अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त

(2) विषय सम्बन्धी महत्व

(3) सिनेमेटिक मूल्य

(4) मनोरंजन मूल्य

(5) निर्माण वर्ष

(6) दूरदर्शन पर फिल्म कितनी बार और किन-किन केन्द्रों पर दिखाई गई।

वास्तविक टेलीकास्ट से पहले फिल्म के जिन अंशों को परिवार के साथ देखने लायक नहीं समझा जाता है, उनको, फिल्म के अनुक्रमों की निरन्तरता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निकाल दिया जाता है।

(ख) विवरण-एक संलग्न है।

(ग) चयन समिति के अध्यक्ष दूरदर्शन स्टाफ से फिल्म (फिल्मों) की भाषा जानने वाले दो वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोजित कर सकते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) विवरण-दो संलग्न है।

(च) जी, नहीं। तथापि, चयन उन फिल्मों तक सीमित रखना होता है ; जिनकी निर्माताओं/दूरदर्शन अधिकार धारकों द्वारा दूरदर्शन को पेशकश की जाती है।

(छ) विवरण-तीन संलग्न है।

विवरण-एक

दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा टेलीकास्ट की जाने वाली प्रादेशिक फीचर फिल्मों की आवधिकता

1. बम्बई	मराठी	—प्रथम, तृतीय, चतुर्थ शनिवार
		अन्य भाषा—पांचवा शनिवार

2. कलकत्ता	बंगला	—प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ शनिवार अन्य भाषा—पांचवा शनिवार
3. दिल्ली	—महीने का *प्रथम, द्वितीय और तृतीय रविवार —महीने का *प्रथम/तृतीय शनिवार	
4. मद्रास	तमिल	सभी रविवार।
	तेलुगु	—तिमाही के प्रथम, तृतीय महीने का चतुर्थ रविवार।
	मलयालम	—तिमाही के दूसरे महीने का चतुर्थ रविवार।
	कन्नड़	—तिमाही का पांचवा रविवार।
5. जलन्धर	—पंजाबी	महीने का आखिरी गुरुवार।
6. कटक	—उड़िया	पहला, दूसरा और पांचवा शनिवार।
7. बंगलौर	—कन्नड़	सभी शनिवार।
8. गुलबर्गा	—कन्नड़	सभी शनिवार।
9. हैदराबाद	—तेलुगु	सभी शनिवार।
10. नागपुर	—मराठी	दूसरा और चौथा शनिवार।
11. त्रिवेन्द्रम	—मलयालम	सभी शनिवार।

*प्रथम रविवार तथा प्रथम/तृतीय शनिवार—फिल्में राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट होती हैं।

विवरण-दो

क्षेत्रीय फीचर फिल्मों को फिल्म की भाषा से सम्बन्धित क्षेत्र के दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दरें और महानगरीय केन्द्रों अर्थात बम्बई, मद्रास; कलकत्ता और दिल्ली से उपशीर्षकों के साथ टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दरें इस प्रकार हैं :—

फिल्मों की श्रेणी	1. दिल्ली—मसूरी 2. बम्बई—पुणे—बंगलौर—पणजी	1. कलकत्ता 2. मद्रास 3. जलन्धर—अमृतसर	1. श्रीनगर 2. लखनऊ—कानपुर 3. हैदराबाद 4. जयपुर	1. रायपुर 2. मुजफ्फरपुर 3. गुलबर्गा 4. सम्बलपुर 5. नागपुर 6. 20 अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर
		(रुपयों में)		
"ए"	20,000	15,000	10,000	3,000
"बी"	15,000	10,000	7,500	2,550
"सी" तथा पुनः टेलीकास्ट	10,000	7,500	5,000	1,500

पुनः शेष दूरदर्शन केन्द्रों के लिए दरें वही होंगी जो "सी" श्रेणी की फिल्मों के लिए हैं।

2. केवल "क" श्रेणी क्षेत्रीय फिल्में ही भाषायी क्षेत्र से बाहर के दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट किए जाने के लिए पात्र होंगी। जहां पर "क" श्रेणी की फिल्म नहीं है और प्रतिनिधित्व आवश्यक है, "ख" श्रेणी की फिल्में भी भाषायी क्षेत्र से बाहर टेलीकास्ट की जा सकती हैं, बशर्ते कि एक कैलेन्डर वर्ष में इस प्रकार की दो से अधिक क्षेत्रीय भाषा की फिल्में प्रदर्शित न की जाएं। इस प्रकार की फिल्मों के मालिकों से अंग्रेजी में उप-शीर्षकों के साथ फिल्मों की प्रतियां देने के लिए कहा जाएगा। उप-शीर्षकों के लिए भुगतान व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में होगा, अग्रिम भुगतान के रूप में नहीं।

3. वे अच्छी क्लासिक फिल्में, सर्वोत्तम श्रेणी की क्षेत्रीय फिल्में, जिन्हें सर्वोत्तम फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और चयन समिति ने "क" के रूप में श्रेणीकृत किया है, दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किए जाने के लिए पात्र हैं तथा प्रथम टेलीकास्ट के लिए 4 लाख रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। प्रथम पुनः टेलीकास्ट के लिए भुगतान, प्रथम टेलीकास्ट के लिए देय दरों के 70 प्रतिशत के हिसाब से किया जाएगा। दूसरे तथा उत्तरवर्ती टेलीकास्ट के लिए भुगतान की दर प्रथम टेलीकास्ट के लिए देय दरों की 50 प्रतिशत होगी।

4. पुरानी सादी क्लासिक क्षेत्रीय फीचर फिल्में राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किए जाने पर वे राष्ट्रीय संजाल पर हिन्दी की "ए" श्रेणी की रंगीन फीचर फिल्म के टेलीकास्ट के लिए दर से 25 प्रतिशत की कम दर के लिए पात्र हैं।

विवरण-तीन

1984 और 1985 के दौरान टेलीकास्ट की गई उड़िया फीचर फिल्मों की संख्या

	1984	1985 (15 जुलाई, 1985 तक)	कुल
दिल्ली	3*	1	4*
कलकत्ता	1	1	2
लखनऊ	1	—	1
कटक	21	13	34

*एक राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की गई थी तथा शेष दिल्ली केन्द्र, अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों तथा अन्य सम्बद्ध रिले केन्द्रों द्वारा टेलीकास्ट की गई थी।

कुरसियांग टी० वी० रिले केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना

1855. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरसियांग टी० वी० रिले केन्द्र का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). जी, हां। कुर्सियांग के मौजूदा दूरदर्शन ट्रांससीटर की शक्ति 1 किलोवाट से बढ़ाकर 10 किलोवाट करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए 135 मीटर ऊंचे टावर के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है तथा इसके चालू वर्ष के अन्त तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

सीमा क्षेत्रों में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

1856. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टी० वी० नेट वर्क के बेहतर प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए सीमा क्षेत्रों में, टी० वी० रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए हाल में कोई योजना और मानदण्ड तैयार किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन कवरेज के विस्तार के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया था, किंतु सातवीं योजना के दौरान संसाधनों की कम उपलब्धता के कारण फिलहाल इस पर विचार करना आस्थागित कर दिया गया है।

वैज्ञानिक भण्डारण के अभाव में खाद्यान्नों की हानि

1857. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक भण्डारण की स्थितियों के अभाव में वर्ष 1984-85 में देश में खाद्यान्नों की कितनी हानि हुई ; और

(ख) राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). देश में खाद्यान्नों की राज्यवार हानियों का मूल्यांकन करने के लिए कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है। एक विशेषज्ञ समिति ने 1966 में देश में उत्पादित खाद्यान्नों की कटाई के बाद 9.33 प्रतिशत की हानियां होने का अनुमान लगाया था। इसमें विभिन्न स्तरों पर भण्डारण के दौरान 6.58 प्रतिशत की हानियां भी शामिल हैं।

ऐस्बेस्टास धूल से उत्पन्न रोगों से प्रभावित श्रमिक

1858. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान किया है कि ऐस्बेस्टास धूल के कारण दीर्घकालिक कैंसर और मीजोथीलिओमा जैसे फुफ्फुस रोग उत्पन्न होते हैं ;

(ख) देश में ऐस्बेस्टास उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या ऐस्बेस्टॉस उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य के घण्टों को कम करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) क्या ऐस्बेस्टॉस धूल से उत्पन्न फुफ्फुस रोगों की जानकारी देने के लिए इस समय श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) सरकार का ध्यान ऐस्बेस्टॉस धूल के कारण श्रमिकों में ऐस्बेस्टासिस, श्वासनली कैंसर और मीजोथीलिओमा रोग होने की रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है।

(ख) ऐस्बेस्टास उत्पादों का निर्माण करने वाले कुल 74 कारखाने हैं जिनमें 10,567 श्रमिक काम कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र का संगठन अपने बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास में स्थित संस्थानों के माध्यम से कर्मचारियों, प्रबन्धकों और कारखाना निरीक्षकों को कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है। महानिदेशक को परामर्श दिया गया है कि खतरनाक विनिर्माण प्रक्रियाओं में, जिनमें ऐस्बेस्टास और इसके उत्पादों का निर्माण शामिल है, व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाएं।

सहकारी ऋणों को बट्टे खाते डालना

1859. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मालूम है कि कुछ राज्यों ने कमजोर वर्गों द्वारा लिए गए सहकारी ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए पहल की है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अब तक इस सम्बन्ध में निर्णय लिया है, किस प्रकार के ऋणों को बट्टे खाते डालने पर विचार किया गया है और उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तथा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन वर्ग के लोगों को बैंक और सहकारी ऋणों के बन्धन से मुक्त करने हेतु क्या उपाय किए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). भारत सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी राज्य सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कमजोर वर्गों द्वारा लिए गए सहकारी ऋणों को बट्टे-खाते में डालने के लिए कोई पहल की है लेकिन पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने सूचना दी है कि समिति ने ग्राम सहकारी कृषि ऋण समितियों तथा भूमि विकास बैंकों के अतिदेयों के मामलों की संवीक्षा की है तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों जो कि कमजोर वर्गों से सम्बन्धित हैं, द्वारा लिए गए दुधारु पशु ऋणों तथा अल्पावधि उत्पादन ऋणों को बट्टे-खाते में डालने की सिफारिश की है। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने यह भी सूचित किया है कि उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर 9.19 लाख रुपए के दुधारू पशु ऋणों तथा उत्पादन ऋणों को बट्टे-खाते में डालने का निर्णय लिया गया है।

कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे किसानों जिनकी जोतें 10 एकड़ तक हैं, द्वारा सहकारी ऋण संस्थाओं से लिए गए अल्पावधि ऋणों, जिसमें 8 करोड़ रुपए शामिल होने का अनुमान है, की वसूल न की जा सकने वाली धनराशि की वसूली को छोड़ देने का निर्णय लिया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने भी सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को ऐसी छूट दी थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

1. महाराष्ट्र : 45.03 करोड़ रुपए
(1980-81 तथा 1981-82)

2. तमिलनाडु 98.99 करोड़ रुपए
(1979-80 से 1982-83 तक)

3. कर्नाटक : 0.77 करोड़ रुपए
(190-81)

इसके अलावा यह भी सूचना मिली है कि केरल सरकार ने वर्ष 1980-81 में छोटे और सीमान्त किसानों को 1-4-1976 से पूर्व जारी किए गए ऋणों के सम्बन्ध में 1-4-1980 को अर्जित तथा लम्बित ब्याज और दण्ड ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि को बट्टे-खाते में डाल दिया था। बट्टे-खाते में डाली गई धनराशि 439.45 लाख रुपए थी। इसके अलावा वर्ष 1981-82 में मोटे किसानों को 1-4-1978 से पूर्व तथा 1-4-1978 तक जारी किए गए सभी कृषि ऋणों जिनकी बकाया धनराशि का 1-10-1981 अथवा उससे पहले भुगतान किया जा चुका था, के सम्बन्ध में 31-3-1981 को अर्जित तथा लम्बित ब्याज तथा दण्ड ब्याज के भुगतान के 75 प्रतिशत हिस्से को छोड़ कर बट्टे-खाते में डाल दिया गया था। बट्टे-खाते में डाली गई धनराशि 90.58 लाख रुपए थी।

बिहार में भी सरकार ने उन छोटे और सीमांत किसानों द्वारा लिए गए सहकारी ऋणों के ब्याज की धनराशि को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया था जिन्होंने 30-6-1981 तक मूलधन वापिस कर दिया था। बट्टे-खाते में डाली गई कुल धनराशि 20.23 करोड़ रुपए थी।

(ग) मौजूदा सहकारी ऋण संरचना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के आने की स्थिति में, जिसमें फसल को 50 प्रतिशत अथवा अधिक हानि पहुंचना भी शामिल है, उक्त संबंध में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक घोषणा किए जाने पर किसानों को, जिनमें कमजोर वर्ग भी शामिल हैं, अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित कर राहत पहुंचाने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र में भी ऋणों को फिर से सूचीबद्ध करने की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत सरकार ऊपर बताए गए अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्यों द्वारा संचालित कृषि ऋण स्थिरिकरण निधियों के घाटे को पूरा करने के लिए सरकारी संस्थानों को तदर्थ सहायता भी दे रही है।

भारत सरकार ने खरीफ, 1985 मौसम से एक नई व्यापक फसल बीमा योजना भी आरम्भ की है। फसलों अर्थात् गेहूं, धान, कदन्न, दलहन तथा तिलहन् के उत्पादन के लिए सहकारी ऋण संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से फसल ऋण लेने वाले सभी किसान बीमा योजना में स्वत: शामिल हो जाते हैं। बीमा योजना को फसल उत्पादन के लिए दिए जाने वाले फसल ऋण के एक भाग के रूप में तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों के लिए भूमि आवंटित करना

1860. **श्री लाला राम केन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आबंटन की शर्तें क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान कितनी संस्थाओं को पृथक-पृथक नर्सरी, प्राथमिक और माध्यमिक

स्कूल चलाने के लिए भूमि दी गई है और प्रत्येक मामले में प्रति वर्ग मीटर किस दर से भूमि का मूल्य लिया गया है ;

(ग) पश्चिम बिहार, नई दिल्ली में बी-1 से बी-5 तक के ब्लाकों में नर्सरी स्कूल खोलने के लिए कितने प्लाट आरक्षित किए गए हैं और उनका रकबा और मूल्य कितना है ;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों के कल्याण में कार्यरत संगठनों को स्कूल चलाने के लिए प्लाट आवंटित करने के लिए कोई विशेष रियायतें दी गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) आवंटन की शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान जनवरी से जुलाई तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए निजी संस्थाओं को 7 स्थल आवंटित किए गए हैं और 3 स्थल मिडिल/प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए आवंटित किए गए हैं । इन मामलों में ली गई दर 6 लाख रुपये (अनन्तिम) प्रति एकड़ थी ।

(ग) पश्चिम विहार ब्लाक "बी" के अनुमोदित नक्शे के अनुसार 1.82 हैक्टर (4.5 एकड़ क्षेत्रफल में 18 नर्सरी स्कूल स्थल प्रस्तावित है । काटे गए प्लाटों के विकास क्षेत्र में 6 स्थल प्रस्तावित किए गए हैं और शेष 12 स्थल को ग्रुप आवास के पाकेट बी जी-1 से बी जी-5 तक में प्रस्तावित किए गए हैं । ली गई दर 6 लाख रुपए प्रति एकड़ (अनन्तिम) है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

विद्यालयों के लिए भूमि आवंटन की शर्तें

1. समिति को विद्यालय भवन के लिए आवंटित भूमि की लागत 6 लाख रुपये अथवा अनंतिम दर का भुगतान करना अपेक्षित होगा और प्रीमियम के 21/2 प्रतिशत की दर से वार्षिक भूमि किराया देना होगा ।

2. समिति सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित भूमि की लागत के अंतर का भुगतान करेगी ।

3. समिति को क्रीड़ा स्थल के लिए 1 रुपया प्रति वर्ष के आंशिक भूमि किराया के भुगतान अस्थायी आधार पर आवंटित किया जाता है ।

4. समिति द्वारा भूमि किराए का भुगतान भूमि का कब्जा लेने की तारीख से लिया जाएगा ।

5. क्रीड़ा स्थल के लिए आवंटित क्षेत्र खुला रखा जाएगा और अस्थायी प्रकार की कोई संरचना भी इस भूमि पर नहीं बनाई जाएगी ।

6. समिति इस भूमि का उपयोग विद्यालय चलाने के लिए करेगी और ऐसा न किए जाने पर यह भूमि उस पर बनाई गई संरचनाओं के साथ-साथ सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने पास ले लेगा ।

7. समिति विद्यमान विद्यालय को प्लाट का कब्जा लेने के तारीख से 2 वर्षों के भीतर स्थानान्तरित कर देगी।

8. दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अपने लिए किसी शर्त को बदलने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. यह भूमि समिति द्वारा विद्यालय भवन के निर्माण के उपयोग में लाई जाएगी न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

10. भूमि पर कोई निर्माण आरम्भ करने से पूर्व भवन नक्शे को स्थानीय निकाय/दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कराया जाएगा।

11. समिति भूमि का कब्जा लेने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर इस भूमि पर स्कूल भवन का निर्माण पूरा कर देगी।

12. दिल्ली विकास प्राधिकरण की लिखित रूप से पूर्वानुमति लिए बिना समिति इस भूमि को किसी अन्य संगठन/विभाग को अन्तरित/उपपट्टे पर नहीं देगी।

13. समिति को जब कभी कहा जाएगा वह स्थायी पट्टे को अपनी लागत से निष्पादित करेगी।

14. समिति अतिक्रमण की रोकथाम के लिए कब्जा लेने के तत्काल बाद ही भूमि पर बाड़ तथा चाहरदिवारी की व्यवस्था करेगी।

15. जो व्यक्ति विद्यालय में आ रहा हो वह बिना उसकी सहमति के किसी धार्मिक संस्था में हिस्सा नहीं ले सकेगा या किसी धार्मिक पूजा में हिस्सा नहीं ले सकेगा किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए नहीं रोका जाएगा।

16. यदि विद्यालय को दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अमान्य कर दिया जाता है तो पट्टाधारी को विद्यालय के अमान्य होने की तारीख से बाजार में प्रतिदिन प्रचलित दर पर आवंटित भूमि का प्रीमियम का भुगतान करना होगा या सरकार द्वारा यथा निर्णित अधिसंरचना, जुड़नारों सहित भूमि की कुड़की कर ली जाएगी।

17. विद्यालय दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय की पूर्वानुमति लिए बिना शिक्षा शुल्क की दर में वृद्धि नहीं करेगी और दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम/नियमावली 1973 के उपबन्धों तथा समय-समय पर जारी हिदायतों का पालन करेगा।

18. समिति इस बात को सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत निःशुल्क की प्रतिशतता का शक्ति से अनुपालन हो रहा है। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों 25 प्रतिशत तक प्रवेश मिल रहा है और उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है।

19. समिति उस कालोनी के निवासियों के लिए प्रवेश के लिए इन्कार नहीं करेगी।

20. सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर निर्मित नये विद्यालय भवन में विद्यार्थियों के न्यूनतम/अधिकतम पंजीकरण के लिए शिक्षा समिति निदेशालय की हिदायतों का पालन करेगी।

[अनुवाद]

बेरोजगारी की समस्या

1861. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बेरोजगारी की समस्या से पैदा हुई गम्भीर स्थिति को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : सातवीं योजना की नीति यह होगी कि पैदावार सघनता में वृद्धि करके और नई कृषि प्रौद्योगिकियों का विस्तार करके, उत्पादी परिसंपत्तियों के सृजन में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावकारी बना करके आवास, शहरी सुख-सुविधाओं, सड़कों और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रकचर की व्यवस्था करने के लिए श्रम-प्रधान निर्माण कार्यकलापों का विस्तार करके और औद्योगिक विकास के पैटर्न में परिवर्तन करके उत्पादी रोजगार को सृजित किया जाए। विशिष्ट लक्ष्य ग्रुपों जैसे कि भूमिहीन श्रमिकों, मौसमी बेरोजगार श्रमिकों, शिक्षित बेरोजगारों और महिलाओं को शामिल करने के लिए सेकट्रल उत्पादन योजनाओं और रोजगार योजनाओं का एकीकरण करके और चालू रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करके, लाभकारी रोजगार के सृजन पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, यह योजनाएं आर्थिक रूप से व्यावहारिक कार्यकलापों में स्वःरोजगार को, जिसका अपेक्षित प्राधिकरण ऋण-सुविधा, विपणन तथा संगठनात्मक संबन्धों द्वारा पृष्ठ-पोषण किया जाएगा, बढ़ावा देना जारी रखेगीं।

महाराष्ट्र में फालतू शहरी भूमि

1862. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी भूमि अधिकतम सीमा के बारे में कोई निश्चित निर्णय लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) महाराष्ट्र में अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम के परिणामस्वरूप कितनी भूमि फालतू घोषित की गई है ; और

(घ) अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम के पारित किए जाने और इसके कार्यान्वयन से गरीबों की स्थिति सुधारने में कहां तक सहायता मिली है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). शहरी भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 से लागू है। इस अधिनियम को प्रशासित करने में राज्य सरकारों द्वारा कतिपय कठिनाइयां महसूस की गई थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है तथा जैसे ही अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।

(ग) 3527.45 हैक्टेयर

(घ) अब तक शहरी भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने 1980 योजनाएं अनुमोदित की हैं जिसमें समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 3402.40 हैक्टेयर भूमि पर 2,74,458 रिहायशी एककों के निर्माण का विचार है। इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों के दौरान मकानों के निर्माण के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की गई 620.75 एकड़ भूमि का राज्य सरकारों ने उपयोग किया है।

खाद्यान्नों के उत्पादन और पशुओं के प्रजनन में गतिरोध

1863. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1983-84 की तुलना में वर्ष 1984-85 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में नगण्य वृद्धि होने का अनुमान है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में हुए कुल कृषि उत्पादन सहित फसल-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के रुख के क्या कारण हैं तथा इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या उक्त गतिरोध और वर्ष 1985 की रबी फसल के दौरान अपेक्षित से कम वर्षा होने के कारण सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान भी कृषि उत्पादन पर और निरन्तर दो वर्षों तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु अग्रिम आयोजना कार्यवाही के रूप में कृषि अनुसन्धान परिषद् का विचार क्या उपाय करने का है और उक्त संबंध में सरकार का क्या मूल्यांकन है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला था कि 1984-85 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 1983-84 के उत्पादन के लगभग बराबर हो सकता है ।

(ख) 1982-83 से 1984-85 के दौरान प्रमुख फसलों का अखिल भारतीय उत्पादन दर्शाने वाली सारणी नीचे दी गई है :—

(उत्पादन दस लाख मीटरी टनों में)

फसल	1982-83	1983-84	1984-85 (अनुमानित)
चावल	47.1	59.8	59.5
गेहूं	42.8	45.1	45.0
मोटे अनाज	27.7	34.0	31.0
दालें	11.9	12.6	12.5
खाद्यान्न	129.5	151.5	148.0
तिलहन	10.0	12.8	13.0
गन्ना	189.5	177.0	175.0
कपास (प्रत्येक 170 ग्राम की दस लाख गांठें)	7.5	6.6	8.5
पटसन और मेस्ता (प्रत्येक 180 कि० ग्रा० की दस लाख गांठे)	7.2	7.4	7.7

1984-885 में खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट कुछेक राज्यों में व्यापक सूखा पड़ने के कारण आई है। तथापि, सरकार द्वारा सही समय पर उठाये गए कदमों के कारण सूखे के प्रतिकूल प्रभाव काफी हद तक कम हो गये थे।

(ग) 1985 के रबी के मौसम में वर्षा न होने से बाद की खरीफ फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह फसल अधिकांशतया दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के रुख पर निर्भर करती है। अब तक मिली मौसम सम्बन्धी रिपोर्टों के अनुसार, देश के अधिकतर भागों में वर्षा सन्तोषजनक और खरीफ फसलों के लिए लाभकारी रही है। इसलिए, ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि सातवीं योजना के पहले दो वर्षों में कृषि उत्पादन पर 1985 के रबी मौसम में कम वर्षा होने का किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा।

रुग्ण चीनी मिलें

1864. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी चीनी मिलें हैं और उनकी राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से ऐसी चीनी मिलों की संख्या कितनी है जो रुग्ण हैं और वे कब से रुग्ण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन्हें फिर से चालू करने और देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए रुग्ण मिलों का अधिग्रहण करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) चूंकि चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, इसमें कृषि मौसमी स्थितियों सहित कई एक कारणों से उतार-चढ़ाव आते हैं और इसलिए उद्योग में रुग्णता के निश्चित परिमाण का पता लगाने के लिए पैरामीटर तैयार नहीं किए गए हैं। तथापि, सरकार द्वारा मोटे तौर पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 107 चीनी मिलों को तकनीक दृष्टि से कमजोर पाया गया है।

(ग) तकनीकी दृष्टि से ऐसे कमजोर यूनिटों का प्रबन्ध औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जा सकता है और ऐसी राज्य सरकारों जिनके ऐसी मिलों का अधिग्रहण/राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य के अपने स्थानीय अधिनियम हैं, द्वारा भी इनका अधिग्रहण/राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। इस प्रकार अधिग्रहण की गई मिलों का प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती है।

विवरण

स्थापित चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार कुल संख्या

1. उत्तर प्रदेश	99
2. बिहार	30
3. पंजाब	8
4. हरियाणा	8
5. पश्चिमी बंगाल	2

6.	असम	2
7.	नागालैंड	1
8.	राजस्थान	3
9.	मध्य प्रदेश	8
10.	उड़ीसा	3
11.	महाराष्ट्र	87
12.	गुजरात	15
13.	गोआ	1
14.	तमिलनाडु	24
15.	कर्नाटक	27
16.	पांडिचेरी	2
17.	आन्ध्र प्रदेश	33
18.	केरल	3
	जोड़ :	356

सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण

1865. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण से राजधानी के नियोजित विकास के पहले ही काफी क्षति हो चुकी है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) अवैध निर्माण को रोकने तथा अतिक्रमणों को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण ने दिल्ली के सुनियोजित विकास को काफी प्रभावित किया है।

(ख) से (घ). समय-समय पर सर्वेक्षण किया गया है जो इस प्रकार है :—

(i) नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन ने दिल्ली के अलग-अलग भागों में झुग्गियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में 1973-74 में सर्वेक्षण किया था ;

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी अनधिकृत कालोनियों का 1974 में सर्वेक्षण किया था ;

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत कालोनियों के बारे में 1977-79 में सर्वेक्षण किया था ;

(iv) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के भिन्न-भिन्न भागों में झुग्गियों के बारे में 1983-84 में सर्वेक्षण किया था।

(ङ) इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्थानीय निकायों ने निम्नांकित प्रयास किए हैं :—

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डी० डी० ए० की भूमि पर अतिक्रमणों की समस्याओं से निपटने के लिए पांच भू-संरक्षण अंचलों की स्थापना की है। इन पांच अंचलों में प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे के मध्य अंचली अधिकारी उपलब्ध होंगे।

इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि अतिक्रमणों की शिकायतों, भूमि के स्वामित्व अधिकार का सत्यापन, सर्वेक्षण एवं पात्र बेदखलकारों के वैकल्पिक आवास के मूल्यांकन आदि के मामलों की अंचल के उप-निदेशक द्वारा जांच की जाएगी।

इसके अलावा, अंचलीय कार्यपालक इंजीनियर होंगे जिनके पास अतिक्रमणों का उन्मूलन, अतिक्रमणों से खाली कराई गई ऊबड़-खाबड़ भूमि तथा वैकिल्पक वास के लिए पात्र बेदखलकारों को दूसरे स्थान पर ले जाना जैसे परिचालन होंगे। प्रत्येक आंचलिक अधिकारी के पास प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे के बीच अतिक्रमणों के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष होगा। अंचलों के अंचलीय अधिकारियों के पास नियन्त्रण कक्ष होंगे। जहां भी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणों का पता चलता है, उन्हें हटाने में दिल्ली विकास प्राधिकरण की सहायता करने के बारे में लोगों से अनुरोध किया गया है।

दिल्ली नगर निगम अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध नियमित कार्रवाई दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई भी नियमित की जाती है।

विशेषकर वाणिज्यिक किस्म के अधिकतर अनधिकृत निर्माण के मामलों को भी डी० ई० सी० ओ० नियमों के तहत बिजली काटने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को भेज दिया जाता है।

नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली छावनी/बोर्ड

सम्बन्धित अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण की समस्या से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सम्बन्धित अधिनियमों का भी संशोधन किया गया है। लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम में संशोधन तथा दिल्ली विकास अधिनियम में कुछ संशोधन पहले ही कर दिया गया है जबकि अन्य, दिल्ली नगर अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधन सहित, तथा पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (जो कि नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में लागू है) को लागू करने के लिए गृह मन्त्रालय द्वारा जांच की है जा रही।

चीनी उप-कर कोष

1866. **श्री साहबराव पाटिल डोणगांवकर :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उप-कर कोष में राज्यवार कुल कितनी राशि एकत्र की गई ;

(ख) चीनी उप-कर कोष में से, चीनी कारखानों के विकास के लिए राज्यवार कितनी राशि वितरित की गई ;

(ग) यदि यह राशि वितरित नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने चीनी उप-कर कोष के लिए धनराशि एकत्रित करने के अनुपात के आधार के बारे में किसी नीति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) केन्द्रीय सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क बोर्ड के कार्यालयों के जरिए चीनी उपकर एकत्र किया जा रहा है। केन्द्रीय सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड के अनुसार उनके कुछ वेतन और लेखा कार्यालय एक से अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध मेंएकत्र की गई धनराशि का हिसाब रखते हैं। मार्च, 1985 तक कुल 259.62 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का चीनी उपकर एकत्रित किया गया था।

(ख) से (घ). एकत्र किए गए चीनी उपकर की धनराशि का उपयोग, चीनी विकास निधि नियम में निहित सिद्धान्तों के अनुसार, ऋण और सहायता अनुदान प्रदान करने तथा ब्याज, भण्डारण तथा बीमा प्रभारों पर राजसहायता की अदायगी करने के लिए किया जाना होता है। ऐसे चीनी उपक्रमों को, जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होते हैं, प्रत्येक चीनी उपक्रम की आवश्यकता के अनुसार और न कि, राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश को ध्यान में रखकर, चीनी विकास निधि से ऋण/अनुदान लेने की अनुमति दी जा सकती है। जैसे ही ब्याज की दर ऋण को वापस करने की अवधि आदि से सम्बन्धित ब्यौरों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तब चीनी विकास निधि से ऋण देने के कार्य को आरम्भ कर दिया जाएगा। तथापि, मार्च, 1985 के अन्त तक, चीनी के बफर स्टाक के अनुरक्षण के लिए ब्याज, भंडारण तथा बीमा प्रभारों पर राज सहायता अदा करने के रूप में चीनी उपक्रमों को 32.98 करोड़ रुपये की धनराशि सुलभ की गई है।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा घटिया किस्म की दालों की वसूली

1867. **श्री भोला नाथ सेन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आरोप के बारे में जांच की है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने भारतीय खाद्य निगम को सप्लाई करने के लिए लगभग 13 करोड़ रुपये मूल्य की घटिया किस्म की दालें खरीदी थीं ;

(ख) उक्त दाल खरीद के सम्बन्ध में क्या अनियमितताएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ). भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि० द्वारा 1984 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को दालों की सप्लाई में की गई कुछ अनियमितताओं की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कहा गया था। जांच के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अप्रैल, 1985 में, इन आरोपों पर कि वर्ष 1984 के दौरान इन अधिकारियों ने कुछ निजी व्यक्तियों और अनाज व्यापारियों की मिली भगत से सरकार को एक सौदे में राजस्व की हानि पहुंचाई थी, मामला दर्ज किया

है। यह सौदा लगभग 13 करोड़ रुपये मूल्य की दालों की खरीद के बारे में था, जो बहुत ऊंची दरों पर खरीदी गई थी और घटिया किस्म की दालों को स्वीकार करने में भी उक्त अधिकारियों की मिली भगत थी। मामले की जांच चल रही है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन और उपयोग

1868. **श्री विमल कांति घोष :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छठी योजना के दौरान कुछ राज्यों के चुने हुए सूखा प्रवण ब्लाकों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए धनराशि आबंटित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार आबंटित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि उपयोग की गई ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). जी हां, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के आबंटन, बंटित केन्द्रीय सहायता तथा किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य	कुल आबंटन (राज्य केन्द्रीय अंश)	केन्द्रीय आबंटन	बंटित केन्द्रीय सहायता	कुल व्यय (राज्य सरकारों द्वारा बंटित निधियों में से किए गए व्यय सहित
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	5337.50	2668.75	2381.27	4100.85
2. बिहार	3317.50	1658.70	1205.48	2808.30
3. गुजरात	3115.00	1557.50	1254.22	2955.60
4. हरियाणा	815.00	407.50	361.56	703.67
5. जम्मू व कश्मीर	960.00	480.00	372.34	842.11
6. कर्नाटक	4415.00	2207.50	1819.95	3697.33
7. मध्य प्रदेश	3390.00	1695.00	1376.62	2476.73
8. महाराष्ट्र	3627.50	1813.75	1748.04	3507.21
9. उड़ीसा	2435.00	1217.50	824.00	1575.95
10. राजस्थान	3490.00	1745.00	1401.34	3156.80

1	2	3	4	5
11. तमिलनाडु	2935.00	1467.50	1250.29	2991.68
12. उत्तर प्रदेश	4192.50	2096.25	1716.26	2927.42
13. पश्चिम बंगाल	2400.00	1200.00	896.45	1816.78
कुल :	40430.00	20215.00	16607.83	33558.43

बसन्त बिहार नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

1869. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ क्वार्टर बसन्त बिहार नई दिल्ली में निर्माणाधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और ये क्वार्टर आबंटन के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) आबंटन हेतु इन क्वार्टरों के सितम्बर, 1986 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य आवास बोर्डों की योजनाएं

1870. **श्री अनादि चरण दास :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य आवास बोर्डों की ऐसी कोई योजनाएं हैं जिन्हें उसी राज्य अथवा अन्य राज्यों में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवासीय प्लाट आवंठित करने के लिए सहायता की जा रही है / देने का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उक्त प्रयोजन के लिए कोई योजना तैयार करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य बोर्डों की आवास योजनाओं में केन्द्रीय सरकार के कर्मचरियों को किस प्रकार शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय भूखण्डों की व्यवस्था हेतु राज्य आवास बोर्डों को सहायता देने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, "स्वामित्व आवास योजना" नामक एक योजना हाल ही में बनाई गई है। इस योजना की वित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह की एक योजना 1980 के संचयनों में से की जाती है और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने हेतु आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा राज्य आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों और सहकारी समितियों को ऋण प्रदान किया जाता है। तथापि, आम नागरिक जैसे कर्मचारी भी अपने-अपने मकान बना सकते हैं या राज्य आवास बोर्डों से बने बनाए फ्लैट ले सकते हैं, जिनके लिए वे अपनी पात्रता और हकदारी के अनुसार गृह निर्माण अग्रिम ले सकते हैं।

ग्रामीण स्वच्छता योजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

1871. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित क्या सहायता और सुविधाएं राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जा रही हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य को अब तक इस प्रकार की कितनी सहायता दी गई और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ; और

(ग) विश्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). ग्रामीण क्षेत्रों में दोहरे पानी के गड्डे वाले जलवाही शौचालय जैसी कम लागत की स्वच्छता तकनीकें अपनाने के लिए भारत सरकार द्वारा यू० एन० डी० पी० तथा यूनीसेफ के सहयोग से सामाजिक, तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहार्यता पर एक अध्ययन प्रवर्तित किया गया। अध्ययन जो कि 1 जून, 1984 को आरम्भ हुआ, 13 राज्यों में चल रहा है। गहन रूप से लाभान्वित किए जाने वाले 240 ग्रामों सहित अध्ययन के लिए चुने गए 3600 ग्रामों में प्रदर्शन एकक स्थापित किए जा रहे हैं। अध्ययन में शामिल किए जाने वाले राज्यों के नाम तथा प्रत्येक राज्य में अध्ययन के लिए शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित ग्रामों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अध्ययन मई, 1986 तक पूरा किया जाना है। वृहद् योजना रिपोर्ट राज्य सरकारों को प्रस्तुत की जाएगी, जो कि संसाधनों की उपलब्धता की शर्त पर, रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही करेगी।

स्वच्छता राज्य का विषय है तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात् कार्यान्वयन की व्यवस्था करने के लिए राज्यों द्वारा कार्यवाही की जानी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण स्वच्छता के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है।

यू० एन० डी० पी० के सहयोग से 19-20 मई 1984 को नई दिल्ली में कम लागत की स्वच्छता पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कम लागत की स्वच्छता आरम्भ करने हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में राज्यों को सिफारिश की।

(ग) कम लागत की स्वच्छता के लिए राज्यों को अनुदान देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की कोई योजना नहीं है।

जहां तक ग्रामीण स्वच्छता के लिए विश्व बैंक की सहायता का सम्बन्ध है, जलपूर्ति परियोजनाओं, जिनके लिए अब तक विश्व बैंक ग्रुप द्वारा सहायता दी गई। सहमति पर हस्ताक्षर हो गए हैं, उसमें ग्रामीण स्वच्छता घटक शामिल नहीं हैं। विश्व बैंक सहायता के लिए केरल जलपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना, जिसके लिए समझौता हो गया है, उसमें लगभग 1 से 1.50 मिलियन डालर की सम्भावित विश्व बैंक सहायता से 3.12 करोड़ रुपए की अनुमानित आधार लागत पर ग्रामीण कम लागत स्वच्छता घटक शामिल है। घटक की संभाव्यता तथा स्थान विश्व बैंक के तकनीकी सलाहकार ग्रुप द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन के पश्चात् ही निर्धारित होगा।

विवरण

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए व्यवहार्यता अध्ययन ग्रामों की संख्या का विभाजन

क्रम सं०	राज्य का नाम	व्यवहार्यता अध्ययन के लिए चुने गए ग्रामों की संख्या	गहन लाभान्वयन के लिए चुने गए ग्रामों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	320	21
2.	असम	265	20
3.	हरियाणा	100	13
4.	केरल	110	7
5.	मध्य प्रदेश	510	34
6.	महाराष्ट्र	360	24
7.	मणिपुर	15	2
8.	उड़ीसा	325	22
9.	पंजाब	115	8
10.	राजस्थान	250	10
11.	तमिलनाडु	230	15
12.	उत्तर प्रदेश	650	40
13.	पश्चिमी बंगाल	350	24
	योग :	3600	240

[हिन्दी]

यमुना बिहार, दिल्ली में मकानों को 2-1/2 मंजिलों तक बनाने की अनुमति

1872. **श्री जैनुल बशर :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी "यमुना बिहार" में 40 वर्ग गज में बने मकानों के स्वामियों को अपने मकान 2-1/2 मंजिल तक बनाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति किस तारीख से दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस प्रकार की अनुमति कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 80 वर्ग गज से कम के प्लाटों के मामलों में 2-1/2 मंजिलें निर्माण अनुमति नहीं है।

[अनुवाद]

फीचर फिल्मों के प्रसारण संबंधी नीति

1873. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फीचर फिल्मों के प्रसारण सम्बन्धी नीति क्या है ;

(ख) क्या पुरस्कार न प्राप्त करने वाली फिल्में भी प्रसारित की जाती हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्रसारण के लिए फिल्मों के चयन हेतु क्या तन्त्र हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार पुरस्कार न प्राप्त करने वाली फिल्मों का प्रसारण करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन पर फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने की नीति सभी श्रेणियों के मिश्रित दूरदर्शन श्रोताओं के लिए स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना है। वैयक्तिक केन्द्रों तथा राष्ट्रीय संजाल पर फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने का ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण-दो संलग्न है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-एक

दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने का ब्यौरा

1. वैयक्तिक दूरदर्शन केन्द्र

1. बम्बई	—मराठी	—प्रथम, तृतीय, चतुर्थ शनिवार	
	अन्य भाषा	—पांचवां शनिवार।	
2. कलकत्ता	—बंगला	—प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ शनिवार।	
	अन्य भाषा	पांचवां शनिवार।	
3. दिल्ली	—महीने का	द्वितीय और तृतीय रविवार।	
4. मद्रास	—तमिल	सभी रविवार।	
	तेलुगु	—तिमाही के प्रथम, तृतीय महीने का। चतुर्थ रविवार।	
	मलयालय	—तिमाही के दूसरे महीने का चतुर्थ रविवार।	
	—कन्नड़	—तिमाही का पांचवां रविवार।	
5. जलंधर	—पंजाबी	महीने का आखरी गुरुवार।	
6. कटक	—उड़िया	पहला, दूसरा और पांचवां शनिवार।	
7. बंगलौर	—कन्नड़	सभी शनिवार।	

8. गुलबर्गा	—कन्नड़	सभी शनिवार।
9. हैदराबाद	—तेलुगु	सभी शनिवार।
10. नागपुर	—मराठी	दूसरा और चौथा शनिवार।
11. त्रिवेन्द्रम	—मलयालम	सभी शनिवार।

2. राष्ट्रीय संजाल

1. रविवार (सांय)	—	हिन्दी और क्षेत्रीय फीचर फिल्में जिन्हें सर्वोत्तम फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
2. महीने का प्रथम रविवार (अपराह्न)	—	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय फीचर फिल्में।
3. प्रथम/तृतीय शनिवार (सायं)	—	विदेशी और पुरानी क्लासिक क्षेत्रीय फीचर फिल्में।

विवरण-दो

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित जिन फीचर फिल्मों की निर्माताओं/दूरदर्शन अधिकार धारकों द्वारा पेशकश की जाती है, उनकी विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में गठित समितियों तथा दूरदर्शन महानिदेशालय में भी गठित समिति द्वारा छान-बीन की जाती है। इन समितियों की रचना इस प्रकार है :—

क. हिन्दी की फीचर फिल्में

दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट की जाने वाली हिन्दी फीचर फिल्मों की निम्नलिखित सदस्यों की एक केन्द्रीय समिति द्वारा छानबीन की जाती है और उनका चयन किया जाता है :

1. महानिदेशक, दूरदर्शन—अध्यक्ष
2. दूरदर्शन महानिदेशालय के सभी उप महानिदेशक।
3. दूरदर्शन महानिदेशालय के सभी कार्यक्रम नियन्त्रक।
4. निर्देशक (पी० एण्ड टी०), दूरदर्शन महानिदेशालय।
5. निदेशक (वित्त), दूरदर्शन महानिदेशालय।
6. उप सचिव (वित्त), सूचना और प्रसारण मन्त्रालय।
7. उप सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मन्त्रालय।
8. उप सचिव (टी० वी०), सूचना और प्रसारण मन्त्रालय।
9. उप सहायक कार्यक्रम नियन्त्रक, दूरदर्शन महानिदेशालय।

ऊपर दिए गए सदस्यों में से किन्हीं भी तीन सदस्यों का कोरम बनेना, किन्तु भुगतान के लिए फिल्म का श्रेणीकरण करने के प्रयोजन के लिए उप सचिव (वित्त) की उपस्थिति आवश्यक होगी।

ख. क्षेत्रीय फीचर फिल्में :

दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की जाने वाली क्षेत्रीय फीचर फिल्मों का चयन विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर गठित क्षेत्रीय समितियों द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय चयन समिति की संरचना इस प्रकार है :

(1) दूरदर्शन केन्द्र का निदेशक/उप निदेशक—अध्यक्ष/वैकल्पिक अध्यक्ष

(2) प्रादेशिक अधिकारी (फिल्म प्रमाणन बोर्ड)—सदस्य

(3) प्रादेशिक अधिकारी (फिल्म प्रभाग)—सदस्य

(4) उप प्रधान सूचना अधिकारी—सदस्य

(5) केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी—सदस्य

(6) सहायक केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन—सदस्य सचिव

अध्यक्ष फिल्म (फिल्मों) की भाषा जानने वाले दूरदर्शन के दो वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोजित करेंगे।

"उस स्थान पर जहां दूरदर्शन केन्द्र स्थित है, किन्तु केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या फिल्म प्रभाग का कोई कार्यालय नहीं है, सम्बन्धित दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों की चयन समिति में गीत और नाटक प्रभाग तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के प्रादेशिक अधिकारियों को मनोनीत कर सकते हैं। इसी प्रकार, जिन स्थानों पर प्रधान सूचना अधिकारी नहीं हैं, वहां चयन समिति में पत्र सूचना कार्यालय के सूचना अधिकारी को मनोनीत किया जा सकता है।"

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण मूल्य

1874. **श्री मूल चन्द डागा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का मूल्य भूमि के अनुपातिक मूल्य और टेंडर आदि में अधिसूचित फ्लैटों के निर्माण के लिए ठेकेदार को दी गई निर्माण लागत को मिलाकर निर्धारित किया जाता है ;

(ख) उक्त लागत में प्रशासन की लागत किस दर पर शामिल की जाती है ; और

(ग) दिलशाद गार्डन में बनाए गए फ्लैटों (प्रथम तल) की लागत और 1975 की योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों से वर्ष 1981, 1982, 1983, 1984 और 1985 में इन फ्लैटों की वसूल की गई लागत का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) फ्लैटों के पूर्ण होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण अनुमोदित सूत्र के अनुसार लागत निकालने के आंकड़ों के आधार पर बिक्री लागत का हिसाब लगाता है जिसमें निर्माण की वास्तविक लागत तथा अन्य सम्भावित देयताएं भी शामिल हैं। ग्रुप आवास पाकेट के कुल क्षेत्र पर 62 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर पर भूमि की कीमत वसूल की जाती है और क्षेत्र आधार पर संविभाजित की जाती है।

(ख) दरें निम्न प्रकार हैं :—

(1) विभागीय प्रभार	मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए 10 प्रतिशत, जनता वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 6-1/2 प्रतिशत। सी० एस० पी० फ्लैटों के लिए कोई प्रभार नहीं है।
(2) प्रशासनिक प्रभार	मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर जनता/आर्थिक दृष्टि से कमजोर/सी० एस० पी० वर्ग पर ऐसे कोई प्रभार नहीं लगाए जाते हैं।

(ग) 1976 के पंजीकृतों को दिलशाद गार्डन में दिए गए पहली मंजिल के फ्लैटों की लागत निम्न प्रकार है :—

1981 में रिलीज किए गए	(i) 1-12-80 को जारी की गई विवरणिका तथा 19-2-81 को निकाली गई लाटरी के माध्यम से।	91,700 रुपए प्रति फ्लैट 90.56 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र के
	(ii) 9-3-81 को जारी विवरणिका तथा 14-7-81 को निकाली गई लाटरी के माध्यम से।	तथा 1,08,000 रुपये प्रति फ्लैट 107.25 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र के।
1984 में रिलीज किए गए	7-7-82 को जारी विवरणिका तथा 9-5-84 को निकाली गई लाटरी के माध्यम से	1,14,700 रुपए प्रति फ्लैट 93·15 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र के स्कूटर गैराज। और 1,15,900 रुपये प्रति फ्लैट 94.27 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र के तथा स्कूटर गैराज।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजनाएं

1875. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई आवास योजनाओं के नाम क्या हैं और वे किस वर्ष में शुरू की गयीं ;

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितने आवेदकों को अभी मकान आबंटित किए जाने हैं और उन्हें मकान कब तक आबंटित कर दिए जाएंगे ; और

(ग) मकानों के आबंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

I. सामान्य आवास योजना

(i) प्रथम पंजीकरण योजना	1969-70

(ii)	द्वितीय पंजीकरण योजना	1971-72
(iii)	आर० पी० एस० श्रेणी-72	1972
(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष पंजीकरण योजना	1973
(v)	नई पंजीकरण योजना-76	1976
(vi)	विशेष आवास योजना	1978
(vii)	आर० पी० एस० 82 के लिए विशेष आवास पंजीकरण योजना	1982-83
(viii)	आर० पी० एस० के० लिए विशेष आवास पंजीकरण योजना-85	1985

II. स्ववित्त पोषित योजनायें

(i)	स्व वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना	I	15-9-77 से 30-4-78 तक
(ii)	—वही—	II	27-11-78 से 31-1-97 तक
(iii)	—वही—	III	12-11-79से30-11-79 तक
(iv)	—वही—	IV	7-1-81 से 7-3-81 तक
(v)	—वही—	V	15-5-82 से 14-8-82 तक
(vi)	सेवा निवृत/सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष स्व-वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना		8-1-81 से 7-3-81 तक 22-5-83 से 22-7-83 तक बढ़ाई गई
(vii)	स्व वित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना	VI	22-5-85 से 14-8-85 तक

III. नवीन पद्धति आवास योजना

1979 (हुडको)	1979

(ख) तथा (ग). विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मकान आबंटित किए जाने को शेष पंजीकृतों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

I. सामान्य आवास योजना

	एम० आई० जी०	एल० आई० जी०	जनता
(i) प्रथम पंजीकरण योजना	16	135	73
(ii) द्वितीय पंजीकरण योजना	109	221	101
(iii) आर० पी० एस० श्रेणी-72	67	19	32
(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष पंजीकरण योजना	8	29	126

(v) नवीन पंजीकरण योजना-76	427	182	317
(vi) आर० पी० एस०-82 के लिए विशेष आवास पंजीकरण योजना	710	1099	—
(vii) आर० पी० एस० के लिए विशेष आवास पंजीकरण योजना-85	31-8-85 तक खुली है।		
योग :	1337	1685	651

1976 तक सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति लगगग 1964 है जिन्हें अब तक फ्लैट नहीं मिले हैं। वास्तव में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1976 तक के सभी पंजीकृतों को समय-समय पर फ्लैटों की पेशकश की थी परन्तु क्योंकि ये व्यक्ति किन्हीं खास क्षेत्रों में रुचि रखते थे तथा उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनके लिए बँटाए गए मकानों की योजनाओं तथा क्षेत्रों के लिए अपनी पसन्द नहीं दी, आबंटन प्राप्त नहीं कर सके।

1976 तक सामान्य योजना के पंजीकृतों से 1983 में निम्नलिखित 3 बिकल्पों देने के लिए विकल्प देने का अनुरोध किया गया था ;

(i) जहां कहीं फ्लैट उपलब्ध हो, स्वीकार करना

(ii) अपने पंजीकरण को स्ववित्त पोषित में बदलना

(iii) अपने पंजीकरण धन को वापस लेना।

540 व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किए गए थे तथा 56 व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण एस० एफ० एस० में बदलवा लिया था। 188 व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण राशि वापस मांग लिया था तथा 1864 पंजीकृत शेष रहे थे।

उन योजनाओं/क्षेत्रों जहां फ्लैट उपलब्ध हैं, में अब भी आबंटन की पेशकश की जाती है जब कभी कोई पंजीकृत ऐसा औपचारिक अनुरोध करता है।

आर० पी० एस० योजना 1982 के अन्तर्गत भी 1809 पंजीकृत हैं जो आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लगभग 1500 पंजीकृतों फ्लैट आबंटित किए हैं तथा शेष को यथा सम्भव शीघ्र ही आबंटन दे दिया जाएगा।

II. स्ववित्त पोषित योजना

योजना का नाम		शेष पंजीकरण
(i) स्ववित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना I		—
(ii) —वही—	II	—
(iii) —वही—	III	354
(iv) —वही—	IV	804
(v) —वही—	V	14304

सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष स्ववित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना	213
	15675

पांचवीं स्ववित्त पोषित योजना तक आवंटन के प्रतीक्षारत पंजीकृतों को आगामी 2-3 वर्षों के भीतर लाभान्वित किए जाने की सम्भावना है बशर्ते कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण की उन क्षेत्रों की पेशकश को स्वीकार कर लेते हैं जिनमें फ्लैट बनाए गए हैं। छठी पंजीकरण योजना अभी भी चालू है।

III. **नवीन पद्धति आवास योजना-79 (हुडको)**

	शेष पंजीकृत
एम० आई० जी०	37420
एल० आई० जी०	55482
जनता	41337
योग :	134239

नवीन पद्धति योजना, 79 के उपर्युक्त शेष पंजीकृतों को आगामी 2-3 वर्षों के भीतर मकान आबंटित किए जाने की सम्भावना है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने आवास कार्यक्रम को तेज करने के उपाय कर लिए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली क्लाथ मिल्स काम्पलेक्स का पुनर्विकास करने की अनुमति देने की जांच

1876. **श्री कमला प्रसाद सिंह :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री थम्पन थामस :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली क्लाथ मिल्स को अपने काम्पलेक्स का पुनर्विकास करने की अनुमति दिए जाने और दिल्ली प्रशासन द्वारा उसे नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम से छूट दिए जाने के सम्बन्ध में जांच के आदेश दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो जांच समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; इसके निर्देश-पद क्या हैं और उनका प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जाना है ;

(ग) क्या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच कराये जाने की मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मांग को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न मांगों तथा सम्मिलित घटकों पर विचार करने के पश्चात ही सरकारी जांच समिति का गठन किया गया है।

विवरण

1. गठन

1. श्री आर० एल० परदीप, संयुक्त सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय, नई दिल्ली।	आयोजक
2. श्री वीरेन्द्र प्रकाश, मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।	सदस्य
3. श्री अशोक गुप्त, संयुक्त सचिव, श्रम मन्त्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
4. वस्त्र विभाग, नई दिल्ली का प्रतिनिधि।	सदस्य

2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(क) उन परिस्थितियों की जांच करना जिनके कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के दिनांक 1 फरवरी, 1983 के संकल्प संख्या 26 के अन्तर्गत दिल्ली क्लाथ मिल के कामप्लेक्स का पुनर्विकास करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा उनके दिनांक 14-11-84 के आदेश संख्या एफ 36/10/83 एल० एण्ड बी०/यू० एल० सी० आर० के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 की धारा 22 के साथ पठित धारा 20 (1) के तहत छूट देने की परिस्थितियों की जांच करना।

(ग) दिल्ली क्लाथ मिल्स को बन्द करने में सहायक परिस्थितियां और नोटिस पर की गई कार्यवाही जो कि उन्होंने दिनांक 27-3-85 के अपने पत्र संख्या 28833 के द्वारा श्रमायुक्त तथा अन्यों को भेजी।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) मदों में सन्दर्भित मामलों के बारे में प्राधिकारियों

द्वारा की गई कार्यवाही की जांच करना तथा उसकी पर्याप्तता एवं औचित्य की सिफारिश करना।

(ङ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) मदों में संदर्भित कार्यवाही के विशेष संदर्भ में सम्पूर्ण मामले में कार्यवाही पर अपर्याप्तता या कमियों (लैप्स) के मुद्दे बताना।

(च) इस बारे में भविष्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सिफारिश करना।

(छ) अन्य संबंधित मामलों पर अन्य कोई सिफारिशें देना जिन्हें कि समिति आवश्यक या उपयुक्त समझती हो।

3. समिति से अपनी रिपोर्ट तीन माह की अवधि से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

विदेशों में भारत विरोधी प्रचार का निराकरण करने के लिए एक विशेष यूनिट की स्थापना

1877. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में भारत विरोधी प्रचारों का निराकरण करने के लिए एक विशेष यूनिट स्थापित, करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). रेडियो और टेलीविजन पर सीमा पार से आने वाले प्रचार को मानिटर करने और प्रचार का प्रतिकार करने के लिए उपयुक्त सामाग्री तैयार करने के लिए सरकार ने एक सैल स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह सैल सीमावर्ती क्षेत्रों में उपयुक्त सामग्री का प्रचार करने के प्रबंध भी करेगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

1878. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर और इन्दौर के बीच की 500 किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई दूरदर्शन केन्द्र न होने के कारण गुना और शिवपुरी जैसे दूर के जिलों के लोगों को दूरदर्शन का लाभ नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो गुना अथवा शिवपुरी में टी०वी०ट्रांसमीटर कब तक स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्यप्रदेश में और अधिक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है ?

सूचना और प्रसारण, मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) प्रश्नास्पद क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) जी, नहीं। छठी योजना की स्कीमों के पूरा हो जाने पर केवल तीन राज्यों में ही अधिक संख्या में ट्रांसमीटर होंगे।

(ग) जबकि कोरबा, सिंगरौली, खण्डवा और जगदलपुर में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं, दूरदर्शन सेवा का और विस्तार भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

लघु क्षेत्र के उत्पादनों पर आई० एस० आई० चिन्ह

1879. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र में बनाए जाने वाले सभी उत्पादों पर भारतीय मानक संस्था (आई०एस० आई०) का चिन्ह लगाना अनिवार्य है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से लघु क्षेत्र के सभी उत्पादों पर आई०एस० आई० का चिन्ह लगाने पर जोर देने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। तथापि, लघु एककों को तकनीकी सहायता देते समय उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे अपनी विक्रेयता में सुधार लाने तथा उपभोक्ताओं को सन्तोष प्रदान करने के लिए भारतीय मानक संस्था (आई० एस० आई०) मानकों का अनुपालन करें। इसके अलावा लघु उद्योग क्षेत्र को भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय मानक संस्था द्वारा न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क में रियायत के रूप में कुछ प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

उड़ीसा में पशुधन की नस्ल सुधारने के कार्यक्रम

1880. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत चलने वाले पशुधन की नस्ल सुधारने सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन कार्यक्रमों की क्रियान्वित के लिए उड़ीसा राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) "अन्य-स्थानिक डेयरी नस्ल से पशु के संकरण और आपरेशन फलड-II क्षेत्रों के बाहर से हिमित वीर्य तकनीक से भैंसों के सुधार" नाम की एक स्कीम पशुओं और भैंसों की नस्ल सुधारने के लिए उड़ीसा में चालू की गई है।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार को 111.16 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दो किस्तों में 85.00 लाख रुपये और 26.16 लाख रुपये क्रमशः मार्च, 1982 और फरवरी, 1983 में दी गई है। स्कीम कालाहंडी, कोरापुट, बोलनगिर और फूलबनी चार जिलों में चालू है। इसमें एक हिमित वीर्य सांड स्टेशन और तीन हिमित वीर्य बैंक तथा कई क्षेत्र कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना करने की संकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों की राज्यों की प्रारूप योजनाएं

1881. **श्री शान्ति धारीवाल :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों की प्रारूप योजनाएं राज्यों से प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) नागालैंड और मणिपुर की सरकारों से वर्ष 1985-86 के लिए कार्यों की वार्षिक योजनाएं प्राप्त हो गई हैं।

(ख) इन दो राज्यों का ब्यौरा **सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1297/85]**

(ग) राज्य सरकारों को स्मरण कराया गया है कि वे कार्यों की वार्षिक योजनाएं भेज दें।

आलू के बीज की नई किस्में

1882. **श्री के०डी० सुलतान पुरी :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में आलू के बीजों के उत्पादन से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य हो रहा है ; और

(ख) विभिन्न कृषि संस्थानों/विश्वविद्यालयों ने विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्र के लिए आलू के बीज की कौन-कौन-सी नई किस्में विकसित की हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला तथा इसके क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों हिमाचल प्रदेश में कुफरी तथा फागू, पंजाब में जालन्धर, उत्तर प्रदेश में मोदीपुरम-मैछारी, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, बिहार में पटना नामक स्थानों में प्रजनक बीज उत्पादन पर इस समय अनुसंधान चल रहा है।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

अभी तक विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में कृषि के लिए उपयुक्त 24 किस्में रिलीज की गई हैं। ये सभी केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा रिलीज की गई हैं।

कल्टीवर	रिलीज का वर्ष	अपनाये गये क्षेत्र
कुफरी किसान	1958	उत्तरी मैदान
कुफरी कुबेर	1958	उत्तरी मैदान तथा पठारी क्षेत्र

कल्टीवर	रिलीज का वर्ष	अपनाए गए क्षेत्र
कुफरी कुमार	1958	उत्तरी पहाड़ियां
कुफरी कुन्दन	1958	उत्तरी पहाड़ियां
कुफरी रैड	1958	उत्तरी पूर्वी मैदान
कुफरी सफेद	1958	उत्तरी मैदान
कुफरी नीला	1963	दक्षिणी पहाड़ियां
कुफरी सिन्दूरी	1967	उत्तरी मैदान
कुफरी अंलकार	1968	जल्दी बुवाई के लिए उत्तरी मैदान
कुफरी चमत्कार	1968	उत्तरी मध्य तथा पूर्वी मैदान
कुफरी चन्द्रमुखी	1968	उत्तरी मैदान तथा पठारी क्षेत्र
कुफरी जीवन	1968	उत्तरी मैदान
कुफरी ज्योति	1968	उत्तरी तथा दक्षिणी पहाड़ियां
कुफरी खासीगरी	1968	उत्तर पूर्वी पहाड़ियां
कुफरी नवीन	1968	उत्तर पूर्वी पहाड़ियां
कुफरी नीलामाणी	1968	दक्षिणी पहाड़ियाँ
कुफरी शीतमान	1968	उत्तरी मैदान तथा तराई क्षेत्र
कुफरी मूथू	1971	दक्षिणी पहाड़ियां
कुफरी लाउवकर	1972	पठारी क्षेत्र
कुफरी दीवा	1973	तराई क्षेत्र तथा उत्तरी पूर्वी मैदान
कुफरी बादशाह	1979	उत्तरी मैदान तथा पठारी क्षेत्र
कुफरी बहार	1980	उत्तरी मैदान
कुफरी लालिमा	1982	उत्तरी मैदान
कुफरी शेरपा	1983	बंगाल की पहाड़ियां

इनमें से 6 किस्में नेशनल सीड क्लेरीफिकेशन प्रोग्राम में हैं । वे हैं—कुफरी ज्योति, कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी सिन्दूरी तथा कुफरी लालिमा ।

शुष्क कृषि के लिए वित्तीय सहायता

1883. **श्री विष्णु मोदी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शुष्क कृषि के लिए कोई राष्ट्रीय योजना तैयार की है तथा इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). जी, हां। वर्षा पर निर्भर कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बनाई जा रही है और इसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

शहरी फालतू भूमि की घोषणा

1884. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत घोषित फालतू शहरी भूमि अभिहित प्राधिकरणों को उसे अपने अधिकार में लेने में असफलता के कारण कई वर्षों से उपयोग में नहीं लाई गई है अथवा खाली पड़ी है ;

(ख) क्या इसके कारण शहरी आवास निर्माण के लिए खाली भूमि की उपलब्धता कम हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस खाली पड़ी भूमि का शीघ्र उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). यह सत्य है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत फालतू घोषित शहरी भूमि एक के बड़े भाग का कई वर्षों तक प्रयोग नहीं किया गया या यह खाली पड़ा रहा। परन्तु यह निर्दिष्ट प्राधिकारियों की असमर्थता के कारण इतना नहीं है जितना कि भूमि धारकों द्वारा मुकद्दमेबाजी सहित कई अन्य कारणों की वजह से है।

(ग) अधिनियम को संशोधित करने के कतिपय प्रस्ताव विचाराधीन हैं ताकि इसके कार्यान्वयन को और ज्यादा अर्थपूर्ण बनाया जा सके।

गेहूं का निर्यात

1885. **श्री मुरलीधर माने :**

श्री अमर राय प्रधान :

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :

श्री सी० माधव रेड्डी :

श्री राधाकान्त डिगल :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गेहूं का बहुत बड़ा भण्डार जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस भण्डार को किस प्रकार उपयोग में लाने का है ;

(ग) क्या सरकार ने काफी बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात करने का निश्चय किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या निर्यात किए जाने वाले गेहूं के मूल्य की गेहूं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से तुलना की जा सकेगी ; और

(ङ) कितने गेहूं का तथा किन देशों को निर्यात किए जाने की संम्भावना है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग). सरकारी ऐजेन्सियों के पास फिलहाल गेहूं के स्टाक बफर स्टाक विषयक आवश्यकताओं से अधिक हैं। अधिक स्टाक को बेचने के लिए उठाए जा रहे कुछेक उपायों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के मासिक आवंटन में वृद्धि करना रोलर फ्लोर मिलों को 208 रुपए प्रति क्विंटल की बजाय 172 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर उनकी पूरी लाइसेंसशुदा क्षमता की सीमा तक आवंटन करना और उन्हें अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पाद तैयार करने की अनुमति प्रदान करना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन अधिक क्षमता के इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करना और सीमित मात्रा में गेहूं, मैदा, सूजी और सम्पूर्ण आटे का निर्यात करने की अनुमति देना शामिल है।

(घ) इस समय बल्क गेहूं के मामले में जहाज तक निष्प्रभार 1600 रुपए प्रति मीटरी टन, मैदा/सूजी के मामले में जहाज तक निष्प्रभार 2050/-रुपये प्रति मीटरी टन और सम्पूर्ण आटे के मामले में जहाज तक निष्प्रभार 1750 रुपए प्रति मीटरी टन के विहित न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त को पूरा करने पर निर्यात की अनुमति दी जाती है।

(ङ) निर्यात की जाने वाली संभावित मात्रा, वे देश जिन्हें निर्यात किया जाएगा और उससे कमायी जाने वाली संभावित विदेशी मुद्रा के बारे में बताना संभव नहीं है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने सूखाग्रस्त अफ्रीकी देशों को सप्लाई किए जा रहे एक लाख मीटरी टन गेहूं के अतिरिक्त, सोवियत रूस को 5 लाख मीटरी टन गेहूं सप्लाई करने और वियतनाम को जिन्स उधार के रूप में 50,000 मीटरी टन गेहूं सप्लाई करने के ठेके किए हैं।

न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन

1886. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "न्यू पैटर्न स्कीम, 1979" के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं ; इनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक वास्तविक रूप में फ्लैटों का कब्जा दिया गया है, और इस योजना के अन्तर्गत अभी श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को मकान आबंटित किए जाने हैं ;

(ख) कितने मकान तैयार हैं तथा वे कहां स्थित हैं और इनके कब तक आबंटित किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) अन्तिम "ड्रा" किस तारीख को निकाला गया था तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष व्यक्तियों को कब तक फ्लैट मिलने की सम्भावना है ;

(घ) क्या फ्लैटों के लिए नया पंजीकरण शुरू करने का कोई विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) निर्मित मकानों का आबंटन। नियतन पहले ही कर दिया गया है और मांग तथा आबंटन पत्र जहां अभी जारी नहीं किए गए हैं, आगामी 10-15 दिनों के भीतर भारी किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) अन्तिम ड्रा के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

मध्यम आय वर्ग 19-6-85 को निकाला गया अन्तिम ड्रा

कालोनी का नाम	फ्लैटों की संख्या
1. विकासपुरी	339
2. राजौरी गार्डन	97
3. रोहिणी	247
4. शालीमार बाग	202
5. पीतमपुरा	484
6. त्रिलोकपुरी	610
योग :	1979

निम्न आय वर्ग 12-6-85 को निकाला गया अन्तिम ड्रा

कालोनी का नाम	फ्लैटों की संख्या
1. जनकपुरी	250
2. पश्चिमपुरी	279
3. त्रिलोकपुरी	458
योग :	987

जनता 30-5-85 को निकाला गया अन्तिम ड्रा

कालोनी का नाम	फ्लैटों की संख्या
1. पीतमपुरा	443
2. शास्त्री पार्क	232
3. प्रियदर्शनी बिहार	48
योग :	723

शेष-पंजीकृतों को मकान आबंटित करने के लिए कोई समयबद्ध सूची नहीं दी जा सकती है। तथापि, यह आशा है कि सभी पंजीकृतों को, उनके स्वीकार करने की अवस्था में, अगले 2-3 वर्षों के

विवरण

पंजीकृतों की संख्या (विदड्राल के बाद)	आवंटनों/नियतनों की संख्या			पहले ही जारी किए गए मांग पत्रों की संख्या	पहले ही जारी किए गए कब्जा करने के पत्रों की संख्या	जारी किए जाने वाले मांग पत्रों की संख्या	शेष पंजीकृतों की संख्या
	आवंटन	नियतन	योग				
मध्यम वर्ग							
एल० आई० जी० वर्ग	45793	8208	165	8373	2585	1959	5623	37420
जनता	67290	11267	541	11808	7643	5186	3623	55482
योग	55394	13117	960	14077	8447	6783	4670	41337
	168477	32592	1666	34258	18675	13928	13917	134239

भीतर फ्लैटों का आबंटन कर दिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में बाढ़ में बह गए आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों के मकान

1887. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एक लाख मकान बनाने की योजना के अधीन आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बनाए गए मकान हाल की बाढ़ में बह गए हैं ;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके मकान नीची जगह पर बनाए गए थे, क्या सरकार बदले में उन्हें किसी अन्य स्थान पर रहने की जगह देने पर विचार कर रही है ; और

(ग) उन्हें राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग). केरल शासन द्वारा यह सूचित किया गया है कि हाल ही में बाढ़, भूस्खलन और समुद्री तूफान से बहुत अधिक लोग बेघर हो गए हैं। प्रभावित अनुसूचित जाति। आदिवासियों की संख्या नहीं बताई गई है। जिस केन्द्रीय दल ने क्षेत्र का दौरा किया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर उच्चस्तरीय राहत समिति द्वारा केन्द्रीय सहायता की राशि का निर्धारण किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए जब तक अन्तिम रूप से केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है तब तक अग्रिम उपाय के रूप में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मतों सहित बाढ़ राहत सहायता कार्यों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

चीनी की मांग तथा आयात एवं देशी स्रोतों से इसकी सप्लाई

1888. **श्री बी० वी० रामैय्या** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी की मांग को पूरा करने के लिए इसके आयात का सहारा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल-जुलाई 1985 के दौरान चीनी की कुल कितनी मांग थी और इस अवधि के दौरान आयात एवं देशी उत्पादन से इस मांग को कहां तक पूरा किया गया ; और

(ग) क्या चीनी के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि अप्रैल-जुलाई, 1985 के दौरान आयातित/स्वदेशी चीनी की पर्याप्त मात्रा जारी करने में सरकार की असफलता के कारण से है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल-जुलाई, 1985 के दौरान आन्तरिक खपत के लिए दोनों स्वदेशी और आयातित चीनी से निर्मुक्त की गई लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी की मासिक मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(लाख मीटरी टन)

मास	लेवी		मुक्त बिक्री की		
	स्वदेशी	आयातित	स्वदेशी	आयातित	जोड़
अप्रैल	2.88	0.25	3.70	—	6.83
मई	3.13	—	3.60	—	6.73
जून	3.40	0.23	2.50	1.25	7.38
जुलाई	3.13	—	2.00	1.75	6.88

(ग) अप्रैल से जुलाई, 1985 के दौरान लेवी चीनी की अधिकांश आवश्यकता को स्वदेशी चीनी से पूरा किया गया था। अप्रैल और मई, 1985 के लिए मुक्त बिक्री की आवश्यकताओं को पूर्णतया स्वदेशी चीनी से पूरा किया गया था। जून और जुलाई, 1985 के लिए क्रमशः 1.25 लाख मीटरी टन और 1.75 लाख मीटरी टन चीनी मुक्त बिक्री के प्रयोजन हेतु निर्मुक्त की गई थी। आयातित चीनी की कुछ मात्रा नियंत्रित माध्यमों से 6 रुपये से भी कम मूल्य पर वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को आबंटित की गई है जबकि कुछ मात्रा भारतीय खाद्य निगम द्वारा टेण्डर/नीलामी के माध्यम से बेचने के लिए रखी गई है। आधारभूत ढांचे विषयक आरम्भिक कमियों और संभार तन्त्र से संबंधित समस्याओं के कारण जून, 1985 में राज्यों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम मात्रा में चीनी का उठान किया गया था। तथापि, इन समस्याओं को हल कर लिया गया है जिसके फलस्वरूप जुलाई, 1985 मास में राज्यों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिक मात्रा में उठान किया गया। इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार हो जाने की आशा है कि कार्यक्रमानुसार उपलब्धता में सुधार होगा जिससे उपभोक्ताओं को उचित दामों पर चीनी मिल पाएगी।

चावल की रोग निरोधी किस्में

1889. **श्रीमती किशोरी सिंह : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की आई० आर० 8 किस्म रोग-ग्राह्य हो गई है ;

(ख) क्या अनाज की सभी संकर किस्मों में यह आम कमी है ; और

(ग) क्या स्थानीय किस्मों का उपयोग करके चावल की अधिक रोग-निरोधी किस्में विकसित करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। किस्म आई० आर० 8 के प्रतिरोधिता शक्ति समाप्त के बारे में कोई प्रमाणिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जिसने विभिन्न बीमारियों पर अपनी प्रतिक्रिया बनाये रखी हो।

(ख) जरूरतन नहीं।

(ग) जी हां श्रीमान। रोग-रोधी किस्मों का विकास नियमित प्रक्रिया है और यह भारत में चावल सुधार कार्य के बहुत प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। हाल ही के वर्षों में भारत में कुछ प्रमुख रोगों के लिए कई रोगरोधी/सहिष्णु किस्में विकसित की गई हैं। इस प्रकार ब्लास्ट के लिए जया, वाणी,

सुधरी, सोना, रासी, आई० आर०-36, स्वर्णधन, वैक्टिरीयल लीफ ब्लाइट के लिए आई० आर०-20, आई० आर०-36, सेस्याश्री, टंगरो वाइरस के लिए आई० आर०-20, शेथ ब्लाइट के लिए पंकज, स्वर्णधन, तथा ब्राउन स्पाट के लिए रासी, आई० आर०-36, विकसित तथा रिलीज की गई है।

[हिन्दी]

खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

1890. **श्रीमती चन्द्रभानु देवी :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले कुछ महीनों के दौरान खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार खाद्य पदार्थों के मूल्य कम करने के लिए ठोस कदम उठाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) गत कुछ महीनों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों के मूल्य, मुख्यतः मौसमजन्य कारणों, उत्पादन सम्बन्धी अड़चनों और भाड़े की दर में वृद्धि के कारण बढ़े हैं।

(ख) और (ग). सरकारी नीति में मुख्य बल आवश्यक वस्तुओं, विशेषतः जिनकी कमी है, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है तथा उसमें सुधार लाया जा रहा है। घरेलू सप्लाई को पूरा करने के लिए कुछ वस्तुओं का आयात किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया जाता है। वित्तीय अनुशासन लागू करने और कुल नकदी (एग्रीगेट लिक्वीडिटी) को नियन्त्रित रखने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। राज्य सरकारें तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जमाखोरों और कालाबाजारियों तथा अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के कानूनों के उपबंधों को लागू कर रहे हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन

1891. **श्री हरीश रावत :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो दशक के दौरान कृषि क्षेत्र में किए गए विभिन्न अनुसंधानों के फलस्वरूप देश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति एकड़ कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) क्या यह वृद्धि संतोषजनक है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में अलग से अनुसंधान और विस्तार केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी का कृषि उत्पादन पर निश्चित प्रभाव पड़ा है।

पहाड़ी क्षेत्रों में आधार वर्ष 1960-61 की अपेक्षा 1983-84 के दौरान मुख्य फसलों की प्रति हैक्टर वृद्धि नीचे दी गयी है।

फसल	राज्य	आधार वर्ष 1960-61 की अपेक्षा 1983-84 के दौरान प्रतिशत वृद्धि
चावल	जम्मू तथा कश्मीर	66.3
गेहूं	हिमाचल प्रदेश	74.2
मक्का	हिमाचल प्रदेश	89.6
	जम्मू और कश्मीर	10.5
समग्र दालें	हिमाचल प्रदेश	7.4
	जम्मू तथा कश्मीर	61.1

1972 को आधार वर्ष मानने पर उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में कृषि उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि निम्न प्रकार है :—

समग्र अनाज	मेघालय	110.0
	नागालैंड	174.0
	त्रिपुरा	178.0
	मणिपुर	136.0
	अरुणाचल प्रदेश	144.0
आलू	मिजोरम	208.0
समग्र तिलहन	मेघालय	103.0
	नागालैंड	108.0

(ग) जी हां, श्रीमान्। तथापि, भविष्य में सुधार के आसार हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों में न्यूनतम मजूरी में असमानता

1892. **श्री बी० एस० विजय राघवन :**

श्री जितेन्द्र प्रसाद :

श्री प्रताप सिंह बघेल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजूरी में असमानता है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजूरी का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार की नीति यह है कि विभिन्न राज्यों में, जहां तक व्यवहार्य हो सके, न्यूनतम मजूरी में समानता लाई जाए ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विभिन्न अनुसूचित रोजगारों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और इसे यथाशीघ्र लोक सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) मजदूरी दरों में एक समानता रखने के सामान्य प्रश्न पर जुलाई, 1980 में हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन के 31वें अधिवेशन में चर्चा हुई। सम्मेलन में यह सहमति हुई कि हालांकि मजदूरी दरों में पूर्ण रूप से एकसमानता लाना संभव नहीं है, लेकिन पड़ोसी राज्यों द्वारा निर्धारित मजदूरी दरों में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उद्योग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर स्थापित हो सकते हैं। तदनुसार सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करते समय, निर्धारित मजदूरी से अन्य राज्यों में, खासकर पड़ोसी राज्यों में, अन्य उद्योग पर पड़ सकने वाले असर को उचित महत्व दिया जाय।

अभी हाल ही में मई, 1985 में हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन के 35वें अधिवेशन ने भी सिफारिश की कि जब दो या दो से अधिक राज्यों में फैले हुए किसी विशेष अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित मजदूरी दरों में काफी भिन्नता हो तो इस विषमता को कम करने के लिए सभी सम्बन्धितों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का सामान्य प्रश्न, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी दरों में भिन्नता से सम्बन्धित प्रश्न भी आता है, इस समय श्रम मंत्री सम्मेलन (मई, 1985) के 35वें अधिवेशन द्वारा गठित मंत्रियों के एक दल के विचाराधीन है।

राजस्थान में बीहड़ भूमि की भू-उर्वकता में सुधार

1893. **श्री जुझार सिंह** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में बीहड़ भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, दर्रा-भूमि के सुधार के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार करने पर विचार कर रही है। अन्तिम रूप से स्वीकृत होने पर जब इस योजना का कार्यान्वयन शुरू होगा तब इस योजना से अन्य बातों के साथ-साथ दर्रा-भूमि की मृदा और उर्वरता में सुधार होगा तथा राजस्थान सहित ऐसी समस्या वाले सभी राज्यों को इसका लाभ पहुंचेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन 1955 में स्थापित किए गए केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा ने पिछले 30 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के दर्रों को कृषि-योग्य बनाने के लिए अनेक एकीकृत पद्धतियां विकसित की हैं, जिनमें कटाव-वाले पांचलों का मूल्यांकन, पठारी मध्यम और गहरी घाटियों के यांत्रिक उपाय, और कृषि वैज्ञानिक उपाय जिनमें कृषि-

भूमि, वनों, तथा घास-स्थलियों की उर्वरता को बढ़ावा एवं जिन दर्रों में कृषि नहीं हो सकती, उनमें बागवानी पद्धतियां चलाना शामिल है। साथ ही, प्रयोगशाला से भूमि कार्यक्रमों के जरिए कोटा जिले में किसानों के खेतों में इन पद्धितियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया गया है। इसके अलावा, हाल ही में कोटा स्थित उक्त केन्द्र ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर लगभग 450 हेक्टार क्षेत्र में पनघाराओं पर आपरेशनल अनुसंधान भी शुरू किया है।

भारत सरकार के प्रयासों के अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने भी सातवीं योजना के दौरान राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत दर्रा-भूमि में कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

हुडको के माध्यम से बेघर लोगों को आवास देने के लिए एक भूमि बैंक की स्थापना

1894. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेघर लोगों को मकान देने के लिए आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के माध्यम से एक भूमि बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना का विस्तार बम्बई में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों तक भी करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नैनीताल में टी० वी० टावर का कार्यकरण

1895. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० वी० टावर, नैनीताल उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कब सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जबकि ट्रांसमीटर सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है, आसपास की ऊंची पहाड़ियों की रुकावट के कारण कवरेज सीमित है और उसमें बिजली चले जाने के कारण विघ्न होता है। वर्तमान स्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध किया गया था। बिजली चले जाने की समस्या का समाधान करने के लिए, केन्द्र को हाल ही में आपातोपयोगी जैनरेटर उपलब्ध किया गया है।

[अनुवाद]

चिकित्सकों और दवाई विक्रेताओं द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के धन का दुरुपयोग

1896. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सैकड़ों चिकित्सक और दवाई विक्रेता नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने यह आरोप लगाया है कि सात चिकित्सक और बारह दवाई विक्रेता कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्रतिवर्ष लगभग 5 रुपये की धोखाधड़ी करते रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख). बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो ने एक ऐसे मामले को पकड़ा है जिसमे 7 डाक्टरों और 5 केमिस्टों ने राज्य सरकार के साथ लगभग 4.37 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है ;

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने के बारे में सूचना दी है :—

(i) 5 केमिस्टों को स्वीकृत सूची से हटा दिया गया है :—

(ii) 7 बीमा चिकित्सा प्रेक्टिशनरों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किए गए हैं ;

(iii) कुछ और जांच पड़ताल करने तथा पोस्ट आडिट छानबीन करने के लिए एक सतर्कता स्क्वाड बनाया गया है जो इस धोखाधड़ी में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की अन्तर्ग्रस्तता निश्चित करेगा ।

वर्ष 1985-86 के लिए अखबारी कागज सम्बन्धी आवंटन नीति

1897. **श्री चित्त महाता** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1985-86 के लिए अखबारी कागज के आवंटन नीति की घोषणा शीघ्र करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार के चालू वर्ष के लिए अखबारी कागज के आवंटन के लिए कोई नई नीति तैयार की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). वर्ष 1985-86 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति, जिसमें समग्र वृद्धि दर, अखबारी कागज की आवश्यकताओं का वास्तविक प्रतिबिम्बन, बकाया की आपूर्ति, आदि का समावेश हो, की शीघ्र घोषणा करने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

चालू वर्ष के लिए नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

फीचर फिल्मों का आयात और निर्यात

1898. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना की अवधि के दौरान कितनी विदेशी फिल्मों का आयात किया गया ;

(ख) उसी अवधि के दौरान कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या विदेशी फिल्में प्रायः भद्दे किस्म के सेक्स तथा वायलेन्स से भरी होती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा भारत में विदेशी फिल्मों को ऊंची कीमत पर आयात करने तथा उस पर कीमती विदेशी मुद्रा व्यर्थ करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ख) छठी योजनावधि के दौरान, 6720 फीचर फिल्में निर्यात की गई थीं। (यह संख्या निर्यात के लिए विभिन्न संविदाओं में शामिल फिल्मों की संख्या से सम्बन्धित है, न कि फिल्मों के शीर्षकों की संख्या से)। इसके अलावा, समूचे समुद्रपारीय क्षेत्रों के लिए 534 फिल्मों के सम्बन्ध में वीडियो अधिकार बेचे गये।

(ग) और (घ). भारत में लोक प्रदर्शन के लिए फिल्म को जारी करने से पहले उसे चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह व्यवस्था है कि लोक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, अन्य बातों के साथ, यह सुनिश्चित करेगा कि हिंसा जैसी समाज विरोध गतिविधियों को उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराया जाए, हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य न दिखाये जाएं, तथा अशिष्टता, अश्लीलता तथा भ्रष्टता द्वारा मानविक संवेदनशीलता क्षुब्ध न की जाए। जो विदेशी फिल्में मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप नहीं होती उनको दिखाने की अनुमति नहीं दी जाती।

यह कहना सही नहीं है कि विदेशी फिल्में उच्चदरों पर आयात की जाती हैं। आयातित फिल्मों का मूल्य निर्धारण राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के आयात चयन पैनल के अनुमोदन के अधीन है जो उपलब्ध विदेशी मुद्रा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वैयक्तिक मामलों की सावधानी-पूर्वक जांच पड़ताल करता है।

सातवीं योजना में खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता

1899. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना अवधि में खाद्यान्न भण्डारण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसकी भण्डारण क्षमता 7.5 मिलियन टन बढ़ाने का है ;

(ख) क्या अपर्याप्त अच्छादित भण्डारण क्षमता के कारण देश को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वर्तमान सत्र में 4 मिलियन खाद्यान्न को सी० ए० पी० भण्डार में रखना पड़ा ;

(ग) यदि हां, तो योजना अवधि में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या छठी योजना के दौरान खाद्यान्न भण्डारण क्षमता स्थापित करने के लिए निर्धारित की गई पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ग). सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए 240.0 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इससे योजनावधि के दौरान निर्मित की जाने वाली लगभग 50 लाख मीटरी टन अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने में मदद मिलेगी, जिसमें से लगभग 40 लाख मीटरी टन क्षमता खाद्यान्नों के लिए उपलब्ध होगी । इस क्षमता का एक भाग पहले ही निर्माणाधीन है शेष क्षमता का निर्माण करने के लिए स्थानों का पता लगाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढकी हुई भंडारण क्षमता निगम के पास खाद्यान्नों के स्टाक का भंडारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है । इसके फलस्वरूप निगम को 1-6-1985 तक 23.94 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के स्टाक को पोलीथीन की चादरों से ढककर खुले भण्डारण में रखना पड़ा था । इस स्टाक का हानियों से बचाव करने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाती हैं ।

(घ) अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के लिए 248.0 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी । अनुमान है कि छठी योजना के दौरान दोनों निगमों द्वारा 224.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए अनाज का राज्यों द्वारा उपयोग

1900. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए अनाज का राज्यों द्वारा उपयोग के बारे में 5 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1231 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्ती दरों पर सप्लाई किए गए अनाज के पूरे उपयोग किए जाने के बारे में राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ख) रिपोर्ट न भेजने वाले अगर कोई राज्य हैं तो उनके नाम क्या हैं और उन राज्यों द्वारा अनाज का कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को सस्ती दरों पर आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा तथा उनके द्वारा उपयोग में लाई गई मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । खाद्यान्नों की पूरी मात्रा को उपयोग में न लाने के मुख्य कारण ये हैं—कतिपय क्षेत्रों में इस्तेमाल में लाये जाने वाले खाद्यान्नों की किस्मों का उपलब्ध न होना, खुले बाजार में कम दरों पर खाद्यान्नों का आसानी से उपलब्ध न होना, तथा कुछेक मामलों में मजदूरों द्वारा खाद्यान्नों को स्वीकार न करना ।

विवरण

वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित खाद्यान्न तथा उसका उपयोग

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	23500.00	8009.45	24750.00	5831.34
2.	असम	5840.00	2258.66	6750.00	1919.13
3.	बिहार	43000.00	28287.30	41910.00	23035.00
4.	गुजरात	8533.00	8501.00	8890.00	4355.20
5.	हरियाणा	1666.00	1980.70	1620.00	904.20
6.	हिमाचल प्रदेश	1280.00	1149.59	1820.00	—
7.	जम्मू व कश्मीर	2200.00	844.61	1880.00	612.92
8.	कर्नाटक	19534.00	7201.26	18080.00	4942.67
9.	केरल	13400.00	3327.80	11750.00	2848.58
10.	मध्य प्रदेश	20000.00	11152.73	27360.00	8001.15
11.	महाराष्ट्र	25100.00	5.30	32920.00	59.40
12.	मणिपुर	300.00	113.99	280.00	297.20
13.	मेघालय	304.00	121.64	470.00	—
14.	नागालैण्ड	430.00	430.00	250.00	—
15.	उड़ीसा	17500.00	14044.37	18750.00	5334.04
16.	पंजाब	1525.00	8.00	2140.00	—
17.	राजस्थान	6110.00	6170.70	6670.00	3828.52
18.	सिक्किम	350.00	141.35	220.00	36.47
19.	तमिलनाडु	32500.00	29252.00	31790.00	31174.00
20.	त्रिपुरा	1650.00	415.40	1030.00	457.43
21.	उत्तर प्रदेश	49536.00	24761.98	48710.00	7596.03
22.	पश्चिम बंगाल	33251.00	21160.00	32080.00	4081.00

1. 2	3	4	5	6
केन्द्र शासित क्षेत्र				
23. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	260.00	192.43	310.00	—
24. अरुणाचल प्रदेश	400.00	6.50	220.00	—
25. चण्डीगढ़	35.00	5.00	40.00	9.60
26. दादरा व नगर हवेली	150.00	195.08	180.00	—
27. दिल्ली	20.00	9.80	90.00	5.00
28. गोवा, दमन व दीव	250.00	—	270.00	—
29. लक्षद्वीप	50.00	142.00	50.00	65.00
30. मिजोरम	180.00	—	200.00	—
31. पांडिचेरी	275.00	309.79	200.00	154.41
अखिल भारत	309129.00	170198.43	322180.00	103748.43

श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के विचाराधीन औद्योगिक विवाद के मामले

1901. **श्री टी० बशीर :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पास 30 जून, 1985 को औद्योगिक विवाद संबंधी कितने मामले विचाराधीन थे ;

(ख) कितने मामले 2 वर्ष से अधिक पुराने हैं ;

(ग) कितने मामले 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं ;

(घ) उनमें से कितने मामले सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों और उनके श्रमिकों और संघों के बीच में हैं ;

(ङ) उनमें से कितने मामले तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों और विवादों की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(च) तीन वर्ष से अधिक पुराने मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(छ) क्या और अधिक श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) 14,100

(ख) 4,219

(ग) 3,077

(घ) 873

(ङ) 171 (ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं)

(च) और (छ). औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन किया गया है ताकि निर्धारित समय में विवादों का निपटान किया जा सके। औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ताकि विवादों की विभिन्न अवस्थाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की जा सके। विवादों के निपटान हेतु मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं तथा प्रगति को मानिटर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के लिए एक औद्योगिक अधिकरण और दो श्रम न्यायालयों को मंजूरी दी गई है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों के उन विवादों की सूची जो तीन वर्ष से ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं

क्रमांक	नाम	मामलों की संख्या
1.	सुपर बाजार	14
2.	दिल्ली परिवहन निगम	36
3.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	42
4.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	10
5.	भारतीय तेल निगम	1
6.	राष्ट्रीय लघु उद्योग	1
7.	अयोध्या टैक्सटाइल मिल	3
8.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	4
9.	केन्द्रीय भांडागार निगम	2
10.	भारतीय कपास निगम	3
11.	मदर डायरी	3
12.	भारत पैट्रोलियम	4
13.	इंजीनियरर्स इंडिया लिमिटेड	1
14.	भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम	5
15.	होटल रंजीत	1
16.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड	13
17.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम	1
18.	उर्वरक निगम	1
19.	ओरियंटियल बैंक आफ कामर्स	2
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	3

क्रमांक	नाम	मामलों की संख्या
21.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3
22.	ओरियंटियल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी	1
23.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	6
24.	लक्ष्मी कामर्शियल बैंक	2
25.	विजया बैंक	1
26.	भारतीय खाद्य निगम	6
27.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1
28.	सैफेयर के इन्टरनेशनल फ्लाइट किचन	1
	कुल :	171

दिल्ली के गांवों को पेय जल सुविधायें

1902. **श्री राजकुमार राय :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के गाँवों के लिए पेय जल सुविधा की व्यवस्था करने हेतु भूमिगत जल के टैंकों के निर्माण की व्यवस्था कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) पेय जल सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां। जहां कहीं आवश्यक है।

(ख) दस।

(ग) दिल्ली के 275 ग्रामों में पेय जलपूर्ति सुविधा पहले ही मुहैया करा दी गई है। दस ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। समीप में ही नगर निगम की जल पूर्ति लाइनों की उपलब्धता की शर्त पर अन्य पांच ग्रामों में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है।

हरियाणा में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

1903. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है ;

(ग) उक्त केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) हरियाणा में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

यमुना-पार क्षेत्र का विकास

1904. **श्री कमल नाथ :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई गोष्ठी में यह बताया गया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना पार क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है और उन क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर गन्दी बस्तियों में बदला जा रहा है ; और

(ग) सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में तेजी से विकास करने के लिए इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) कुछ प्रेस रिपोर्टें ध्यान में आई हैं।

(ख) और (ग). जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना-पार क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर विकास कार्य आरम्भ कर दिए हैं।

प्रेस परिषद का पुनर्गठन

1905. **श्री चिन्ता मोहन :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रेस परिषद का शीघ्र ही पुनर्गठन करने का विचार है ;

(ख) प्रेस परिषद के पास एक वर्ष से अधिक समय से कितने मामले लम्बित हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उसे कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रेस परिषद में कम से कम तीन न्यायाधीश नियुक्त करने का है ताकि इसकी एक साथ तीन बैठकें हो सकें तथा ये एक डिवीजन के रूप में भी इसकी बैठक हो सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) भारतीय प्रेस परिषद का 9-7-1985 से पहले ही पुनर्गठन किया जा चुका है।

(ख) प्रेस परिषद के पास एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या और पिछले तीन वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या और उन पर लिए गए निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

प्रेस परिषद के पास एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या (30 जून, 1984 को या इससे पहले दायर किए गए) इस प्रकार हैं :—

1. प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के अन्तर्गत

(क) वर्ष 1983 में दायर किए गए	1
(ख) वर्ष 1984 में दायर किए गए	7
कुल :	8

2. प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के अन्तर्गत

(क) वर्ष 1983 में दायर किए गए	1
(ख) वर्ष 1984 में दायर किए एए	69
कुल :	70

पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के अन्तर्गत परिषद को 553 शिकायतें प्राप्त हुईं। उनमें से 126 शिकायतों के बारे में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :

19 मामलों में चेतावनी जारी की गई।

4 मामलों में भर्त्सना की गई।

24 मामलों में परिनिन्दा की गई।

11 मामलों में शिकायतों का समर्थन किया गया।

26 मामलों में समझौता कराया गया।

2 मामलों में गैर अभियोजन के लिए शिकायतें खारिज कर दी गईं।

40 मामलों में शिकायतें खारिज कर दी गई/अस्वीकार कर दी गईं।

कुल 126 मामले

125 शिकायतें जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। शेष 302 शिकायतों को निम्नानुसार निपटाया गया :—

48 मामलों को संक्षेप्त: रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनकी जांच के लिए पर्याप्त आधार नहीं था, (अधिनियम की धारा 14 (1) का परन्तुक)।

3 मामलों को बन्द कर दिया गया क्योंकि मामला न्यायनिर्णय अधीन हो गया था (अधिनियम की धारा 14 (3))। 251 मामलों को प्रारम्भिक अवस्था में बन्द कर दिया गया, क्योंकि प्रेष परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 में निर्धारित कतिपय अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया था।

पिछले तीन कैलेन्डर वर्षों (1-1-82 से 31-12-84 तक) के दौरान प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रेस परिषद को 265 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 96 शिकायतों के बारे में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

35 मामलों में शिकायतों का समर्थन किया गया।

23 मामलों में शिकायतों को खारिज कर दिया गया/रद्द कर दिया गया।

16 मामलों में गैर-अभियोजन के लिए शिकायतों को खारिज कर दिया गया।

5 मामलों को न्यायनिर्णय अधीन होने के कारण बन्द कर दिया गया।

17 मामलों में शिकायतों के बारे में समझौता हो जाने या उनको वापस ले लिए जाने के कारण उनको बन्द कर दिया गया।

कुल : 96

63 शिकायतें जांच की विभिन्न अवस्थाओं पर लम्बित थीं।

106 शिकायतों को प्रारम्भिक अवस्था में बन्द कर दिया गया, क्योंकि प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 में निर्धारित कतिपय अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

देश में बेरोजगार पुरुष और महिलायें

1906. **श्री राम प्यारे सुमन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं की संख्या राज्य-वार क्या है ;

(ख) क्या सरकार महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर कब तक कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) राज्यवार विवरण संलग्न है जिसमें दिसम्बर, 1984 तक रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में दर्ज शिक्षित बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं के ब्यौरे दिए गए हैं।

(ख) से (घ). समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अधीन केन्द्रीय तथा राज्य सलाहकार समितियों का केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों के बारे में स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा करने के लिए गठन किया गया है। राज्यों से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम आदि जैसे रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल करने की ओर विशेष ध्यान दें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमों को पुनः बनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए गए हैं, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए महिलाओं को तैयार किया जा सके। ये कार्यक्रम जारी रहने वाले कार्यक्रम हैं, जिनका जब कभी आवश्यक हो, विस्तार/संशोधन किया जाता है ताकि महिलाओं के लिए अधिक रोजगार क्षमता का सृजन किया जा सके।

विवरण

राज्य	पुरुष	महिला	कुल
आन्ध्र प्रदेश	892454	175380	1067834
असम	172522	551590	224112
बिहार	1445239	626887	1507926
गुजरात	325618	64798	309416
हरियाणा	192716	42956	235672
हिमाचल प्रदेश	127654	30007	157661

राज्य	पुरुष	महिला	कुल
जम्मू व कश्मीर	19739	5639	25378
कर्नाटक	361834	85709	447543
केरल	620724	656282	1277006
मध्य प्रदेश	464064	85410	549474
महाराष्ट्र	943423	198724	1142147
मणिपुर	69884	25171	95055
मेघालय	2583	2274	4857
नागालैण्ड	2342	629	2971
उड़ीसा	232559	26268	258827
पंजाब	215936	69041	284977
राजस्थान	271991	22829	294820
सिक्किम	कोई रोजगार कार्यलय में काम नहीं कर रहा है।		
तमिलनाडु	603135	243198	846333
त्रिपुरा	25614	16609	42223
उत्तर प्रदेश	1082648	82877	1165525
पश्चिम बंगाल	1597846	449963	2046809
संघ राज्य क्षेत्र :			
अण्डमान निकोबार	1677	969	2646
अरुणाचल प्रदेश	कोई रोजगार कार्यालय काम नहीं कर रहा है।		
चण्डीगढ़	34880	12948	47828
दादरा और नागर हवेली	आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं।		
दिल्ली	260314	92461	352775
गोवा	13684	9691	23375
लक्षद्वीप	1240	482	1722
मिजोरम	4653	2072	6725
पांडिचेरी	23878	8408	32286
अखिल भारतीय जोड़ :	10010851	2525072	12535923

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की क्वालिटी

1907. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डी० एम० एस० दूध की क्वालिटी निर्धारित मानक से कम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दूध की क्वालिटी सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जा रहे टोण्ड दूध तथा मानकीकृत दुग्ध की क्वालिटी खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के अधीन निर्धारित मानक से नीचे नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

1908. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में कारखानों, खानों और संयन्त्रों आदि में काम कर रहे व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है और केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, अप्रैल, 1985 में दो विशेषज्ञों का एक मिशन भेजा ताकि सामान्य रूप से औद्योगिक यूनिटों में और विशेषकर कैमीकल उद्योग में सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा सके। इस मिशन ने कारखानों, खानों, पत्तनों आदि में श्रमिकों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण के बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया।

सक्षम समाचार एजेंसी सेवा का विकास

1909. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

डा० ए० के० पटेल :

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु एक सक्षम समाचार एजेन्सी सेवा विकसित करने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए हाल ही में, उनके तथा भारतीय भाषाओं के प्रमुख समाचार-पत्रों के सम्पादकों के बीच कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें दिये गये सुझावों और उन पर लिए गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा जैसे कुछ पिछड़े राज्यों को राष्ट्रीय प्रेस में कदापि ही उचित स्थान मिलता है क्योंकि ऐसे राज्यों से अंग्रेजी अथवा हिन्दी का कोई प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं होता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूर दराज और अलग थलग क्षेत्रों, जहां संचार के विकसित साधन नहीं हैं का राष्ट्रीय समाचारपत्रों में कवरेज विभिन्न कारणों से, जिनमें आर्थिक पिछड़ापन, कम साक्षरता और समाचार-पत्र पढ़ने की कम आदत शामिल है, तुलनात्मक कम है। तथापि, सरकार समाचार-पत्रों के मालिकों को इस प्रकार के राज्यों में समाचार-पत्र छापने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। देश में प्रेस की स्वतन्त्रता है और इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों पर कोई नियन्त्रण नहीं हो सकता।

विवरण

भारतीय भाषाओं में समाचारों के प्रसार के लिए एक भारतीय भाषायी समाचार एजेंसी के गठन के लिए आम राय प्राप्त करने के प्रयोजन से सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने भाषायी समाचार-पत्रों के प्रमुख सम्पादकों तथा मालिकों की एक बैठक 25 और 26 जून, 1985 को बुलाई थी। शुरू में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सरकार का किसी एजेंसी को शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है और न ही सरकार किसी भी एजेंसी के प्रबंध या कार्य संचालन में शामिल होना चाहती है।

2. बैठक में इस बात पर सहमति थी कि एक ऐसी भारतीय भाषायी समाचार एजेंसी की आवश्यकता है जो हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करे। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों का यह भी मत था कि हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती के पुनर्जीवित होने की संभावना नहीं है।

3. बैठक में इस बात पर सर्वसम्मति थी कि यह समाचारपत्रों के मालिकों तथा सम्पादकों का काम है कि वे स्वयं इस प्रकार की समाचार एजेंसी सेवा संचालित करें। मालिक तथा सम्पादक भारतीय भाषाओं की आत्म निर्भर समाचार एजेंसी सेवा की स्थापना के लिए संसाधनों को जुटाने की सम्भावना की जांच करने के लिए सहमत हुए। बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई कि यदि एक पृथक भारतीय भाषायी समाचार एजेंसी स्थापित करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना संभव नहीं हो सके तो इसका विकल्प यह हो सकता है कि अंग्रेजी की मौजूदा समाचार एजेंसियां भारतीय भाषाओं में भी सेवायें शुरू करें।

4. इसके परिणामस्वरूप मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए श्री रामनाथ गोयंका की अध्यक्षता में प्रख्यात पत्रकारों की एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा कुछ सिफारिशें की हैं। सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

टी० वी० ट्रांसमीटर लेह का कार्यकरण

1910. **श्री पी० नामग्याल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लो पावर दूरदर्शन केन्द्र" का वर्तमान टी० वी० ट्रांसमीटर और अंटिना आकाशवाणी लेह के कम्पाउंड में लगाये गये हैं ;

(ख) वर्तमान स्थान पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित होने के कारण दूरदर्शन केन्द्र से 25 कि० मी० के क्षेत्र में स्थित अधिकांश गांवों में कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते क्योंकि दूरदर्शन केन्द्र और गांवों के बीच पहाड़ियां हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान दूरदर्शन केन्द्र को सिन्धु नदी के पार स्टोक जैसे बेहतर स्थान पर ले जाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) उबड़-खाबड़ परिस्थितियों के कारण यह अवश्यम्भावी है कि सेवा परिधि के कुछ स्थान बिना कवर हुए रह जाएं। तथापि, यह रिपोर्ट की गई है कि अधिकांश लेह नगर और उन क्षेत्रों, जिनमें सेना रहती है, कवर होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान स्थान से ट्रांसमीटर को हटाने से कोई बेहतर परिणाम प्राप्त होने की आशा नहीं है।

मदर डेरी के दूध के मूल्य में वृद्धि

1911. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी के दूध का मूल्य तीन महीने पहले 2.70 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.30 रुपये प्रति लीटर किया गया था ;

(ख) क्या 1 जुलाई, 1985 से मूल्य में 20 पैसे प्रति लीटर और वृद्धि की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) 9 अप्रैल, 1985 से मदर डेरी द्वारा बेचे जा रहे टोण्ड दूध का मूल्य 2.80 रुपये से बढ़ाकर 3.40 रुपये प्रति लिटर किया गया था।

(ख) टोण्ड-दूध का बिक्री मूल्य पहली जुलाई, 1985 से 3.40 रुपये से बढ़ाकर 3.50 रुपये प्रति लिटर कर दिया गया।

(ग) बिक्री मूल्य में वृद्धि उत्पादन की लागत में हुई बढ़ोत्तरी के कारण की गई जिसके मुख्य कारण विभिन्न राज्य सहकारी डेरी संघों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले दूध तथा भारतीय डेरी निगम द्वारा सप्लाई की जाने वाली दुग्ध-सामग्री के क्रय मूल्य और अन्य संचालन लागतों में वृद्धि का होना है।

प्रबंध में कामगारों की साझेदारी के बारे में त्रिपक्षीय समिति की बैठक

1912. **श्री एस० एम० गुरट्टी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामगारों के प्रबंध में हिस्सा लेने के बारे में हाल ही में त्रिपक्षीय समिति की कोई बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग). प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता संबंधी त्रिपक्षीय समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 21 मई, 1985 को हुई। समिति ने यह सिफारिश की कि मंत्रालयों को समय-समय पर और कम से कम तीन महीनों के अन्तराल में अपने उपक्रमों में इस स्कीम को लागू करने की स्थिति की आन्तरिक समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें उन मामलों में जिनमें इस स्कीम को लागू करवाना उनके लिए सम्भव नहीं है, कठिनाइयों को विशेषरूप से बताना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों याने प्रबंधकों तथा श्रमिकों में परस्पर सद्भावना का विकास करने हेतु "प्रबंधकों और श्रमिकों" के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिएं और ये संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिएं।

भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1984-85 में खाद्यान्नों के वितरण हेतु दी गई राजसहायता.

1913. **श्री शरद डिघे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 में खाद्यान्न वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम को कितनी राज्य सहायता दी गई ;

(ख) इसमें से कितनी उक्त अवधि के दौरान लाभांश मुक्त इक्विटी के रूप में कितनी धनराशि दी गई और बैंकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दी गई अग्रिम धनराशियों पर ब्याज पर रियायत के रूप में कितनी दी गई ; और

(ग) क्या भारत में खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण पर विश्व में सबसे अधिक धनराशि व्यय होती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए भारत सरकार ने 1984-85 में भारतीय खाद्य निगम को 1100 करोड़ रुपये की राजसहायता दी थी।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को 1984-85 के दौरान गोदामों/साइलों का निर्माण करवाने के लिए 29.85 करोड़ रुपये की राशि इक्विटी के रूप में दी गई थी और भारतीय खाद्य निगम को 29.85 करोड़ रुपये की राशि 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण के रूप में दी गई है। भारतीय खाद्य निगम को अपने वसूली विषयक कार्यों पर धन लगाने के लिए बैंकों के कंसोरशियम से 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 4000 करोड़ रुपये की सीमा तक नकद ऋण सुविधा भी प्राप्त हो रही है।

(ग) यह कहना सम्भव नहीं है कि भारत में खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण सबसे महंगा पड़ता है क्योंकि अन्य देशों की लागत के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कदली फल/केला बागान को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लेना

1914. **श्री एन० डेनिस :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कदली फल/केला बागान फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन फसलों को उक्त बीमा योजना के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नई व्यापक फसल बीमा योजनाएं जो खरीफ 1985 के मौसम से लागू की गई हैं, चावल गेहूं, दलहन, तिलहन और दालें शामिल हैं। फिलहाल फल बीमा योजना के अधीन केला लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल को चावल तथा गेहूं का आवंटन

1915. **श्री सुधीर राय :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु चावल और गेहूं का कितना मासिक आवंटन किया जाता है ;

(ख) क्या वर्ष के दौरान यह कोटा कम कर दिया गया था जबकि पश्चिम बंगाल गंभीर सूखे से पीड़ित था ; और

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल का मासिक कोटा बढ़ाया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रत्येक मास, 1,10,000 मीटरी टन चावल और 1,26,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित किया जाता है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल के खाद्यान्नों के आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है। इसकी बजाय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के मासिक आवंटन को दिसम्बर, 1983 के 1,05,000 मीटरी टन से बढ़ाकर जनवरी, 1984 में 1,26,000 मीटरी टन कर दिया गया था।

(ग) केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों के आवंटन, केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। केन्द्रीय भण्डार से आबंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं।

देश में नारियल का उत्पादन

1916. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में नारियल का उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या नारियल की उत्पादिकता बढ़ाने के लिए किन्हीं वैज्ञानिक उपायों का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) उपलब्ध नवीनतम अनुमानों के अनुसार 1983-84 के दौरान देश में नारियल के 58710 लाख फलों का उत्पादन हुआ था।

(ख) जी, हां।

(ग) परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों ही क्षेत्रों में नारियल से सम्बन्धित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अलावा नारियल विकास बोर्ड के जरिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के मुख्य घटक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजसहायता, उच्च कोटि की रोपण सामग्री की आपूर्ति, उन्नत प्रोद्योगिकी का प्रदर्शन आदि हैं। छठी योजनावधि के दौरान नारियल उत्पादक मुख्य राज्यों में उन्नत में प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 4,43,000 हैक्टर क्षेत्र लाया गया, पुराने बागानों का पुनर्नवीकरण करने के लिए दिए गए 10 लाख पौदों के अलावा करीब 7.7 लाख अधिक उपज देने वाली संकर पौधों का उत्पादन तथा वितरण किया गया गया। पुनरुद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत 5500 हैक्टार क्षेत्र लाया गया जिसके लिए करीब 3300 मीटरी टन उर्वरकों की आपूर्ति की गई।

भेड़ अनुसंधान संस्थान की उपलब्धियां

1917. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेड़ अनुसन्धान संस्थान भेड़ों के प्रजनन करने में सहायक रहा है ;

(ख) छठी योजना के दौरान संस्थान की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं ;

(ग) संस्थान ने कहां-कहां कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की हैं ;

(घ) क्या कोई नई परियोजना आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) क्या सरकार संस्थान के कार्यकरण से संतुष्ट है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) रैम्बूलेट और चोकला नस्लों के संकर प्रजनन से "अविवस्त्र" नामक एक बारीक ऊन वाली नस्ल तैयार की गई है। तरह नाली सिन्थेटिक और चोकला सिन्थेटिक से की एक नई सिन्थेटिक प्रजाति तैयार की गई है। यह कार्य अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना के अन्तर्गत किया गया है तथा यह प्रजाति सोवियत मेरिनो और दो देसी नस्लों से संकर प्रजनन के आधार पर तैयार की गई है। एक उच्च क्वालिटी की कारपेट ऊन वाली प्रजाति को रैम्बूलेट और मालपुरा नस्लों के संकर प्रजनन द्वारा तैयार किया गया है। मटन सिन्थेटिक को मालपुरा एवं सोनादी के साथ डोरसेट एवं सफ्लोक नस्लों के संकर प्रजनन द्वारा तैयार किया गया है जो 6 महीने की आयु में 30 किलो० वजन प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा, बीकानेर क्षेत्र के स्थानीय पर्यावरण में काराकुल भेड़ को सफलतापूर्वक पाला गया है।

(ग) भेड़ प्रजनन के क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रायोजनाएं शुरू की गई थीं :

(i) अविकानगर में रैम्बूलेट और सोवियत मेरिनों का नाली और चोकला नस्लों के साथ संकर प्रजनन द्वारा बारीक ऊन के लिए भेड़ों में सुधार लाना ;

(ii) अविकानगर में चयन के द्वारा "अविवस्त्र" के सुधार पर अध्ययन।

(iii) अविकानगर में मालपुरा के साथ रैम्बूलेट के संकर प्रजनन द्वारा बेहतर कारपेट ऊन के लिए भेड़ों में सुधार करना ;

(iv) अविकानगर में सफ्फलोक और काराकुल के साथ मालपुरा और सोनादी नस्लों के संकरण द्वारा मटन उत्पादन के लिए भेड़ों में सुधार लाना।

(v) बीकानेर में काराकुल भेड़ों के शुद्ध नस्ल एवं संकर नस्ल की उत्पादन क्षमता पर अध्ययन ;

(vi) गारसा में रैम्बूलेट/सोवियत मेरिनो के साथ संकर प्रजनन के द्वारा बारीक ऊन के उत्पादन और अच्छी क्वालिटी की ऊन के लिए "गद्दी" भेड़ में सुधार लाना ;

(vii) मन्नावनूर में कोरीडले के साथ कोयम्बतूर के संकर प्रजनन द्वारा दोहरी उद्देश्य वाली भेड़ को तैयार करना ;

(viii) मन्नावनूर में रैम्बूलेट के साथ कोयम्बतूर के संकरण द्वारा बारीक ऊन वाली भेड़ को तैयार करना।

(घ) कारपेट वूल में सुधार लाने ओर पेल्ट उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाएगा। मिंक और न्यूट्रिया जैसी रोयें (फर) वाली प्रजातियों को भी पालने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह, वूल रैबिट की श्रेष्ठ प्रजातियों जैसे—ब्रिटिश और जर्मन अंगोरा को भी पाला जाएगा। इस संस्थान के दो अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना की जाएगी जिनमें से एक दक्षिण और दूसरा पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में होगा।

(ङ) संस्थान के कार्य का पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा मूल्यांकन किया गया है और उसे संतोषजनक पाया गया है।

[हिन्दी]

खाद्य फसलों का समर्थन मूल्य

1918. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य फसलों की बुवाई के समय समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे किसानों को अधिक खाद्यान्न पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया का अब तक अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या फसलों की बुवाई के समय समर्थन मूल्य की घोषणा की जाएगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ). सरकार की कोशिश रहती है कि खाद्यान्न फसलों के समर्थन मूल्य यथासम्भव शीघ्र फसल मौसम की शुरुआत में घोषित कर दिए जाएं। समर्थन मूल्य घोषित करने का आशय किसानों को आश्वस्त करना है कि मूल्यों के गिरने की स्थिति में उनके हितों का उचित संरक्षण किया जाएगा। उत्पादन पर इसका असर मौसम की स्थितियों और जिस मूल्यों की आपेक्षिक समानता के आधार पर प्रत्येक फसल के लिए भिन्न-भिन्न होगा। वर्षों से यह प्रथा रही है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग अपनी सिफारिशों को तैयार करने से पूर्व मूल्य नीति के सम्बन्ध में और विभिन्न सम्बन्धितों से सलाह-मशविरा करने की व्यापक प्रक्रिया अपनाता है। इन सिकारिशों के प्राप्त होने पर, सरकार समर्थन मूल्यों के बारे में औपचारिक निर्णय लेने से पूर्व राज्य सरकारों और सम्बन्धित मन्त्रालयों से परामर्श करती है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली में झुग्गीवासियों को भूखण्डों का आबंटन

1919. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न भागों में झुग्गियों की अनुमानित संख्या कितनी है और वहां की कुल जनसंख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन झुग्गीवासियों को शिविरों में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पहले झुग्गीवासियों को 25-25 वर्ग गज के भूखण्ड दिए गए थे ;

(ङ) क्या झुग्गीवासियों को 25 वर्ग गज के भूखण्ड देने की योजना अब समाप्त कर दी गई है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो झुग्गीवासियों को भूखण्ड न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 1983-84 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 5.6 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या सहित 1,13,396 झुग्गियां थीं।

(ख) और (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा झुग्गीवासियों को उनके बनाये जा रहे ट्रांजिट कैम्पों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) जी, हां।

(च) ऐसा विचार किया गया है कि ऐसी योजना अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रखी जा सकती तथा मार्च, 1977 की अवधि के बाद के झुग्गीवासियों को स्थल तक सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सस्य अनुसंधान

1920. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में किए गए अनुसंधान के परिणाम स्वरूप विकसित हुई नई सस्य प्रक्रियाओं से खाद्य उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान की गई इस प्रकार की नई खोजों का सस्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) (i) विशेषकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वयक प्रायोजनाओं के द्वारा सुनिश्चित फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त सस्य प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही हैं अर्थात् :

1. अखिल भारतीय समन्वित सस्य विज्ञान अनुसंधान प्रायोजना ;
2. जल प्रबन्ध पर अनुसंधान के लिए समन्वय प्रायोजना ;
3. खरपतवार नियन्त्रण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना ;
4. दियारा भूमि के सुधार पर समन्वित अनुसंधान प्रायोजना ;
5. बारानी कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना ;
6. कृषि मौसम विज्ञान आदि पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना।

इसके अतिरिक्त, भा० कृ० अ० प० के फसल संस्थान तथा अन्य प्रायोजनाएं भी इस प्रौद्योगिकी को विकसित करने में लगी हुई है तथा समय-समय पर उसमें नवीनता लाई जाती है तथा उसका प्रचार किया जाता है।

(ii) सस्य विज्ञान के परीक्षणों के अन्तर्गत उत्पादकता और आर्थिक लाभकारिता के रूप में सबसे अधिक आशाजनक फसल अनुक्रमों का पता लगाया गया है। अनुकूलतम निवेश दशाओं के अन्तर्गत फसल अनुक्रम अर्थात—चावल-चावल-मक्का, चावल-चावल-मूंग, चावल-चावल-कपास, चावल गेहूं से क्रमशः 14.04, 12.21, 11.94 तथा 11.20 टन/हैक्टर/वर्ष फसल प्राप्त हुई।

(iii) नई सस्य प्रौद्योगिकी नई फसलें जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन, बिहार में रबी मक्का, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में धान की परती भूमि में मूंगफली, पंजाब में अरहर खरीफ फसल के रूप में तथा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कई भागों में सूरजमुखी उगाने में सहायक हुई है।

(iv) समय से भूमि की तैयारी करने तथा बुवाई से अधिकतर फसलों में 3-5 क्विं०/हैक्टर तक अनाज की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है।

(v) कृषकों के खेतों में अक्सर पौधों की संख्या की अपेक्षित सघनता नहीं पाई जाती, उसमें पौधों की नजदीक रोपाई करके सुधार करने पर 3-4 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज प्राप्त की जा सकती है।

(vi) समाकलित कीट प्रबन्ध तथा कीट नियन्त्रण तकनीकें फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करती हैं। प्रमुख फसल खरपतवारें जैसे–फलारिस माइनोर तथा अवेना सतुआ को उपयुक्त खरपतवार-नाशी देने से प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण किया गया है तथा इस विधि को किसानों द्वारा अमल में लाया जा रहा है।

(vii) विभिन्न क्षेत्रों में अन्तः–कृषि के उपयुक्त उपयोग से उसी भूमि से बेहतर उपज लेने में सहायता मिली है।

(viii) जलवायु विज्ञान सम्बन्धी प्राचलों पर सिंचाई की योजना को विकसित किया गया है तथा उसे अनेक राज्यों में सिंचाई जल के प्रभावी उपयोग के लिए अपनाया जा रहा है।

(ix) उर्वरक प्रौद्योगिकी से देश में एन. पी. के. की खपत बढ़ी है, जो सन् 1960-61 में 1.9 किग्रा०/है० की तुलना में इस समय 45 कि० ग्रा०/है० (एन. पी. के.) से भी अधिक हो गयी है। इसके अतिरिक्त आवश्यक पोषकों का उर्वरकों के रूप में सन्तुलित उपयोग भी आवश्यक है। इस सन्दर्भ में, पंजाब में जस्ता तथा गन्धक की कारगरता का सुधार क्रमशः चावल और गेहूं तथा बिहार; आ० प्र०, मध्य उ० प्र०, राजस्थान तथा म० प्र० के कुछ भागों में जस्ते की कमी से चावल उत्पादन में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद दूरदर्शन का कार्यरण

1921. **श्री नरसिंह मकवाना : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद दूरदर्शन इस समय अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दूरदर्शन का "पीजगांव" कार्यक्रम इसी प्रकार जारी रहेगा अथवा उसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा ; और

(घ) क्या ऐसा कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है जिससे अहमदाबाद दूरदर्शन और आकर्षक कार्यक्रम प्रसारित कर सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). अहमदाबाद का दूरदर्शन ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की पूरी शक्ति से काम कर रहा है। कार्यान्वयन आधीन स्टूडियो केन्द्र के 1986-87 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ग) अहमदाबाद में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर के चालू हो जाने से पिज के ट्रांसमीटर ने काम करना बन्द कर दिया और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्टूडियो अहमदाबाद द्वारा निर्मित कार्यक्रमों को अब उच्च शक्ति वाले नए ट्रांसमीटर पर प्रेषित किया जाता है और कोई परिवर्तन करने का इस समय विचार नहीं है।

(घ) जी, हां।

[अनुवाद]

गंदी बस्तियों में रहने वालों की दशा में सुधार करना

1922. **श्री एस० कृष्ण कुमार :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के केन्द्रीय बजट में गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार गंदी बस्तियों में रहने वालों के रहन-सहन को सुधारने के लिए कोई नये कदम उठाने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में है तथा अपने वार्षिक योजना प्रावधानों से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। 1985-86 के दौरान इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय बजट में कोई नियतन विद्यमान नहीं है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनायी जाने वाली नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

केरल में समुद्र तट पर मछुआरों के लिए बचाव सुविधाएं

1923. **श्री मुल्लापल्ली राम चन्द्रन :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मानसून के दौरान केरल में समुद्र तट पर मछली पकड़ते हुए कुल कितने मछुआरे मारे गए अथवा लापता हो गए ;

(ख) क्या ये मौतें मुख्यतया बचाव सुविधाओं की कमी के कारण हुई ;

(ग) क्या सरकार ने बचाव कार्य में भारतीय नौसेना की सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम, क्विलोन, मालापुरम और कन्नौर जिलों के 17 मछुआरों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा एक मछुआरे को गुम हुआ बताया गया है।

(ख) तूफान, वर्षा और अशान्त सागर के कारण उत्पन्न खतरे से मछुआरों का जीवन बचाने के लिए केरल सरकार के पास उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त बताई गयी हैं। फिर भी, उपलब्ध सुविधाओं को कार्य पर लगाया गया था।

(ग) और (घ). जी हां। स्थानीय अधिकारियों ने पांच मौकों पर खतरे में फंसी मछली पकड़ने वाली नौकाओं का पता लगाने के लिए नौसेना की सहायता मांगी। प्रत्येक मौके पर इन नौकाओं का पता लगाने के लिए हवाई उड़ानें की गयीं और पानी के जहाजों ने गश्त लगाई। एक मौके पर एक मछली पकड़ने वाली नौकी का पता लगाया गया और इसे कोचिन बन्दरगाह पर लाया गया।

"पी० एमज डिंग एट दूरदर्शन" शीर्षक से समाचार

1924. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान दिनांक 16 जुलाई, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "पी एमज डिट एट दूरदर्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त उत्साह पैदा करने के लिए नये सिरे से कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनरा ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दूरदर्शन का अपने कार्यक्रमों को अधिक रोचक बनाने तथा विभिन्न वर्गों के दर्शकों के अनुरूप बनाने का सतत प्रयास रहता है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों को संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

1. विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं, जो अब तक न्यूनतम से कम रही हैं, में वृद्धि कर दी गई है।

2. अच्छे और नये कलाकारों को प्रोत्साहन देने के विचार से कलाकारों के लिए शुल्कों को बढ़ाने के लिए कार्यवाई की जा रही है। बाहरी कैमरामैनों के लिए फुटकर दरों में हाल ही में वृद्धि की गई है।

3. दूरदर्शन फिल्मों तथा अन्य कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए बाहरी निर्माताओं को विभिन्न स्कीमों के माध्य से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

4. प्रायोजित कार्यक्रमों संबंधी स्कीम के चालू होने से काफी संख्या में दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रमों का निर्माण हो रहा है तथा वे लोकप्रिय हो रहे हैं।

5. सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि दूरदर्शन के लिए फीचर फिल्मों का चयन करने तथा प्रायोजित कार्यक्रमों के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार करने वाली समिति में प्रख्यात तथा सामाजिक ख्याति के गैर सरकारी व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।

6. सरकार ने कर्मचारियों को बेहतर सेवा अवसर प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट प्रसारण सेवा गठित करने का निर्णय लिया है। उसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है तथा सेवा के शीघ्र ही संचालित होने की आशा है।

7. यह देखा गया होगा कि दूरदर्शन राष्ट्रीय लिंकेजों के लिए इन्सेट-1बी का उपयोग करने के लिए प्रयत्नशील है। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय खेल तथा अन्य घटनाओं का संबंध है दूरदर्शन अन्तर-राष्ट्रीय उपग्रह सुविधाओं की बुकिंग करके तथा अन्य मामलों में इन घटनाओं की रिकार्डिंग प्राप्त करके भारतीय दर्शकों के लिए उन्हें अधिक से अधिक सीधे टेलीकास्ट करने के लिए कोशिश करता रहा है।

8. दूसरा चैनल, जो अंशतः पूरक तथा अंशतः वैकल्पिक सेवा हैं, दिल्ली और बम्बई में पहले ही चालू किया जा चुका है। दूरदर्शन चालू वर्ष के अन्त तक अन्य स्थानों अर्थात् मद्रास तथा कलकत्ता में दूसरा चैनल प्रारम्भ करने की कोशिश कर रहा है।

9. दूरदर्शन द्वारा अब वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शिक्षाप्रद विषयों पर डाकुमेंट्री फिल्मों तथा

हास्य धारावाहिक कार्यक्रमों जैसे अनेक रोचक कार्यक्रम भारतीय दर्शकों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

10. उपकरणों, सुविधाओं तथा मानव शक्ति के सतत अभाव के बावजूद, दूरदर्शन केन्द्रों के कुल प्रेषण समय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मुख्य केन्द्र अब लगभग आधी रात तक कार्यक्रम टेलीकास्ट करते हैं। रविवार को दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र प्रातः 9.30 बजे शुरू होता है तथा दोपहर में लगभग 45 मिनट के लघु ब्रेक को छोड़कर रात 11.30 बजे तक चालू रहता है। दिल्ली से जुड़े सभी रिले केन्द्र इन्सेट के माध्यम से इन कार्यक्रमों को रिले करते हैं।

11. रंगीन वाह्य प्रसारण वाहनों की उपलब्धता से, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, तथा जलन्धर में—रंगीन कार्यक्रमों का अनुपात काफी बढ़ा है। इसमें अतिरिक्त, विभिन्न कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों पर अनेक ई० एन० जी० कैमरे तथा सहायक उपकरण पहले ही लगा दिए गए थे। इससे क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों के रंगीन में निर्माण की क्षमता में सुधार करने में मदद मिली।

गुजरात में नई चीनी मिलें

1925. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो नई चीनी मिलों के लिए इन आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नयी चीनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ 6 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 2 आवेदन पत्रों को गुजरात सरकार को वापस कर दिया गया था क्योंकि उन्हें संशोधित लाइसेंसिंग मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरामीटरों के अनुरूप नहीं पाया गया था। शेष आवेदन पत्रों में से, 2 मामलों में आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए थे जबकि 2 आवेदन पत्रों के मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि उन्हें तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

स्टेट एग्रिकल्चरल मार्केट बोर्डों/मार्केट कमेटियों को वित्तीय सहायता

1926. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्किट बोर्डों/मार्किट कमेटियों को राज्य सरकारों के माध्यम से कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान चुने नियमित/ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राज्य कृषि विपणन बोर्डों/मंडी समितियों को 9,17,08,100 रुपये की केन्द्रीय सहायता बंटित की गयी थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चुने नियमित/ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्र की सरकारों को वर्ष 1984-85 के दौरान बंटित केन्द्रीय सहायता की राशि

क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	बंटित केन्द्रीय सहायता की राशि	
1.	आन्ध्र प्रदेश	रु०	31,40,000
2.	असम	,,	8,000
3.	बिहार	,,	30,00,000
4.	गुजरात	,,	25,47,000
5.	गोवा, दमन व दीव	,,	1,00,000
6.	हरियाणा	,,	72,00,000
7.	हिमाचल प्रदेश	,,	11,50,000
8.	कर्नाटक	,,	51,85,100
9.	मध्य प्रदेश	,,	52,00,000
10.	उड़ीसा	,,	30,00,000
11.	पंजाब	,,	63,00,000
12.	राजस्थान	,,	306,00,000
13.	महाराष्ट्र	,,	145,77,000
14.	उत्तर प्रदेश	,,	26,50,000
15.	पश्चिम बंगाल	,,	2,00,000
16.	तमिलनाडु	,,	24,50,000
17.	त्रिपुरा	,,	35,00,000

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु को आवंटन

1927. **श्री आर० अन्नानम्बी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए आवंटन को बढ़ाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन में वृद्धि करने के लिए कहा है। तथापि, उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका,

क्योंकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां एक निर्धारित फार्मूला के आधार पर राज्यों को वितरित की जाती है, जिसके अन्तर्गत 75 प्रतिशत महत्व खेतिहर मजदूरों और सीमान्त कृषकों की संख्या को तथा 25 प्रतिशत महत्व निर्धनता के प्रभाव को दिया जाता है। चालू वर्ष में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में टी० वी० प्रसारण केन्द्र

1928. **श्री हुसेन दलवाई :**

श्री बालासाहेब विखे पाटिल :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जिलों के अपने टेलीविजन ट्रांसमीशन केन्द्र हैं ;

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें टेलीविजन ट्रांसमीशन कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है ; और

(ग) महाराष्ट्र राज्य को पूर्ण टेलीविजन सेवा कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन ट्रांसमीटर महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों में स्थापित हैं :

1. बृहत्तर बम्बई
2. पुणे
3. नागपुर
4. अकोला
5. नासिक
6. कोल्हापुर
7. अहमदनगर
8. औरंगाबाद
9. धुले
10. लातुर
11. अमरावती
12. शोलापुर
13. परभनी
14. चन्द्रपुर
15. नांदेड़
16. जलगांव
17. भण्डारा
18. सांगली
19. जालया

संतारा जिले में अल्प शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।

(ख) हाथ में ली गई स्कीमों के पूरा हो जाने पर भी, महाराष्ट्र के बीड, उसमानाबाद, बुलडाना और गडचिरौली जिले कवर नहीं होंगे।

(ग) राज्य की समूची जनसंख्या को कवर करने के लिए दूररर्शन सेवा का विस्तार करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सुपर बाजार में क्षतिग्रस्त वस्तुओं को बदलना

1929. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार द्वारा दिए गए "क्रय आदेशों" पर "गुड्स विल बी एक्सप्टेड ऑनली आफटर रिप्लेसमैण्ट ऑफ डैमेज्ड स्टाक्स" (क्षतिग्रस्त माल के बदले जाने के बाद ही माल स्वीकार किया जायेगा) की कोई मोहर लगाई जाती है ;

(ख) क्या "क्रय आदेशों" के साथ क्षतिग्रस्त वस्तुओं की कोई सूची नहीं दी जाती है ;

(ग) क्या इस तरह बदले गए माल का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय का विचार सुपर बाजार के अधिकारियों को "क्रय आदेशों" के साथ "बदली जाने वाली वस्तुओं" की सूची देने के अनुदेश जारी करने का है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि वस्तुओं को बदलने से सप्लायर को कोई असुविधा न हो, तथा इसका विधिवत लेखा-जोखा रखा जाये ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ). सुपर बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन सप्लायरों के स्टाक को बदलने की आवश्यकता होती है। उनके क्रय आदेश पर रबड़ की मुहर लगा दी जाती है। क्षतिग्रस्त माल के बारे में सप्लायर की अपेक्षित सूचना या तो आर्डर देते समय अथवा आर्डर किए गए माल की सुपुर्दगी से पहले दी जाती है। जिस सप्लायर को क्षतिग्रस्त माल को बदलने की व्यवस्था करनी होती है, उन्हें ऐसे माल का ब्यौरा अग्रिम में दिया जाता है, ताकि उन्हें असुविधा न हो। ऐसी सभी वस्तुओं, जिन्हें बदला जाता है, का उपयुक्त हिसाब रखा जाता है।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए मन्त्रालय इस सम्बन्ध में सुपर बाजार को कोई अनुदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझता है।

"हम लोग" की तरह के नये धारावाहिक का प्रसारण

1931. **श्री शांताराम नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन से प्रसारित लोकप्रिय धारावाहिक, "हम लोग" जो एक सामान्य व्यक्ति की समस्याओं, आशाओं तथा आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर रहा है, के शीघ्र ही समाप्त करने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार का एक नया धारावाहिक, प्रायोजित या अन्य रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) "हम लोग" नामक धारावाहिक कार्यक्रम को बंद करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) कई नये प्रायोजित धारावाहिक कार्यक्रम पाइपलाइन में हैं, जो मौजूदा चालू धारावाहिक कार्यक्रमों के समाप्त होने पर उनका स्थान लेंगे।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए ब्लाक स्तर पर संगठन की स्थापना

1932. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं और बाल कल्याण के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर समितियां/संगठन गठित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अब इसे शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सातवीं योजना में कृषि विकास के लिए अपनायी गयी नीति

1933. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में कृषि विकास के लिए सामान्य तौर पर और विशेषकर 1985-86 में क्या नीति अपनाने का विचार है ;

(ख) उपर्युक्त नीतियों के अपनाए जाने पर सातवीं योजना के अन्त तक विभिन्न फसलों के उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि लाए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उड़ीसा में खाद्यान्नों के उत्पादन में स्थिरता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) योजना आयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 और वार्षिक योजना, 1985-86 तैयार कर रहा है जिसमें नीति के ब्यौरे दिए जा रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के उपागत प्रलेख के अनुसार सातव पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भोजन, काम और उत्पादकता होगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई जाने वाली नीति की प्रस्तावित रूप रेखा में सिंचाई की संभावनाओं के अधिकतम उपयोग की प्रथा का व्यापक उपयोग, नियत मूल्यों पर सुनिश्चित गुणवता के आदानों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति, पर्याप्त विपणन समर्थन सहित कृषि उत्पादों को लाभकारी कीमतें देने के साथ अधिक ध्यान देते हुए कम उत्पादकता फसलों पर अधिक बल दिया जाएगा। नीति में कृषक समुदाय के निर्धन वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर भी अधिक बल दिया जाएगा।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विभिन्न महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

फसल	यूनिट	1985-90 के लिए लक्ष्य
खाद्यान्न	दस लाख मीटरी टन	178.0-183.0
गन्ना	दस लाख मीटरी टन	217.0
तिलहन	लाख मीटरी टन	180.0
कपास (लिण्ट)	लाख गांठें	95.0
पटसन और मस्ता	लाख गांठें	95.0

(ग) इसके अलावा 1984-85 के दौरान पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किए गए कई राज्य सैक्टर और केन्द्र सैक्टर की स्कीमों को उड़ीसा राज्य के 63 चुनिंदा ब्लाकों में चावल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नई परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय भवन निर्माण योजना

1934. **श्री जी० भूपति :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार एक राष्ट्रीय भवन निर्माण योजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, देश में आवास आवश्यकताओं को पूरा करने की योजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

चीनी का आयात रोकना

1935. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गन्ना उत्पादकों के हित में और मानक मूल्यों को बनाये रखने तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए चीनी का आयात रोकने पर विचार कर रही है ; और

(ख) नागरिक पूर्ति निगमों को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1981-82 और 1982-83 के मौसमों में लगभग 84 और 82 लाख मीटरी टन चीनी के हुए रिकार्ड उत्पादन की तुलना में चीनी का उत्पादन 1983-84 मौसम में गिरकर 59.16 लाख मीटरी टन और 1984-85 में लगभग 61 लाख मीटरी टन रह जाने से तथा 1981-82 मौसम और उसके बाद से आन्तरिक खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप स्वदेशी चीनी की उपलब्धता में कमी हुई है। अतः स्वदेशी बाजार में उचित दामों पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए चीनी का आयात करना पड़ रहा है ; फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के लाभकारी मूल्यों का भुगतान करवाना सुनिश्चित कर देश के गन्ना उत्पादक के हितों की सुरक्षा की जा रही है।

(ख) राज्य सरकारें परिवहन, हैंडलिंग, प्रशासनिक प्रभारों आदि को ध्यान में रखने के बाद आयातित चीनी का 6 रुपये प्रति किलो से भी कम मूल्य पर वितरण कर रही है और इसलिए राज्य सरकारों अथवा उनके नागरिक आपूर्ति निगमों को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में चावल आवंटन में वृद्धि

1936. **श्री पी० ए० एन्टनी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य का चावल आवंटन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) अब तक कितने चावल की सप्लाई की गई है और अगले महीनों के लिए कितना आवंटन निर्धारित किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पूल से केरल सहित विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। केरल को चालू वर्ष के दौरान चावल के किए गए आवंटन और उठान का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(हजार मीटरी टन)

मास 1985	आवंटन	उठान
जनवरी	110.0	109.9
फरवरी	110.0	93.0
मार्च	110.0	108.0
अप्रैल	110.0	104.1
मई	110.0	118.3
जून	115.0	114.9
जुलाई	120.0	उपलब्ध नहीं
अगस्त	125.0	उपलब्ध नहीं

सामान्य मासिक आवंटनों के अलावा, जुलाई, 1985 में 25,000 मीटरी टन चावल का एक-समय का विशेष आवंटन भी किया गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धरौन्दा गांव में भूमि का अधिग्रहण

1937. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धरौन्दा गांव में अधिगृहीत की गई भूमि के बारे में 13 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6165 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस क्षेत्र के खसरा संख्या 402 से 407 तथा 385 से 395 के भूस्वामियों को पूरा मुआवजा या मुआवजे के कुछ भाग का भुगतान किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उन भूस्वामियों के नाम क्या हैं, उन्हें मुआवजे की कितनी राशि दी गई तथा भुगतान की तारीखें क्या हैं ;

(ग) क्या कुछ हस्तांतरियों ने उस भूमि पर मकान बना लिए थे तथा तत्पश्चात् दिल्ली विकास

प्राधिकरण ने उन्हें बिना कोई मुआवजा दिए तोड़ दिया ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उन हस्तांतरियों को मुआवजा आदि के भुगतान लेने सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा के लिए आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि खसरा नं० 402 से 407 तथा 385 से 395 तक के मुआवजे का भुगतान सिवाय विवादस्पद मामलों के अभिलेखबद्ध मालिकों को कर दिया गया है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

मालिक का नाम	देय राशि	भुगतान की तारीख
1	2	3
1. अत्तर सिंह पुत्र जग्गू	15091.44	5-10-77
2. रामस्वरूप पुत्र श्री कपूर चन्द	5231.70	27-04-83
3. लाल सिंह पुत्र श्री मामराज	603.66	11-7-83
4. बासुदेव	603.66	27-04-83
5. शान्ति सरूप	18365.90	18-12-78
6. महेन्द्र नाथ	18365-89	18-12-78
7. सुरेन्द्र नाथ	18365.89	18-12-78
8. जग शंकर	11019.53	18-12-78
9. हरी शंकर	11019.54	16-12-78
10. विजय शंकर	11019.54	16-12-78
11. रवि शंकर	11019.54	16-12-78
12. प्रताप शंकर	11019.54	16-12-78
13. अत्तर सिंह	3477.03	5-10-77
14. ओमप्रकाश	1735.54	29-9-77
15. वेद प्रकाश	1735.51	29-9-77
16. भगवान	3471.03	29-9-77
17. दिल्ली हाउसिंग कम्पनी	124152.23	23-5-77
18. —वही—	126676.81	30-1-78

1	2	3
19. दिल्ली हाउसिंग कम्पनी	20323.14	8-2-78
20. —वही—	45877.97	25-10-83
21. श्रीमती किरल माला जैन	804.25	24-5-79
22. सुमित प्रकाश जैन	5432.90	22-10-83
23. जी० एम० लाल	4024.30	7-9-79
24. दिल्ली हाउसिंग कम्पनी	7383.96	24-3-72
25. —वही—	2907.88	24-3-72
26. पूरन चैन्द सुपुत्र देवीदयाल	121.16	15-12-72
27. चरणदास सुपुत्र काहन चन्द	121.16	12-6-72
28. जोगेन्द्र सिंह सुपुत्र लालसिंह	242.32	2-3-73
29. चरणदास सुपुत्र काहन चन्द	726.96	12-6-72

कलकत्ता दूरदर्शन खेल विभाग का कार्यकरण

1938. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता दूरदर्शन में वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान कुल कितने कैमरामैन, समाचार वाचक उद्घोषक तथा अन्य कर्मचारी कार्यरत थे ;

(ख) इस अवधि के दौरान इनमें से कितनों ने त्याग-पत्र दे दिया है अथवा आल इंडिया रेडियो में वापिस चले गए हैं ;

(ग) क्या कलकत्ता दूरदर्शन का खेल विभाग प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इसमें सुधार लाने के लिए क्या परिवर्तन लाने की सोच रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रखा जाएगा।

पश्चिम बंगाल में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

1939. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल चल रहे हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1985 तक गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने रोगी दाखिल हुए ;

(ग) क्या हावड़ा के बेलुर तथा बंकुरा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में आपरेशन कक्ष, एक्सरे तथा हृदय रोग उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो हावड़ा, जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है, के उन दो कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को और अधिक सुसज्जित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) बारह।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से है :

	82-83	83-84	84-85
तपेदिक के मरीज	324	327	375
सामान्य	33,334	34,502	36,246

(ग) और (घ). उक्त दो अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे निम्नप्रकार से हैं :—

(1) वेल्लूर अस्पताल

इस अस्पताल में केवल तपेदिक के मरीजों का इलाज किया जाता है। एक्स-रे और पाथोलोजीकल जांच करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन यहां अभी कोई आपरेशन थियेटर नहीं है। यहां अभी दिल की बीमारियों का इलाज करने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। तथापि राज्य सरकार यहां वक्ष-चिकित्सा (थारेसिक सर्जरी) यूनिट खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(2) बंकुरा अस्पाल

आपरेशन थियेटर, एक्स-रे, पाथोलोजिकल जांच आदि करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहां इस समय गम्भीर दिल की बीमारियों का इलाज करने या दिल का आपरेशन करने के लिए व्यवस्था नहीं है। तथापि, राज्य सरकार यहां इन्टेन्सिव कार्डिएक केयर यूनिट खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था

1940. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**

श्री हरिहर सोरन :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे लोगों का कोई सर्वेक्षण किया है जिन्हें वर्ष 1984 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार मिला है ;

(ख) यदि हां, तो संगठित क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों में लोगों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग). ऐसे व्यक्तियों का कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिन्हें 1984 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार मिला है। तथापि, संगठित क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों के बारे में सूचना सभी सरकारी क्षेत्र प्रतिष्ठानों तथा निजी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, के सम्बन्ध में रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत एकत्र की गई नवीनतम सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	संगठित क्षेत्र में रोजगार (लाखों में)			
	व्यक्ति		महिला	
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1983	164.3	75.2	16.9	13.1
1984 (अनन्तिम)	168.7	73.4	17.7	12.8

कर्नाटक में अखबारी कागज का अभाव

1941. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** कर्नाटक में अखबारी कागज के अभाव के बारे में 8 अप्रैल 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 246 के उत्तर के सम्बन्ध में, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). "छोटे" और "मझोले" समाचार पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई के बारे में उनके द्वारा की गई अपील का ब्यौरा कर्नाटक सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही वह प्राप्त हो जायेगा उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा। तथापि अखबारी कागज की कोई कमी नहीं है।

"हम लोग" कार्यक्रम का दूरदर्शन पर दिखाया जाना

1942. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हम लोग," के अब तक कितने प्रसंगों का निर्माण किया गया है और कितने प्रसंगों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिखाया गया है और कितने प्रसंग निर्माणाधीन हैं तथा इनके निर्माण पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या हाल ही में इस सोप आपेरा का स्तर गिर गया है और दर्शक गण इसे देखकर ऊब रहे हैं ;

(ग) इस आपेरा के व्यापारीकरण के परिणामस्वरूप दूरदर्शन को कितनी आय होती है तथा इसे समय-समय पर किन-किन कम्पनियों ने प्रायोजित किया है ;

(घ) क्या "हम लोग" के प्रायोजित कार्यक्रमों में दूरदर्शन के कर्मचारी भी शामिल हैं तथा अभिनय और निर्माण में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें यदि कोई धनराशि दी गई है, तो कितनी ; और

(ङ) इस आपेरा का प्रदर्शन कब बंद किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) "हम लोग" नामक धारावाहिक कार्यक्रम के 5-8-1985 तक कुल 119 एपीसोड टेलीकास्ट किए जा चुके थे। इस धारावाहिक कार्यक्रम के कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है।

मैसर्स टाइम एण्ड स्पेस वीडियो कम्यूनिकेशन ने इस धारावाहिक कार्यक्रम का निर्माण करने तथा इसे दूरदर्शन पर प्रायोजित करवाने की पेशकश की। दूरदर्शन कार्यक्रमों के वास्तविक निर्माण में शामिल नहीं है तथा उसने इस धारावाहिक कार्यक्रम के निर्माण पर कोई व्यय नहीं किया है।

(ख) जुलाई, 1985 के आरम्भ में दिल्ली में किए गए दर्शक अनुसंधान सर्वेक्षण से यह प्रकट हुआ है कि इस धारावाहिक कार्यक्रम का अवलोकन शत-प्रतिशत था।

(ग) प्रायोजक दूरदर्शन को टेलीकास्ट शुल्क के रूप में 35,000 रुपए प्रति एपीसोड अदा करते हैं। इस धारावाहिक कार्यक्रम के टेलीकास्ट से 5-8-1985 तक दूरदर्शन का कुल राजस्व 41.61 लाख रुपए होगा। इस धारावाहिक कार्यक्रम को समय-समय पर मैसर्स कोलगेट पामोलिव, फूड स्पेशलिस्टीज लि०, तथा रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०, द्वारा प्रायोजित किया गया है।

(घ) दूरदर्शन, केवल कार्यक्रम की विषय वस्तु पर एक एकजीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो श्रेणी-1 के वरिष्ठ अधिकारी हैं, के माध्यम से पर्यावेक्षी नियंत्रण रखता है। इस प्रयोजन के लिए प्रायोजकों द्वारा उसे कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

(ङ) इस धारावाहिक कार्यक्रम के कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए क्षेत्रों का पता करना

1943. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का चयन करने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या भारतीय मत्स्य उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने तथा मत्स्य पोत के खड़े होने के लिए उपयुक्त सुविधाओं, शीतागारों और नीलामी सेवाओं जैसी आवश्यक धार आ-भूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है ; और

(घ) इस कार्यक्रम में बंगाल की खाड़ी मत्स्य क्षेत्र में भाग लेने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण ने 40 फैदम की गहराई तक पानी के तल में मात्स्यकी के संसाधनों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। कुछ क्षेत्रों में अर्थात् वेज बैंक, मनार की खाड़ी तथा केरल और कर्नाटक से समुद्र तट से दूर के क्षेत्र, पानी के तल में मात्स्यकी के संसाधनों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी आन्ध्रप्रदेश तथा गुजरात के समुद्र तट से दूर के क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। गोआ, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तरी आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के समुद्र तट से दूर के क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है। सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया गया है। वेज बैंक के मात्स्यकी सम्बन्धी चार्ट को प्रकाशित किया गया है। गहरे समुद्र के संसाधनों के सर्वेक्षण के परिणामों को बुलेटिनों, समाचारों आदि के रूप में प्रकाशित किया गया है।

(ग) भारतीय मत्स्य उद्योग की आवश्यकतों को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों की योजना तैयार की जाती है। सलाहकार दल, जिसमें भारतीय मत्स्य उद्योग के निजी क्षेत्र के प्रति-

निधि भी शामिल है, द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा अवसंरचनात्मक सुविधाओं को जुटाने में निजी क्षेत्र को भाग लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है।

(घ) किसी भी कंपनी ने बंगाल की खाड़ी के मत्स्य क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का प्रस्ताव नहीं किया है।

दूरदर्शन द्वारा दूरदर्शन प्रसारण कार्यक्रमों का चयन

1944. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन अपने प्रायोजित कार्यक्रमों को स्पष्ट ही निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए बना रहा है ;

(ख) क्या प्रायोजित वाणिज्यिक कार्यक्रमों के चयन के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या शुल्क लगाया जाता है ;

(घ) क्या दर्शकों ने अपनी आशंका प्रकट की है कि यह कार्यक्रम संभ्रांत वर्ग और उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा देंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार कार्यक्रमों के चयन के लिए एक संतुलित और निष्पक्ष नीति तैयार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जी, हां। दूरदर्शन को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव पर सर्वप्रथम विचार विषय और कार्यक्रम के प्रतिपादन को अनुमोदित करने के लिए किया जाता है। इसके अनुमोदित हो जाने पर, निर्माता द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम का पाइलट प्रस्तुत किया जाना होता है, जिसका महानिदेशक, दूरदर्शन, उप महानिदेशक दूरदर्शन तथा दूरदर्शन महानिदेशालय के सम्बन्धित कार्यक्रम नियंत्रकों की एक समिति द्वारा प्रिव्यू किया जाता है। यदि पाइलट को समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो निर्माता को धारावाहिक कार्यक्रम बनाने की अनुमति दे दी जाती है। उससे धारावाहिक कार्यक्रम का स्तर बनाए रखने की उम्मीद भी की जाती है। कार्यक्रमों को आमतौर पर वास्तविक गुणों के आधार पर स्वीकार किया जाता है और वे दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से विनियमित होते हैं। दूरदर्शन पर कार्यक्रमों के प्रयोजन की दरें परिशिष्ट में दी गई हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

कार्यक्रम श्रेणी	दिल्ली/मसूरी/जयपुर रामपुर/मुजफ्फरपुर अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर	बम्बई, पुणे पणजी	कलकत्ता, मद्रास, जालंधर/अमृतसर	लखनऊ/कानपुर/ हैदराबाद बंगलौर	श्रीनगर	राष्ट्रीय संजाल
	1	2	3	4	5	6
दूरदर्शन के प्रायोजित कार्यक्रम						
सुपर "ए" स्पेशल	37,500	25,000	12,500	10,000	10,000	1,25,000
सुपर "ए"	30,000	20,000	10,000	7,500	7,500	1,00,000
"ए"	18,000	9,600	6,000	4,000	4,000	60,000
"बी"	12,000	6,400	4,000	3,000	3,000	40,000
"सी"	6,000	3.200	2,000	1,600	1,600	20,000
प्रायोजकों द्वारा निर्मित प्रायोजित कार्यक्रम						
2 मिनट के निःशुल्क समय के साथ 30/25 मिनट	10,000	6,000	5,000	5,000	5,000	35,000
1 मिनट के निःशुल्क समय के साथ 15/12-1/2 मिनट	6,000	4,000	3,000	3,000	3,000	21,000

	1	2	3	4	5	6
प्रायोजकों द्वारा आयातित प्रायोजित कार्यक्रम						
40 सैकेंड निःशुल्क विज्ञापन समय के साथ 30 मिनट	40,000	25,000	12,000	7,500	7,500	1,10,000
20 सैकेंड निःशुल्क विज्ञापन समय के साथ 15 मिनट	20,000	12,500	6,250	3,750	3,750	55,000

विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम बनाना

1945. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की पहल पर उड़ीसा सहित पूर्वी राज्यों में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम बनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उड़ीसा राज्य में इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप अभी तक कितनी सफलता प्राप्त की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम 417 चुनींदा खण्डों में असम (27), बिहार (118), मध्यप्रदेश (40), उड़ीसा (63), उत्तरप्रदेश (102) और पश्चिम बंगाल (67) राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल वित्तीय परिव्यय (भारत सरकार का शेयर) 20 करोड़ रुपए है। 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता असम के लिए 135 लाख रुपए, बिहार के लिए 348.10 लाख रुपए, मध्यप्रदेश के लिए 200 लाख रुपए, उड़ीसा के लिए 315 लाख रुपए, उत्तरप्रदेश के लिए 420.60 लाख रुपए और पश्चिम बंगाल के लिए 335 लाख रुपए है।

(घ) विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम केवल चालू वर्ष से ही क्रियान्वित किया जा रहा है। तथापि, 1984-85 के दौरान उड़ीसा के सात ब्लाकों में क्रियान्वित की गई चावल मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जिनमें साहाय्य मूल्यों पर आदानों की आपूर्ति, राजसहायता के साथ फार्म उपस्करों की बिक्री, प्रदर्शन प्रशिक्षण, गहन विस्तार कार्य और कृमि तथा रोग नियंत्रण कार्य शामिल थे। इसके लिए 9.43 लाख रुपए प्रति ब्लाक की दर से 66.01 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता पर आधारित है।

विवरण

1985-86 के दौरान 6 पूर्वी राज्यों में क्रियान्वित किए जा रहे विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

1. विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम असम, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के 417 चुनींदा ब्लाकों में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।
2. इसका उद्देश्य ब्लाक स्तर पर चावल उत्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।
3. इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय परिव्यय को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

4. राज्य सरकारों को धनराशि को एक मद से दूसरे मद पर खर्च करने की छूट होगी ।

5. इस कार्यक्रम के तहत फार्म स्तर की राजसहायता की इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि राजसहायता का 60 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को मिले ।

6. चूंकि एक ही राज्य में एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में भिन्न-भिन्न बाधाएं आती हैं, अतः अपनाई जाने वाली नीति भी भिन्न-भिन्न होगी ।

7. आवश्यक आदानों जैसे गुणवत्ता बीजों, उर्वरकों, कीटनाशी दवाओं, पौद संरक्षण उपस्करों, फार्म उपकरणों की आपूर्ति में सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे और अन्यअवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाएगा । इसके अतिरिक्त दीर्घ-कालीन कार्य जैसे सिंचाई सुविधाओं का विकास, निकास नालियों का सुधार आदि कार्य भी आरम्भ किए जाएंगे ।

8. प्रौद्योगिकी के शीघ्र अंतरण के लिए खेत मजदूरों सहित विस्तार कर्मचारियों और किसानों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।

9. दीर्घकालिक सुधार कार्यक्रम जैसे सिंचाई नालियों का निर्माण, निकास नालियों का सुधार, भूमिगत जल का दोहन और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं इत्यादि का विकास शुरू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू करने के लिए ग्रामीण भूमिहीन व्यक्ति, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम आदि जैसी योजनाओं के तहत उपलब्ध सहायता का भी उपयोग किया जाएगा ।

देश में कृषि विज्ञान केन्द्र

1946. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित किए गए कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का, देश के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जाएगा ; और

(घ) वैज्ञानिक ढंग से कृषि को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) अभी तक देश में 89 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है ।

(ख) जी हां, श्रीमान । सरकार का लक्ष्य देश के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना है ।

(ग) देश के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का चरणबद्ध रूप में किया जाएगा जो कि संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

(घ) अनेक दूसरी प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण प्रायोजनाएं यानी, राष्ट्रीय प्रदर्शन, परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाएं, प्रयोगशाला से खेत तक एवं अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उत्थान की अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना आदि का कार्यान्वयन भा०कृ० अ० प० द्वारा किया जा रहा है जिससे कि देश में वैज्ञानिक कृषि को बढ़ाया जा सके । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन प्रायोजनाओं को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली के लिए नई वृहत योजना

1947. **श्री के० प्रधानी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के लिए कोई वृहत्त योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली की वृहत योजना में क्या परिवर्तन किए गए हैं ;

(ग) नई वृहत योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाये गए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां। दिल्ली के लिए वृहद् योजना 1962 से चालू है।

(ख) से (घ). दिल्ली के लिए वृहद् योजना का परिप्रेक्ष्य 2001 वर्ष तक ध्यान में रखते हुए विस्तृत रूप से संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आपत्तियां/सुझाव आमन्त्रित करते हुए 6-4-85 को संशोधित प्रस्ताव प्रकाशित किए थे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रस्तावित संशोधनों और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत आपत्तियों/सुझावों पर कार्यवाही कर रहा है। इसमें कुछ महीनों का समय लगेगा।

विकास कार्यक्रमों के लिए गेहूं खरीदने के लिए राज्यों से अनुरोध

1948. **श्री के० प्रधानी :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं का कुल कितना भण्डार है ;

(ख) क्या गेहूं के भण्डार को निकालने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से गेहूं खरीदने और उसे सड़क निर्माण सिंचाई कार्यों आदि जैसे विकास कार्यक्रमों में लगे श्रमिकों में सप्लाई करने का अनुरोध किया है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई की जाने वाली गेहूं की मात्रा में भी वृद्धि की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों, विशेषकर उड़ीसा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 30-6-85 तक 19.50 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का भण्डार था जिसमें से 12.54 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्न गेहूं के रूप में था।

(ख) गेहूं के भण्डार की वर्तमान उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्यों को उनकी इच्छा पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को प्रति श्रमदिन 2 किलोग्राम खाद्यान्नों की दर से खाद्यान्न वितरित करने की अनुमति दी गयी है, अतिरिक्त एक किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं के रूप में होगा। फालतू गेहूं का उपयोग करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में और वृद्धि करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) अब तक, केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त खाद्यान्नों की मांग की है। इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के वितरण केन्द्रों में कूपन प्रणाली लागू किया जाना

1949. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सिक्कों की कमी के कारण दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के वितरण केन्द्रों पर उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ता है ;

(ख) क्या इन वितरण केन्द्रों पर कूपन प्रणाली आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) मदर डेयरी ने बताया है कि उनके बूथों के बारे में ऐसी कोई शिकायतें नहीं हुई हैं। दिल्ली दुग्ध योजना के प्राधिकारियों को उपभोक्ताओं से ऐसी कुछ-एक शिकायतें मिली हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना का डिपो स्टाफ सिक्कों की कमी के कारण काफी सिक्के नहीं लौटाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

1950. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार 31 मार्च, 1985 तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की संख्या कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य-वार कितने नये गोदाम खोले गए ; और

(ग) बिहार में ऐसे कितने गोदाम हैं और उनकी भण्डारण क्षमता कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के बिहार में 31-3-85 तक दोनों तरह के अपने और किराये के गोदामों की संख्या 87 थी और उनकी कुल भण्डारण क्षमता 6.46 लाख मीटरी टन थी।

विवरण

क्रम० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31-3-1985 को भा० खा० नि० के पास गोदामों की संख्या	1984-85 के दौरान भा० खा० नि० द्वारा खोले गए गोदामों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	46	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	141	—

1	2	3	4
3.	बिहार	87	—
4.	गुजरात	40	13
5.	हरियाणा	149	59
6.	हिमाचल प्रदेश	14	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	7	—
8.	कर्नाटक	47	—
9.	केरल	37	—
10.	मध्य प्रदेश	270	26
11.	महाराष्ट्र	34	1
12.	मेघालय	4	—
13.	मणिपुर	4	—
14.	नागालैंड	4	—
15.	उड़ीसा	50	2
16.	पंजाब	345	90
17.	राजस्थान	129	15
18.	सिक्किम	2	—
19.	तमिलनाडु	89	4
20.	त्रिपुरा	7	—
21.	उत्तर प्रदेश	263	66
22.	पश्चिमी बंगाल	248	3
23.	दिल्ली	4	—
24.	गोआ	1	—
25.	मिजोरम	2	—
26.	पांडिचेरी	1	—
	जोड़ :	2025	280

[हिन्दी]

राज्यों में बीड़ी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

1951. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस राज्य द्वारा जून, 1985 तक बीड़ी श्रमिकों के लिए क्या-क्या न्यूनतम वेतन निर्धारित थे ;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो श्रमिकों को संशोधित वेतन की अदायगी नहीं कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों ने मनमाने ढंग से भिन्न-भिन्न मजूरी दरें निर्धारित की हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बीड़ी श्रमिकों के लिए एक समान वेतन लागू करने के लिए लम्बे अर्से से मांग की जाती रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक समान वेतन निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथाशीघ्र लोक सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) हालांकि वैयक्तिक नियोजकों के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी को लागू न करने के बारे में शिकायतें हो सकती हैं लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि राज्य संशोधित मजदूरी की अदायगी नहीं कर रहे हैं।

(ग) किसी राज्य द्वारा मनमाने ढंग से भिन्न-भिन्न मजदूरी दरों को निर्धारित करने का कोई विशेष मामला श्रम मन्त्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है। राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित पद्धति को अपनाएं।

(घ) जी, हां।

(ङ) वैसे तो सभी न्यूनतम मजदूरी दरों में लेकिन खासकर बीड़ी उद्योग में इन दरों में एक समानता रखने के प्रश्न पर कई बैठकों में चर्चा हुई। मजदूरी दरों में एक समानता रखने के सामान्य प्रश्न पर जुलाई, 1980 में हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन के 31वें अधिवेशन में चर्चा हुई। सम्मेलन में यह सहमति हुई कि हालांकि पूर्ण एक समानता सम्भव नहीं है, लेकिन पड़ोसी राज्यों द्वारा निर्धारित मजदूरी दरों में बहुत अधिक भिन्नता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उद्योग एक राज्य में जाकर स्थापित हो सकते हैं। तदनुसार, सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करते समय, निर्धारित मजदूरी से अन्य राज्यों में, खासकर पड़ोसी राज्यों में, अन्य उद्योग पर पड़ सकने वाले असर को उचित महत्व दिया जाए। इस प्रश्न पर और खासकर बीड़ी उद्योग की स्थिति पर, सम्बन्धित राज्य सरकारों के श्रम मन्त्रियों की सितम्बर, 1981 में हुई बैठक में पुनः चर्चा हुई और विषमताओं को कम करने के लिए कई सिफारिशें की गई।

अभी हाल ही में, मई, 1985 में हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन के 35वें अधिवेशन ने भी सिफारिश

की कि जब दो या दो से अधिक राज्यों में फैले हुए किसी विशेष अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित मजदूरी दरों में काफी भिन्नता हो, तो उस विषमता को कम करने के लिए सभी संबंधितों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिएं। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित का सामान्य प्रश्न, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी दरों में भिन्नता से संबंधित प्रश्न भी आता है, इस समय श्रम मंत्री सम्मेलन (मई, 1985) के 35 वें अधिवेशन द्वारा गठित मंत्रियों के एक दल के विचाराधीन है।

कारखाना मालिकों द्वारा बीड़ी कामगारों को सेवा कार्ड जारी करना

1952. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान बीड़ी कामगारों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) क्या बेरोजगारी की समस्या के कारण हर वर्ष बीड़ी कामगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ग) देश में उन राज्यों के नाम तथा संख्या कितनी है जहां कारखाना मालिकों द्वारा बीड़ी कामगारों को सेवा कार्ड जारी किए जाते हैं तथा ऐसे कामगारों की राज्यवार संख्या क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कारखाना मालिकों द्वारा बीड़ी कामगारों को अनिवार्य रूप से सेवा कार्ड जारी करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख). बीड़ी श्रमिकों के बारे में सूचित की गई वर्तमान राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण-एक संलग्न है। वर्ष 1981 में श्रमिकों की संख्या 30.96 लाख थी जो बढ़कर वर्ष 1985 में 32.10 लाख हो गई।

(ग) पहचान-पत्र न केवल नियोजकों बल्कि कल्याण संगठन तथा राज्य प्राधिकरणों द्वारा भी जारी किए जाते हैं। जारी किए गए पहचान-पत्रों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण दो में दी गई हैं।

(घ) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1978 के अधीन नियोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कर्मचारियों को पहचान-पत्र जारी करें।

विवरण एक

विभिन्न राज्यों में बीड़ी श्रमिकों की संख्या

	(लाखों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	2.50
2 बिहार	3.50
3. गुजरात	0.50
4. कर्नाटक	3.00
5. केरल	1.50
6. मध्य प्रदेश	5.00
7. महाराष्ट्र	2.50

8.	उड़ीसा	1.60
9.	राजस्थान	1.00
10.	तमिलनाडु	2·00
11.	उत्तर प्रदेश	4.50
12.	पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय	4.50
	कुल :	32.10

विवरण दो

बोड़ी श्रमिकों को जारी किए गए पहचान पत्रों की संख्या

	(लाखों में)
(क) कर्नाटक	2 58
(ख) केरल	0.48
(ग) उड़ीसा	0.57
(घ) पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा	0.15
(ङ) राजस्थान और गुजरात	0.63
(च) आन्ध्र प्रदेश	1.15
(छ) तमिलनाड़	0.86
(ज) उत्तर प्रदेश	0.78
(झ) बिहार	0.90
(ञ) महाराष्ट्र	0.56
(ट) मध्य प्रदेश	2.70
कुल :	11.36

बिहार में पेय जल का अभाव

1953. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष पटना सहित बिहार राज्य के लगभग सभी शहर और बड़ी संख्या में गांव पेय जल के अत्यधिक अभाव से प्रभावित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने उक्त समस्या के समाधान के लिए राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने पटना में पेयजल की कमी के समाधान के लिए एक योजना भेजी है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) इस मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, सामान्य त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान बिहार को समस्याग्रस्त ग्रामों के लाभान्वयन के लिए 455 लाख रुपये की राशि का केन्द्रीय अनुदान दिया गया है।

(घ) से (च). राज्य सरकार ने 102.05 करोड़ रुपये की लागत से पटना, रांची तथा धनबाद "झरिया तीन नगरों में जलपूर्ति बढ़ाने के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है तथा इस परियोजना के निष्पादन के लिए विश्व बैंक सहायता मांगी है। रिपोर्ट फिलहाल विश्व बैंक के विचाराधीन है। बिहार सरकार को योजना में पर्याप्त बजट प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

फसल पद्धति में विविधता

1954. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में वर्तमान फसल पद्धति में विविधता लाने की अपनी नीति की पुनरीक्षा की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी मार्गनिदेश क्या हैं ;

(ख) सफल पद्धति में विविधता लाने के मामले में छठी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों के निष्पादन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में इसके क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सरकार समय-समय पर मौजूदा सस्य प्रतिमानों को परिवर्तित करने की अपनी नीति की संवीक्षा करती रही है। इस सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ-साथ जारी किए गए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :

(1) विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों में अधिक सक्षम फसलों को शुरू करना ;

(2) सिंचित परिस्थितियों में दलहनों और तिलहनों के तहत् क्षेत्र बढ़ाया जाना तथा अन्तर्वर्ती फसल के रूप में गर्मी के मौसम में मूंग की शीघ्र पकने वाली किस्मों की खेती करना ; और

(3) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-परम्परागत फसलों की खेती शुरू करना।

(ख) छठी योजना के दौरान निम्नलिखित प्रवृतियां देखी गई हैं :

(1) **चावल :** आन्ध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में इसके तहत क्षेत्र में वृद्धि ; तमिलनाडु में क्षेत्र में ह्रास तथा बिहार और कर्नाटक में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है।

(2) **गेहूं :** पश्चिम बंगाल के राज्य के अलावा जहां गेहूं के क्षेत्र में कमी होने की प्रवृत्ति देखी गई है, गेहूं उत्पादक सभी राज्यों में क्षेत्र के विस्तार की प्रवृत्ति देखी गई है।

(3) **मोटे आनाज :** गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान राज्य में इसके क्षेत्र में विस्तार हुआ है ; आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में कमी आने की प्रवृत्ति देखी गई है तथा बाकी राज्यों मे उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है।

(4) **दलहन :** बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर जहां दलहनों के क्षेत्र में कमी आने की प्रवृत्ति देखी गई है, दलहन उत्पादक सभी मुख्य राज्यों में क्षेत्र का विस्तार किए जाने की प्रवृत्ति देखी गई है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में वर्ष-दर-वर्ष क्षेत्र में उतार-चढ़ाव आता रहा है।

(5) **मूंगफली :** तभी मुख्य उत्पादक राज्यों में इसके क्षेत्र में थोड़ी बढ़ोतरी होने की प्रवृत्ति आई है।

(6) **तोरिया और सरसों :** मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका क्षेत्र बढ़ाए जाने की प्रवृत्ति देखी गई है। उत्तर प्रदेश में इसके क्षेत्र में मामूली कमी आई है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सस्य-प्रतिमानों में आए परिवर्तनों का विवरण नीचे दिया गया है :

(लाख हैक्टार)

फसल	1979-80 में क्षेत्र (आधार वर्ष)	1983-84 में क्षेत्र
चावल	41.17	42.64
गेहूं	0.51	0.64
मोटे आनाज	6.36	6.88
दलहन	16.51	16.95
कुल खाद्यान्न	64.55	68.10
मूंगफली	1.75	2.79
तोरिया और सरसों	1.45	1.33

नीदरलैंड से भारत को गायों का निर्यात

1955. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीदरलैंड भारत को गायों का निर्यात करने लिए सहमत हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इन गायों को कहां रखा जाएगा तथा इनके कब तक पहुंचने की सम्भावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) मन्त्रालय को नीदरलैंड सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

विजय मण्डल एन्क्लेव और ईस्ट कैलाश में स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन

1956. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** विजय मंडल इन्कलेव और ईस्ट कैलास में स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन के बारे में 13 अगस्त, 1984 और 13 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 और 6175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत विजय मण्डल एन्कलेव श्रेणी-2 के फ्लैट आवंटियों को देने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं जिसकी वजह से आबंटियों को कठिनाई हो रही है ;

(ग) सरकार ने इन फ्लैटों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) आबंटियों को ये फ्लैट कब तक दे दिए जाएंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (घ). स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विजय मण्डल एन्कलेव में श्रेणी-II के फ्लैटों को जून, 1985 तक पूर्ण करने की योजना थी। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अथक प्रयासों के बावजूद निम्नलिखित कारणों से ये पूर्ण नहीं किया जा सके :

(1) भूमि की अनुपलब्धता

(2) उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश

(3) सामग्री की कमी।

ये कठिनाइयां अब कुल मिलाकर दूर हो गई हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यथा संभव शीघ्र इन मकानों के निर्माण को पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं।

मैसर्स कान्टीनेन्टल कार्मशियल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा भुगतान की गयी भविष्य निधि

1957. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कान्टीनेन्टल कार्मशियल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली और देश भर में इस कम्पनी की शाखाओं में इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) मैसर्स कान्टीनेन्टल कार्मशियल (प्राइवेट) लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को भविष्य निधि और बीमा की कितनी राशि अदा की थी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) भविष्य निधि प्राधिकरणों के अनुसार, मैसर्स कान्टीनेन्टल कर्मशियल कम्पनी, नई दिल्ली में और इसकी शाखाओं में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या 295 है।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	अदा की गई भविष्य निधि अंशदान राशि	बीमा (कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा)
1981-82	23,988.75 रुपये	8,783.25 रुपये
1982-83	3,08,460.50 रुपये	10,526.00 रुपये
1983-84	3,27,294.00 रुपये	11,170.25 रुपये

नेशनल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव फेडरेशन की पूंजी का अवरुद्ध होना

1958. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव फेडरेशन की समस्त शेयर पूंजी, रिजर्व और फालतू निधियां अनुत्पादक परिसम्पत्तियों में अवरुद्ध हो गई हैं और नकद पूंजी की स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है ;

(ख) क्या एन० सी० सी० एफ० को इसके कारण बैंक से उधार लेने पर निर्भर रहना पड़ रहा है ;

(ग) क्या भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा जून में प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट की जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ). 30 जून, 1984 को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की निजी निधियां, जिनमें अंश पूंजी, आरक्षित निधियां तथा अधिशेष शामिल हैं, 458.67 लाख रुपये थीं। 123.31 लाख रुपये का निवेश स्थायी परिसम्पत्तियों में किया गया है। 335.36 लाख रुपये की बकाया राशि का प्रयोग कार्यकर पूंजी के

रूप में किया गया है। 30 जून, 1985 को 342.38 लाख रुपये की कुल राशि एक वर्ष से अधिक समय से विविध-ऋण के रूप में रुकी पड़ी है। इसके परिणामस्वरूप नकदी की स्थिति कठिन हो गई है और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड को बैंक-ऋणों पर निर्भर करना पड़ा है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव की निरीक्षण रिपोर्ट पर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा विचार किया जा रहा है। निरीक्षण रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें ये हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को एक स्पष्ट क्रय नीति तैयार करनी चाहिए और व्यापक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षेत्रीय तथा शाखा स्तरों पर कार्य कर रहे अधिकारियों को प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करनी चाहिए तथा एक उपयुक्त ऋण नीति तैयार करनी चाहिए, जिसमें व्यापार को आगे बढ़ाने तथा तुरन्त वसूली सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश किए गए हों। रिपोर्ट में कार्मिक नीति को सुप्रवाही बनाने तथा पदों के सृजन के लिए उपयुक्त प्रतिमान बनाने की भी सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को काफी समय से बकाया पड़ी राशि की वसूली के लिए तुरन्त उपाय करने चाहिए।

ग्रामीण भूमिहीन निर्धन लोगों के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

1959. **श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध राशि में से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकारी भूमि में पेड़ लगाने वाले निर्धन व्यक्तियों को उन पेड़ों के फल और पत्ते-पत्तियां लेने का अधिकार देने का निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ). राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए आबंटित 20 प्रतिशत निधियां सामाजिक-वानिकी के कार्यों के लिए निर्धारित हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामाजिक-वानिकी के कार्य साधारणतया सरकारी या सामुदायिक भूमि पर किए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी योजना के लिए जारी की गई मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे इस योजना के अन्तर्गत रोपे गए वृक्षों को लक्षित वर्ग के परिवारों के लोगों को वृक्षों का रख-रखाव और उनकी सुरक्षा करने के लिए मजदूरी प्रदान किए जाने के आधार पर आबंटित करने पर विचार करें। लाभार्थियों को आबंटित वृक्षों के उपभोग का अधिकार भी दिया जा सकता है।

नई दिल्ली में बंगलों/फ्लैटों को गिराना

1960. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में संसद सदस्यों को आबंटित बंगलों/फ्लैटों सहित कितने पुराने बंगलों/फ्लैटों को गिराया जा रहा है ;

(ख) इस प्रकार रिक्त हुई भूमि का क्या उपयोग किए जाने का विचार है ; क्या पुराने भवनों के स्थान पर नई बहुमंजली इमारतें बनाई जाएंगी ; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है और उनसे अनुमानतः कितना अतिरिक्त लाभ होगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश गृह

1961. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न पर्वतीय स्थलों/महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में अवकाशगृह बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्तमान अवकाश गृहों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). निम्नलिखित शहरों में "हाली डे होम" स्थापित कराने के प्रस्तावों पर सरकार का ध्यान है :

(i) पुरी
(ii) गोवा (पणजी)
(iii) दार्जिलिंग
(iv) वाराणसी
(v) श्रीनगर

(ग) निर्माण और आवास मन्त्रालय के अन्तर्गत "हाली डे होम" निम्नलिखित शहरों में उपलब्ध है :

(i) शिमला
(ii) मसूरी
(iii) कन्याकुमारी

सरकारी कार्यालयों को नागपुर ले जाना

1962. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी कार्यालयों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए सरकार का विचार कुछ कार्यालयों को नागपुर (महाराष्ट्र) स्थानान्तरित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली में स्थिति केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को नागपुर सहित दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

(ख) और (ग). इस स्थिति में विस्तृत सूचना देना तथा यह बताना कि अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा, सम्भव नहीं है।

चीनी के उत्पादन और मांग के बीच अन्तर

1964. **श्री अजय विश्वास : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में चीनी के उत्पादन और मांग के बीच वर्षवार कितना अन्तर था ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी भूमि में गन्ने की खेती की गई और उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) चीनी वर्ष 1980-81 और उससे आगे चीनी के उत्पादन और आन्तरिक खपत के आंकड़ें निम्नानुसार हैं :

(लाख मीटरी टन)

चीनी वर्ष	चीनी का उत्पादन	आन्तरिक खपत
1980-81	51.48	49.90
1981-82	84.38	57.11
1982-83	82.32	64.79
1983-84	59.16	75.70
1984-85 (अनुमानित)	61.00	81.75

किसी वर्ष विशेष में आन्तरिक खपत के लिए चीनी की मांग/आवश्यकता को उस वर्ष विशेष के दौरान चीनी के उत्पादन और वर्ष के आरम्भ में चीनी के पिछले बचे स्टाक से पूरा किया जाता है। इसके अलावा, कुछेक वर्षों में आन्तरिक खपत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयातित चीनी का भी उपयोग किया गया है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र, प्रति हैक्टर उपज और गन्ने के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :

चीनी वर्ष	गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र (मिलियन हैक्टर में)	प्रति हैक्टर उपज (मीटरी टन)	गन्ने का उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)
1980-81	2.67	57.84	154.25
1981-82	3.19	58.36	186.36
1982-83	3.36	56.44	189.51
1983-84	3.17	55.90	177.02
1984-85 (अनुमानित)	2.92	59.93	175.00

कामगारों की भविष्य निधि

1965. **श्री नारायण चौबे :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता की 6 जुलाई, 1985 की "आनन्द बाजार" पत्रिका में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पश्चिम बंगाल के चाय उगाने वाले कामगारों को उनकी भविष्य निधि नहीं मिल रही है ;

(ख) क्या सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं कि पश्चिम बंगाल की श्री हनुमान स्टील इंडस्ट्री, खड़गपुर के कामगारों को अपनी भविष्य निधि (लेखा सं० प० ब०/15916 ग्रुप-23 ख) के बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही है ;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि कलकत्ता में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में भ्रष्टाचार तथा कदाचार व्याप्त है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का विचार कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां। तथापि यह कहना सच नहीं है कि चाय बागान श्रमिकों को भविष्य निधि की राशि नहीं मिल रही है। भविष्य निधि प्राधिकरणों के अनुसार, निधि छोड़कर जाने वाले सदस्यों के दवाओं का शीघ्र भुगतान कर दिया जाता है बशर्ते कि प्राप्त हुए दावा पत्र हर तरह से पूर्ण हों।

(ख) जी, हां। यह सूचित किया गया है कि वर्ष 1980-81 के लिए वार्षिक लेखा स्लिपें 19-4-1985 को दे दी गई हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाद के वर्षों के लिए भी लेखा स्लिपें जारी करें।

(ग) और (घ). दावों का निपटारा न करने, लेखों को हस्तांतरित करने में देरी आदि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दावों का शीघ्र भुगतान करने और लेखों को हस्तांतरित करने के लिए सभी सम्भव उपाय करें।

गैस के नकली उपकरण

1966. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है कि दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में गैस के बहुत से नकली उपकरण पकड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार गैस के नकली उपकरण बनाने वालों के विरुद्ध व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 78-79 के अन्तर्गत क्या कार्यवाही करने का है ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और गैस के नकली उपकरणों और पकड़े गए आपत्तिजनक दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने न्यायालय के आदेशों के तहत 25-4-85 को दिल्ली में तीन अलग-अलग स्थानों पर छापे मारे थे। पुलिस द्वारा जब्त किया गया माल सम्बन्धित पुलिस स्टेशन के मालखाने में जमा करा दिया गया था तथा इस सम्बन्ध में अनुपालन रिपोर्ट सम्बन्धित

न्यायालय को, व्यापार तथा पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 के तहत आगे कानूनी कार्यवाही करने के लिए, भेज दी गई थी।

(ग) चूंकि यह अपराध असंज्ञेय स्वरूप का है, अतः पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी। पुलिस द्वारा जब्त किए गए जाली गैस उपकरणों तथा अभिशंसी (इन्क्रिमिनेटिंग) कागजात की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) नकली व्यापार चिह्न का प्रयोग करने तथा नकली चिह्नों वाली वस्तुएं बेचने पर व्यापार तथा पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 में पर्याप्त दाण्डिक व्यवस्थाएं हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में भी इन कार्यों से निपटने के लिए प्रावधान है। उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करके उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को अनुदान सहायता मुहैया की जाती है।

विवरण

दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए गैस-उपकरणों तथा अभिशंसी (इनक्रिमिनेटिंग) कागजात की सूची

क्रम सं०	स्थान जहां छापा मारा गया	जब्त की गई वस्तुएं
1	2	3
1.	सी-54, महिन्द्रा एंक्लेव, जी० टी० करनाल रोड, पुलिस स्टेशन, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली	(1) सुपर फ्लेम क्रोमियम प्लेटिड प्रीमियम माडल के 11 पूरे सैट।
		(2) बिना बर्नर वाले प्रीमियम माडल गैस स्टोव की 15 बाडियां।
		(3) ग्लैक्स माडल गैस स्टोव के दो पूरे सैट।
		(4) सुपर फ्लेम प्रीमियम माडल के 170 कार्टन।
		(5) प्रीमियम माडल के लिए सामने की 235 सुपर फ्लेम नाम की प्लेटें।
		(6) सुपर फ्लेम गैस स्टोव की 255 स्पेसीफिकेशन प्लेटें।
		(7) सुपर फ्लेम गैस स्टोव की 200 प्लास्टिक सीलें।
		(8) सुपर फ्लेम गैस स्टोव की 63 पार्किंग स्टेप्स।
		(9) 8 गारण्टी कार्ड।
		(10) गैलैक्स माडल एस० फ्लेम की 70 नाम प्लेटें।
2.	मैसर्स, भटनागर ब्रदर्स ई/2, डी० ए० डी फ्लैट्स माडल टाउन, दिल्ली.	(1) कार्टन सहित क्रोमियम प्लेटेड प्रिमियम माडल के दो अदद।
		(2) बिना बर्नर के 3 सुपर क्रोमियम प्लेट्स गैलैक्स माडल।

1	2	3
		(3) पेन्ट किया हुआ 1 माडल—सुपर फ्लेम गैलैक्स माडल ।
		(4) सुपर फ्लेम के 26 स्पेसीफिकेशन लेबल ।
		(5) सुपर फ्लेम फ्रंट प्लेट—एक अदद
		(6) सुपर फ्लेम के 4 पाइन्टेड कार्टन ।
3.	केशव गर्ग, 7 साहीपुर गांव, पुलिस स्टेशन, आदर्श नगर, दिल्ली	(1) बिना कार्टन के 25 सुपर फ्लेम गैस स्टोव प्रीमियम माडल ।
		(2) कार्टन सहित 5 सुपर फ्लेम प्रीमियम माडल क्रोमियम प्लेटेड ।
		(3) 25 सुपरफ्लेम कार्टन प्रीमियम माडल ।
		(4) 63 सुपरफ्लेम गारंटी कार्ड ।
		(5) सुपरफ्लेम के 69 निर्देश कार्ड ।
		(6) सुपरफ्लेम की 7 पैकिंग स्लिपें ।
		(7) प्रीमियम माडल के 29 नेमप्लेट फ्रंट ।
		(8) सुपरफ्लेम गैस स्टोव की 5 गिअर नाम प्लेटें ।

फ्लैटों के निर्माण के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों पर समय सीमा प्रतिबन्ध

1967. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भूमि आबंटित की गई थी ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को किन स्थानों पर भूमि आवंटित की गई ;

(ग) क्या कुछ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को दक्षिण दिल्ली में भूमि आवंटित की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को आवंटित भूमि पर अपने फ्लैट बनाने के लिए कोई समय सीमा प्रतिबन्ध लगाये हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) नामों की तीन सूचियां विवरण एक, दो और तीन के रूप में संलग्न हैं ।

(ख) निम्नलिखित स्थानों में भूमि आवंटित की गई है :

(i) पीतम पुरा

(ii) रोहतक रोड

(iii) वोडेला

(iv) सी० बी० डी० शाहदरा

(v) गीता कालोनी

(vi) मयूर बिहार

(vi) मण्डावली फाजलपुर

(viii) चिल्ल/धालुपुर, तथा

(ix) रोहिणी

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भूमि का कब्जा दिए जाने की तारीख के दो वर्ष के भीतर समितियों को फ्लैटों का निर्माण पूरा करना अपेक्षित है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-एक

उन सहकारी ग्रुप आवास समितियों की सूची जिन्हें वर्ष 1982 के दौरान प्रथम बैच में आबंटन किया गया

क्र० सं०	समिति का नाम	क्र० सं०	समिति का नाम
1.	जीवन आनन्द	14.	जहाज
2.	लोक सभा सचिवालय	15.	वेनुस
3.	पोलीटेक्नीक स्टार्फ	16.	लिब्रल
4.	राज्य सभा सचिवालय	17.	डिफेंस
5.	जवाहर लाल	18.	महामानव
6.	त्रिवेणी	19.	विराट
7.	प्रगति	20.	नार्थ एण्ड
8.	मौसम	21.	सहृदय
9.	नव सेना	22.	विंध्याचल
10.	निर्माण	23.	लार्ड बुध
11.	जै शिव	24.	लैण्ड एण्ड हाउसिंग
12.	शिव विहार	25.	रक्षा कर्मचारी
13.	मधुर	26.	परमार्थ

क्र० सं०	समिति का नाम	क्र० सं०	समिति का नाम
27.	न्यू नालन्दा	56.	स्टेट स्वास्तिक
28.	आई० सी० एस० एस० आर०	57.	द वीर
29.	कृषि	58.	सहयोग
30.	गंगा	59.	एकता
31.	न्यू डिवलेपमेंट	60.	अमित
32.	एक्स साइन	61.	सुन्दर
33.	सूर्य किरण	62.	न्यू वीनस
34.	प्रिय सदन	63.	सन्त तुलसीदास
35.	सनराइज	64.	सुखधाम
36.	रावी	65.	मैत्री नगर
37.	रक्षा विकास	66.	गुरु
38.	जूपीटर	67.	कामधेनु
39.	लोक विहार	68.	आत्मबल्लभ
40.	ककातिया	69.	वीरपुरु
41.	नवशक्ति	70.	प्रिय
42.	पटेल	71.	आदर्श भवन
43.	दिल्ली यूनिवर्सिटी	72.	केदार
44.	विकाशील	73.	सुविधा
45.	साउथ इंडिया	74.	डी० एस० आई० डी० सी०
46.	सुनहरी बाग	75.	मिलसार
47.	यूनिख	76.	तलकाटंज
48.	लाल ज्योति	77.	ऐसोसिऐट कम्पनी
49.	श्री जगदम्बा	78.	सेन्ट्रल दिल्ली
50.	नवशक्ति सदन	79.	रोयल
51.	चेतक	80.	महेश्वरी
52.	ए० पी० एम० सी०	81.	वेलम्भ
53.	भाग्य लक्ष्मी	82.	लोकनायक
54.	न्यू यंगफ्रेंड्स	83.	विनोवा
55.	श्री साईं बाबा	84.	लक्री होम

क्र० सं०	समिति का नाम	क्र० सं०	समिति का नाम
85.	न्यू स्वास्तिक	114.	तहसील अलीपुर
86.	कला विआर	115.	सरस्वती
87.	घौलीधर	116.	रामाकृष्णा
88.	अगगोहा	117.	संस्कृत नगर
89.	कौशी होम	118.	श्री महावीर
90.	नीति	119.	न्यू माडर्न
91.	आई० बी० टी०	120.	प्रगतिशील
92.	तरुण सेवक	121.	सरस्वती इन्क्लेव
93.	आदर्श	122.	दिल्ली वाचडी जरर्स
94.	साकेत	123.	बसुन्धरा
95.	दिल्ली सिटीजन	124.	श्री गणेश
96.	न्यू गुडविल	125.	राजधानी
97.	रंगरसायन	126.	ओवरसीजयंग फ्रेंड्स
98.	न्यूमाडल	127.	मौर्य
99.	शीतल	128.	क्लाइमेक्स
100.	द माडल	129.	मुल्तान
101.	द जैना	130.	ईस्ट-वेस्ट
102.	नवकुंज	131.	प्रिंटर्स
103.	न्यू डीलक्स	132.	शान्ति
104.	कनारा	133.	वरुण विहार
105.	सिलवबोक	134.	यंग फ्रेंड्स
106.	फर्मासिटिक्ल्स	135.	वसुधा
107.	नवीनतम	136.	न्यू इंण्डको
108.	फामरर्स	137.	नीलगिरी
109.	नरवाण	138.	अहिंसा
110.	कंचन गंगा	139.	एयरमैन एण्ड सेलर्स
111.	गीतांजलि	140.	अनुभव
112.	विकल्प	141.	डच० आई० एल०
113.	पिंग	142.	द ओ० एफ० जी०

क्र० सं०	समिति का नाम	क्र० सं०	समिति का नाम
143.	द मानव	172.	दिल्ली पुलिस
144.	सनमान्य	173.	उना
145.	इन्द्रप्रस्था	174.	वेदजनक
146.	ऐजूकेशनल	175.	आनन्द लोक
147.	वर्धमान	176.	द सुप्रीम
148.	पंजाबी सौदागर	177.	फाइन होम
149.	सादर	178.	अदिति
150.	गोल्डन	179.	डेल्टन
151.	केम्स	180.	ध्रुव
152.	सागर	181.	उत्तरांचल
153.	लवली	182.	चेतना
154.	सरस्वती	183.	नवनिर्माण
155.	अरुण	184.	ऐवरेस्ट हिमालय
156.	भारत	185.	एकता विहार
157.	नार्थ फिजीकल हैडीकैप्ट	186.	दीपा
158.	चित्रकूट	187.	आक्सफोर्ड
159.	जीवन बीमा विकास अधिकारी	188.	वाटर एण्ड पावर इन्जीनियर
160.	नवरचना	189.	न्यू यंग ऐसोसिएशन
161.	रेलवे इम्पलाइज	190.	नवकला
162.	विवेक	191.	देशबन्धु
163.	हंस भवन	192.	आदर्श
164.	लिनोज	193.	दिल्ली गवर्नमेंट सरवेन्ट
165.	बसन्त	194.	लिंक हाउस
166.	आई० एफ० सी०	195.	तरंग
167.	हिन्दुस्तान टाइम्स	196.	रिट्रीट
168.	साउथ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स	197.	इन्जीनियर्स
169.	लायर्स	198.	निगम
170.	इण्डियन एयरलाइन्स	199.	विजय लक्ष्मी
171.	आई० आई० टी० डी० टीचर्स	200.	सरस्वती कुंज

क्र० सं०	समिति का नाम	क्र० सं०	समिति का नाम
201.	मानसिंह	230.	सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट
202.	औद्योगिक कर्मचारी	231.	अम्रपाली
203.	दिल्ली प्रशासन अधिकारी	232.	तक्षशिला
204.	रिटायर्ड एण्ड रिहायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट	233.	हिमालया
205.	परिवार	234.	जयलक्ष्मी
206.	कोहिनूर	235.	ओखला
207.	ओरिएंटल	236.	शिवानी
208.	अरुणा	237.	वरदान
209.	सारा	238.	न्यू सूर्य किरण
210.	कल्लोल	239.	अग्रसेन
211.	अजन्ता	240.	नटराज बिहार
212.	जनरल	241.	सहविकास
213.	मित्रदीप	242.	मैनापावर
214.	अशीसवंग	243.	मून लाइट
215.	पैराडाइज	244.	कानून गो
216.	प्रशान्त	245.	आशीर्वाद
217.	बन्दना	246.	दिल्ली
218.	वृथस	247.	मिथिला
219.	कृपाल	248.	पूजा
220.	क्षीरसागर	249.	मीना
221.	नीलकंठ	250.	विदिशा
222.	पंचमहल	251.	दिल्ली राजधानी
223.	सिख	252.	सुदर्शन
224.	फ्रेण्डस	253.	नवक्रान्ति
225.	प्रसान्थ	254.	टेक्नोलाजी
226.	नवनीति	255.	वेलको
227.	कोठारी	256.	एस एस एण्ड एस टी गवर्नमेंट एम्पलाइज
228.	प्रिंस	257.	विद्युत
229.	आई० एफ० यू० एन० एन० ए०	258.	नवभारत टाइम्स

क्र० सं०	समिति का नाम	क्र० सं०	समिति का नाम
259.	कम्पनी ला	261.	हनुमान मंगला
260.	मयूरध्वज	262.	मिलन बिहार

विवरण-दो

उन सहकारी ग्रुप आवास समितियों की सूची जिन्हें वर्ष 1983 के दौरान द्वितीय वैच में आबंटन दिया गया

क्र० सं०	समिति का नाम	क्रम सं०	समिति का नाम
1.	सिविल लाइन्स	22.	परवाना
2.	जमुना विहार	23.	वैशाली
3.	सम्राट अशोक	24.	घरौन्दा
4.	नागार्जुन	25.	हाईलैण्ड
5.	ए० आई० आई० एम० एस० इम्पलाइज	26.	दिल्ली पंजाबी
6.	इंडियन एक्सप्रेस इम्पलाइज	27.	गेवा सम्पदा
7.	ग्लेक्सो	28.	मनसारा
8.	ताज	29.	सुरेर
9.	सरताज	30.	नवयुग
10.	दिल्ली ऐडवर्टाइजिंग	31.	रास
11.	ऋषि	32.	पंचदीप
12.	कीर्ति	33.	आकाश भारती
13.	समाचार	34.	द फैन्सी
14.	जागृति	35.	सूचना
15.	जीवनज्योति	36.	डिप्लोमेटिक मिशन
16.	द शेखर	37.	द अनामिका
17.	परासरन	38.	अमृत
18.	यूनाइटेट इंडिया	39.	सरस्वती विहार
19.	ओ० सी० एस० फ्रेण्डस	40.	इलाहाबाद बैंक स्टाफ
20.	मानव विहार	41.	एस० आर० एम०
21.	आशियाना	42.	अमरदीप

क्रम सं०	समिति का नाम	क्रम सं०	समिति का नाम
43.	लोक निर्माण	73.	नवयुग आदर्श
44.	प्रोमिस	74.	आर्य नगर
45.	विवेक विहार	75.	डीलक्स
46.	गंगा त्रिवेणी	76.	कम्पोज
47.	गैलेक्सी	77.	सिद्धार्थ
48.	मायापुरी	78.	बार्डर रोडज
49.	गुजरात सरगोदा	79.	पर्वतीय विकास
50.	देना	80.	अमन
51.	एच० डब्लू० एफ०	81.	सामन्द माद्रा
52.	अभयन्त	82.	उपकार
53.	विशाल	83.	इला
54.	न्यू सुप्रीम	84.	दिल्ली प्रदेश
55.	पर्यटन विहार	85.	बाबा बन्दा बहादुर
56.	द स्टारलाइट	86.	गुडविल
57.	पंचवटी	87.	द आर्य
58.	इयर पोर्ट	88.	लक्ष्मी
59.	स्वीट होम	89.	गंगवाली समाज
60.	नाइटंगेल	90.	दिल्ली निवास
61.	अमरज्योति	91.	द्रोणाचार्य
63.	समाज कल्याण	92.	न्यू आर्य
64.	रीगल	93	सी० ई० एल०
65.	जय सन्तोषी माता	94.	सम्राट
66.	सीटीजनस	95.	अभिनव
67.	एन. डी. एम. सी. इलैक्ट्रिकल इम्पलाइज	96.	स्पोर्टस
68.	भगवान बुध	97.	पीलिस कम्प्यूटर्स
69.	नीरज	98.	जे० के०
70.	मानवस्थली	99.	रोजवुट ऐपार्टमेंट
71.	प्रेमकुटीर	100.	धर्मकुंज
72.	द राजा इन्क्लेव	101.	आदर्श निर्माण

क्र० सं०	समिति का ना	क्रम सं०	समिति का नाम
102.	अनुपम	125.	नवीन सिटी
103.	विश्वकर्मा	126.	सुरंगिनी
104.	हैबीटेट	127.	मंगल
105.	आर्डीनेंस	128.	जय त्रिवेणी
106.	मनोन्ना बन्धु	129.	हिण्डन
107.	न्यू प्रोग्रेसिव	130.	एन० डी० एस० सी०
108.	दैनिक जनयुग	131.	अन्तरित
109.	मोड	132.	अनेकान्त
110.	खुखरैन सभा	133.	महेश
111.	अरुणोदय	134.	विद्या विहार
112.	जनसेवक	135.	साईं
113.	विक्रान्त	136.	सिटी
114.	ज्योति	137.	लाहौर
115.	डाक्टर्स	138.	न्यू प्रगतिशील
116.	नीलकमल	139.	इंडियन नेवल इम्पलाइज
117.	झंग	140.	गुसाईं केवल राम जी
118.	संदीप	141.	ई० एस० आई० सी०
119.	ब्रदरहुड	142.	पवित्र
120.	कैपिटल	143.	पूर्ति
121.	बिजली	144.	द लेह
122.	दूरसंचार	145.	ओवरसीज
123.	ए० बी० आई० दिल्ली ब्रांच	146.	न्यू विन्ध्याचल
124.	न्यू दिल्ली ऐपार्टमेंट	147.	नवजागृति

विवरण-तीन

उन सहकारी ग्रुप आवास समितियों की सूची जिन्हें वर्ष 1983 के दौरान तृतीय बैच में आबंटन किया गया है

क्रम संख्या	समिति का नाम
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर तथा जयपुर
2.	पूसा ऐग्रीकल्चरल सांइटिस्ट

क्रम संख्या	समिति का नाम
3.	एन० डी० एम० सी० इम्पलाइज
4.	एन० पी० एल इम्पलाइज
5.	आजाद
6.	सीता
7.	अरावली
8.	जनयुग
9.	बी० ए० एम० सी० ई० एफ०
10.	रोज
11.	पुनीत
12.	नवविकास
13.	लक्ष्मी विहार
14.	क्लास-4 इम्पलाइज
15.	स्लम तथा जे० जे० इम्पलाइज

फरीदाबाद स्थित पत्थर खानों में बंधुआ तथा प्रवासी श्रमिकों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन

1958. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय श्रम मन्त्री द्वारा फरीदाबाद स्थित पत्थर खान श्रमिकों के विवाद के त्रिपक्षीय वार्तालाप द्वारा हल करने के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद विवाद को हल नहीं हो सका है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फरीदाबाद स्थित पत्थर खानों के बंधुआ और प्रवासी श्रमिकों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ग) उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग). श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए तरीकों और उपायों पर विचार करने हेतु मार्च-अप्रैल, 1985 में चार त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके द्वारा 1983 में जारी किए गए निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन रिपोर्ट दायर की जाय। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-व-श्रम न्यायालय, चण्डीगढ़ के पंचाटों के अनुसार, खदान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित करने के बारे में भी एक निर्देश जारी किया था।

उच्चतम न्यायालय ने 1983 में 21 निर्देश जारी किए थे। इनमें से कुछ निर्देश केन्द्र सरकार से और कुछ राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ने उच्चतम न्यायालय में शपथपत्र दायर किए हैं जिसमें यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया है।

खदान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी से सम्बन्धित एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अभी अपना निर्णय देना है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।

भविष्य निधि बीमा से सम्बद्ध आवास योजना

1969. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भविष्य निधि बीमा से सम्बद्ध आवास योजनायें सिंगापुर, मलेशिया और अन्य स्थानों पर सफल रही है ;

(ख) सरकार का विचार भविष्य निधि से सम्बद्ध आवास योजनाओं को देश में लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां। सरकार को सिंगापुर, मलेशिया आदि में प्रचलित आवास योजनाओं की जानकारी है।

(ख) और (ग). यह निर्णय लिया गया है कि मकानों के निर्माण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्यों को उनके भविष्य निधि अंशदानों से धन दिया जाए। इस योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा खाद्य तेल का कोटा उठाना

1970. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित पूरी मात्रा में अपने खाद्य तेल का कोटा नहीं उठाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जो गत एक वर्ष के दौरान पूरी मात्रा में अपने खाद्य तेल का कोटा नहीं उठा रही हैं और ऐसी प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कम तेल की मात्रा कितनी है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) कुछ राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपने आबंटनों की पूरी मात्रा नहीं उठाते हैं।

(ख) जिन राज्यों ने तेल वर्ष 1984-85 (नवम्बर, 84 से 20 जुलाई, 1985) के दौरान अपना पूरा कोटा नहीं उठाया है, उनके बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को देने के लिए आबंटित आयातित खाद्य तेलों की पूरी मात्रा को उठायें। मासिक आवंटन करते समय आबंटित मात्रा को उठाने की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, आबंटित मात्रा को उठाने की स्थिति की बारीकी से परिवीक्षा भी की जाती है।

विवरण

जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आयातित खाद्य तेलों का पूरा आबंटन नहीं उठाया है, उनका ब्यौरा

मात्रा (मीटरी टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (नव० 84 से जुलाई 85)	उठाई गई मात्रा (नव० 84 से 20 जुलाई, 1985)	न उठायी गई मात्रा (नव० 84 से 20 जुलाई, 1985)
1	2	3	4
चण्डीगढ़	400	299	101
दिल्ली	20280	12992	7288
हरियाणा	12450	6849	5601
हिमाचल प्रदेश	7750	5841	1909
जम्मू और कश्मीर	6475	1658	4817
पंजाब	16000	11832	4168
राजस्थान	6960	5774	1186
उत्तर प्रदेश	25900	14974	10926
लक्षद्वीप	150	108	42
पाण्डिचेरी	2800	2714	86
बिहार	12250	3213	9037
उड़ीसा	14300	2253	12047
पश्चिम बंगाल	85000	67699	17301
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	40	15	25
असम	6300	2537	3763
अरुणाचल प्रदेश	300	15	285
मणिपुर	3810	3522	288
मिजोरम	1720	1228	492
नागालैंड	4490	4015	475
सिक्किम	2160	733	1427
त्रिपुरा	1730	250	1480

1	2	3	4
गुजरात	46500	43867	2633
दादरा व नगर हवेली	270	160	110
गोवा	4250	3881	369
मध्य प्रदेश	25950	16325	9625

राज्यों द्वारा आयातित चीनी के कोटे को उठाना

1971. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने आयातित चीनी का कोटा आवंटित हो जाने के बाद तुरन्त नहीं उठाया था ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने कोटा उठाने में विलम्ब किया और कितना विलम्ब किया तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्यवार आयातित चीनी का कितना कोटा आवंटित किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने खुले बाजार की चीनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया था, जोकि एक जून, 1985 से लागू हो गई थी। खुले बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में उत्पादित चीनी निर्मुक्त करने के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम द्वारा टेण्डर/नीलामी के माध्यम से बेची जाने वाली कुछ मात्रा के अलावा, आयातित चीनी की कुछ मात्रा, उपभोक्ताओं को 6 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम मूल्य पर बेचने के लिए राज्य सरकारों को आवंटित की गई थी। राज्य सरकारों को जून और जुलाई, 1985 के महीनों के लिए क्रमशः 0.75 लाख मीटरी टन और 1.25 लाख मीटरी टन आयातित चीनी आवंटित की गई थी। इन आवंटनों में से उक्त महीनों के लिए राज्यवार कोटों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है। आधारभूत ढांचे में कुछेक कमियां होने और संभारतंत्र विषयक समस्या होने के कारण लगभग सभी राज्य/संघ शासित प्रदेशों के मामले में जून के महीने में आयातित चीनी का उठान सन्तोषजनक नहीं था। तथापि, इन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, जिससे जुलाई, 1985 के मास में राज्य सरकारों द्वारा आयातित चीनी का अधिक उठान किया गया है। इसको कारगर बना देने से आशा है कि कार्यक्रम के अनुसार उपलब्धता में सुधार होगा जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

1972. **श्री अजय बिश्वास :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी तब तक उपयोगी नहीं होगी जब तक श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मतदान से नहीं किया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुधरेज में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना करना

1973. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में सुरेन्द्र नगर, वधवास, लिम्बडी और ध्रंगधारा नगरों में राजकोट या अहमदाबाद से दूरदर्शन के प्रसारण नहीं देखे जा सकते ;

(ख) क्या सुरेन्द्र नगर के समीप दुधरेज में 1 किलोवाट क्षमता का टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) ये नगर अहमदाबाद और राजकोट के उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र के किनारे पर पड़ते हैं और इसलिए वहां प्राप्त होने वाला सिगनल कमजोर है।

(ख) और (ग). सुरेन्द्र नगर जिले में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथापि, इसकी व्यवस्था करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा योजना

1974. **श्री रेणुपद दास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों ही क्षेत्रों में पहले से अधिक आकर्षक और स्वीकार्य बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना को अधिक आकर्षक और स्वीकार्य बनाने के प्रश्न पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है। इस सम्बन्ध में अभी पिछले कुछ समय में उठाए गए कुछ मुख्य कदम निम्न प्रकार से हैं :

(1) बीमा शुदा व्यक्तियों के दावों को तीव्र गति से निपटाने और उन्हें नकद फायदों की अदायगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कुछ स्थानीय कार्यालयों में मौके पर अदायगी करने के लिए टेलर सिस्टम शुरू किया गया है।

(2) बीमाशुदा व्यक्तियों की शिकायतों और कष्टों को दूर करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थानीय, प्रादेशिक और मुख्यालय कार्यालय में विशेष प्रबन्ध किए गए हैं।

(3) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों और अस्पतालों में दी जाने वाली चिकित्सीय सुविधा के स्तर में सुधार करें।

(4) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नए अस्पतालों का निर्माण करने का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया है ताकि सरकारी और अन्य अस्पतालों में आरक्षित पलंगों पर निर्भरता को कम किया जा सके।

(5) निगम से कहा गया है कि वे विलम्बों को कम करने हेतु अपने लेखा कार्य के लिए कम्प्यूटर लगाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करें।

शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण

1975. **श्री मुरलीधर माने :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे प्रसारण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को पर्याप्त मदद देने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सुविधा प्रदान करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसे कितने केन्द्र हैं और ऐसे कितने केन्द्रों से इस प्रकार का प्रसारण शुरू किया जायेगा ; और

(ग) महाराष्ट्र में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है और वे कहां खोले जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग). ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के क्षेत्रों के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों को समर्थन देने वाली इस समय 44 शिक्षा कार्यक्रम निर्माण यूनिटें हैं। इन यूनिटों में निर्मित कार्यक्रमों को 74 केन्द्रों द्वारा प्रसारित किया जाता है। इनमें से 22 कार्यक्रम निर्माण यूनिटें राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के समर्थन में प्रसारण आयोजित करती हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे में आकाशवाणी ने स्कूल, विश्वविद्यालय और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए 46 और शिक्षा कार्यक्रम निर्माण यूनिटें स्थापित करने की स्कीम तैयार की है। उक्त स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में पांच यूनिटें, औरंगाबाद रत्नागिरी, सांगली, परभनी तथा शोलापुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर उक्त स्कीमों का कार्यान्वयन सातवीं योजना के अन्तिम रूप पर निर्भर करता है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कृषि श्रमिकों पर लागू करना

1976. **श्री वी० सोमनाद्रीसवरराव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 60 वर्ष से अधिक आयु के कृषि श्रमिकों पर लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रमुख बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) सरकार के पास उन कृषि श्रमिकों पर, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

महानगरों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजनाएं आरम्भ करना

1977. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी महानगरों अर्थात् मद्रास, बंगलौर, जयपुर, पुणे आदि, में भीड़भाड़ कम करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसी योजनाएं आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). "नगर विकास" तथा 'नगर आयोजना" राज्य के विषय हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल इत्यादि जैसे राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए राज्यों में लागू कानूनों के अनुसार राज्य की राजधानियों और महानगर क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले कतिपय क्षेत्रों का उचित, सुनियोजित तथा त्वरित विकास के लिए आयोजना, समन्वय एवम् पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए (बम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण और मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण जैसे) प्राधिकरणों की स्थापना की है। तथापि, सभी महानगरीय शहरों में भीड़-भाड़ कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसी योजनाओं को आरम्भ करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों के लिए अखबारी कागज की नई नीति

1978. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों के लाभ के लिए अखबारी कागज की एक नई नीति लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). 1985-86 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति तैयार करते समय, लघु और मझौले समाचार-पत्रों के हितों को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा। नीति को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिए जाने की सम्भावना है।

राज्यों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कार्यान्विति

1979. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या अधिक से अधिक राज्य सरकारों ने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए योजनाएं तैयार नहीं की थीं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ). अखिल भारतीय स्तर पर, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना अवधि के दौरान भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि अधिक रही है। छठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों ने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। उन्होंने लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि प्राप्त की है तथा 4 राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों ने लक्ष्य को 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक

पूरा कर लिया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की कमी आदि से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट समस्याएं थीं जिससे एक बार कार्य के निष्पादन में प्रभार पड़ा।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की मूल्यांकन रिपोर्ट में राज्य-स्तर पर एकत्रित की गई सूचना से पता चलता है कि अध्ययन किए गए आधे से अधिक राज्यों ने पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करने के प्रयास नहीं किए थे। तथापि, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 33 चयनित जिलों में से 17 जिलों के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 1982-83 से आगे चयनित जिलों के लगभग सभी खण्डों के लिए वार्षिक कार्रवाई योजनाएं तैयार की गई थीं।

इस प्रकार की योजनाएं तैयार करने हेतु कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में प्रावधान है तथा इस पर लगातार बल दिया जा रहा था।

भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों और दालों का भण्डार

1980. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास 30 जून, 1985 को दालों सहित खाद्यान्न के प्रत्येक किस्म का अनुमानित भण्डार कितना था ; और

(ख) अप्रैल से जून, 1985 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्न की खरीद की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 30-6-1985 को खाद्यान्नों के निम्नलिखित स्टाक होने का अनुमान था :

(मिलियन मीटरी टन में)

चावल		6.95
गेहूँ	:	12.54
मोटे अनाज		0.01
जोड़		19.50

इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 0.025 मिलियन मीटरी टन दालें/अन्य खाद्यान्न भी रखे गए थे।

(ख) अप्रैल से जून, 1985 तक कुल 11.08 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों की वसूली की गई थी, जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए 3.30 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्न भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम ने वाणिज्यिक आधार पर 0.03 मिलियन मीटरी टन दालों/अन्य खाद्यान्नों की भी खरीदारी की थी।

'हुडको' और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित शहरी विकास परियोजनाएं

1981. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम कुछ ऐसी शहरी विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहभागी हैं जिन्हें विदेशों की सहायता देने वाली विश्व बैंक जैसी एजेन्सियों से धन प्राप्त होता है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके वित्त पोषण में हुडको सहभागी है और हुडको प्रत्येक परियोजना के लिए कितना धन दे रहा है; और

(ग) उन परियोजनाओं का और विदेशी सहायता देने वाली एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश में शहरी विकास परियोजना में वित्त देने में हुडको विश्व बैंक के साथ सहायता दे रहा है। विश्व बैंक ने 24.01 मिलियन अमरीकी डालर (22.895 करोड़ रुपये के समतुल्य) का ऋण मंजूर किया जिसमें से हुडको को 19.07 करोड़ रुपये मिलेंगे। तथापि, हुडको अपनी निधियों से बकाया को जमा करने के बाद 31.46 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश आवास बोर्ड को देगा। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के 10 छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहर शामिल हैं जिनमें निम्नलिखित जैसे घटक शामिल होंगे :

1. क्षेत्र विकास
2. मलिनबस्ती उन्नयन
3. स्वच्छता
4. नगरपालिका रख-रखाव।
5. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग श्रेणियों के अधिकांश लोगों के लाभान्वयन के लिए तकनीकी सहायता।

तिलहन निदेशालय, हैदराबाद द्वारा तिलहनों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य

1982. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहन निदेशालय, हैदराबाद तिलहनों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य कर रहा है;

(ख) इस निदेशालय को अनुसन्धान के लिए सौंपी गई तिलहनों की फसलों का ब्यौरा क्या है तथा अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या अरन्डी आन्ध्र प्रदेश में पैदा किए जाने वाले मुख्य तिलहन फसल में से एक है; और

(घ) यदि हां, तो अरन्डी का उत्पादन बढ़ाने में पांचवीं और छठी योजना में प्राप्त हुई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तिलहन अनुसन्धान निदेशालय को तिलहनी फसलों अर्थात् मूंगफली, तोरिया-सरसों, तिल, कुसुम, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी और रामतिल पर किए जाने वाले अनुसन्धान कार्य को

समन्वित करने का कार्य सौंपा गया है । यह कार्य अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है । इस प्रायोजना के अन्तर्गत अनेक उन्नत किस्में विकसित की गई हैं और खेती के लिए उन्हें वितरित किया गया है, जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है :

फसल	किस्मों की संख्या	उपज क्षमता (किलो०/प्रति हैक्टे०)		राष्ट्रीय औसत उपज (किलो०/हैक्टे०)
		बारानी कृषि	सिंचित कृषि	
मूंगफली	38	800-1800	2000-3000	953
तोरिया-सरसों	20	800-1400	1500-2000	659
तिल	17	400-800	—	283
सूरजमुखी	5	800-1000	2000 तक	407
कुसुम	5	800-1500	2000 तक	586
रामतिल	8	300-450	—	296
अरंडी	8	500-1000	1000—1200	639
अलसी	11	900-1000	1500—2000	300

उपयुक्त फसल उत्पादन एवं पौध संरक्षण तालिकाओं का भी विकास किया गया है और उन्हें अपनाने की सिफारिश की गई है ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) अरंडी की फसल से सम्बन्धित अनुसन्धान उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

(i) आन्ध्र प्रदेश में उगाने के लिए अधिक पैदावार देने वाली एवं जल्दी तैयार होने वाली "अरुणा" तथा "भाग्य" किस्में वितरित की गई हैं । अरहर, लोबिया और मूंगफली के साथ अन्त: फसल पद्धति में उगाने के लिए "सौभाग्य" नामक किस्म की सिफारिश की गई है । आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्र परीक्षण के लिए एक संकर किस्म-एस० एच० बी० 18 की सिफारिश की गई है ।

(ii) अरंडी की अधिक पैदावार लेने के लिए बुआई के उपयुक्त समय, अनुकूलतम पौध संख्या और अपेक्षित उर्वरक की मात्रा का मानकीकरण किया गया है ।

(iii) अरंडी के सेमीलूपर कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबन्ध तालिकाएं तैयार की गई हैं और उपयोग में लाने के लिए उनकी सिफारिश की गई है ।

संसद सदस्यों के फ्लैटों/बंगलों और मन्त्रियों के निवासों को सुसज्जित करने पर किया गया व्यय

1983. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान संसद सदस्यों के फ्लैटों और बंगलों तथा मन्त्रियों के सरकारी निवासों को सुसज्जित करने पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) नार्थ और साऊथ एवैन्यू में एक संसद सदस्य के फ्लैट को सुसज्जित करने में अनुमानित कितनी राशि खर्च होती है और वह सरकार द्वारा सुसज्जित फ्लैटों के लिए औसतन कितनी राशि का किराये के रूप में भुगतान करता है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसद सदस्यों के फ्लैटों बंगलों का निर्माण और रख रखाव

1984. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों के कई फ्लैट और बंगले अधिकांशत: पुराने होने तथा उनका रख रखाव सुस्त होने के कारण रहने के लिए असुरक्षित हो चुके हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) संसद सदस्यों के बहुत से लैफ्टों तथा बंगले काफी पुराने पड़ गए हैं। तथापि, उन्हें रहने लायक स्थिति में बनाए रखा गया है।

(ख) जी, हां।

नई दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई कर्मचारियों की भर्ती

1985. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों को रह रहे फ्लैटों और मकानों के लिए किराए का भुगतान करना पड़ता है और उन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए जाने वाले फर्नीचर और अन्य सेवाओं के लिए भी किराया देना पड़ता है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विशिष्ठ व्यक्तियों के बंगलों और नई दिल्ली के इलाकों की देखभाल के लिए स्थायी और अस्थायी कर्मचारी भर्ती करता है; और

(ग) यदि हां, तो नई दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों वाले इलाकों के लिए बने विभिन्न पूछताछ गृहों के लिए कर्मचारी नियुक्त करने हेतु वर्ष 1984-85 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कुल कितने अस्थायी कर्मचारियों को रखा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 434

राज्यों में तेल बैंकों की स्थापना

1986. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिलों को तिलहनों की सप्लाई करने और तेल उत्पादकों से लाभप्रद मूल्यों पर तेल खरीदने हेतु तेल बैंक की स्थापना करने, जिनकी राज्यों में शाखायें होंगी, पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में सरकार को एक सुझाव प्राप्त हुआ था परन्तु इसे स्वीकार्य नहीं समझा गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम को एक स्वायत्त निकाय के रूप में बदलना

1987. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम को एक स्वायत्त निकाय में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पताल राज्य सरकारों के नियन्त्रणाधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय और अस्पताल भी समुचित समन्वय की दृष्टि से कर्मचारी राज्य बीमा निगम को सौंपे जायेंगे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक निगमित निकाय है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, के अधीन गठित किया गया है। इस अधिनियम के अधीन, निगम को दिन प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों में पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त है।

(ख) दिल्ली के सिवाय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियन्त्रण में आते हैं।

(ग) दिल्ली से बाहर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों और अस्पतालों के पशासन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम को हस्तांतरित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में पुन: सक्षम बनाये गये रुग्ण चीनी एकक

1988. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में गत दो वर्षों के दौरान कितने रुग्ण चीनी एककों को फिर से सक्षम बनाया गया है; और

(ख) क्या रुग्ण चीनी एककों को सहायता देने के लिए चीनी विकास कोष में से कोई धन-राशि दी गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). चीनी विकास निधि से ऐसे चीनी प्रतिष्ठानों को कुछेक विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सहायता उपलब्ध की जाती है, जोकि अपनी सम्बन्धित "सुगम ऋण योजना" के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। चीनी प्रतिष्ठानों को योजना के बाहर चीनी विकास निधि से सहायता सुलभ नहीं

की जा सकती है। अतः इस निधि से किसी भी राज्य के कमजोर यूनिटों को सीधे पुनः सशक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

भूमि अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम में संशोधन

1989. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री अजित कुमार साहा :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग पांच वर्ष पूर्व शहरी भूमि अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम में संशोधन हेतु एक विधेयक लाने के लिए वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कथित संशोधन विधेयक लोक सभा के चालू सत्र में पेश किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो किस तारीख तक; और

(ङ) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से(ङ). जी, हां। शहरी भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के संशोधन का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं तथा जैसे ही अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी हो जाएंगी, संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। तथापि, (सुस्पष्ट कारणों से) इसे पेश करने की सही तारीख बताना कठिन है।

वाणिज्यिक फसलों के लिए चुने हुए नियमित बाजारों के विकास के लिए सहायता

1990. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 में केन्द्र सरकार ने राज्यों को चुने हुए नियमित बाजारों, वाणिज्यिक फसलों के विपणन, जिसमें पान के पत्तें भी शामिल हैं, के बुनियादी विकास हेतु कितनी सहायता दी थी ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : चुने हुए नियमित बाजारों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत चुनी वाणिज्यिक फसलों का विपणन करने वाले नियमित बाजारों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को वर्ष 1985-85 के दौरान 71,44,100 रुपये की केन्द्रीय सहायता बंटित की गयी थी।

उड़ीसा में "आपरेशन फ्लड-II" योजना

1991. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आपरेशन फ्लड-II" कार्यक्रम किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) उड़ीसा के विभिन्न जिलो के नाम क्या हैं जिनमे "आपरेशन फ्लड-II" कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है;

(ग) "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) उड़ीसा के और अधिक जिलों को उक्त कार्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) आपरेशन फ्लड 2 कार्यक्रम का क्रियान्वन आन्ध्र प्रदेश, (2) असम, (3) बिहार, (4) गुजरात, (5) हरियाणा, (6) हिमाचल प्रदेश, (7) कर्नाटक, (8) जम्मू व कश्मीर, (9) केरल (10) मध्य प्रदेश, (11) महाराष्ट्र, (12) उड़ीसा, (13) पंजाब, (14) राजस्थान, (15) सिक्किम, (16) तमिलनाडु, (17) त्रिपुरा, (18) उत्तर प्रदेश और (19) पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जा रहा है।

(ख) आपरेशन फ्लड 2 कार्यक्रम उड़ीसा में कटक, पुरी धेनकानाल और क्योंझर में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को दूध और दुग्ध उत्पादों की आवश्यकताओं के लिए देश में सहकारी आधार पर एक सक्षम डेरी उद्योग का विकास करना है।

(घ) उड़ीसा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि० ने सम्बलपुर जिले को आपरेशन फ्लड 2 में शामिल करने के लिए भारतीय डेरी निगम के साथ मामला उठाया है।

पाराद्वीप पत्तन पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए "वर्थ" सुविधाएं

1992. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाराद्वीप पत्तन न्यास प्राधिकरण ने पाराद्वीप पत्तन के मुख्य वाणिज्यिक बन्दरगाह के अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए ठहरने की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु एक परियोजना प्रतिवेदन उनके मन्त्रालय को भेजा है;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना प्रतिवेदन का शीघ्र अनुमोदन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पूंजी-निवेश निर्णय के लिए मामले पर कार्यवाही करने से पहले योजना आयोग द्वारा स्कीम का अनुमोदन किया जाना है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के उड़ीसा में दुग्ध चिलिंग संयंत्र

1993. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने विभिन्न राज्यों में कुछ दुग्ध चिलिंग संयंत्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उड़ीसा में इस प्रकार के कितने दुग्ध चिलिंग संयंत्र स्थापित किये गये हैं; और

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने उड़ीसा में स्थापित किये गये दुग्ध चिलिंग संयंत्रों के समुचित कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराये गये अनुदान/ऋण/सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम केवल डेरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध प्रशीतन चिलिंग संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। अब तक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 5 राज्यों में 14 दुग्ध प्रशीतन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने भवानीपटना में कालाहांडी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा स्थापित किये जा रहे एक प्रशीतन संयंत्र के लिए कुल 26.72 लाख रु० की सहायता स्वीकृत की है और अब तक 11.18 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की है।

उड़ीसा में पशु प्रजनन कार्यक्रम

1994. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में आपरेशन फ्लड-11 क्षेत्रों से बाहर विदेशी दुधारू नस्लों के साथ पशुओं के संकरण और जमे हुए वीर्य पद्धति का उपयोग करके भैंसों की नस्ल सुधारने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना को कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा राज्य को अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गयी है; और

(ग) उड़ीसा के किन-किन क्षेत्रों में उक्त योजनायें कार्यान्वित की गई हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) योजना के अन्तर्गत 111.16 लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी है।

(ग) कालाहण्डी, कोरापुट, बालंगीर तथा फुलबानी जिलों में यह योजना चलायी जा रही है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में उद्यान कृषि विश्वविद्यालय

1995. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** :

प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य में एक उद्यान कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). जी हाँ, श्रीमान। हिमाचल प्रदेश में एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय से अस्थायी रूप से सहमत है। अब यह हिमाचल प्रदेश

सरकार पर निर्भर करता है कि वह निर्णय को कार्यान्वित करें।

सेब उत्पादक राज्य

1996. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेब उत्पादन राज्यों के नाम क्या हैं और इन राज्यों में वर्ष 1984-85 के दौरान कितने सेब का उत्पादन हुआ;

(ग) सरकार ने अन्य देशों को कितने सेब का निर्यात किया; और

(ग) इससे किसानों को कितना लाभ मिला था ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सेब की खेती करने वाले मुख्य राज्य हैं। मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड तथा तमिलनाडु राज्य में भी सेब की खेती बहुत थोड़ी मात्रा में की जाती है। चूंकि यह "पूर्वानुमान फसल" नहीं है, अतः इस फसल के उत्पादन के आंकड़े नियमित रूप से एकत्रित नहीं किए जाते हैं। तथापि अनुमान है कि 1984-85 के दौरान देश में सेबों का कुल उत्पादन करीब 10,05,000 मीटरी टन हुआ।

(ख) सरकार सेबों का निर्यात नहीं करती है 1984-85 के दौरान सहकारी एजेंसियों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा बांग्ला देश को 25 लाख रुपए के 2237 मीटरी टन सेब निर्यात किए गए।

(ग) चूंकि निर्यात की गई मात्रा बहुत कम थी, अतः निर्यात से हुआ लाभ अधिक नहीं था।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में चीनी कारखाने चलाने के लिए समय सीमा में छूट

1997. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने के बाद इन कारखानों को शुरू करने के लिए कुछ समय दिया जाता है, यदि हां, तो कितना समय दिया जाता है;

(ख) क्या यह समय सीमा अपर्याप्त है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 6 चीनी कारखानों को गुण-दोष के आधार पर समय सीमा में छूट देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के 6 चीनीकारखानों के मामले में समय सीमा में छूट देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और मौजूदा यूनिटों में विस्तार करने के लिए आशय-पत्र प्रदान किए जाते हैं और आशय-पत्र में कुछेक शर्तें निर्धारित की जाती हैं जिन्हें किसी आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने से पहले पूरा करना आवश्यक होता है। आशय-पत्र उसको जारी करने की तारीख से एक वर्ष के लिए और लाइसेंस 2 वर्षों के लिए वैध होता है। तथापि, चीनी फैक्ट्रियों के स्थापित हो जाने तक, दोनों आशय-पत्र तथा लाइसेंसों के सम्बन्ध में समय-समय पर उनकी अवधि बढ़ा दी जाती

है। यदि लाइसेंस शुदा चीनी फैक्ट्रियां आशय-पत्र लाइसेंस जारी होने की तारीख से 39 महीने के अन्दर विस्तार कर लेती हैं अथवा नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती हैं, इनमें से जो भी पहले हो, तो उस दशा में वे प्रोत्साहन प्राप्त करने की भी पात्र होती हैं। कोई नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने अथवा लाइसेंस शुदा क्षमता पूरी करने के लिए 39 महीने की अवधि पर्याप्त होती है।

(ग) से (ङ). महाराष्ट्र सरकार ने विवरण के रूप में संलग्न सूची के अनुसार अपने राज्य की छः चीनी फैक्ट्रियों के लिए समय-सीमा की शर्तों में ढील देने के लिए अनुरोध किया है। सरकार ने प्रत्येक फैक्ट्री के मामले में गुण-दोष के आधार पर समय-सीमा को तीन महीने तक बढ़ाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिन चीनी फैक्ट्रियों के लिए समय सीमा में छूट देने के लिए अनुरोध किया गया है, उन चीनी फैक्ट्रियों के नाम

नई यूनिटें

1. मैं० विघनाहर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, जुन्नार, जिला पुणे
2. मैं० अतपाड़ी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, अतपाड़ी, जिला सांगली
3. मैं० महाकाली सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कवाथे-महांकल, जिला सांगली
4. मैं० परनेर तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, परनेर, जिला अहमदनगर
5. मैं० वसन्तराव दादा पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, वाठेवाड़ी (लोहोनेर), जिला नासिक

विस्तार

6. मैं० श्री दत्ता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, असुरले-पोरले, जिला कोल्हापुर।

नागपुर में टी० वी० टावर का निर्माण कार्य

1999. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नागपुर दूरदर्शन के लिए 1983 में शुरू किया गया 100 मीटर ऊंचे नये टावर का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है;

(ख). यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त टी० वी० टावर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) टावर के मुकम्मल होने में देरी रास्ते में कतिपय आयातित उपकरणों के इधर-उधर हो जाने तथा कुछ निर्माणात्मक समस्याओं के कारण हुई।

(ग) टावर का निर्माण अक्तूबर,1985 में मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशान्त विहार में घटिया किस्म के मकानों का निर्माण

2000. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "अनअकुपाइड टैन्मैंट्स टू० बी० पुल्ड डाउन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन फ्लैटों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितनी फिटिंग्स चोरी हो गई है;

(ग) क्या उन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सरल कार्यवाही करने का विचार है, जो पेयजल, मल निकास और गुसलखानों जैसी मूल सुविधाएं सुनिश्चित नहीं कर सके और जिनके परिणामस्वरूप फ्लैट अप्रयुक्त पड़े रहे; और

(घ) क्या ये मकान अब गिरा दिये गये हैं और यदि हाँ, तो क्या न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत मध्यम वर्ग आय फ्लैटों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हाँ।

(ख) इन फ्लैटों के निर्माण पर 4.46 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। फिटिंग्स की कोई चोरी नहीं बताई गई है।

(ग) प्रशान्त विहार झुग्गी-झोंपड़ी योजना में 21 वर्ग मीटर के जे० जे० प्लाटों पर 144 मकानों का निर्माण 1976-77 में आरम्भ किया गया था। मलनिर्यास तथा शौचालय जैसी मूलभूत सुविधायें सामुदायिक सेवा ब्लौकों के रूप में मुहैया की गई थी। तथापि,1977-78 में दिल्ली विकास प्राधिकरण सरकार ने निर्णय लिया कि इस निर्माण पर और व्ययन किया जाय क्योंकि झुग्गी झोंपड़ी विचारधारा को बदलने का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार ये मकान अधूरे रहे और आबंटित नहीं किये जा सके।

अतः मूलभूत सुविधायें मुहैया न किये जाने के रूप में कर्मचारियों से कठोरता से पेश आने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) टैनामैन्टों को गिराया नहीं गया है। फिलहाल इन टैनामैन्टों को ट्रांसिट कैम्प के रूप में प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

हाउस बिल्डिंग एजेंसियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'हुडको' के मानदण्ड

2001. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हुडको' द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी हाउस बिल्डिंग एजेन्सियों, विकास प्राधिकरण और हाउस बिल्डिंग बोर्डों को सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी निर्धारित मानदण्ड क्या हैं और इन मानदण्डों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई;

(ख) समाज के कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग को मकान

बनाने के लिए हुडको द्वारा सहायता दिये जाने सम्बन्धी निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) क्या वर्तमान मानदण्ड के अन्तर्गत मकान बनाने में कठिनाइयों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या सरकार का विचार इन मानदण्डों में परिवर्तन करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). हुडको की अपनी बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए धन देने की विस्तृत शर्तें अनुलग्न क-11 में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1298/85]

हुडको द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई राशियों का एक विवरण अनुलग्नक-11 में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1298/85]

(ग) सरकार ने हुडको की धन देने की विद्यमान पद्धति पर विचार करने के लिए पहले ही एक कार्यकारी दल का गठन कर लिया है। इस दल को सौंपे गए कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न टाइपों के मकानों की अधिकतम लागत का संशोधन और हुडको से अनुमेय ऋण सहायता की मात्रा में वृद्धि करने का प्रश्न भी शामिल है।

साकेत कालोनी, दिल्ली में अस्पताल के निर्माण के लिए मोदी उद्योग समूह को भूमि का आबंटन

2002. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी उद्योग समूह, उसके अथवा उसके खास अथवा किसी संस्थान को एक अस्पताल बनाने के लिए नई दिल्ली की साकेत कालोनी में भूमि दी गई थी, कितनी एकड़ भूमि दी गई थी और भूमि का मूल्य कितना है तथा यह भूमि किन शर्तों पर दी गई थी;

(ख) उस पर अस्पताल की इमारत का निर्माण कब आरम्भ किया गया था और गत एक वर्ष से निर्माण कार्य बन्द रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या आबंटन की शर्तों का पालन किया गया है और अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हाँ। मालवीय नगर (साकेत) में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अस्पताल तथा मेडिकल स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए संलग्न विवरण में दी गई शर्तों पर गूजरमल मोदी अस्पताल व आयुर्विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र को 6,20,750 रुपये के प्रीमियम पर 15 एकड़ भूमि आबंटित की थी।

(ख) इस प्लाट पर जनवरी, 1983 में निर्माण कार्य आरम्भ हो गया था। वित्तीय दबाव के कारण पार्टी ने निर्माण में पर्याप्त प्रगति नहीं की।

(ग) आबंटन की शर्तों के अनुसार अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र का निर्माण 18-12-83 तक पूरा हो जाना चाहिए था। तथापि, 3,03,525 रुपये के निर्माण (कम्पोजीशन) शुल्क के भुगतान की शर्त पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थान को 2 वर्ष की समय वृद्धि दी गई है। अन्य शर्तों को निर्माण के बाद अस्पताल भवन के चालू हो जाने के बाद ही लागू किया जा सकता है।

विवरण

विषय आबन्टन की शर्तें

1. गूजरमल मोदी अस्पताल तथा आयुर्विज्ञान अनुसन्धान संस्थान केन्द्र को अस्पताल के लिए 13, 15 एकड़ भूमि की लागत के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से तथा प्रीमियम के 5 प्रतिशत की दर से भूमि किराया और आवश्यक नर्सिंग और मेडीकल स्टाफ क्वार्टरों के लिए 1,85 एकड़ भूमि के लिए प्रीमियम के 2½ प्रतिशत की दर से वार्षिक भूमि किराये के साथ-साथ 3 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान करना अपेक्षित है।

2. यह अस्पताल आम सार्वजनिक अस्पताल के रूप में कार्य करेगा जिसमें कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क इलाज के लिए 25 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित होंगे।

3. इस अस्पताल का वाह्य रोगी विभाग कमजोर वर्गों के अन्तर्गत आने वाले रोगियों के लिए निःशुल्क सेवा मुहैया करेगा।

4. यह अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेगा जिसमें इसकी सेवायें स्वास्थ्य सेवा निदेशालय या स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा ली जायेंगी।

5. यह अस्पताल प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक अलग स्थल उच्छिष्ट करेगा जो कि समाज के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा।

6. मर्जीकिल यूनिट के मामले में अस्पताल दिल्ली प्रशासन/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्णित भुगतान पर नसबन्दी की सुविधायें मुहैया करायेगा।

7. यह भूमि इस समिति द्वारा अस्पताल तथा आवश्यक नर्सिंग एवम् मेडीकल स्टाफ क्वार्टरों के प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जायेगी न कि किन्हीं अन्य प्रयोजना के लिए।

8. प्लाट पर कोई निर्माण आरम्भ करने से पूर्व निर्माण नक्शे को स्थानीय निकाये/दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कराया जायेगा।

9. अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र का निर्माण प्लाट पर कब्जा लेने की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा।

10. दिल्ली विकास प्राधिकरण से लिखित पूर्वानुमति के बिना समिति द्वारा यह भूमि किसी अन्य संगठन को अन्तरित या उप पट्टे पर नहीं दी जायेगी।

11. अस्पताल प्राधिकरण अपने ही खर्च पर पट्टा विलेख निष्पादित करेगा जब उनको ऐसा करने को कहा जाये।

12. लगाई गई किसी भी शर्त के उल्लंघन मामले में प्रशासन या भारत सरकार भूमि को वापिस प्राप्त करने को स्वतन्त्र होगी।

13. समिति निदेशक (सी० पी०)/दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य वास्तुक द्वारा यथा निर्धारित वास्तुकीय नियन्त्रणों को अपनाने के लिए बाध्य होगी।

[अनुवाद]

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा योजनाओं का बनाया जाना

2003. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने वर्ष 1985-86 के दौरान कमजोर वर्गों के परिवारों को राज-सहायता के रूप में पर्याप्त रकम देकर उन्हें लाभ पहुंचाने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना से समाज के कमजोर वर्गों को किस हद तक लाभ मिलेगा; और

(ग) ब्लाकों में आरम्भ की कई रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो कमजोर वर्गों अर्थात् जो गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं, के आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए है, क अन्तर्गत 1985-86 के लिए 4 मिलियन परिवारों को सहायता पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से एक मिलियन नए परिवार होंगे तथा 3 मिलियन परिवार वे होंगे जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में सहायता दी गयी थी लेकिन वे गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सके थे और इसलिए इनको पूरक सहायता देने की आवश्यकता है। आर्थिक सहायता जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा इन अनुमोदित दरों पर सुलभ करायी जायेगी अर्थात् लघु कृषकों का 25प्रतिशत, सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगरों को 33⅓ प्रतिशत और आदिवासी लाभार्थियों को 50 प्रतिशत। परिसम्पतियों की लागत का शेष भाग वाणिज्यिक तथा सहातरी बैंकों से ऋण लेकर पूरा किया जायेगा। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को तदनुसार योजनायें तैयार करने की सलाह दी गयी है।

(ग) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) की मुख्य विशेषतायें

उद्देश्य

लक्षित ग्रुप के ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कुशलताओं तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करना, ताकि वे मुख्यत: अपना रोजगार शुरू कर सकें।

आयु ग्रुप

गलीचे बनाने के व्यवसाय जिसके लिए 14 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की आयु सीमा हो सकती है, के सिवाय 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को शामिल करना

कम से कम 30 प्रतिशत युवक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में से लिए जाने चाहिए।

महिलाओं को शामिल करना

लाभार्थियों की कम से कम एक तिहाई महिलायें होनी चाहिए।

अवधि

सामान्यत: पाठ्यक्रम 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। एक वर्ष तक के लम्बे पाठ्यक्रम राज्य-स्तरीय संस्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने चाहिए।

वजीफा

(1) यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थियों के गाँव में ही दिया जाता है, तो वजीफे की राशि प्रति प्रशिक्षार्थी 75 रुपए माह तक होगी।

(2) यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी के गांव में न होकर किसी दूसरे स्थान पर दिया जाता है और उसे नि:शुल्क आवास सुलभ किया जाएगा तो वजीफे की दर प्रति माह 150 रुपए तक होगी। यदि प्रशिक्षण एक माह से कम अवधि का है, तो वजीफे की दर 6 रुपये प्रतिदिन और अधिक से अधिक 100 रुपए तक होगी।

(3) यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी के गाँव में न होकर किसी अन्य स्थान पर दिया जाता है और उसे नि:शुल्क आवास उपलब्ध नहीं किया जाता है तो वजीफे की दर प्रतिमाह 200 रुपए होगी। यदि प्रशिक्षण की अवधि एक माह से कम है तो वजीफे की दर प्रतिदिन 7 रुपए और अधिक से अधिक 100 रुपए होगी।

नि:शुल्क औजार किट

प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षार्थी को 500 रुपए तक की कीमत का एक औजार किट नि:शुल्क सुलभ किया जाए।

कच्चे माल के लिए प्रावधान

प्रतिमाह 25- रुपए तक जिसकी अधिकतम सीमा प्रति पाठ्यक्रम 200 रुपए होगी।

प्रशिक्षार्थियों/प्रशिक्षण संस्थानों को मानदेय

प्रति प्रशिक्षक/प्रशिक्षण संस्थान प्रतिमाह 50 रुपए। मास्टर प्रशिक्षक के मामले में प्रशिक्षार्थी द्वारा व्यवसाय सम्बन्धी परीक्षाएं पूरी बनने पर प्रति पाठ्यक्रम प्रशिक्षार्थी 50 रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी जा सकती है।

अनुवर्ती सहायता

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रतिमान पर आर्थिक सहायता दी जाती है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में कलाकारों के चयन का मानदण्ड

2004. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्वर और वाद्य संगीत में बी० बी० उच्च ए श्रेणी के कलाकारों के चयन का क्या मापदण्ड है;

(ख) इस समय देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन में क्रमश: इन श्रेणियों के कलाकारों की कुल कितनी संख्या है;

(ग) क्या चयनों में भेदभाव किए जाने के बारे में कोई शिकायत कभी मिली है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कार्यक्रम देने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले संगीत के सभी कलाकारों का आकाशवाणी के संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड, स्थानीय संगीत स्वर परीक्षण समितियों/केन्द्रीय संगीत यूनिट द्वारा श्रेणीकरण किया जाता है। श्रेणीकरण का मानदण्ड कलाकारों के कार्य निष्पादन की वह गुणवत्ता है जो स्वर परीक्षण में प्रकट होती है।

(ख) सूची केन्द्र-वार रखी जाती है। 1-1-1985 के दिन की स्थिति के अनुसार, सुगम संगीत, सुगम शास्त्रीय और शास्त्रीय संगीत (कर्नाटक और हिन्दुस्तानी) के बी०, बी० हाई, ए और शेष रेंक के कलाकारों की संख्या एकत्र करके सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं जिनमें ये आरोप होते हैं कि आकलन व्यक्तिनिष्ठ रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड के सदस्य अत्यन्त ज्ञानयुक्त विशेषज्ञ/आलोचक होते हैं। स्वर परीक्षण की प्रक्रिया भी बन्द कमरे में होती है तथा बोर्ड के सदस्यों को उम्मीदवारों की पहचान नहीं बताई जाती। वे केवल रिकार्डिंग में व्यक्त योग्यता के आधार पर ही आकलन करते हैं। यह स्थिति याचिकादाताओं को उपयुक्त रूप से स्पष्ट कर दी जाती है।

देश में भूमि सुधारों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

2005. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने देश में भूमि सुधारों को लागू करने के बारे में हाल ही में सर्वेक्षण किया था;

(ख) क्या सर्वेक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि "कोर आफ दी एन्टीपावर्टी प्रोग्राम (रीडिस्ट्रीब्यूटि लैंड रिफार्मज)" को अधिक सफलता नहीं मिली है और अधिकांश ग्रामीण निर्धन लोग भूमिहीन जैसी स्थिति में ही हैं;

(ग) उक्त सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

आनुवंशिक भण्डारों (जीन बैंक्स) का संरक्षण

2006. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसन्धान संस्थान स्वदेशी पौधों के "आनुवंशिक भण्डारों" (जीन बैंक्स) का संरक्षण कर रहे हैं;

(ख) क्या इन आनुवंशिकों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध है; और

(ग) क्या इन आनुवंशिकों के चोरी छिपे निर्यात करने की कोई घटना सरकार की जानकारी में आई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान।

जनित्रद्रव्य के संकलन तथा स्वदेशी पौधें की आनुवंशिक विविधता के संरक्षण का कार्य राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के पास है। इस ब्यूरो के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा शिमला, शिलांग, त्रिचुर, अकोला तथा जोधपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों में विभिन्न फसलों के संकलन का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अन्य फसलों से संबंधित संस्थानों जैसे केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान, शिमला, भारतीय बागवानी अनुसन्धान संस्थान बंगलौर, गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, केन्द्रीय कपास अनुसन्धान संस्थान, नागपुर, केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान, कटक, केन्द्रीय कन्द फसल अनुसन्धान संस्थान त्रिवेन्द्रम और केन्द्रीय बागानी फसल अनुसन्धान संस्थान कसारगौड़ आदि तथा कुछ कृषि विश्व-विद्यालयों में भी सम्बन्धित विशेष फसलों की आनुवंशिक विविधता के रखरखाव का कार्य होता है।

(ख) जनित्र द्रव्य का निर्यात राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक सहयोग के आधार पर प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

दिल्ली में कामगारों की शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय संगोष्ठी

2007. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 9 जुलाई, 1985 को दिल्ली में कामगारों की शिक्षा पर हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी पर बोलते हुए महिला कामगारों को सिर पर भारी बोझ ढोने पर मजबूर करने के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो कामगारों द्वारा विशेष रूप से महिला कामगारों द्वारा सिर पर भारी बोझ ढोने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) क्या भारत इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्णय का पालन कर रहा है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अधिसमय संख्या 127 का अनुसमर्थन नहीं किया है जो किसी श्रमिक द्वारा उठाए जाने वाले अधिकतम अनुज्ञेय भार के बारे में हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत कालोनियों को हटाने के लिए किया गया सुझावा

2008. **श्री मौहम्मद महफूज अली खां** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि पर अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये अनधिकृत निर्माण दिल्ली विकास

प्राधिकरण के अधिकारियों और बिचौलियों की सांठ-गांठ से हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अब तक कितनी अनधिकृत कालोनियां बनी हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितनी अनधिकृत कालोनियों को हटा दिया है; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनधिकृत कालोनियों को हटाने के लिए कोई मुआवजा दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत निर्माणों के मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों तथा बिचौलियों की मिलीभगत से कभी-कभी सूचित किए गए हैं।

(ग) 1977 तथा 1979 के बीच सर्वेक्षण किए गए थे तथा नियमितीकरण हेतु 607 अनधिकृत कालोनियों की एक सूची बनाई गई थी जिनमें से 155 कालोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है जिनमें वे कालोनियां भी शामिल हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर हैं। इसके पश्चात् अनधिकृत कालोनियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है सिवाय झुग्गी-झोपड़ी कलस्टरों के बारे में जो 1983-84 में किया गया था जिससे ऐसे 536 कलस्टरों का पता चला।

दिल्ली विकास प्राधिकरण समय-समय पर अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण को गिरा रहा है परन्तु इस प्रकार हटाई गई कालोनियों की कोई सूची तैयार नहीं रखी गयी है।

(घ) अनधिकृत निर्माण के हटाने पर कोई मुआवजा देय नहीं है।

[हिन्दी]

"पायरिल्ला" रोग के कारण गन्ने की फसल को नुकसान

2009. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पायरिल्ला" रोग के कारण देश के विभिन्न भागों में गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें यह बीमारी फैली है और उसकी रोक थाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) बाजार में उपलब्ध घटिया किस्म के कीटनाशकों को इस रोग के फैलने के लिए किस सीमा तक दोष दिया जा सकता है; और

(घ) अच्छी किस्म के कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) गन्ने में "पाइरिला" नामक कीट का प्रकोप उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में हुआ है। इन राज्यों ने पाइरिला के प्रकोप पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर सतही नियन्त्रण अभियान चलाए हैं। कीटों की संख्या के प्रबोधन हेतु नियमित सर्वेक्षण, प्राकृतिक जैव-नियन्त्रक क्षमता का सृजन, पर्याप्त मात्रा में अच्छी कीटनाशी दवाइयों की सप्लाई, पर्याप्त संख्या में पौध संरक्षण उपकरणों के साथ नियन्त्रण दल का गठन, जन-संचार माध्यमों के जरिए किसानों को नियन्त्रण सम्बन्धी

कार्य में लगाना तथा किसानों को कीटनाशी दवाओं की लागत में राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता देना, गन्ने पर "पाइरिला" कीट के नियन्त्रण हेतु किए गए कुछेक महत्वपूर्ण उपाय हैं। केन्द्रीय सरकार ने नियन्त्रण कार्य नीति को सरल और कारगर बनाने के लिए समय-समय पर इस कार्य से सम्बन्धित एजेंसियों/व्यक्तियों के साथ पाइरिला की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की है।

(ग) पाइरिला के प्रकोप का फैलना एक प्राकृतिक घटना थी और यह घटना घटिया कीटनाशी दवाओं के उपयोग के कारण नहीं घटी।

(घ) राज्य सरकारें खरीद-पूर्व रासायनिक विश्लेषण की योजना शुरू करके अच्छी क्वालिटी की कीटनाशी दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित कर रही है। उत्तर प्रदेश में पाइरिला के नियन्त्रण के लिए इस्तेमाल की जा रही कीटनाशी दवाइयों के नमूनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाए गए, ताकि कीटनाशी दवाइयों की क्वालिटी के स्तर के बारे में पूरी तरह सन्तुष्ट हुआ जा सके। केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, फरीदाबाद ने भी गन्ने के पाइरिला पर नियन्त्रण के लिए सतही नियन्त्रण अभियानों से सम्बन्धित कीटनाशी दवाओं के नमूनों का तेजी से विश्लेषण करके राज्य सरकार की मदद की है।

बारानी भूमि का सर्वेक्षण

2010. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शुष्क भूमि के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कृषि उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय शुष्क कृषि योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राज्यों से एकत्र किए गए भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल असिंचित क्षेत्र लगभग 1023 लाख हैक्टार भूमि है।

(ख) असिंचित भूमि सम्बन्धी राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). जी, हां परियोजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

विवरण

कुल असिंचित क्षेत्र-1981-82 (अनंतिम)

लाख हैक्टार

राज्य	कुल असिंचित क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	76.3
असम	21.2

राज्य	कुल असिंचित क्षेत्र
बिहार	48.6
गुजरात	75.2
हरियाणा	14.1
हिमाचल प्रदेश	4.8
जम्मू और कश्मीर	4.1
कर्नाटक	89.2
केरल	19.3
मध्य प्रदेश	164.2
महाराष्ट्र	163.9
उड़ीसा	49.2
पंजाब	8.0
राजस्थान	126.7
तमिलनाडु	30.3
उत्तर प्रदेश	77.5
पश्चिमी बंगाल	40.8
अन्य/सघ राज्य क्षेत्र	9.3
सम्पूर्ण भारत	1022.7

[अनुवाद]

जून, 1985 में आयातित चीनी की नीलामी

2011. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1985 में कितनी आयातित चीनी की नीलामी करने का निश्चय किया गया था;

(ख) इस महीने में वास्तव में कितनी चीनी की नीलामी की गई;

(ग) मई और जून, 1985 में प्रत्येक महीने में स्वदेशी चीनी का कितना कोटा उपलब्ध कराया गया;

(घ) क्या सरकार जून, 1985 में पर्याप्त मात्रा में चीनी बाजार में लाने में असफल रही है जिसके कारण इसके मूल्य बढ़ रहे हैं;

(ङ) जून, 1985 में आयातित और स्वदेशी चीनी की मात्रा कम जारी करने के क्या कारण हैं; और

(च) चीनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 50,000 मीटरी टन।

(ख) लगभग 19,000 मीटरी टन।

(ग) जहां तक लेवी कोटे का सम्बन्ध है, मई, 1985 के लिए 3.13 लाख मीटरी टन की सम्पूर्ण मात्रा देशी चीनी में से जारी की गई थी, जबकि जून 1985 के लिए 3.63 लाख मीटरी टन मात्रा जारी की गई थी जिसमें 3.40 लाख मीटरी टन देशी चीनी और 0.23 लाख मीटरी टन आयातित चीनी शामिल थी।

जहां तक खुली बिक्री के कोटे का सम्बन्ध है, मई, 1985 के लिए 3.60 लाख मीटरी टन की सम्पूर्ण मात्रा देशी चीनी में से जारी की गई थी। जून, 1985 के लिए जारी किए गए 3.75 लाख मीटरी टन के खुली बिक्री के कोटे में 2.50 लाख मीटरी टन देशी चीनी और 1.25 लाख मीटरी टन आयातित चीनी शामिल थी।

(घ) और (ङ). जून, 1985 के लिए खुली बिक्री के वास्ते जारी की गई देशी चीनी के प्रति लगभग समस्त मात्रा चीनी फैक्ट्रियों द्वारा भेजी गई थी और न उठायी गयी मात्रा केवल 3 प्रतिशत थी। जहां तक इस मास के लिए जारी की गई आयातित चीनी का सम्बन्ध है, कुछ प्रारम्भिक आधार-भूत ढांचे विषयक कमियों तथा संभार-तन्त्र सम्बन्धी समस्याओं के कारण राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीमित स्टाक उठाया गया था। तथापि, इन समस्याओं को अब हल कर लिया गया है और इसके परिणामस्वरूप जुलाई, 1985 मास के लिए राज्य सरकारों द्वारा आयातित चीनी का अपेक्षाकृत अधिक उठान किया गया है।

(च) राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा वितरण सम्बन्धी प्रबन्धों को सुगम बनाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि थोक लाइसेंस शुदा व्यापारी स्टाक रखने की सीमा, 10 दिन की अवधि के अन्दर माल निकालने आदि से सम्बन्धित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी कार्रवाई की गई है कि चीनी फैक्ट्रियां खुली बिक्री की चीनी की बिक्री और उसका प्रेषण सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार करती हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप और साथ ही आन्तरिक खपत के लिए खुली बिक्री और लेवी चीनी की उदार नियुक्तियां करने से आशा है कि चीनी के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखा जा सकेगा।

सरकारी कर्मचारियों को आवासों का आबंटन

2012. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्वार्टरों की कमी के कारण केन्द्रीय सरकार के लाखों कर्मचारी किराये के मकानों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनको सरकारी आवास आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस दिशा में वर्ष 1985-86 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) सरकार सभी कर्मचारियों को कब तक आवास प्रदान करने की स्थिति में होगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) सरकारी वास की कमी के कारण अधिकांश केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास मुहैया करना सम्भव नहीं है।

(ख) उपलब्ध निधियों के भीतर सामान्य पूल में और अधिक रिहायशी वास के निर्माण के लिए सरकार क़दम उठा रही है। आशा है कि 1985-86 के दौरान सामान्य पूल में 2,324 क्वार्टर तथा 184 हास्टल सूट पूर्ण हो जाएँगे।

(ग) सभी कर्मचारियों को सरकारी आवास कब तक मुहैया किया जा सकता है, के बारे में समय बताना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी, अल्मोड़ा से प्रसारण

2013. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के अल्मोड़ा केन्द्र से प्रसारित कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका प्रसारण क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र 10 गुणा बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो यह प्रसारण क्षेत्र कब तक बढ़ाए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). आकाशवाणी के अल्मोड़ा केन्द्र पर विभागीय निर्माण कार्य मुकम्मल हो गए हैं तथा केन्द्र के अगले कुछ महीनों में नियमित रूप से चालू हो जाने की आशा है। इससे अल्मोड़ा के आस-पास लगभग 20 किलोमीटर की परिधि में सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सातवीं योजना के अपने मसौदा प्रस्तावों में, आकाशवाणी ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कवरेज में सुधार के लिए स्कीमें शामिल की हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्षेत्रों में किसी एकल केन्द्र के दर्जा बढ़ाए गए ट्रांसमीटर की अपेक्षा अलग स्कीमें बेहतर कवरेज उपलब्ध करेंगी। इन स्कीमों का कार्यान्वयन सातवीं योजना के अन्तिम स्वरूप पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

आकाशवाणी के कोचीन केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण

2014. **श्री वी० एस० विजयराघवन** :

श्री के० वी० थामस :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कोचीन केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपने मसौदा प्रस्तावों में, आकाशकाणी ने एक एफ० एम० ट्रांसमीटर, स्टूडियो एवं अन्य सुविधाओं के साथ आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की स्कीम शामिल की है। किन्तु इसे विज्ञापन प्रसारण केन्द्र बनाने का इरादा नहीं है। उक्त स्कीम का कार्यान्वयन, सातवीं योजना के अन्तिम स्वरूप पर निर्भर करता है।

केरल में बन्धुआ मजदूर

2015. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के वायनाड क्षेत्र में अभी भी बन्धुआ मजदूर हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(ग) उनको मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). केरल राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, केरल के वायनाड क्षेत्र में इस समय कोई बन्धुआ श्रमिक नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

झांसी में रेडियो स्टेशन खोलना

2016. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी जिले में एक रेडियो स्टेशन खोलने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सातवीं योजना के अपने मसौदा प्रस्तावों में, आकाशवाणी ने झांसी में स्टूडियो, संग्रहण सुविधाओं, आदि के साथ ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम शामिल की है। इस स्कीम का कार्यान्वयन सातवीं योजना के अन्तिम रूप पर निर्भर करेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण

2017. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के चार जिलों अर्थात गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और आजमगढ़ में "इन्सेट" के जरिए दूरदर्शन से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने का कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब तक आरम्भ किया जाएगा; और

(ग) इस कार्यक्रम को आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। वास्तव में, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों इन्सेट-1 बी० के माध्यम से प्रश्न में उल्लिखित चार जिलों सहित उत्तर प्रदेश राज्यों में लगे सभी ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्रों में पहले ही टेलीकास्ट किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली किराया नियन्त्रयण विधेयक तथा अपार्टमेन्ट विधेयक पुरास्थापित करना

2018. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली किराया नियन्त्रण विधेयक तथा अपार्टमेन्ट विधेयक संसद में पुरास्थापित करने हेतु लम्बे समय से सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है;

(ख) उक्त विधेयकों को पुरास्थापित करने में क्या बाधायें आ रही हैं; और

(ग) प्रस्तावित विधेयकों को कब तक पुरास्थापित और कार्यान्वित किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) (i) **दिल्ली भाटक नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक**

दिल्ली महानगर परिषद की सिफारिश प्राप्त हो गई हैं। संसद् में विधेयक पेश किए जाने से पहले मामले की और जांच की जाती है।

(ii) **अपार्टमेन्ट विधेयक**

संसद में विधेयक पेश करने से पहले कतिपय आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं।

(ग) इन विधेयकों के प्रवर्तन को कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

1984 के दौरान दूरदर्शन पर विदेशी फीचर फिल्मों का प्रदर्शन

2019. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान कितनी विदेशी फीचर फिल्में दूरदर्शन पर दिखाई गईं;

(ख) क्या "नेटवर्क प्रोग्राम" पर और अधिक विदेशी फीचर फिल्में दिखाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन द्वारा 1984 के दौरान कुल 23 विदेशी फीचर फिल्में टेलीकास्ट की गई थीं। 1985 के दौरान 15-7-1985 तक उसने 6 विदेशी फीचर फिल्में टेलीकास्ट की हैं।

(ख) और (ग). दूरदर्शन इस समय अपने राष्ट्रीय संजाल पर हर मास के प्रथम/तृतीय शनिवार को एक विदेशी फीचर फिल्म टेलीकास्ट कर रहा है। तथापि, उपलब्ध टेलीकास्ट समय की कमी के कारण, इसकी आवर्त्ती बढ़ाना सम्भव नहीं होगा।

राज्यों में घटिया किस्म के उर्वरकों की बिक्री

2020. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में किसानों को घटिया किस्म के उर्वरक और अन्य आदान बेचे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बेईमान एजेंटों द्वारा घटिया किस्म के उर्वरकों और आदानों की बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राज्यों ने घटिया उर्वरकों और अन्य आदानों की बिक्री के कुछ मामलों के बारे में सूचित किया है।

(ख) समय-समय पर विभिन्न आदानों के नमूने लिए जाते हैं और नमूने के घटिया पाए जाने पर, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, बीज अधिनियम और कीटनाशी दवा अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। आदानों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकारों को लगातार अधिकाधिक नमूने लेने की सलाह दी गयी है।

पत्रकारों के लिये पेंशन योजना

2021. **श्री चित महाता** :

श्री वी० तुलसीराम :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू करने के बारे में सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना किस सीमा तक बोनस के उपबन्धों को प्रभावित करेगी; और

(घ) कब तक वर्तमान श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955, के स्थान पर एक नए कानून बनाये जाने की आशा है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). समाचारपत्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने का प्रश्न, सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में, औद्योगिक श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के व्यापक प्रश्न के साथ जुड़ा है। इसलिए श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन देने के प्रश्न पर समुचित समय में विचार किया जायेगा।

(घ) विद्यमान श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 को बदलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का निर्माण

2022. **श्री चित्त महाता** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्रथम मास्टर प्लान के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में मकानों के निर्माण का एकाधिकार प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्धित प्रत्येक परिवार को कम से कम एक रिहायशी मकान सस्ते मूल्य पर देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). यद्यपि, दिल्ली में मकानों के निर्माण में दिल्ली प्राधिकरण का कोई एकाधिकार नहीं है फिर भी उसने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (निम्न आय वर्ग, जनता, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग इत्यादि) को मकान मुहैया कराने में पर्याप्त योगदान दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1984 के अन्त तक विभिन्न वर्गों के लिए निर्मित 1,06,924 मकानों में से 72,669 मकान निम्न आय वर्ग, जनता/सामुदायिक सेवा कार्मिक (सी० एस० पी०) और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/अन्यों के लिए थे। रोहिणी योजना में दिसम्बर, 1984 तक रिलीज किये गये 25,445 प्लाटों में से 20,679 प्लाट आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग जनता और निम्न आय वर्गों के लिए थे।

संघ राज्य क्षेत्र में नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के लिए 3163 और एकक मुहैया कराये गए हैं।

खुले बाजार में खाद्य तेलों का बिक्री मूल्य

2023. **श्री चित्त महाता** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी भागों में उचित दर की दुकानों पर खाद्य तेलों के मूल्य खुले बाजार में बिकने वाले खाद्य तेलों के मूल्य की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि उपभोक्ताओं को खुले बाजार में खाद्य तेल उचित मूल्यों पर उपलब्ध है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेल थोक में 8000/-रु० प्रति मी० टन० तथा टीनों में 9500/-रु० प्रति मी० टन की दर पर सप्लाई किये जाते हैं। यह उपभोक्ताओं को उचित दर दुकानों के माध्यम से राज्यों द्वारा नियत खुदरा मूल्य पर सप्लाई किये जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार का देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों के उपयुक्त आपूर्ति प्रबन्ध से खुले बाजार में देशीय खाद्य तेलों के मूल्य नियंत्रण में रहे हैं।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारण में सुधार

2024. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में सुधार तथा इसके प्रसारण को पूरे देश में पहुंचाने के लिए कोई नई योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में विरोधी दलों के नेताओं से परामर्श किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता और विषय-वस्तु में सुधार करने के प्रयास करना श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं, श्रोताओं के पत्रों/सुझावों और कार्यक्रमों की आवश्यकताओं पर आधारित जारी रहने वाली प्रक्रिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अपने प्रस्तावों के अंग के रूप में, आकाशवाणी ने सोफ्टवेअर के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार किये हैं। इनका कार्यान्वयन योजना के अन्तिम रूप पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, नहीं।

कृषि अनुसंधान में भारत-पाकिस्तान सहयोग

2025. **श्री बी० बी० देसाई** :

श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने कृषि अनुसंधान में सहयोग करने हेतु 4 जुलाई को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षर किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते से दोनों देशों को कितना लाभ होगा; और

(घ) समझौते की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). इस समझौते में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा० कृ० अ० प०) तथा पाकिस्तान कृषि अनुसंधान परिषद जैसी कार्यान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहकारिता तथा सहयोग पर जिन क्षेत्रों में विचार हुआ है वे हैं—जनित्र द्रव्य तथा प्रजनन पदार्थों का आदान-प्रादन, वैज्ञानिक साहित्य, सूचना तथा प्रणाली विज्ञान का आदान-प्रदान, वैज्ञानिकों तथा शिल्प विज्ञानियों का आदान-प्रदान एवं विचार गोष्ठियों, संगोष्ठी, कार्यशालाओं में उनका भाग लेना; दोनों देशों की अपनी-अपनी शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों और छात्रों को छात्रवृत्तियों का अनुदान; दोनों देशों के हित के कार्यक्रमों में उपलब्ध तथा अपेक्षित वैज्ञानिक उपकरणों का आयात व निर्यात।

आगामी वर्ष के लिए कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए बारी-बारी से नई दिल्ली और

इस्लामाबाद में वर्ष में एकबार दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठकें होंगी।

इस समझौते के अन्तर्गत इसके उद्देश्यों की प्रगति को सुगम बनाने के लिए अन्तसंस्थानिक सम्बन्ध स्थापित किए जाएंगे। इस समझौते के उचित कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए एक संयुक्त अनुवर्ती समिति का गठन भी करना होगा जिसकी बैठक वर्ष में एक बार बारी-बारी से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में होंगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सेब की फसलों को क्षति

2026. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल को क्षति पहुँची है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य में सेब की फसल की कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या सरकार का सेब उत्पादकों को मुआवजा देने के लिए विशेष राहत व्यवस्था करने का कोई कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) जिला नैनीताल में ओला-वृष्टि से सेब की फसल को सामान्य फसल के मुकाबले 50-60 प्रतिशत तक क्षति पहुंची है।

(ग) और (घ). राज्य में अच्छी क्वालिटी के सेब-उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी सम्बन्धी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 7.92 लाख रुपये की लागत से छठी योजना में कार्यान्वित की गई थी। इस योजना में सेब-उत्पादकों को राजसहायता प्राप्त दरों पर ओला-जाल सप्लाई करने की व्यवस्था शामिल थी।

[अनुवाद]

श्रमिक शिक्षा योजना की पुनरीक्षा

2027. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकता और नई टैक्नालोजी को शामिल करने के सन्दर्भ में श्रमिक शिक्षा की सम्पूर्ण योजना की पुनरीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह योजना 17 वर्ष पहले शुरू की गई थी और राष्ट्रीय श्रम आयोग सहित अनेक निकायों द्वारा इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो सम्पूर्ण योजना की पुनरीक्षा कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत में श्रमिक शिक्षा योजना वर्ष, 1958 में शुरू की गई थी। इस योजना की कई विशेषज्ञों ने समय-समय पर पुनरीक्षा की और राष्ट्रीय श्रम आयोग, पाँचवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति तथा श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता वाली समिति ने भी इसकी पुनरीक्षा की। श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम की 9 से 11 जुलाई, 1985 को हुए सेमिनार में भी सामान्य पुनरीक्षा की

गई। इस सेमिनार की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसके पश्चात बोर्ड तथा इसके कार्यक्रमों का आवश्यक हद तक, पुनर्गठन करने के बारे में कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत इमारतों का निर्माण

2028. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित विद्यालयों, छात्रावासों, औषधालयों आदि जैसी पक्की इमारतों की मरम्मत और उनमें सुधार करने के लिए कौन-कौन-सी एजेंसी जिम्मेदार हैं;

(ख) क्या इन इमारतों की मरम्मत और इनमें सुधार करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को कोई धनराशि प्रदान की गई है; यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनके विभाग द्वारा प्रयोजन के लिए वर्ष 1985-86 में कोई धन राशि प्रदान की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कन्नूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ). राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में विशेष रूप से यह व्यवस्था है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की निधियां योजना निधियां हैं, इसलिए उनका उपयोग रखरखाव के कार्य के लिए करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह कार्य व्यय की गैर-योजना मद है। इस समय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए कोई निधियां नहीं दी जाती हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय विद्यालय को छात्रावास भवन सौंपा जाना

2029. **श्री राजकुमार राय** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संख्या-एक, सदर बाजार रोड, दिल्ली छावनी को छात्रावास भवन हस्तान्तरित करने के बारे में 18 जून, 1985 का कोई पत्र मिला है;

(ख) छात्रावास भवन का हस्तान्तरण करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) छात्रावास भवन कब तक केन्द्रीय विद्यालय संख्या एक को हस्तान्तरित किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्य सफाई, रंग-रोगन का आखिरी कोट, बिजली कार्य जैसी अन्तिम साज-सज्जा की जा रही है।

(ग) अगस्त, 1985 तक।

[अनुवाद]

सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड

2030. **श्री कमल नाथ :**

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मन्त्रियों के हाल ही में हुए एक सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन करने पर खतरनाक/जोखिम वाले माने गये उद्योगों के मालिकों को अनिवार्य रूप से कारावास का दण्ड दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो जोखिम वाले और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन एककों में सुरक्षा भावना जाग्रत करने तथा व्यवसाय जन्य रोगों का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने में उनकी सहायता करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) श्रम मन्त्री सम्मेलन ने कारखाना अधिनियम, 1984 में संशोधन करने की सिफारिश की ताकि जोखिमपूर्ण उद्योगों में सुरक्षा बरतने के लिए उपयुक्त उपबन्ध किए जा सकें। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि जोखिम पूर्ण उद्योगों में सुरक्षा विनियमों का लगातार उल्लंघन करने के लिए अनिवार्य रूप से कारावास का दण्ड होना चाहिए।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में जोखिमपूर्ण उद्योगों का पता लगाने के लिए टास्क फोर्स/समितियां गठित करें और उसके ब्यौरे कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय के संगठन को उपलब्ध कराएं जो उसके बाद जोखिमपूर्ण उद्योगों की एक सामूहिक सूची तैयार करेंगे।

(घ) सरकार ने दुर्घटनाओं को तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्रवाई योजना बनाई है। इस योजना में, जिसे नियोजकों, कर्मचारियों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाना है, यह परिकल्पना की गई है कि उन सभी उपक्रमों में, जिन्हें जोखिमपूर्ण यूनिट मान लिया गया है, सुरक्षा और स्वास्थ्य दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों को अपनाया जाय, राज्यों में सुरक्षा नियंत्रण सैल गठित किए जांय और सुरक्षा सम्बन्धी स्कीमों में श्रमिकों को अन्तर्वलित किया जाय तथा स्वास्थ्य-जोखिमों को रोका जाए।

बायो-गैस प्रौद्योगिकी

2031. **श्री चिंता मोहन** : **क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसन्धान तथा विकास प्रयासों की असफलता के कारण बायो-गैस प्रौद्योगिकी में पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई है;

(ख) भारत और चीन की बायो-गैस प्रौद्योगिकी और उनके उत्पादन का तुलनात्मक विवरण क्या है; और

(ग) इस दिशा में अनुसंधान तथा विकास प्रयासों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान। यह कहना ठीक नहीं है कि बायो गैस प्रौद्योगिकी की प्रगति नहीं हो रही है। विश्व में भारत बायो गैस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा इस क्षेत्र में भा० कृ० अ० प० ने पर्याप्त अनुसन्धान तथा विकास सहयोग दिया है। वास्तव में भा० कृ० अ० प० के अग्रगामी कार्य से ही भारत में इतने बड़े पैमाने पर बायो गैस प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है।

(ख) हमारी और चीन की बायो गैस प्रौद्योगिकी बहुत हद तक मिलती-जुलती हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि 1981-82 से देश में बायोगैस संयंत्रों को लगाने का कार्य प्रत्येक वर्ष लगभग दुगुना हो रहा है।

(ग) भारत सरकार ने नौन-कन्वेन्शनल एनर्जी सोर्स विभाग बनाया है जो अब बायो गैस प्रौद्योगिकी का नोडल विभाग है। बायो गैस प्रौद्योगिकी को उनकी योजना में प्राथमिकता दी जाती है बायो गैस के विकास पर उनकी एक राष्ट्रीय परियोजना है। भा० कृ० अ० प० नवीकरण योग्य ऊर्जा श्रोत पर एक समन्वित योजना और कृषि में ऊर्जा और पोषण प्रबन्ध पर एक बहुस्थानीय परिचालन अनुसन्धान योजना चला रही है जहां बायो गैस प्रौद्योगिकी एक प्रमुख संघटक है।

कीट नियन्त्रण योजना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

2032. **श्री चिंता मोहन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा हरियाणा कीट नियंत्रण योजना को "व्हाइटग्रब" के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर कीट वायु से फैलते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य तथा राष्ट्रीय सीमाओं के पार फसलों को प्रभावित करते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों को ऐसी सभी कीटनाशी योजनाओं के लिए समान वित्तीय सहायता और समर्थन देने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने "स्थानिकमारी क्षेत्रों में खरपतवार नियंत्रण सहित कृषि के महत्वपूर्ण कृमियों और रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना" नामक योजना के तहत 1985-86 के दौरान "व्हाइट ग्रब" कृमि के नियन्त्रण के लिए हरियाणा सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। जारी की गई प्रशासनिक स्वीकृति 10,000 हैक्टार क्षेत्र में "व्हाइट ग्रब" के नियंत्रण हेतु 11.75 लाख रुपए तक के राजसहायता के केन्द्रीय शेयर के बारे में है। इस योजना के अधीन, घटक "कृषि के महत्वपूर्ण कृमियों का नियन्त्रण" के घटक के लिए राज्यों को कृमिनाशकों की लागत 50 प्रतिशत की दर पर और भूमि प्रचालनों के लिये 15 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से राजसहायता उपलब्ध है, जिसे केन्द्र और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा। संघशासित क्षेत्रों के मामले में, समूची राजसहायता केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ख) जी, हां। अधिकतर कृमि भ्रमणशील होते हैं। टिड्डी कृषि का एक जाना पहचाना कीट है, जो अपने महामारी दौरों में पश्चिम अफ्रीका से भारत और तुर्की से तुनीसिया तक विशाल रेगिस्तान को पार करते हुए एक देश से दूसरे देश में घूमता फिरता है। टिड्डी समस्या को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासों पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों द्वारा नियन्त्रण में लाया गया है, जिनका संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा लगातार समन्वय किया जाता है। अन्य विदेशी कृमियों तथा रोगों के खतरे को दूर करने के लिए हानिकारक कीट और कृमि अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अनुसार देश में पादप संगरोध व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू किया जाता है।

(ग) स्थानिकमारी क्षेत्रों में खरपतवार नियंत्रण सहित कृषि के महत्वपूर्ण कृमियों और रोगों के नियन्त्रण व अन्मूलन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत प्रमुख और स्थानिकमारी कृमिओं, रोगों और खरपतवारों के नियन्त्रण के लिए सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के लिए। सहायता के निर्धारित प्रतिमान पर राजसहायता उपलब्ध है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों, और इस स्कीम की स्वीकृत शर्तों के अनुरूप हों। 1985-86 के दौरान, गुजरात और राजस्थान में "व्हाइट ग्रब" के नियन्त्रण को भी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, आंध्र प्रदेश सरकार ने सिर्फ चावल की फसल के कृमियों के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है और 53333 हैक्टार क्षेत्र को कवर करने और राजसहायता के केन्द्रीय हिस्से के लगभग 16 लाख रु० के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

दूध उत्पादन का मशीनीकरण

2033. **श्री चिंता मोहन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारी अनुसंधान और विकास इकाइयों द्वारा देश में दूध को तैयार करने की प्रक्रियाओं के मशीनीकरण में प्राप्त हुई प्रगति से सन्तुष्ट है (इकनोमिक्स टाइम्स, 10 जुलाई, 1985);

(ख) देश में दूध पर आधारित उत्पादों को तैयार करने की प्रक्रियाएं कौन-कौन-सी हैं जहां मशीनीकरण को संभव पाया गया है और हमारी अनुसन्धान और विकास इकाइयों द्वारा तैयार की गई मशीनों का ब्यौरा क्या है जिनका देश में व्यापक उपयोग हो रहा है;

(ग) खोया मशीन का डिजाइन सबसे पहले कब तैयार किया गया था और उसे जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था और इस प्रकार की कितनी मशीनों का वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) उक्त मशीनों के निर्माताओं का ब्यौरा क्या है और क्या इन पर कोई पेटेन्ट लिया गया है और यदि हां, तो उसमें कितनी रायल्टी अर्जित की गई है?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल तथा राष्ट्रीय डेरी विकास मण्डल, आनन्द द्वारा खोआ, छेना, श्रीखंड तथा गुलाब जामुन को बनाने के लिए यांत्रिकीकरण प्रक्रिया विकसित की गई है। व्यापक रूप से उपयोग में लायी जाने वाली मशीनें वैकूम पैन्स और मल्टीपल इफेक्ट इवोपोरेटर्स जो खोआ बनाने के काम आती हैं। इसी तरह श्रीखंड और गुलाब जामुन बनाने वाले उप-

करणों का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

(ग) तथा (घ). 1968 में सबसे पहले खोआ मशीन का डिजाईन तैयार किया गया तथा डिजाईन तथा प्रक्रिया को इण्डियन डेरीमैन मैसर्स अनूप इजि० लि०, अहमदाबाद तथा मैसर्स कपसर इंजि० वर्क्स, नई दिल्ली में प्रकाशित किया गया है जो खोआ बनाने की मशीन तैयार करती हैं। अभी तक कोई पेटेन्ट नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रमाणित बीजों का वितरण

2034. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1985 के "ट्रिब्यून" में "एन० एस० सी० द डिस्ट्री-ब्यूट हाई यीलडिंग सीड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि जिसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि राष्ट्रीय बीज निगम ने चालू खरीफ मौसम के दौरान अधिक उपज देने वाले धान के 22,700 टन बीज और मक्का, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों के 900 टन बीज वितरित करने की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को बीजों के वितरण के मानदण्ड क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय बीज निगम ने 1985 की खरीफ फसल के दौरान वितरण के लिए धान की अधिक उपज देने वाले 22,700 मीटरी टन बीज और संकर बाजरा, ज्वार और मकई के 9,000 मीटरी टन प्रमाणित बीज का प्रबन्ध किया है।

(ख) राज्यों में बीज वितरण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अपनाया जा रहा मानदण्ड कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ की गयी चर्चा के आधार पर होता है, जिसमें सम्बन्धित राज्यों के लिए बीज की उपलब्धता के साथ-साथ उनकी आवश्यकता के बारे में चर्चा की जाती है। इसके अलावा, विभिन्न संगठनों और बीज व्यापारियों द्वारा की गयी पेशगी मांग पर भी विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को सप्लाई की गई चीनी और उसका वितरण

2035. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में चीनी की सप्लाई की गई और इसके वितरण के लिए मुख्य मानदण्ड क्या अपनाया गया;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की जानकारी मिली है कि ग्रामीण क्षेत्रों को चीनी सप्लाई नहीं की जाती है और इसका समुचित रूप से वितरण नहीं किया जाता है और यदि हां, तो आम आदमी को इसे उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं और यदि कोई प्रबन्ध नहीं किए गए हैं तो इसके क्या करण हैं; और

(ग) क्या सरकार चीनी के समुचित वितरण के लिए कोई नीति निर्धारित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्या-न्वित किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार को 1982 1983 और 1984 के पंचांग वर्षों के दौरान कुल क्रमशः लगभग 5.57 लाख मीटरी टन, 5.83 लाख मीटरी टन और 6.14 लाख मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की गई थी। 1-10-1983 को परियोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर लेवी चीनी के राज्य-वार मासिक कोटों में पिछली बार 1-10-1983 से परिवर्तन किया गया था।

(ख) और (ग) जहां तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से लेवी चीनी का वितरण करने का सम्बन्ध है, यह मामला राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। स्थानीय परिस्थितियों और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वितरण की मात्रा का निर्धारण सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में दूरदर्शन केन्द्र

2036. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में इस समय कितने दूरदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे है;

(ख) इन दूरदर्शन केन्द्रों के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आता है;

(ग) क्या कुछ दूरदर्शन केन्द्रों के असन्तोषजनक कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके सन्तोषजनक रूप मे कार्य करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय उड़ीसा में पांच दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा एक बेस प्रोडक्शन सेन्टर कार्य कर रहे हैं।

(ख) इन ट्रांसमीटरों द्वारा लगभग 56,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर किया जाता है।

(ग) और (घ). मुख्यतया शिकायतें, कोरापुट और राउरकेला के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से कथित असंतोषजनक कवरेज के बारे में रही हैं।

कोरापुट में उपकरण सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, कोरापुट के अन्य शक्ति वाले ट्रांसमीटर की अभिहित सेवा परिधि के अन्दर कुछ क्षेत्रों में कवरेज प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे मध्यवर्ती पहाड़ियों मे होने वाले छाया जोन में आते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में दूरदर्शन कवरेज की व्यवस्था करना भावी योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राउरकेला का अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर भी सीमित कवरेज उपलब्ध करता है तथा व्यापक कवरेज उपलब्ध करने के लिए ट्रांसमीटर को अन्य वैकल्पिक स्थान पर स्थानान्तरित करने का सिद्धान्ततः निर्णय लिया गया है बशर्ते कि राज्य सरकार उपयुक्त भवन और अन्य मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करा दें।

दूरदर्शन और आकाशवाणी के कलाकारों की फीस में वृद्धि

2037. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कलाकारों की फीस में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रत्येक कलाकारों की फीस में कितनी वृद्धि की जाएगी;

(ग) क्या फीस में यह वृद्धि सभी कलाकारों के लिए होगी या कुछ विशिष्ट श्रेणियों के लिए होगी; और

(घ) इस वृद्धि से दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में जनता के लाभ के लिए कितना सुधार होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ). बेहतर प्रतिभा आकर्षित करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के परफार्मिंग आर्टिस्टों के शुल्क-मानों में वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

चौदहवें मास्को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय शिष्टमन्डल द्वारा भाग लेना

2038. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौदहवें मास्को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए एक उच्चस्तरीय भारतीय शिष्टमण्डल मास्को गया था;

(ख) यदि हां, तो उस शिष्टमण्डल में कौन-कौन शामिल थे;

(ग) फिल्म समारोह में भाषावार, कितनी भारतीय फिल्में दिखाई गयी थीं;

(घ) उसमें तेलुगु की कितनी फिल्में दिखाई गयी थीं; और

(ङ) यदि कोई फिल्म नहीं दिखाई गयी, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री थे।

प्रतिनिधि मण्डल के अन्य सदस्य इस प्रकार थे :—

(1) जे० सी० डंगवाल, उप सचिव,
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय।

(2) श्री शंकर बसु, बरिष्ट उप निदेशक,
फिल्म समारोह निदेशालय।

(3) श्री महेश भट्ट, निर्देशक, "सारांश", जो पूरी लम्बाई की फीचर फिल्मों के प्रतियोगिता विभाग में भारतीय प्रविष्टि थी।

(ग) फिल्म समारोह के प्रतियोगिता और सूचना विभागों में दो फीचर फिल्मों, हिन्दी और

बंगला की एक एक प्रदर्शित की गयी थीं। इसके अतिरिक्त, कुछ फिल्में प्रतियोगिता से बाहर दिखाई गयी थीं।

(घ) जी, कोई नहीं।

(ङ) भारत द्वारा एक तेलुगु फिल्म प्रविष्ट की गई थी, किन्तु प्रदर्शन के लिए उसको चुना नहीं गया था। समारोह में प्रदर्शन के लिए फिल्मों का अन्तिम चयन सभी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में अपनाए जाने वाली परिपाटी के अनुसार समारोह अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

गेहूं और चावल की खरीद

2039. **श्री वी० तुलसी राम :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 जून, 1985 तक कितने टन गेहूं और चावल की खरीद की गई;

(ख) राज्य-वार गेहूं की खरीद के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस खरीद से देश में खाद्य वस्तुओं की भण्डारण स्थिति में कितना सुधार होगा; और

(घ) क्या इस खरीद का देश में बढ़ते हुए मूल्यों पर कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) चालू रबी और खरीफ विपणन मौसमों के दौरान 30-6-85 तक 102.48 लाख मीटरी टन गेहूं और 97.38 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की वसूली की गई थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सार्वजनिक एजेंसियों के पास 1-7-1985 को 291.7 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक होने का अनुमान है।

(घ) इस समय वसूल किए गए और सरकारी एजेंसियों के पास पड़े हुए खाद्यान्न के पर्याप्त स्टाक से गेहूं और चावल के मूल्यों को उचित सीमा के अन्दर बनाए रखना सम्भव होगा और इसका सामान्य मूल्य स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

विवरण

विपणन मौसम 1985-86 के दौरान गेहूं की राज्यवार वसूली

(30-6-1985 को स्थिति)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वसूल की गई मात्रा (लाख मीटरी टन में)
बिहार	0.04
हरियाणा	19.59
जम्मू तथा कश्मीर	0.04
मध्य प्रदेश	0.14

पंजाब	61.26
राजस्थान	0.37
उत्तर प्रदेश	21.02
पश्चिमी बंगाल	0.02
दिल्ली	नग०
अखिल भारतीय	102.48

नग० = 500 मीटरी टन से कम।

औद्योगिक संबंध आयोग की स्थापना करने के बारे में सनत मेहता समिति की सिफारिश

2040. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए श्री सनत मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति ने कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या औद्योगिक सम्बन्ध आयोग स्थापित करने का कोई सुझाव दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सनत मेहता समिति की रिपोर्ट से लिए गए संगत उद्धरण संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

विषय:— औद्योगिक विवादों और ट्रेड यूनियनों के सम्बन्ध में कानून-प्रस्तावित परिवर्तनों की रूपरेखा

औद्योगिक सम्बन्ध आयोग, स्थायी श्रम न्यायालय और निजी तथा सामूहिक विवादों के निपटाने की प्रक्रिया

2.1.1. राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर औद्योगिक विवादों के समाधान के तंत्र के रूप में औद्योगिक सम्बन्ध आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी जिनके गठन और कार्य राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार होंगे। राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की (अनुबंध देखें) कि औद्योगिक सम्बन्ध आयोग कार्यकारी से स्वतन्त्र एक प्राधीकरण होगा जिसके मुख्य कार्य ये होंगे :—(क) संराधन, (ख) औद्योगिक विवादों में न्यायनिर्णयन और प्रतिनिधि यूनियनों के रूप में यूनियनों का प्रमाणीकरण। आयोग के अध्यक्ष के पास न्यायिक योग्यताएं तथा अनुभव होगा तथा उसकी सहायता करने के लिए न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य होंगे। गैर-न्यायिक सदस्य उद्योग, श्रम या प्रबन्धतन्त्र के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त के लिए पात्र व्यक्ति न्यायिक सदस्य होने चाहिए। संराधन विंग में न्यायिक

योग्यता प्राप्त या जिन्हें न्यायिक योग्यता प्राप्त नहीं है, संराधन अधिकारी होंगे।

2.1.2 समिति सिफारिश करती है कि प्रस्तावित नये विधान में स्वतन्त्र औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की स्थापना की व्यवस्था होगी और इसका गठन, स्थापना, अध्यक्ष, सदस्यों, सहायक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की योग्यताएं राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार होंगी। इस कानून में सही स्थिति का चित्रण होना चाहिए। तथा सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इसके ब्यौरे तैयार करेगी।

2.2. व्यक्तिगत विवादों के निपटान हेतु प्रक्रिया शिकायत विवाचना की साधारण शिकायत निवारण प्रक्रिया के अनुसार होगी। सामूहिक विवादों के सम्बन्ध में, जहां सामूहिक सौदेकारी असफल रहती है, सामान्य तौर से निपटान विवाचन द्वारा किया जाएगा। जहां पक्षों को विवाचन स्वीकार्य नहीं है, तो वे औद्योगिक सम्बन्ध संगठन का संराधन विंग के पास जा सकते हैं, जो द्विपक्षीय समझौता द्वारा दोनों पक्षों की सहायता करने के विचार से मध्यस्थता करेगा। औद्योगिक सम्बन्ध आयोग का न्यायनिर्णयन ऐसे मामलों पर विचार करेगा जहां संराधन विंग उनका निपटान करने की स्थिति में नहीं है। न्यायनिर्णायक का निर्णय अन्तिम होगा और यह पक्षों को बाध्य होगा। प्रमाणीकरण विंग यूनियनों के पंजीकरण तथा मध्यस्थता करने वाले एजेन्ट का पता लगाने सम्बन्धी सभी मामलों तथा विशेष रूप से इसको भेजे गए अन्य मामलों पर कार्रवाई करेगा।

2.3. औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की देख-रेख में केन्द्र और राज्यों में स्थायी श्रम न्यायालय भी कार्य करेंगे तथा ये न्यायालय अनुचित श्रम व्यवहार तथा इस प्रकार के अन्य विवादों के साथ-साथ अधिकारों तथा कर्त्तव्यों, पंचाटों की व्याख्या और कार्यान्वयन तथा कानून और समझौतों के संगत उपबन्धों के अधीन अधिकारों तथा कर्त्तव्यों से उत्पन्न होने वाले दावों से संबंधित विवादों में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश संख्या 192 के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

2.4. श्रम न्यायालयों को औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों, विवाचकों के निर्णयों, विधान के अधीन समझौतों तथा अधिकारों को वैसे ही सीधे कार्यान्वित करने की शक्तियां होंगी जिस प्रकार राजस्व एकत्र करने हेतु कलैक्टर प्राधिकृत है तथा न्यायालयों को मामलातदार/तहसीलदार कारन्डे (बेलिफ) और अन्य कर्मचारी दिए जाएंगे जिनके पास राजस्व वसूली की शक्तियां होंगी तथा न्यायिक न्यायालयों को जायदाद (सम्पत्ति) को नीलाम करने की शक्तियां उपलब्ध होंगी ताकि वसूल की गई राशि लाभानुभोगियों को न्यायालयों द्वारा सीधे उपलब्ध कराई जा सके।

सूखा की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु कर्नाटक को भेजा गया अध्ययन दल

2041. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री नरसिंह सूर्यवंशी :

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में मौजूदा सूखा की स्थिति का अध्ययन करने हेतु किसी केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य में सूखा की स्थिति से मुकाबला करने के लिए राज सहायता अथवा धनराशि मंजूर की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और सहायता सम्बन्धी उच्च-स्तरीय समिति की उस पर की गयी सिफारिशों के आधार पर कर्नाटक को 22.16 करोड़ रुपए तक की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गयी है।

तमिलनाडु में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

2042. **श्री एन० डैनिस** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे; और

(ख) क्या कन्याकुमारी जिले में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा जहां पर इसकी अत्याधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). तमिलनाडु में अतिरिक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

राज्यों की राजधानियों से गन्दी बस्तियां हटाने की योजना

2043. **श्री सुधीर राय** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की कोई योजना है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्यों की राजधानियों से गंदी बस्तियां हटाने में उनकी सहायता करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). नगर विकास राज्य का विषय है तथा नगरीय मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की राज्य क्षेत्र योजना राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकता तथा प्राथमिकताओं के अनुसार राजधानी शहरों सहित विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में वार्षिक योजना प्रावधानों से कार्यान्वित की जाती हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में नगरीय मलिन बस्तियों के व्यापक पुनर्वास की बजाए पर्यावरणीय सुधार पर बल दिया गया है। योजना के द्रुत कार्यान्वियन के ध्येय से केन्द्रीय सरकार ने छठी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान मलिन बस्तियों के अतिरिक्त लाभान्वयन के लिए राज्यों को केन्द्रीय प्रोत्साहन अनुदान देने की योजना थी। सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

सरकारी कर्मचारियों को आवास ऋण

2044. **श्री सुधीर राय** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को बैंक कर्मचारियों की तरह कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकारी कर्मचारियों तथा बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा सुविधाएं एक समान नहीं हैं। सरकार को उधार

लागत तथा कर्मचारियों की वापसी भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम ऋण की ब्याज दर निर्धारित की गई हैं।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से दुधारू पशुओं का आयात

2045. **श्री सुधीर राय** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से दुधारू पशुओं के आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार के दूधारू पशुओं को देश में हिमालय पर्वत और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पालन-पोषण किया जा सकता है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). जी, हां। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से गायें दान करने के लिए ग्रीस की महामहिम राजकुमारी आइरेन की सरकार की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उपहार स्वीकार करने की क्रियाविधि को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, हां।

केरल को चावल का आवंटन

2046. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को गत 6 महीनों के दौरान केन्द्रीय पूल से प्रति माह कितना चावल आवंटित किया गया;

(ख) केरल की चावल के लिए वास्तविक मांग कितनी है और वास्तव में उसे कितना चावल सप्लाई किया गया; और

(ग) केरल की चावल की पूरी आवश्यकता को पूरा न करने के क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). केरल के बारे में पिछले छः महीनों के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल की मांग, आवंटक और उठान का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

मास	मांग	आवंटन	उठान
1985			
मार्च	135.0	110.0	108.0
अप्रैल	135.0	110.0	104.1
मई	150.0	110.0	118.3
जून	135.0	115.0	114.9
जुलाई	135.0	120.0	उपलब्ध नहीं
अगस्त	135.0	125.0	उपलब्ध नहीं

सामान्य मासिक आवंटन के अलावा, राज्य सरकार को जुलाई, 1985 में एक समय का 25,000 मीटरी टन चावल का विशेष आवंटन भी किया गया है।

(ग) केन्द्रीय पूल से आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं।

केरल से अधिक चावल की मांग

2047. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कमी के महीनों के दौरान आवेश्यकताओं को पूरा करने और बाढ़ पीडितों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक चावल की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसने कितनी मात्रा में चावल की मांग की तथा उसे कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख). केरल सरकार ने मई, 1985 में उनके चावल के जुलाई, 1985 से अक्तूबर, 1985 तक के मासिक कोटे को कम से कम 25,000 मीटरी टन तक बढ़ा देने का अनुरोध किया था जिससे वे कमी के महीनों के दौरान चावल की बढ़ी हुई मांग को पूरा कर सकें। राज्य सरकार ने जुलाई, 1985 में यह भी सूचित किया था कि उनके राज्य में अभूतपूर्व बाढ़ें आने के कारण उन्हें इनसे पीड़ित गरीब जनता को मुफ्त राशन देना पड़ा था।

केरल के चावल के मासिक आवंटन को मई, 1985 के 1,10,000 मीटरी टन से बढ़ाकर जून, 1985 में 15,000 मीटरी टन, जुलाई, 1985 में 1,20,000 मीटरी टन और अगस्त, 1985 में बढ़ाकर 1,25,000 मीटरी टन कर दिया गया था। इस सामान्य मासिक आवंटनों के अलावा, राज्य सरकार को उनकी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए जुलाई, 1985 में एक ही समय का 25,000 मीटरी टन चावल का विशेष आवंटन भी किया गया है।

नारियल के उत्पादन में वृद्धि

2048. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नारियल पैदा करने वाली अधिकांश जोत बहुत छोटी और सीमांत हैं तथा उसकी उत्पादकता कम है; और

(ख) यदि हां, तो इन जोतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). देश में नारियल की अधिकतर जोतें छोटी और सीमान्त हैं। नारियल पैदा करने वाले राज्यों में जोतों के आकार में अन्तर होने के कारण नारियल की उत्पादकता पर अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

देश में नारियल की उत्पादकता वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं : (1) संकट और अधिक उपज देने वाली अन्य किस्मों को रोगरहित पौद का उत्पादन और वितरण, (2) रोगग्रस्त और अनोत्पादक जोतों को ठीक करके नया रूप देना तथा इसके रोगग्रस्त वृक्षों को बदलना और (3) प्रदर्शन कार्यक्रम के जरिए उन्नत सम्पुट पद्धतियों को लोकप्रिय बनाना।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की गई घटिया सामग्री

2049. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण घटिया सामग्री का प्रयोग करता रहा है जिसके परिणामस्वरूप इसके द्वारा निर्मित मकान ज्यादा समय तक नहीं चल सकते और क्या सरकार को इस बारे में बहुत-सी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख). घटिया सामग्री के उपयोग तथा खराब निर्माण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण पाये गये मकानों के ब्यौरे संलग्न विवरण एक और दो में दिये गये हैं।

1981 से 31 जुलाई, 1985 तक घटिया निर्माण के लिये 113 इंजीनियरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है।

विवरण-एक

कोटि नियन्त्रण निरीक्षण पर आधारित 1983-84 के दौरान पाए गए त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची

क्र० सं०	निर्माण कार्य का नाम
1.	ईस्ट आफ कैलास, पाकेट-8 में 56 श्रेणी-3, 28 श्रेणी-2 फ्लैटों, का रंगरूपों तथा सर्वेन्ट क्वार्टरों का निर्माण।
2.	दिलशाद गार्डन, पाकेट-1 (नयी पद्धति) में 512 मध्यम आय वर्ग मकानों का निर्माण उपजीवी भूमि के आभयन्तर विकास सहित दिलशाद गार्डन वर्ग-II में 256 मध्यम आय वर्ग रिहायशी एककों का निर्माण।
3.	दिलशाद गार्डन में आभयन्तर विकास सहित, दिलशाद गार्डन पाकेट-1 में 941 जनता मकानों का निर्माण। उपकायी दिलशाद गार्डन में वर्ग-1 के 471 जनता मकानों का निर्माण।
4.	आभयन्तर विकास सहित गाजीपुर डेरी फार्म, पाकेट-1 में यमुनापार क्षेत्र में 926 जनता मकानों का निर्माण। उपकायी गाजीपुर ग्रुप-ए-II में 179 जनता मकानों का निर्माण।
5.	आभयन्तर विकास सहित गाजीपुर डेरी फार्म पाकेट-I में यमुनापार क्षेत्र में 926 जनता मकानों का निर्माण। उपकायी गाजीपुर ग्रुप-ए-I तथा ए-II में 142 जनता मकानों का निर्माण।
6.	आभयन्तर विकास जौन ई०-11 सहित 300 जनता रिहायशी एककों का निर्माण।
7.	निर्माण विहार में 40 मध्यम आय वर्ग मकानों का निर्माण।
8.	यमुनापार क्षेत्र में 7,000 रिहायशी एककों का निर्माण। उपकायी 300 रिहायशी एककों का निर्माण (60 मध्यम आय वर्ग, 240 निम्न आय वर्ग, 8 ग्रुप-1, त्रिलोकपुरी)।

9. जलपूर्ति तथा स्वच्छता आभ्यन्तर विकास सहित नन्दनगरी पाकेट-8 सी, तथा डी में 378 निम्न आय वर्ग मकानों का निर्माण।

10. पीतमपुरी पाकेट-3-6-बी० ए० में 208 निम्न आय वर्ग मकानों का निर्माण।

11. जहांगीरपुरी में 320 मध्यम आय वर्ग रिहायशी एककों का निर्माण।

12. गुलाबी बाग में 138 स्वक्ति पोषित योजना मकानों का निर्माण।

13. जनकपुरी में पाकेट-6 सैक्टर-6 में 480 निम्न आय वर्ग मकानों का निर्माण।

14. सीलमपुर पाकेट-ए में 208 निम्न आय वर्ग मकानों का निर्माण।

15. पीतमपुरा ग्रुप 111 में 192 मध्यम आय वर्ग मकानों का निर्माण।

16. पीतमपुरा, पाकेट-8 (पूर्वी) में 192 मध्यम आय वर्ग मकानों का निर्माण।

विवरण दो

तथ्य जांच समिति द्वारा पाए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य में त्रुटियों वाले निर्माण कार्यों की सूची

क्रम सं०	निर्माण कार्य का नाम
1.	गुलाबी बाग में स्व वित्तपोषित योजना के आवासों का 130 रिहायशी एककों का निर्माण
2.	दिलशाद गार्डन शाहदरा में मध्यम आय वर्ग के 96 रिहायशी एकक और निम्न आय वर्ग के 96 रिहायशी एकक
3.	पाकेट-ई, (बोडेला विस्तार), विकासपुरी में स्ववित्तपोषित योजना आवास के 224 रिहायशी एकक
4.	ईस्ट आफ कैलाश में स्व वित्तपोषित योजना आवास 80 एम० 111 श्रेणी, 40 एम
5.	पश्चिमपुरी में जनता टाइप के 1092 मकानों का निर्माण
6.	मालवीय नगर विस्तार, साकेत में स्ववित्त पोषित योजना के 194 रिहायशी एककों का निर्माण
7.	मालवीय नगर विस्तार, साकेत में स्ववित्त पोषित योजना के 204 रिहायशी एककों का निर्माण।
8.	पीतमपुरा ग्रेड-1 में मिश्रित मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के 208 फ्लैटों का निर्माण।
9.	पीतमपुरा ग्रेड-111 में मध्यम आय वर्ग के 192 फ्लैटों का निर्माण
10.	शालीमार बाग में स्ववित्त पोषित योजना के 160 मकानों का निर्माण
11.	लारेंस रोड़ में 960 मकानों का निर्माण
12.	जहांगीरपुरी के मध्यम आय वर्ग के 320 रिहायशी एककों का निर्माण
13.	त्रिलोकपुरी में मध्यम आय वर्ग के 168, निम्न आय वर्ग के 56 मकानों का निर्माण।

योग : 4220

गेहूं का आयात और निर्यात

2050. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा आयात किए गए गेहूँ का प्रति टन कितना मूल्य अदा किया गया तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से कितनी मात्रा में गेहूँ का आयात किया गया और प्रत्येक मामले में कितना मूल्य अदा किया गया;

(ख) भारत द्वारा किन-किन देशों को कितनी मात्रा में और किस मूल्य पर गेहूँ का निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) भारत द्वारा खाद्यान्नों की अन्य कौन सी किस्मों का आयात और निर्यात किया जा रहा है तथा प्रत्येक मामले में मूल्य क्या है और कितनी मात्रा में आयात और निर्यात किया जा रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने अब तक सोवियत रूस को 5 लाख मीटरी टन गेहूं और नियतनाम को जिन्स-उधार के रूप में 50,000 मीटरी टन गेहूँ का निर्यात करने के ठेके किए हैं। इसके अतिरिक्त, सूखे से प्रभावित अफ्रीकी देशों को एक लाख मीटरी टन गेहूं सप्लाई किया जा रहा है। मौजूदा निर्यात नीति के अन्तर्गत, बल्क में जहाज तक निष्प्रभार गेहूँ का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1600/-रुपये प्रति मीटरी टन है।

(ग) भारत फिलहाल अनाजों का कोई आयात नहीं कर रहा है।

मौजूदा निर्यात नीति के अन्तर्गत, बासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०-3) पर किया जाता है। बशर्ते कि उसका जहाज तक निष्प्रभार निर्यात मूल्य 7,500 रुपये प्रति मीटरी टन हो। जौ का निर्यात भी ओ० जी० एल०-3 के तहत किया जाता है। सीमित मात्रा में मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी का निर्यात करने की भी अनुमति दी जाती है। इस नीति के अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली संभावित मात्रा और उसके मूल्य बताना संभव नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से आयात किए गए गेहूँ की मात्रा देश और जहाज तक निष्प्रभार मूल्य को बताने वाला विवरण।

वर्ष	देश	ठेकाबद्ध मात्रा (लाख मीटरी टन में)	जहाज तक निष्प्रभार प्रति मीटरी टन औसत अनुमानित मूल्य
1982-83	संयुक्त राज्य अमेरिका	24.95	164.66 अमरीकी डालर
	संयुक्त राज्य अमेरिका	14.55	167.66 अमरीकी डालर

1983-84	संयुक्त राज्य अमेरिका	9.80	157.9 अमरीकी डालर
	कनाडा	5.00	160.49 अमरीकी डालर
	अर्जेंटिना	6.50	150.38 अमरीकी डालर
1984-85	—	—	—

उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्यकरण की पुनरीक्षा

2051. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है और उसमें से राज्य बार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में समितियों की संख्या क्या-क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान इन उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्यकरण की कभी पुनरीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी पुनरीक्षा कब की गई;

(घ) उन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी समितियों की संख्या क्या है जहां पर कुप्रबंध है; और

(ङ) क्या उपभोक्ता सहकारी समितियां अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रही हैं, यदि हां, तो किस सीमा तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) से (ङ) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशालय के पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यबल की सिफारिशें

2052. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशालय के पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर 11 जनवरी, 1982 से अनुवर्ती कार्यवाही हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और उनमें से कितनी अब तक कार्यान्वित की गयी हैं; और

(ग) सिफारिशों के कार्यान्वयन से इस निदेशालय के कार्यकरण में किस तरीके से सुधार आया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) और (ख). कार्यदल की सिफारिशों पर सम्बन्धित मन्त्रालयों से परामर्श करके विचार किया गया था और इन पर परामर्शदात्री तथा

प्रशासनिक फोरमों में चर्चा की गई थी। की गई 65 शिफारिशों में से, 42 सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। इन सिफारिशों का उद्देश्य रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का पुनर्गठन करना है और ऐसे उपायों का सुझाव देना है ताकि यह संगठन अपनी जिम्मेवारियों तथा दायित्वों को अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकार, आदि के साथ मिलकर अधिक कुशलतापूर्वक तथा कारगर ढंग से निपटा सके।

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संगठनात्मक संरचना में कुछ परिवर्तन हुए हैं और संवर्ग की संरचना की पुनरीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त, इनके कारण प्रशिक्षण तथा रोजगार के क्षेत्रों में और समन्वित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के कार्यकलाप में वृद्धि हुई है।

सरकारी कर्मचारियों को बारी के बिना आवास का आबंटन

2053. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें जनवरी से जून, 1985 की अवधि के दौरान बारी के बिना सरकारी आवासों का आबंटन किया गया है; और

(ख) बारी के बिना आवासों का आबंटन किन आधारों पर किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 677।

(ख) आबंटन निम्नलिखित आधार पर किए गए हैं :—

(i) मृत अधिकारियों के आश्रित;

(ii) सेवानिवृत अधिकारियों के आश्रित;

(iii) चिकित्सा आधार शारीरिक रूप से विकलांगता;

(iv) मन्त्रियों के वैयक्तिक स्टाफ;

(v) कार्य की प्रकृति तथा अन्य आधार;

(vi) अनुकम्पा आधार।

दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को राशन कार्ड जारी करना

2054. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया है, जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें राशन कार्ड जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में राशन कार्ड न रखने वाले झुग्गिवासियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 23-1-1985 को दिल्ली प्रशासन ने झुग्गी झोपड़ी वासियों/सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों को अस्थायी खाद्य कार्ड जारी करने की नीति की घोषणा की है। इस नीति के अन्तर्गत उन

व्यक्तियों को, जिनके नाम दिसम्बर, 1984 में हुए लोक सभा चुनावों की निर्वाचक सूची में शामिल है, अस्थायी खाद्य कार्ड जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदक द्वारा परिवार के मुखिया के फोटो के साथ लिखित रूप में वचन दिया जाए और दिल्ली प्रशासन के खाद्य और आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों द्वारा मौके पर जांच की जाए। अस्थायी खाद्य कार्ड इस नीति के आधार पर जारी किए जा रहे हैं।

दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए भारतीय पद्धति के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

2055. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अभी हाल ही में सरकार को प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार भोपाल गैस कांड जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय पद्धति दोषपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अप्रैल, 1985 में दो विशेषज्ञों का मिशन भोपाल में दिसम्बर, 1984 में हुई औद्योगिक दुर्घटना के सन्दर्भ में औद्योगिक यूनिटों में सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी आवश्यकताओं को आंकने के लिए भेजा। उक्त मिशन की रिपोर्ट में, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सरकार को भेजा, भारत में मुख्य जोखिमों के नियन्त्रण के बारे में कई सिफारिशें की गई हैं। तथापि, इस रिपोर्ट में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय पद्धति को त्रुटिपूर्ण पाए जाने का उल्लेख नहीं हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी विकास

2056. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी मत्स्य-पोत भारतीय राज्य क्षेत्र के अन्य आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में लगे हुए हैं;

(ख) सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कितने चार्टर करार किए हैं, जो इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं; और

(ग) सरकार का देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इस समय भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रहे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले वाणिज्यिक पोतों की कुल संख्या 84 है।

(ख) चार्टर करने वाली भारतीय कम्पनियों द्वारा अपने सम्बन्धित विदेशी सहयोगियों के

साथ चार्टर पार्टी करार किए जाते हैं। अब तक 21 कम्पनियों ने कुल 115 पोत किराए पर लेने के लिए चार्टर पार्टी करार किए हैं। इस समय केवल 8 पोत कार्य कर रहे हैं।

(ग) देश में गहरे समुद्र में मात्स्यकी का विकास करने के लिए सरकार ने पहले ही निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. स्वदेशी, आयातित और किराए पर लिए गए मत्स्यन पोतों के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बेड़े में वृद्धि करना।

2. देश में निर्मित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों की लागत पर 33 प्रतिशत राज-सहायता उपलब्ध कराना।

3. जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से मछली पकड़ने वाले पोत खरीदने के लिए उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना।

4. विदेशी मत्स्यन उद्योगों के साथ संयुक्त उद्यम कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

5. एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यकी सर्वेक्षण में वृद्धि करना।

6. गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाले पोतों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति का एक संवर्ग बनाने के लिए मात्स्यकी प्रचालकों को प्रशिक्षण देना।

7. प्रमुख और छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाहों का निर्माण करने के लिए तथा छोटे मत्स्यन केन्द्रों पर माल उतारने और पोतों को खड़ा करने की-सुविधाओं के लिए सहायता।

8. एम० जेड० आई० (विदेशी पोतों द्वारा मत्स्यन विनियम) अधिनियम, 1981 जारी करके एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी पोतों द्वारा मछली पकड़ने का विनियमन करना।

पंजाब और अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन

2057. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में इस वर्ष कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उत्साहजनक प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न और नकद फसलों के उत्पादन में कितनी वृद्धि रिकार्ड की गई है;

(ग) अन्य राज्यों की विकास की तुलना में पंजाब की विकास दर कितनी है; और

(घ) अन्य राज्यों में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). पंजाब में 1983-84 और 1984-85 में प्रमुख फसलों का उत्पादन नीचे सारणी में दिया गया है:

फसल	उत्पादन लाख मीटरी टन में	
	1983-84	1984-85 अनुमानित
चावल	45.4	50.6
गेहूं	94.2	101.8
कुल अनाज	146.4	159.7
तिलहन	1.1	1.9
गन्ना	52.0	49.8
कपास *	7.1	12.4

* प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की लाख गांठ

यह विदित होगा कि राज्य में 1984-85 के दौरान गन्ने को छोड़कर, अनाजों और नकदी फसलों दोनों के उत्पादन में उत्साहवर्धक प्रगति हुई है। गन्ने के उत्पादन में गिरावट पूर्णतया गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी आने के कारण हुई है। 1984-85 के दौरान पंजाब में कृषि उत्पादन में प्राप्त वृद्धि दर अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।

(घ) विभिन्न फसलों का उत्पादन और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1966-67 से सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कृषि विकास के लिए एक नयी नीति अपनाई गई है। इस नीति में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने, खेती की उन्नत पैकेज पद्धतियां अपनाने, किस्मों का विविधिकरण, जल का कुशल उपयोग, उर्वरकों का अधिक उपयोग, आवश्यकता के आधार पर पौध-संरक्षण उपाय और समस्या प्रधान क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास, आदि शामिल हैं। तथापि, स्थानीय कृषि जलवायु स्थितियों, प्राकृतिक सम्पदा और किसानों द्वारा अपनाई गई उन्नत प्रौद्योगिकी की मात्रा आदि पर निर्भर करते हुए प्राप्त की गयी सफलता प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है।

छोटे और सीमान्त किसानों को सिंचाई तथा भूमि विकास सुविधाएं

2058. **श्री शांति धारीवाल :**

श्री विष्णु मोदी :

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों को सिंचाई और भूमि विकास सुविधाएं देने के लिए 1983-84 से एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए मन्त्रालय द्वारा निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या राजस्थान के ऐसे किसानों के पास केवल भूमि की जोत का केवल 10 प्रतिशत क्षेत्र है;

(घ) क्या ये किसान सरकार की उक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या ग्रामीण विकास विभाग ने लघु सिंचाई और भूमि विकास योजनाओं के सम्बन्ध में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत इन शर्तों में काफी छूट दी है;

(च) यदि हाँ, तो कृषि विभाग का विचार ग्रामीण विकास विभाग की भांति छूट देने का है; और

(छ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) योजना के तहत मन्त्रालय द्वारा रखी गई पूर्व शर्तों में सामुदायिक सिंचाई कार्यों के मामले में यह शर्त रखी गई थी कि सामुदायिक सिंचाई कार्यों द्वारा आवृत्त 50 प्रतिशत से अधिक भूमि का स्वामित्व छोटे और सीमान्त किसानों का होना चाहिए और उसके लाभानुभोगियों का अनुपात भी इसी प्रकार होना चाहिए तथा भूमि विकास से सम्बन्धित कार्यों में यह शर्त रखी गई थी कि भूमि विकास सम्बन्धी कार्य केवल उन्हीं छोटे जल विभाजकों में किए जाएं, जहाँ 70 प्रतिशत से अधिक भूमि छोटे और सीमान्त किसानों की हो।

(ग) 1980-81 की कृषि संगणना के अनुसार राजस्थान में सीमान्त किसानों ने राज्य के कुल सस्यगन क्षेत्र के 3.2 प्रतिशत भाग में खेती की तथा छोटे किसानों ने 6.4 प्रतिशत भाग में खेती की।

(घ) उपरोक्त आँकड़े सम्पूर्ण राज्य से सम्बन्धित हैं। योजना के अन्तर्गत भूमि विकास कार्य तथा सामुदायिक सिंचाई के कार्य उन जल विभाजकों में शुरू किए जा सकते हैं जहाँ छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा परिचालित जोतों के क्षेत्र का प्रतिशत संशोधित मानदण्डों के अनुरूप हो, जो कि भाग (च) के उत्तर में दी गई है। योजना के अन्तर्गत किसी भी किसान द्वारा जो कि छोटे और सीमान्त किसान की परिभाषा में आता है, अलग-अलग लघु-सिंचाई योनजनायें चलाई जा सकती हैं।

(ङ) ग्रामीण विकास विभाग के ग्रामीण भूमिहीन व्यक्ति रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न रूप में शर्तों में संशोधन किया गया : "निजी भूमि में भूमि विकास की ऐसी योजनाओं को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उसी जगह आरम्भ किया जा सकता है, जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक भूमिधारक छोटे और सीमान्त किसान हों और उनके स्वामित्व में 25 प्रतिशत से कम भूमि न हो। ऐसी किसी योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले किसानों की संख्या दस से कम न हो।"

(च) छोटे और सीमांत किसानों से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत सामुदायिक लघु सिंचाई कार्यों और भूमि विकास कार्यों के लिए रखी गयी शर्तों को उपरोक्त (ङ) में दिए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की शर्तों के अनुरूप संशोधित किया गया है। यह संशोधन चालू वित्तीय वर्ष से किया गया है।

(छ) भारत सरकार ने 16 जुलाई, 1985 को इन संशोधनों को योजना में शामिल किए जाने हेतु सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

गुजरात में डेरी सहकारी समितियां

2059. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में डेरी सहकारी समितियों की सफलता के कारणों की स्वतंत्र रूप से जांच व मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमूल 1960 से शिशु आहार में प्रयोग करने हेतु वाणिज्यिक कम मूल्य के दुग्ध चूर्ण का आयात करता रहा है और उसे ऊँचे दाम पर बेचता है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इसका कितना और कितने मूल्य का आयात किया गया और कितना तथा कितने मूल्य का शिशु आहार बेचा गया; और

(ङ) क्या कुछ डेरी सहकारी समितियों, जैसे अमूल, आपरेशन फ्लड एक और दो के अन्तर्गत कम मूल्य पर दुग्ध उत्पाद प्राप्त कर रहा है और यदि हां, तो उन्हें किस प्रयोजन से जारी किया गया तथा कितने मूल्य के अमूल का उपयोग किया गया तथा कितना प्राप्त किया गया तथा उससे कितना और कितने मूल्य का उत्पाद निर्मित किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि आयोग ने आनन्द दुग्ध योजना (अमूल), गुजरात का अध्ययन किया था। अन्य बातों के साथ-साथ यह देखा गया कि अधिशेष दूध के लिए निश्चित लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए कुशल विपणन प्रणाली द्वारा समर्थित योजनाबद्ध पशु विकास का उचित समेकन, वर्धित दुग्ध उत्पादन के मिश्रण से सदस्य किसानों की अर्थ व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा।

आयोग ने उन घटकों का भी अध्ययन किया जिनकी वजह से गुजरात में कई सहकारी समितियों, विशेषकर कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ को सफलता मिली है। यह देखा गया कि गुजरात राज्य में डेरी सहकारी समितियों ने एक संगठनात्मक संरचना का विकास किया है जहां ग्राम प्राथमिक समितियां सीधे ही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के साथ मिल गयी थीं, जिनके माध्यम से उन्होंने डेरी संयंत्र अपने स्वामित्व में लिया तथा उसे चलाया। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए संघ द्वारा सीधे ही नियुक्त व्यावसायिक प्रबन्धकों और तकनीकी अधिकारियों के जरिए सदस्यों द्वारा उत्पादित अपने दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों तथा तकनीकी आदानों का विपणन किया।

इसके अलावा, फरवरी, 1984 में भारत सरकार द्वारा स्थापित आपरेशन फ्लड 2 मूल्यांकन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ आनन्द दुग्ध संघ के विकास, कार्य और कार्य प्रणाली का भी अध्ययन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी माना है कि संघ ने धीरे-धीरे विकास किया है और पशु चिकित्सा निगरानी, कृत्रिम गर्भाधान, चारा बीजों और सन्तुलित आहार की सप्लाई इत्यादि के द्वारा बेहतर पशु पालन पद्धतियां उपलब्ध कराई हैं और यद्यपि संगठन पर पूर्ण रूप से किसानों का स्वामित्व है, तथापि प्रबन्ध हर स्तर पर व्यावसायियों द्वारा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इसके सदस्यों के लिए अपेक्षित सेवाओं की व्यवस्था हो रही है। समिति ने आगे यह बताया है कि आरम्भ में संगठन दो-स्तरीय था, अर्थात ग्राम स्तर समितियां और जिला दुग्ध संघ, परन्तु 1973 में गुजरात में जिला दुग्ध संघ में पांच अन्य ऐसे संघ मिल गए, जिनसे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का गठन किया गया। समिति के अनुसार आनन्द में डेरी के क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन की यही सफलता

है, जिसके कारण देश भर में इस पद्धति की नकल की गई।

(ग) और (घ). सरकार ने वर्ष 1970-71 से भारतीय डेरी निगम के माध्यम से दुग्ध चूर्ण का आयात और उसकी सप्लाई की। इससे पहले अमूल डेरी, अन्य सभी शिशु आहार विनिर्माताओं की भांति, शिशु आहार विनिर्माताओं को तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा आवंटित कोटे के आधार पर आयात नीति के अनुसार सीधे ही दुग्ध चूर्ण का आयात करने का हकदार था। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1963-64 से 1969-70 के वर्षों के दौरान तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा शिशु आहार विनिर्माताओं के लिए निर्मुक्त कोटे के अनुसार अमूल को स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की निम्नलिखित मात्रा प्राप्त हुई :—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन)
1963-64	718.083
1964-65	853.085
1965-66	478.180
1966-67	638.415
1967-68	2659.588
1968-69	3704.325
1969-70	987.351

इन आयातों का मूल्य उपलब्ध नहीं है। दुग्ध चूर्ण का वाणिज्यिक आयात वर्ष 1975-76 से बन्द कर दिया गया था। 1982 से 1984 के वर्षों के दौरान अमूल ने शिशु आहार की निम्नलिखित मात्राओं का निर्माण किया—

वर्ष	मीटरी टन में मात्रा
1982	10201
1983	11500
1984	10799

शिशु आहार का मूल्य, ताजा दूध, प्रचालनात्मक लागतों तथा विनिर्माताओं की सुविदित अन्य घटकों सहित कच्ची सामग्री की लागत पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न रहा है। चूंकि शिशु आहार के बिक्री मूल्य पर कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक नियन्त्रण नहीं है, अतः ऐसे अस्थिर मूल्यों के कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) आपरेशन फ्लड 1 के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र/खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच सम्मत प्रचालन योजना में दुग्ध उत्पादों के निर्माण में उपहार वस्तुओं के उपयोग की व्यवस्था नहीं है। अप्रैल, 1979 में तैयार की गई नीति में स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण के पूल भण्डार, जिसमें आप्रेशन फ्लड-2 परियोजना के अन्तर्गत यूरोपियन आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त वस्तुएं तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय (डी० जी० टी० डी०) की सूची में शामिल शिशु दुग्ध आहार के विनिर्माताओं द्वारा पिछले कलेंडर वर्ष के दौरान दुग्ध चूर्ण से दूध तैयार करने के लिए तरल दुग्ध संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् स्टाक उपलब्ध होने पर उत्पादित शिशु दुग्ध आहार के 10 प्रतिशत भाग (भार के आधार पर) की स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की

घरेलू तौर पर की गई अधिप्राप्ति शामिल है, का उपयोग करने का प्रावधान है। तथापि, 1982 से इस नीति में संशोधन किया गया जिसमें डेरी संयंत्रों को दूध तैयार करने के लिए जिंस जारी किए जाने की व्यवस्था की गई। भारतीय डेरी निगम ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात 1982-83 से 1984-85 तक अमूल डेरी को स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण जारी नहीं किया गया।

विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना संख्या 348

2060. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 348 के अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम ने पशुओं के खाने के लिए 45,885 मीट्रिक टन मक्का और 24,391 मीट्रिक टन सोरघम उपलब्ध कराया था, यदि हां, तो इसे किन-किन पार्टियों को जारी किया गया और कितने मूल्य पर जारी किया गया;

(ख) क्या बिक्री मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 10522 मीट्रिक टन स्किम दूध पाउडर (एस० एम० पी०) भी प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो इसको किन पार्टियों को जारी किया गया और कितने मूल्य पर जारी किया गया और क्या इसका उपयोग जारी किए उद्देश्य हेतु किया गया था;

(घ) क्या उक्त भाग (क), (ख), (ग) के अन्तर्गत सम्मिलित न किये गये राज्यों को जारी करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से इसी प्रकार के उपहार देने के लिए आग्रह करने की कोई योजना है; और

(ङ) क्या इस प्रकार के कम मूल्य वाले उपहारों को प्राप्त करने और एस० एम० पी० आदि के अन्य व्यापारिक आयातों के कारण ही केवल गुजरात राज्य में ही दुग्ध सहकारी समितियों को भारी सफलता प्राप्त हुई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग). विश्व खाद्य संगठन ने 348 परियोजना के अधीन 45,885 मी० टन मकई, 24,391 मी० टन० सोर्घम और 10,522 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण दिया था। ये वस्तुएं नौ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, कनार्टक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को 14 गहन पशु विकास परियोजनाओं और 11 दूध स्कीमों के निष्पादन के लिए उपहार स्वरूप दी गई थी।

डब्ल्यू० एफ० पी० पुष्ट वस्तुओं और स्थानीय तौर यह प्राप्त वस्तुओं का मिश्रण क्रमश: 1/3 तथा 2/3 के अनुपात से बनाकर संतुलित पशु आहार प्राप्तकर्ता राज्यों द्वारा किसानों को हानिरहित आधार पर उपलब्ध किया गया। डब्ल्यू० एफ० पी० सप्रेटा दुग्ध चूर्ण को रियायती मूल्य पर उपलब्ध किया गया इसके लिए डब्ल्यू० एफ० पी० सप्रेटा दुग्ध के चूर्ण से स्थानीय अधिक मक्खन स्नेह युक्त दूध को मिलाकर सप्लाई बढ़ाकर कम कीमत पर दूध उपलब्ध कराया गया। टोन्ड और डबल टोन्ड दूध उत्पादों को समाज के कम आय वर्ग को उपलब्ध किया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार सहायता उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की गई थी जिसके लिए यह दी गई थी।

(घ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) डेयरी सहकारिताओं की लाभदायकता दक्ष प्रबंध, दूध के कारोबार की मात्रा, मूल्य निर्धारण नीति आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है न कि भारतीय डेयरी निगम द्वारा

दिए गए उपहार की वस्तुओं पर। इस लिए यह मानना सही नहीं होगा कि गुजरात राज्य में डेयरी सहकारिताओं की सफलता मुख्यतया से कम कीमत पर दिए गए उपहारों और एस० एम० पी० आदि के अन्य वाणिज्यिक आयातों की प्राप्ति के कारण है।

भाखड़ा मजदूर संघ को मान्यता

2061. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा मजदूर संघ प्रतिनिधि निकाय के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार से निवेदन करता रहा है और सदस्यता रिकार्ड के यथार्थ सत्यापन हेतु जोर देता रहा है ताकि पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से बहुमत का प्रतिनिधित्व करने के अपने दावे को अब प्रमाणित कर सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निवेदन पर कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार के निर्णय का क्या परिणाम निकला है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उनके दावे का कब तक सत्यापन किए जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अर्जया) : (क) से (घ) नंगल भाखड़ा मजदूर संघ से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध-तन्त्र को कहा गया है कि वे भाखड़ा व्यास प्रबन्ध-बोर्ड में काम कर रही यूनियनों की सदस्य संख्या का सत्यापन करने से पहले प्रारम्भिक ब्यौरे एकत्र करें।

[हिन्दी]

दिल्ली में पांच दिन का सप्ताह लागू होने के फलवरूप श्रमिकों को कम वेतन

2062. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में पांच दिन का सप्ताह लागू होने के परिणामस्वरूप दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों को कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें अधिक घंटे तक कार्य करना होगा लेकिन महीने में पहले की अपेक्षा कम वेतन मिलेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (घ). इसका सम्बन्ध दिल्ली प्रशासन के उस आदेश से प्रतीत होता है जो बिजली की कमी के कारण औद्योगिक यूनिटों में सप्ताह में 5 दिन काम करने के बारे में है। दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग ने बताया है कि हालांकि कुछ कारखानों ने एक दिन में 9 घंटे के लिए काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन मजदूरी संदाय अधिनियम के अधीन कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि बिजली की कमी के कारण यह अस्थाई व्यवस्था सीमित अवधि के लिए ही की गई है।

[अनुवाद]

"दूरदर्शन रैकेट इन सण्डे फिल्मज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2063. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री काली प्रसाद पांडेय :

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 जुलाई, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "दूरदर्शन रैकेट इन सण्डे फिल्मज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने विशेषकर क्षेत्रीय चलचित्रों के प्रदर्शन के सन्दर्भ में इस मामले की जांच करवाई है;

(ग) इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या विभिन्न महत्वपूर्ण दूरदर्शन केन्द्रों से दिखाए जाने हेतु रविवार के चलचित्र का चयन करने के लिए कोई मार्ग निर्देश सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) क्या केवल उन चलचित्रों को प्रदर्शित करने हेतु चुना जाएगा जिनमें हिंसा पूर्ण दृश्य नहीं होंगे और जिनसे समाज विशेषकर युवा वर्ग पर नैतिक प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जी हां। दूरदर्शन महानिदेशालय प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार का प्रत्युत्तर पहले ही जारी कर चुका है जो 17-7-1985 के इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। प्रत्युत्तर की प्रति विवरण के रूप में है। जहां तक राष्ट्रीय संजाल पर दिखाये जाने वाली क्षेत्रीय फीचर फिल्मों का सम्बन्ध है, इनको राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की जाने वाली हिन्दी की फीचर फिल्मों के बराबर भुगतान किया जाता है जिनके लिए दरों में हाल ही में वृद्धि की गई है।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जिन फीचर फिल्मों की निर्माता/दूरदर्शन अधिकार धारकों द्वारा पेशकश की जाती है, उनका चयन करने तथा उनका, फिल्मों के निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उस क्रम में तीन श्रेणियों अर्थात् "ए", "बी" और "सी" में श्रेणीकरण करने के लिए विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में गठित समितियों तथा दूरदर्शन महानिदेशालय में भी गठित समिति द्वारा उनकी छानबीन की जाती है :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त

(2) विषय सम्बन्धी महत्व

(3) सिनेमेटिक मूल्य

(4) मनोरंजन मूल्य

(5) निर्माण वर्ष

(6) दूरदर्शन पर फिल्म कितनी बार और किन-किन केन्द्रों पर दिखाई गई।

हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि कम से कम हर मास के दो रविवार को निम्नलिखित श्रेणी की फिल्में दिखाई जायेंगी :

(1) पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय भाषा की फिल्में।

(2) प्रीमियर फिल्में।

(3) क्लासिक फिल्में।

वास्तविक टेलीकास्ट से पहले फिल्म के जिन अंशों को परिवार के साथ देखने लायक नहीं समझा जाता है, उनको फिल्म के अनुक्रमों की निरन्तरता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निकाल दिया जाता है।

विवरण

जे० डी० बावेजा
अपर महानिदेशक
फोन : 385298

दिनांक 10.7.1985

सम्पादक,
इंडियन एक्सप्रेस,
नई दिल्ली।

महोदय,

10 जुलाई के आपके सम्मानित समाचारपत्र में "दूरदर्शन रैकेट इन सन्डे फिल्म्स" शीर्षक के अन्तर्गत आपके बम्बई के संवाददाता श्री एम० एस० एम० देशाई की छपी एक रिपोर्ट में असंगतियों का चित्रण है। उनके निष्कर्ष आधारहीन तथा परस्पर विरोधी बातों की पोटली है। निर्माता आत्मा राम तथा उनकी फिल्म "चन्दा और बिजली" के बारे में उनकी रिपोर्ट पूर्णतया भ्रामक है। श्री आत्माराम ने टेलीकास्ट के लिए फिल्म की पेशकश की थी और उसे स्वीकार किया गया था। उसे रविवार को टेलीकास्ट करने का कार्यक्रम था। निर्माता ने दूरदर्शन मुख्यालय को 11 जून, 1985 को एक तार भेजा जिसमें "चन्दा और बिजली" को टेलीकास्ट न करने के लिए कहा गया, क्योंकि आल इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने दूरदर्शन को फिल्में सप्लाई न करने का निर्णय लिया था। तदनुसार दूरदर्शन के लिए अन्तिम क्षण में एवजी व्यवस्था करने के सिवा और कोई चारा नहीं था, जिससे हमें काफी असुविधा हुई।

बाद में श्रीआत्मा राम ने 28 जून, 1985 को एक और पत्र भेजा जिसमें विभाग से टेलीकास्ट के लिए उनकी फिल्म पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया, क्योंकि दूरदर्शन और आल इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल के बीच समझौता शीघ्र ही होने की आशा थी।

अतः आप यह देखेंगे कि इस मामले में दूरदर्शन व्यथित पार्टी है। जहां तक "मेम साहब" नामक उनकी फिल्म का सम्बन्ध है, उसे टेलीकास्ट के लिए दूरदर्शन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और उन्हें विधिवत् अवगत करा दिया गया था। दूसरा फिल्म "चन्दा और बिजली" के बारे में उनके रुख से कोई सम्बन्ध नहीं था। आपके संवाददाता की कहानी में अन्य कई भूलें हैं। फिल्म "रंगा खुश" तथा बिदिया और बन्दूक" को कभी भी टेलीकास्ट नहीं किया गया है। "दो चट्टानें", पंडित और पठान" तथा "अग्नि परीक्षा" को "ए" के रूप में श्रेणीकृत नहीं किया गया था जैसा कि उनके

द्वारा आरोप लगाया गया है, बल्कि उन्हें निम्न श्रेणी में रखा गया था। फिल्म "हमारे तुम्हारे" को राष्ट्रीय संजाल पर केवल एक बार ही दिखाया गया था।

भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी की बातें समय-समय पर सुनी जाती हैं। तथापि, अब तक निदेशालय के ध्यान में ऐसा एक भी मामला नहीं लाया गया है जिसमें निर्माता पर या तो फिल्मों के चयन के लिए या दर्जा बढ़ाने के लिए अवैध परितोष के लिए दबाव दिया गया हो। हम दूरदर्शन संजाल पर तथा अन्य माध्यमों पर बार-बार ये घोषणाएं करते रहे हैं कि निर्माताओं को दूरदर्शन प्राधिकारियों से सीधे सम्पर्क करना चाहिए, न कि किसी एजेंट या दलाल के माध्यम से। दूर दर्शन इस प्रकार की शिकायतों की जांच-पड़ताल करने से नहीं हिचकेगा।

तथापि, हम आपके पाठकों से इस बात पर सहमत हैं कि इस समय दूरदर्शन को टेलीकास्ट के लिए बहुत अच्छी फिल्मों की पेशकश नहीं की जा रही है। हमें जिन फिल्मों की पेशकश की जाती है, हमें उन्हीं में से चयन करना पड़ता है। आपके अपने संवाददाता द्वारा रिपोर्ट के शुरू में दिए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि गत वर्ष टैलीकास्ट की गई फिल्मों में से 33 फिल्मों "सी" श्रेणी की, 13 "बी" श्रेणी की और केवल 5 "ए" श्रेणी की थीं। यदि उनका पक्ष सही होता तो "ए" श्रेणी की फिल्मों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, न कि केवल पांच। जहां तक फिल्मों के प्रिव्यू का सम्बन्ध है, यह उपयुक्त रूप से गठित एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। चयनों से फिल्म उद्योग के किसी प्रतिनिधि को सहयोजित करना उपयुक्त नहीं समझा जाता, क्योंकि यह निर्माता को खरीद समिति से सहयोजित करने के समान होगा जिसे संसार में कहीं भी नहीं किया जाता। वर्तमान चयन समिति के निष्कर्षों को सर्वाधिक विवेक पूर्ण समझा जाता है।

धन्यवाद,

आपका,

ह०

(जे० डी० बवेजा)

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1975 में संशोधन करने के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिशें और प्रस्ताव

2064. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय के कार्यकारी दल ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्तावों सहित मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों और प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों और प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (घ). जी, हां। यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इस स्तर पर ब्यौरों का खुलासा देना जनहित में नहीं है।

चीन और बांगला देश द्वारा उच्च शक्ति वाले टी० वी० और रेडियो स्टेशनों की स्थापना

2065. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन और बांगला ने भारत के सीमा पार उच्च शक्ति वाले टी० वी० और रेडियो स्टेशन बनाये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग चीन और बंगला देश के केन्द्रों से प्रसारित प्रसारण सुनते हैं;

(ग) क्या जम्मू और काश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान दूरदर्शन के कार्यक्रमों को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं क्योंकि हमारे दूरदर्शन के कार्यक्रम निम्नस्तर के होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख). चीन और बंगला देश दोनों के अपने-अपने क्षेत्रों में रेडियो और टी० वी० ट्रांसमीटर हैं; जिनके प्रेषण हमारे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के भागों में प्राप्त होते हैं। तथापि, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के बड़े भागों में चीन या बंगला देश के टी० वी० सिगनल प्राप्त नहीं होते।

(ग) यह संभव हो सकता है कि कुछ लोग पाकिस्तानी प्रेषणों को देखें; बहु-चैनल दूरदर्शन सैट रखने वाले लोगों को अपनी पसन्द के किसी भी केन्द्र विशेष के कार्यक्रम देखने से नहीं रोका जा सकता। तथापि दूरदर्शन की रिपोर्टों के अनुसार, इसके कार्यक्रम न केवल जम्मू व काश्मीर और पंजाब में ही अपितु सीमा पार भी लोक प्रिय हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी भवनों में केन्द्र सरकार के कार्यालय

2066. **प्रो० चन्द्र भानु बंसी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में केन्द्र सरकार के कार्यालय गैर-सरकारी भवनों में स्थित हैं और सरकार को करोड़ों रुपये किराया देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार प्रतिवर्ष कितना किराया देती है;

(ग) क्या सरकार अपने कार्यालयों को सरकारी भवनों में ही ले जाने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बारानी खेती प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के अवसर पर किसान महोत्सव

2067. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारानी खेती प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में हाल में देश में हुई प्रगति के प्रचार के लिए जुलाई, 1985 में दो दिन का किसान महोत्सव आयोजित किया गया था;

(ख) क्या स्वदेशी बारानी खेती प्रौद्योगिकी को अपनाने से देश के 11 लाख हैक्टार असिंचित भूमि में फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार बारानी खेती के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी कहां तक अपनाने के लिए विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही से भविष्य में कितना सुधार होने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री(श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, उन्नत शुष्क भूमि प्रौद्योगिकी ग्रहण करने से फसल की पैदावार पर्याप्त बढ़ाई जा सकती है।

(ग) शुष्क कृषि क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण/फसल टेक्नालाजी के प्रचार के लिए एक सेण्ट्रल सेक्टर पाइलट प्रोजेक्ट और (II) बीज व उर्वरक ड्रिल, उन्नत किस्म की फसलें पैदा करने, उर्वरक का प्रयोग करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1983-84 से विभिन्न राज्यों में चल रही है। जल अपवाह प्रबन्ध, उन्नत फसल प्रणाली, वनरोपण, चरागाह विकास, बागवानी लगाना सहित कटूर बांध बनाना, सीढ़ीदार खेती बनाना, भूमि को समतल करना जैसे उपायों को जल विभाजक भावना को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इनके अलावा कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान निष्कर्षों को दूरदर्शन प्रणाली से प्रचारित किया जा रहा है।

(घ) विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही बारानी खेतों को योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं है।

[हिन्दी]

चावल की भूसी से तेल का उत्पादन

2068. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में चावल की भूसी से प्राप्त तेल उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और उसका क्या मूल्य होगा;

(ग) क्या यह देश में मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में इसका उत्पादन होगा और यदि इससे मांग की पूर्ति होने की संभावना न हो तो मांग को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ). चावल की भूसी से

कोई तेल नहीं निकाला जा रहा है। इस समय देश में चावल की चोकर (ब्रान) से लगभग 2.2 लाख मी० टन तेल निकाला जा रहा है, जिसमें से लगभग 0.2 लाख मी० टन का उपयोग खाद्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है और शेष का साबुन बनाने के लिए औद्योगिक हार्ड ऑयल का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मात्रा देश की मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम है। चावल की चोकर (ब्रान) के खाद्य ग्रेड के तेल का देशीय मूल्य लगभग 12000/-रु० प्रति मी० टन तथा चावल के चोकर (ब्रान) के अखाद्य ग्रेड के तेल का देशीय मूल्य लगभग 9000 -रु० प्रति मी० टन है। खाद्य तेल की मांग को देशीय स्रोतों तथा आयात दोनों ही माध्यमों से पूरा किया जाएगा।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैंने एक प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है, मैं एक बहुत ही गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। श्री के० के० तिवारी ने किसी पर सी० आई० ए० का एजेंट होने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सभा का ही एक सदस्य उत्तरदायी है। अत: मैं सभा की एक समिति गठित किए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ, मैंने नियम 184 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव की सूचना दी है···।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जरा मुझे देखने दीजिए। मैं बिना देखे कुछ भी नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं पहले इसकी जांच करूंगा।

श्री बृजमोहन महंती (पुरी) : महोदय, एक बहुत ही चिन्ताजनक समाचार है···हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक ने···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि मैं इस मामले में और क्या कर सकता हूँ। जरा मुझे उस पर विचार करने दीजिए।

श्री बृजमोहन महंती : ···जवाब संतोषजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

[हिन्दी]

मैं देखूंगा। ज्यादा गम्भीरता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, रेल-मन्त्रालय के राज्य मन्त्री को चाहिए कि सभा में अपना वक्तव्य दें क्योंकि उन्होंने अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि··· (**व्यवधान**)।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अनुमति नहीं है। यह बिल्कुल अप्रासंगिक है···।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्त, यह कोई तरीका नहीं है। आज सभी सीमाओं, सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस मुद्दे को उठाने का यह कोई तरीका नहीं है। यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है···।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपको मुझे लिखित रूप में देना होगा। यह कोई तरीका नहीं है···।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दत्त जी, आप पहले कुछ नियम क्यों नहीं पढ़ लेते? आप तो एडवोकेट हैं; आप सभी नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? यह तरीका नहीं है। जो भी लिखित रूप में होता है उन्हें आप कभी भी गम्भीरता से नहीं लेते हैं। यह बिल्कुल असम्बद्ध है। समाचार पत्रों में भी जो लिखा जाता है वह वेद-वाक्य नहीं होता है···।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अनुमति नहीं है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे इसकी अपेक्षा नहीं थी···।

(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : मेरी समझ में नहीं आता कि जो भी असुविधाजनक होता है वही असंगत क्यों होता है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें असुविधा की बात नहीं है।

श्री अमल दत्त : यह सरकार के लिए असुविधाजनक है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। यह असंगत है···।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शायद यह सही नहीं है···।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्त सभी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं और मुझे यह बहुत बुरा लग रहा है। यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात है···।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि हमें तथ्यों का पता लगाना है।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : दत्त जी आपको यह समझना चाहिए कि सभी बातों को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जो भी लिखा गया है वह अनिवार्यतः सही नहीं होता। उसका पता लगाना होता है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप उनके सामने बैठे हैं, क्या आप देख नहीं सकते ?

प्रो० मधु दण्डवते : जब समाचार पत्रों में ऐसा वक्तव्य आया है तो मन्त्री महोदय को स्वतः ही वक्तव्य देना चाहिए·····

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल गलत है। आप लिख कर दे सकते हैं। मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

श्री अमल दत्त : यह कैसे अप्रासंगिक है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अप्रासंगिक और गैर जिम्मेदाराना है। आपको इसे लिखित रूप में देना होगा। यदि कोई सच्चाई होगी तो मैं उसे देखूंगा···।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह वेद-वाक्य नहीं है। उसे सर्वशक्तिमान भगवान ने नहीं कहा है। मुझे अनेक ऐसी बातों के बारे में पता चलता रहता है जो गलत होती है···।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जरा देखिए तो वे क्या कर रहे हैं। एक वकील और सभा के माननीय सदस्य होने के बावजूद वे इस तरह व्यवहार कर रहे हैं यह बहुत बुरी बात है। यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात है। मुझे आपके इस व्यवहार से बहुत दुःख हो रहा है···मैं ऐसा नहीं सोचता था कि आप ऐसा व्यवहार करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : इसकी सूचना कल दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दीजिए और मैं सही बातों का पता लगाऊँगा। किन्तु इस बात को ये ऐसे कैसे उठा सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री अमल दत्त : मैं सभा का समय नष्ट नहीं कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत दुख है। मैं आपकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ।

श्री अमल दत्त : मुझे मालूम है कि सूचना दी जानी चाहिए। किन्तु मन्त्री महोदय को तरीके से व्यवहार तो करना ही चाहिए।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप यह कैसे कह सकते हैं ? यहां मन्त्री महोदय के दुर्व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठता। यहां आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कुछ अधिक की अपेक्षा की थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराना बात है। जो भी ऐसे बोलता है वह गैर जिम्मेदारी वाली बात करता है चाहे कोई भी ऐसा करे—चाहे आप हों या वे हों।

श्री अमल दत्त : लेकिन आप खामखवाह नाराज हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे दुःख है।

श्री अमल दत्त : कितने ही सदस्य बिना इजाजत के बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे सभी गैर जिम्मेदार हैं, कोई कम, तो कोई ज्यादा।

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं आपसे सादर निवेदन कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी-अभी कहा है कि मैं बात सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे पास आइये। मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा और सच्चाई आपके सामने रखूंगा। आप इसे बहस का मुद्दा बनाकर सभा के पन्द्रह मिनट क्यों बर्बाद कर रहे हैं ?

श्री अमल दत्त : मैं इसे सिर्फ आपकी जानकारी में लाने की कोशिश कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इन्हें इस मामले को कल उठाने की अनुमति दे दें।

अध्यक्ष महोदय : वे यह मामला क्यों उठायें ? उन्हें यह मामला मुझे सौंप देना चाहिए और मैं सही बातों का पता लगाऊंगा।

श्री अमल दत्त : किन्तु जब हम कोई प्रश्न उठाते हैं तो आप उसे अप्रासंगिक कह देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आप बिना किसी आधार के ही ऐसा कह रहे हैं अतः यह असंगत ही है। और मैं इसे अब भी असंगत कह रहा हूँ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। आपको अपने बर्ताव में सुधार करना होगा।

श्री अमल दत्त : मैं बहुत नम्रता से और भद्रता से बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप ऐसे नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस भद्रपुरुष को या किसी की अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं देता। मुझे श्री दत्त से इस तरह के व्यवहार की कभी उम्मीद नहीं थी।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० सैफुद्दीन सेज (बारामूला) : मैंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को नहीं उठा सकते। सोज साहब, इसे कई बार उठाया जा चुका है। मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर यहां बहस के लिए अनुमति नहीं दे सकता। सवाल ही नहीं उठता। अनुमति नहीं है। मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ और मैं फिर यही कर रहा हूँ। आप सभा का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं चाहता हूँ कि इस पर सभा में बहस होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर यहां बहस नहीं की जा सकती। इसके लिये संविधान में संशोधन ही करना होगा। बस मुझे इतना ही कहना है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय यह बहुत गम्भीर बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें अनेक बार कहा है। आप समय क्यों बरबाद कर रहे हैं?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या आप आधा मिनट भी नहीं दे सकते?

अध्यक्ष महोदय : सवाल ही नहीं उठता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। जी नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : इसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है या नहीं इसका पता बिना बहस के कैसे चल सकता है?

अध्यक्ष महोदय : आप संशोधन लाएं और इस पर बहस कीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन हम यह चाहते हैं सरकार ही संशोधन लाये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं कहता हूँ कि इस पर बहस हो सकती है। यह उनके खिलाफ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात पर अटल हूँ। आप सभा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार···

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा ही करते रहें तो मुझे आपको सभा छोड़कर जाने के लिए कहना पड़ेगा। अब आप बैठ जाइये। अपनी जगह पर बैठ जाइए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार···

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। आप इसे चुनौती नहीं दे सकते, बस। आप बिना किसी कारण के खामख्वाह सभा का समय बरबाद कर रहे हैं। आप संशोधन पेश कर सकते हैं। आप गैर सरकारी संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं और तभी उस पर बहस की जा सकती है। इसमें समय लगेगा। वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जब समय आएगा तो हम उस पर बहस करेंगे। सभा को इस पर बहस करनी ही होगी।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन वह सरकार को संशोधन विधेयक लाने के लिए राजी तो कर सकते हैं। इस पर आपको क्या आपत्ति है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.08 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण (सचिव और मुख्य लेखा अधिकारी की शक्तियां और कर्त्तव्य) विनियम, 1984 तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) (संशोधन) नियम, 1985

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (सचिव और मुख्य लेखा अधिकारी की शक्तियां और कर्त्तव्य) विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 20 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 404 (अ) में प्रकाशित हुए।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-1253/85]

(2) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) (संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 321 में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1254/85]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 501 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें उर्वरकों के स्वदेशी निर्माताओं बनाए जाने वाले उर्वरकों की विभिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों वस्तु बोर्डों को 1 अप्रैल, से 30 सितम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान की जाने वाली पूर्ति की मात्रा दर्शाने वाला आदेश दिया हुआ है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1255/85]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं : बाट और माप मानक (पैक बन्द वस्तुएं, दूसरा संशोधन नियम, 1985 भारतीय खाद्य निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं —

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1985, जो 4 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 551 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा० का० नि० 600 (अ), जो 22 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 31 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 55 (अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(तीन) चीनी (वर्ष 1984-85 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) चौथा संशोधन आदेश 1985, जो 23 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 603 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1256/85]

(2) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, बाट और माप मानक (पैकबन्द वस्तुएं) दूसरा संशोधन नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 25 मई 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 458 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1257/85]

(3) (एक) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1257/85]

पंजाब कृषि उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 1985

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : मैं पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, पंजाब कृषि उत्पाद मंडियां (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1981 का राष्ट्रपति का अधिनियम

संख्या 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 11 जून, 1985 को प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी०-1259/85]

12.09 म० प०

राज्य-सभा से सन्देश

पंजाब विनियोग (संख्यक 3) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना सभा को देनी है —

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे पंजाब विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1985 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 29 जुलाई, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने का और यह बताने निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

12.10 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

एक्वेडोर की सरकार द्वारा तथाकथित विदेशस्थ खालिस्तान सरकार को दी जा रही मान्यता का समाचार

[अनुवाद]

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : मैं विदेश मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न लिखित की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"इक्वेडोर की सरकार द्वारा तथाकथित खालिस्तान की निर्वासित सरकार को दी जा रही मान्यता का समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित उन रिपोर्टों को देखा है कि इक्वेडोर के तीन प्रसिद्ध व्यक्तियों, अर्थात्···· शिष्टमण्डल, ···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह बात पुरानी हो चुकी है। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से वक्तव्य दे दिया गया है।

(व्यवधान)

ये वक्तव्य हैं जो उस सरकार की ओर से दिए गए हैं। आपके वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। महोदय, संबद्ध सरकार ने कहा है कि हम केवल भारत सरकार को मान्यता देते हैं, हम सिक्किस्तान को मान्यता नहीं देते, हम खालिस्तान को मान्यता नहीं देते। आप बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। क्योंकि, यह आज प्रातः ही आया है। वे इसे रख चुके हैं। हम इस प्रस्ताव को ग्रहीत कर चुके थे। मेरा विचार है कि यदि सभा इसके लिए सहमत है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बजाय मैं ···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मन्त्री महोदय जो कुछ कहेंगे उसे सुनने के बाद हम यह देखेंगे कि क्या इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा की कोई जरूरत है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : पहले वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए। यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न नहीं करना चाहें, तो यह अलग बात है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : महोदय, हमें वक्तव्य सुनना चाहिए।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : हम इक्वेडोर सरकार की इन सब बातों को इकतरफा नहीं मानते जैसी कि इस समाचार से प्रतीत होता। इक्वेडोर सरकार दोगली बातें करती है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चलने दीजिए। यह सच है कि इक्वेडोर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है परन्तु समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार इक्वेडोर के कुछ विशिष्ट नागरिकों ने कुछ वक्तव्य दिए हैं। हो सकता है, सदस्यगण इस सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव केवल सभा की स्वीकृति से ही वापस लिया जा सकता है। मैं इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकता।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस आशय की प्रैस रिपोर्टें देखी हैं कि इक्वाडोर के तीन प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अर्थात् नेशनल रेवोलूशनरी पार्टी के अध्यक्ष डा० कारलोस जूलियों एसेस्सीना, इक्वोडोर के विदेश मन्त्रालय के एक अधिकारी डा० क्रिस्टोबल मान्टेरो और एक वकील श्री पैंटीसियो बुवेनडिया, जो आजकल लन्दन में हैं, ने यह घोषणा की है कि इक्वाडोर की सरकार तथाकथित खालिस्तान की सरकार को शीघ्र मान्यता दे देगी और अखबारों की खबरों के अनुसार, इक्वाडोर की सरकार ने कुछ सिक्खों को कुछ जमीन देना भी स्वीकार कर लिया है ताकि वे "खालिस्तान गणराज्य" की निर्वासित सरकार स्थापित कर सकें। इसके अतिरिक्त, इन खबरों में यह भी कहा गया है कि डा० चौहान को इक्वाडोर की यात्रा का निमन्त्रण मिला है।

इस मामले को तत्काल हमने इक्वाडोर की सरकार के साथ उठाया। इस सिलसिले में मैंने इक्वाडोर के विदेश मन्त्री को एक तार भी भेजा जिसमें मैंने दूसरी बातों के अलावा यह भी कहा था कि "तथाकथित" खालिस्तान के बारे में ऐसा कोई ब्यान या उसे कोई समर्थन दिया जाता है तो वह भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप होगा और वह भारत गणराज्य की एकता, प्रादेशिक अखंडता

और प्रभुसत्ता पर एक प्रश्न-चिन्ह माना जाएगा। "मैंने यह भी कहा कि इक्वाडोर की सरकार यदि इस मामले में सही स्थिति के मुतालिक फौरन स्पष्टीकरण दे तो बहुत बेहतर होगा। लन्दन, काहिरा, बोगोटा स्थित भारतीय मिशनों और न्यूयार्क स्थित भारत के स्थायी मिशन से भी यह कहा गया कि वे अपने समकक्ष पदाधिकारियों के साथ फौरन इस मामले को उठाएँ। बोगोटा (कोलम्बिया) स्थित हमारा राजदूतावास इक्वाडोर में भी यह प्रत्यायित है और काहिरा में इक्वाडोर का राजदूत भारत में सह-प्रत्यायित है।

इक्वाडोर के विदेश मन्त्री ने अपने जवाबी तार में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि :

"आपका 29 तारीख का तार मिला। कृपया मुझे यह सूचित करने का अवसर दें कि इक्वाडोर की सरकार ने ऐसा कोई सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेश नहीं भेजा है जिसे सिक्ख आंदोलन के किसी व्यक्ति से किसी तरह का सम्पर्क करने के लिए कहा गया हो। डा० कारलोस जूलियो एरोस्मीना मानरे अपनी निजी हैसियत से लन्दन की यात्रा पर गए हैं और उनकी कोई भी कार्रवाई या उनके सम्पर्क विशुद्ध रूप से उनकी निजी क्षमता में किए गए हैं और वे हमारी राष्ट्रीय नीति की किसी भी वचनबद्धता का किसी भी तरह कोई संकेत नहीं देते और इक्वाडोर की सरकार सिर्फ इसी नीति को मान्यता देती है। राजदूत क्रिस्टोबल मान्टेरो जो इस समय छुट्टी पर हैं और, इस समय विशुद्ध रूप से निजी हैसियत से ब्रिटेन की राजधानी में हैं।

इक्वाडोर की सरकार ने भारत की प्रभुसत्तात्मक सरकार की वैधता को स्वीकार किया है और हम एक बार फिर आप महामान्य के सम्मुख अपनी इस इच्छा को दोहराना चाहते हैं कि हम आपकी सरकार के साथ सर्वाधिक सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं।

इस अवसर पर हम आपको यह सूचना भी देना चाहते हैं कि इक्वाडोर की सरकार ने जाति-वादी सिक्ख तत्वों के साथ न तो किसी प्रकार का सम्पर्क रखा है और न उनके किसी आन्दोलन को स्वीकार किया है।"

हमें नई दिल्ली स्थित इक्वाडोर के राजदूतावास ने भी यह बताया है कि इक्वाडोर की सरकार ने अपने विदेश मन्त्री के उत्तर की पुष्टि करते हुए एक सरकारी वक्तव्य भी जारी किया है। इक्वाडोर के राजदूतावास ने हमें इस बात की भी सूचना दी है कि इक्वाडोर की सरकार ने यह दोहराया है कि "इक्वाडोर की सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले राजकीय निमन्त्रण विशुद्धतः उन्हीं लोगों को प्रेषित किए जाते हैं जो विधिवत् स्थापित और मान्यता प्राप्त राज्याध्यक्ष हैं। अलगाववादी सिक्ख वर्ग को इक्वाडोर की सरकार ने न तो मान्यता दी है और न देगी; इसलिए यह वर्ग इक्वाडोर का सरकारी आमन्त्रण प्राप्त करने का वैध अस्तित्व नहीं रखता।"

हम इक्वाडोर की सरकार की आधिकारिक स्थिति के स्पष्टीकरण का स्वागत करते हैं लेकिन मैं इस बात पर अपना आश्चर्य अवश्य प्रकट करना चाहूँगा कि इक्वाडोर के तीन महत्वपूर्ण नागरिकों ने एक ऐसे मामले पर अवांछित और गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देने का साहस किया जो पूरी तरह भारत का एक आन्तरिक मामला है तथा उन्होंने भारत से बाहर आधारित उग्रवादी और अलगाव-वादी आन्दोलनों को समर्थन देने की पेशकश की। उनकी यह कार्रवाई भारत और इक्वाडोर के बीच, जो गुट निरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य भी है, विद्यमान मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के अनुरूप नहीं है। इक्वा-डोर की सरकार ने भारत की सरकार और भारत के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को और आगे बढ़ाने की जो इच्छा व्यक्त की है, उसका हम स्वागत करते हैं और हम स्वयं भी इन सम्बन्धों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पारस्परिक सहमति से ऐसे कार्य करना और उन्हें संवर्धित करना हमारा लक्ष्य है जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और सहकारिता के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हो।

श्री जी० जी० स्वैल : क्या इक्वेडोर में खालिस्तान को भूमि दी जाएगी ?

श्री खुर्शीद आलम खां : उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि उन्हें खालिस्तानी आन्दोलन से कुछ मतलब नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में इक्वेडोर सरकार के द्वारा खालिस्तान को मान्यता देने की बात कही गई है। इसमें जैसा माननीय मन्त्री जी ने भी कहा है कि उनके विदेश मन्त्रालय के एक अधिकारी ने प्रेस कान्फरेंस में यह भी कहा कि चौहान को उनकी सरकार की ओर से न्यौता दिया गया है, यह बात माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब से हमारे प्रधान मन्त्री जी ने सन्त लोंगोवाल से पंजाब की समस्या के बारे में एक समझौता किया है तब से ऐसे लोग जो इस समस्या को हवा देने वाले थे, ऐसे लोग जो भारत को बदनाम करने वाले लोग थे, उनका यह प्रयास रहा है कि किसी भी तरीके से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएँ जिससे यह मूवमेंट चलता रहे। जहां तक जमीन देने की बात है, जहां तक उनको खेती के लिए और उनकी सरकार के लिए जमीन देने की बात है यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। इसमें हमारी सरकार को चाहिए कि इस फैसले के होने के बाद, वह इस बात को बहुत जागरूकता से देखे और अपने आफिशयल्स से इस बात की कोशिश करे कि इस तरह की कोई परिस्थिति पैदा न हो, जिससे कि एक अजीबो-गरीब स्थिति पैदा हो जाए और जिससे कि पंजाब में अस्थिरता आए, क्योंकि आज उस समझौते द्वारा एक शान्तिपूर्ण ढंग से वह समस्या हल होने जा रही है और एक शांतिपूर्ण स्थिति बनने जा रही है उसको वे ताकतें किसी भी तरह से विदेशी ताकतों से मिलकर अहितकर स्थिति में न पहुंचा दें। तो मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इस वक्त ज्यादा जागृति की जरूरत है और इस बात की कोशिश करने की जरूरत है जिससे किसी भी स्थिति में इस परिस्थिति को न बिगड़ने दिया जाए, क्योंकि पंजाब के साथ प्रधान मन्त्री के फैसले का सबलोगों ने बहुत स्वागत किया है। विदेशों में रहने वाले लोगों ने भी इस फैसले को सराहा है। विदेशों में रहने वाले सिक्खों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार विशेष रूप से जागरूक रहे और कोई भी ऐसी परिस्थिति न पैदा होने दी जाए, जिससे यह स्थिति बिगड़े तथा किसी भी प्रकार की कोई समस्या पंजाब में नहीं रहनी चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, जो वक्तव्य मैंने पढ़ा है वह बहुत स्पष्ट है और मैं समझता हूँ इसमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय की ओर से यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है और अखबारों में जो स्टेटमेंट आया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इक्वेडोर सरकार ने इस बात से इंकार किया है कि उसने तथाकथित खालिस्तान की निर्वासित सरकार को अपने यहां मान्यता दी है। इससे पता चलता है कि जो बातें अखबारों में आई हैं, वे बहुत अच्छी हैं और हमारी सरकार ने भी उनका स्वागत किया है। लेकिन फिर भी यह बात संदेह से परे नहीं है, जिस तरह के बयान लोगों ने लन्दन में दिये हैं, उससे शक जाहिर होता है। आज

के अखारों में इस बात का जिक्र है कि लन्दन में जो प्रेस कान्फरेंस हुई, जिसको प्राइवेट कैपेसिटी में कहा जाता है कि 3 आदमियों का ग्रुप है, टाइम्स आफ इंडिया में इसका जिक्र है—

[अनुवाद]

"लन्दन के प्रेस सम्मेलन में इक्वेडोर समूह ने तथाकथित खालिस्तान को पूर्ण सहयोग देने का वायदा किया था। रेवोलुश्निरी नेशनल पार्टी दल के प्रेसीडेंट, डा० एरोस्मोना, जो कि संयुक्त सरकार के एक भागीदार हैं ने भी कहा था कि डा० चौहान के साथ हुई उनकी चर्चा में भी इस बात का जिक्र था कि इक्वेडोर निर्वासित खालिस्तान सरकार को मान्यता देगा और वापसी पर अपनी सरकार से इसके लिए जोरदार से सिफारिश करेगा।"

वे आगे कहते हैं कि···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : खत्म हो गया, इसमें क्या है ?

श्री विजय कुमार यादव : मेरा कहना यह है कि जो कोशिशें विदेशों में की जा रही हैं, जिस तरह से वहां की पहले की भी रिपोर्टें हैं कि अमेरिका और लन्दन में चौहान की एक्टिविटी को जिस तरह नहीं रोका जा रहा है और उनको मौका दिया जा रहा है ट्रेनिंग सेंटर और दूसरी तरह से काम करने का, तो यह बात काफी चिन्तनीय है और देश के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की बात है। देश में ऐसी शक्तियां जो देश को बर्बाद करना चाहती हैं, उनको मदद देने की बात थी। कुछ बाहर की शक्तियां हैं, जिन देशों का नाम अखबार में आता है, अभी हाल में रिपोर्ट आई है अखबारों में, कि पाकिस्तान और बंगला देश का फैडरेशन बनने जा रहा है कि हिन्दुस्तान को इस मामले में और उलझाया जाये और कई मौकों पर इसके ध्यान को केन्द्रित किया जाये। इस तरह के मामलों की तरफ मन्त्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। सारी एक्टिविटीज, जो विदेशों में चल रही हैं और यह सब विदेशी शक्तियों की मदद से किया जा रहा है, इस पर पूरी चौकसी और निगरानी रखने की जरूरत है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा न हो।

इसमें जिक्र आया है कि चौहान को कोई मैसेज आया है इंविटेशन दी गई है, मैं जानना चाहता हूँ कि मन्त्री जी का इस सिलसिले में क्या स्पष्टीकरण है ? वैसे तो इक्वेडोर गवर्नमेंट का यह बयान आ चुका है कि हिन्दुस्तान की सरकार के अलावा खालिस्तान को मान्यता नहीं दी है, यह ठीक है, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं, इससे दिलो-दिमाग में प्रश्न पैदा होता है। मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय उसका क्लैरीफिकेशन करें।

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, प्रत्यक्षतः एक्वेडोर सरकार के द्वारा दी गयी सूचना तथा उनके द्वारा दिए गए उत्तर को लेना है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि हम प्रत्येक बात का ध्यान रख रहे हैं और निश्चय ही ऐसे लोगों के सभी प्रयास व्यर्थ जायेंगे यदि वे इन्हें जारी रखते हैं। किन्तु इस समय हमें प्रत्यक्षतः इक्वेडोर सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासनों को मान कर चलना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी जी।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो बयान हुआ है,

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम अभी पुकारा भी नहीं है, आप ने पहले ही अपनी बात शुरू कर दी।

श्रीमती कृष्णा साही : तिवारी जी एब्सेंट हैं, इसलिए इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा चलिये, ठीक है।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के बयान से काफी बातें सामने आई हैं। यह भी सामने आया है कि इक्वेडोर सरकार ने तथाकथित हवा में उड़ने वाली सरकार को कोई मान्यता नहीं दी है और न कोई ऐसी मान्यता दे सकता है।

मंत्री महोदय ने अपने बयान में स्वयं आश्चर्य व्यक्त किया कि तीन प्रमुख नागरिकों ने लन्दन में रहकर बयान दिया और खालिस्तान को मान्यता दी। इन तीन में एक राजदूत भी हैं। इक्वेडोर सरकार ने अपनी सफाई में उल्लेख किया है कि जो राजदूत इसमें हैं, वह छुट्टी पर हैं और उन्होंने प्राइवेट कैपेसिटी में अपना बयान दिया है। वह राजदूत छुट्टी पर भले ही हों, लेकिन अपने पद पर तो हैं। मैं चाहती हूं कि भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और इक्वेडोर सरकार से पूछे कि राजदूत महोदय ने पद की गरिमा को क्यों नहीं बनाया और ऐसा बयान क्यों दिया ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, जो माननीय सदस्या ने कहा है, वह हम खुद भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है, उसको ज्यादा जोर लगाकर करेंगे।

12.25 म० प०

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963" को संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

12.26 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सातवीं योजना की अवधि में अन्तर्राज्यीय उड़ीसा समुद्र तटीय नहर के जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, अन्तर्राज्यीय उड़ीसा समुद्र-तटीय नहर देश की सबसे पुरानी नहरों में से है, जिसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने नौवहन तथा अन्तर्देशीय वल परिवहन के लिए बनाया था, जिससे माल तथा यात्री उड़ीसा में पश्चिम बंगाल, तत्कालीन बंगाल प्रदेश, जाते आते थे, किन्तु अन्ततः उचित रख रखाव इत्यादि के अभाव में यह नहर गाद से भर गई है तथा सरकार ने इसका परित्याग कर दिया जिसके फलस्वरूप लाखों लोगों को बार बार आने वाली बाढ़ खारत्व और क्षेत्र में अत्यधिक पानी भर जाने से अकथनीय दुःख तकलीफ उठानी पड़ी। जब परिवहन व्यवस्था के अभाव में इस क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधा हो रही है तथा उन्हें अपने सामान तथा कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए काफी अधिक मूल्य देने पड़ रहे हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि छठी योजना अवधि में वे देश की सबसे पुरानी इस नहर का नवीकरण तथा सुधार करें ताकि अन्तर्देशीय परिवहन मार्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जा सके किन्तु इस अनुरोध का कोई लाभ नहीं हुआ।

ऐसी परिस्थितियों में मैं केन्द्र से यह अनुरोध करता हूं कि सातवीं योजना अवधि में वे इस अन्तर्राज्यीय उड़ीसा तटीय नहर को प्राथमिकता दें ताकि इसका शीघ्र ही नवीकरण तथा सुधार हो सके और नौवहन तथा अन्तर्देशीय जल मार्ग परिवहन दुबारा शुरू किया जा सके जो उड़ीसा के तथा पश्चिम बंगाल के तटीवर्ती लोगों के लिए एक वरदान स्वरूप होगा। अतः, मैं माननीय नौवहन तथा परिवहन मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव पर सातवीं योजना अवधि में अमल किया जाये।

[हिन्दी]

(दो) कानपुर स्थित जे० एण्ड के० रेयान फैक्टरी को चालू करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जे० के० रेयान फैक्ट्री के कानपुर के प्रबन्धकों द्वारा दो वर्षों से अधिक हुए उक्त मिल को अवैधानिक तरीके से बन्द कर दिया गया जिसके फलस्वरूप उत्पादन के रूप में करोड़ों रुपए की क्षति के अतिरिक्त हजारों श्रमिक बेकार घूम रहे हैं। मिलबन्दी के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ० एफ० ए० के अन्तर्गत राज्य सरकार से पूर्व अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है। उक्त कारखाने में कार्यरत श्रमिक संगठन (इटक) द्वारा केन्द्र सरकार से उक्त कारखाने का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया है तथा यह भी सुझाव दिया गया है कि उक्त कारखाने को अधिग्रहीत कर यदि श्रमिकों की सहकारी समिति के साथ संयुक्त क्षेत्र में उसे चलाने पर सरकार विचार करे तो उक्त कारखाने के श्रमिकों का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सूचनाओं के अनुसार कारखाने के प्रबन्धकों ने सरकार को लिखित रूप में यह आफर दिया है कि वे उक्त कारखाने को समस्त चल व अचल सम्पत्ति के साथ मात्र एक रुपया

मुआवजे पर सरकार को सौंपने पर सहमत हैं तथा अब तक के समस्त बकायों की देनदारी भी अपने ऊपर लेने को राजी हैं, परन्तु सरकार की तरफ से कोई निर्णय न होने से श्रमिक वर्ग में क्षोभ व्याप्त हो रहा हैं तथा निराशा का वातावरण निर्मित हो रहा है जो कानपुर जैसी औद्योगिक महानगरी में औद्योगिक शांति के प्रतिकूल वातावरण का निर्माण कर रहा है।

अंत में इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूँ कि उक्त विषय में शीघ्र निर्णय कर अनिश्चय की स्थिति समाप्त करें।

(तीन) श्री सावरकर को श्रद्धांजलि के रूप में "पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर "सावरकर धाम" रखने की आवश्यकता

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं :

"देश की स्वाधीनता के लिए हजारों, लाखों लोगों ने यातनायें सहीं, जेल गए, फांसी के तख्ते पर हंसते हुए चढ़ गए और उनके उस बलिदान और संघर्ष का ही परिणाम देश की आजादी के रूप में हमारे सामने आया। निश्चित रूप से स्वतन्त्रता के बाद देश के तमाम हिस्सों में अंग्रेजों के नाम पर बनी हुई सड़कें, भवन, कस्बे और नगर तथा रेलवे स्टेशनों के नाम भारतीय नेताओं के नाम पर परिवर्तित किए गए। यह हमारे लिए गौरव की बात है, किन्तु स्वतन्त्रता के अड़तीस वर्षों के बाद आज भी बहुत से स्थान अंग्रेजों के नाम पर या अंग्रेजियत को लिए हुए यथावत बरकरार हैं—जिनमें पोर्टब्लेयर विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

पोर्टब्लेयर की सेलुलर जेल में भारत के अनेकों स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आजादी के लिए वर्षों यातनाएँ सहीं। ऐसे स्वाधीनता सेनानियों में स्वातन्त्र्य वीर सावरकर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने दो उम्र कैद की सजा देकर उस जेल में वर्षों तक उत्पीड़ित किया था।

स्वातन्त्र्य वीर सावरकर के विचारों से हम असहमत हो सकते हैं लेकिन उनकी पवित्र देश भक्ति और स्वाधीनता संग्राम में उनके महान योगदान को नहीं भुला सकते। अतः मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करता हूँ कि भारत माता के वीर सपूत विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर पोर्टब्लेयर का नाम 'सावरकर धाम' रख दिया जाय। निश्चय ही उनके महान व्यक्तित्व और स्वाधीनता के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष के प्रति यह राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि होगी।"

[अनुवाद]

(चार) हैदराबाद में अंगूर अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने और सातवीं योजना के दौरान वहां शराब उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद तथा इसके आस पास के क्षेत्रों में हजारों एकड़ अंगूर के बागीचे हैं। हाल ही में अंगूर के बगीचों में नाशी कीट तथा बीमारियां पाई गई हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे हैदराबाद में अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करें ताकि विश्व प्रसिद्ध अनाबशाहें अंगूर की किस्म की सुरक्षा की जा सके तथा इसकी किस्म तथा मात्रा दोनों में सुधार लाया जा सके। मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि हैदराबाद, जहाँ पर कच्चा माल बहुतायत से उपलब्ध है, एक शराब उद्योग की स्थापना की जाए।

(पांच) असम मेल का मार्ग पुनः बदलने और ए० टी० मेल, वैशाली एक्सप्रेस तथा हल्दी बाड़ी एक्सप्रेस को उत्तरी बंगाल के लोगों के व्यापक हित में, पुनः सिलीगुडी से होकर चलाने की आवश्यकता

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, हाल ही में जब से रेलवे प्राधिकारियों ने आसाम मेल जो सिलिगुडी जंक्शन से होकर जाती थी का मार्ग बदल कर न्यूजलपाई गुडी से कर दिया है तथा उससे पहले सिलिगुडी जंक्शन से ए० टी० मेल और वैशाली एक्सप्रेस को पूरी तरह से हटा लिया था इससे वहां गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है।

इस स्टेशन से मार्ग परिवर्तन तथा गाड़ियों को पूरी तरह से हटा लेने से कुली, विक्रेता, खान पान प्रबन्धक आदि संबंधित व्यक्तियों, जो इस स्टेशन को अपनी जीविकोपार्जन के लिए प्रयोग करते थे, के बीच काफी असन्तोष फैल गया।

रेल प्राधिकरण ने नई जलपाईगुडी से क्रेन ट्रांसशिपमेंट हैन्डलिंग सेवा हटा ली है तथा हल्दी बाड़ी तथा न्यूजलपाई गुड़ी के बीच चलने वाली हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस को हटा लिया गया। इससे मजदूरों तथा यात्रियों दोनों ही में, हितों को काफी नुकसान पहुंचा है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले पर विचार करें तथा उपरोक्त गाड़ियों को तथा क्रेन ट्रांसशिपमेंट हैंडलिंग सेवा को उत्तरी बंगाल के लोगों के हित में पुनः चालू करें।

[हिन्दी]

(छः) अजमेर में डाक विभाग की सामग्री और पंजीकृत पत्रों की चोरी होने और ऐसे कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं:

"अजमेर एक ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थान है। यहां पर ख्वाजा जी की दरगाह होने के कारण ख्वाजा जी के खादिमों द्वारा देश-विदेश से डाक तथा रजिस्ट्रियां भेजी जाती हैं। इनमें महत्वपूर्ण समाचारों के साथ साथ इन रजिस्ट्रियों में विदेशों में रह रहे खादिमों के रिश्तेदार एवं परिचित इन्हें डालर भी भेजते हैं जिन्हें प्राप्त कर ख्वाजा जी के खादिमों को अपने लोगों की महत्वपूर्ण जानकारी एवं समाचार तथा आर्थिक मदद मिलती है।

लेकिन अजमेर का मुख्य डाकघर ख्वाजा जी खादिमों को देश-विदेश से भेजी जाने वाली उन की डाक तथा रजिस्ट्रियों को उन्हें वितरण न कर रास्ते में ही गायब कर देता है।

सबसे पहले यह मामला सन् 1982 में प्रकाश में आया था। उस समय भी सरकार का ध्यान इस प्रकार की अव्यवस्था की ओर दिलाया गया था। पुनः ऐसा ही एक मामला हाल ही में प्रकाश में आया है। मैं सदन का ध्यान दैनिक नवज्योति दिनांक 24-3-85 में प्रकाशित समाचार "रजिस्ट्री चोरी का मामला पकड़ा" की ओर दिलाना चाहता हूँ: इन दिनों अजमेर में ख्वाजा जी की दरगाह पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसे समाचार प्रकाश में आते हैं तो यह स्पष्ट है कि लोगों के मन में डाक-तार विभाग की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है।

मैं माननीय संचार मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस प्रकरण की जांच गुप्तचर

एजेंसी से करवाने की कृपा करें ताकि वहां के लोगों में जो असन्तोष व्याप्त है—उसे दूर किया जा सके। साथ ही जांच के दौरान पाए जाने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही करके अन्य ईमानदार कर्मचारियों में उनके कर्त्तव्य के प्रति ईमानदारी से कार्य करने की भावना जागृत करें।"

दण्ड विधि संशोधन (संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्री के० पी० सिंह देव द्वारा 2 अगस्त, 1985 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव (मद संख्या 9) पर आगे विचार करेंगे।

> "कि दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 1952, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं मन्त्री महोदय जी से अनुरोध करता हूँ कि वह अपना भाषण जारी रखें।

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह मैंने यह उल्लेख किया था कि मैं दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 1985 को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। इस विधेयक में सीमा सुरक्षा बल के उन कार्मिकों को दन्ड देने जो तस्करों और घुसपैठियों को सीमा पार करने में घूस लेकर सहायता देते हैं को दन्ड देने के लिए दन्ड संशोधन अधिनियम, 1952 में संशोधन की आवश्यकता है।

1969 के सीमा सुरक्षा बल के नियमों के नियम 15 के उपनियम (2) की धारा (2) और (3) के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल का यह कर्त्तव्य है कि :

(एक) सीमा पार होने वाले अपराधों, भारत के क्षेत्र में अनधिकृत आवा तथा जाही को रोकना।

(दो) तस्करी और अन्य गैर कानूनी क्रियाकलापों को रोकना।

अभी हाल ही में, ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने धन अथवा वस्तुओं अथवा सेवाओं के रूप में घूस लेकर तस्करों और घुसपैठियों के साथ सांठ गांठ रखी है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जिनका आचरण सुरक्षा बल की सुव्यवस्था तथा अनुशासन के विपरीत है, के विरुद्ध सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968, की धारा 40 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा किए गए सिविल अपराधों की सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा इस अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत जांच की जाती है तथा दन्ड दिया जाता है।

दन्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (एक) के अन्तर्गत, इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (एक) में निर्दिष्ट अपराधों अर्थात सरकारी कर्मचारियों के द्वारा रिश्वत लेने के अपराध की जांच सिर्फ विशेष न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। 1961 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, ऐसे किसी अपराध की न्यायिक जांच का अधिकार केवल विशेष न्यायाधीश को है और केवल इस बात को यह कि ऐसा कोई अपराध सेना अधिनियम के अन्तर्गत भी अपराध हो सकता। की उस मामले में कोई प्रांसगिकता नहीं होगी जहां सामान्य अधि-

नियम स्पष्ट रूप से किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात से इतर निर्दिष्ट अपराधों को एक विशेष अदालत में न्यायाधिकार में रखता है।

अतः 1965 में दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में एक अध्यादेश जारी करके संशोधन किया गया था। जिसके स्थान पर दन्ड विधि संशोधन (संशोधक) अधिनियम 1966 बना। यह कानून कोर्ट मार्शल या सेना नौसेना अथवा वायुसेना कानूनों के अधीन अन्य प्राधिकारी के अधिकार को बनाए रखने, की गई जांच तथा इन नियमों के अन्तर्गत कोर्ट मार्शल तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा कार्यवाही तथा किए गए निर्णयों की वैधता बनाए रखने के लिए बनाया गया था।

चूंकि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 लागू होता है जोकि सेना अधिनियम 1950 के समान है, यह प्रस्ताव है कि दन्ड विधि सशोधन अधिनियम 1952 के खन्ड 6 (1) में निर्दिष्ट अपराधों के सम्बन्ध में सुरक्षा बल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले न्यायाधिकार पर बाद के अधिनियम के खन्ड (7) के अधीन विशेष न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली जांच से सम्बन्धित उपबन्धों के कारण कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

महोदय, यह एक शक्ति प्रदान करने वाला खन्ड है तथा दन्ड देने और न्याय देने के लिए इसे शीघ्र ही तथा संक्षिप्त रूप में पुरः स्थापित किया जा रहा है। मैं इस विधेयक पर विचार करने तथा इसे पारित करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकारा) : महोदय, यह संशोधन अधिनियम विधेयक उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस सम्बन्ध में मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि न केवल सीमा सुरक्षा बल अधिनियम में, अपितु कानून के अन्य अनेक उपबन्धों में परस्पर व्याप्ति है तब तक उपबन्धों में परस्पर व्याप्ति है तब तक समुचित क्रियान्वयन असम्भव है। यह संशोधन विधेयक केवल उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के कि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामले में कोई विशिष्ट तरीका सम्भव नहीं है, परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति से निपटने के उद्देश्य से लाया गया है। यदि मामला यह है, तो न केवल सीमा सुरक्षा बल के सम्बन्ध में अपितु इसी प्रकार के अन्य बलों में कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कार्मिकों के सम्बन्ध में भी ऐसा कहा जा सकता है। वह भी ऐसा ही कर रहे हैं। यदि पुलिस बल को लिया जाए, उसके सम्बन्ध में भी ऐसा कहा जा सकता है कि आपको उनसे न्याय प्राप्त नहीं हो सकता और पुलिस बल के अधिकारी भ्रष्ट हैं। इसीप्रकार सीमा शुल्क अधिकारी हैं अक्सर हम सुनते हैं और समाचार पत्रों में भी यह समाचार आता है कि सीमा शुल्क अधिकारियों उन लोगों के साथ सांठ-गांठ होती है जो हमारे देश में विदेशों से समान लाते हैं। अतः बहुत से लोग जिनका काम कानून को लागू करना हैवे स्वयं ही कानून का उल्लंघन करते हैं।

इस विधेयक में यह कहा गया है कि सरकार के ध्यान में ऐसी बातें हैं कि सीमा सुरक्षा बल में कार्य करने वाले लोग स्वयं ही कानून का उल्लंघन करते हैं। अतः उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह ठीक है कि कानून में दन्डात्मक तथा निवारक उपबन्ध हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश देश में अनेक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता। इसलिए, यदि दन्डात्मक तथा निवारक उद्देश्य से क्रियान्वयन के लिए कानून बनाया जाता है तो उसका क्रियान्वयन प्रभावी होना चाहिए, तभी कानून के उल्लंघन का कुछ डर होगा। अतः आज की स्थिति को देखते हुए निश्चय ही संशोधन की आवश्यकता है।

परन्तु मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से दन्ड विधि के क्षेत्र

में जिन कानून में परस्पर व्याप्ति है उसकी जांच करने के लिए सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। अनेक उपबन्ध परस्पर विरोधी हैं। यह देखा जा सकता है कि यद्यपि किसी कानून के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही में दन्ड दिया जा सकता है, जबकि अन्य कानून के अन्तर्गत दन्ड देना सम्भव नहीं है। इस प्रकार परस्पर व्याप्ति हो जाती है और अपराधी को इसका लाभ दिया जाएगा और वह बहुत आसानी से बच सकता है। अतः कानून अधिक प्रभावी होना चाहिए और उस कानून के अन्तर्गत शासित लोगों के मन में कानून का निवारक प्रभाव पड़ना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को शीघ्र ही उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों की ओर ध्यान देना होगा। सरकारी कर्मचारियों के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय में कहा गया है कि संवैधानिक उपबन्धों के अन्तर्गत उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है, जबकि यदि आप औद्योगिक कानून देखें, तो उसमें औद्योगिक कर्मचारियों की सुरक्षा तथा स्थायित्व की व्यवस्था है और औद्योगिक कानून के अन्तर्गत केवल समुचित जांच के बाद तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार किसी व्यक्ति को बर्खास्त किया जा सकता है। मेरा यह अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इसी प्रकार मेरा यह अनुरोध है कि सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक फैसले के विश्लेषण के लिए और जहां कहीं आवश्यक हो कानून में संशोधन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में, मैं आपका ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिए गए इस फैसले की ओर दिलाता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं बिना किसी प्रकार की जांच किए तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन किए बिना समाप्त की जा सकती हैं जबकि औद्योगिक कर्मचारियों की सेवाओं का सुरक्षा की व्यवस्था है और उन्हें उपने बचाव तथा जांच के दौरान अपने को निर्दोष साबित करने का अधिकार प्राप्त है जबकि सरकारी कर्मचारी इस अधिकार से वंचित है। यह भी एक जैसी स्थिति है। अतः संविधान में यह संशोधन आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन करना होगा।

इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों द्वारा ऐसे अनेक निर्णय दिए गए हैं, जो एक दूसरे के परस्पर व्याप्ति है। अतः इन मामलों को सुव्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में एक आयोग नियुक्त करके तथा कानून का उपयुक्त क्रियान्वन करके अध्ययन चाहिए। कानून के विविध स्वरूप होने के कारण, दण्ड नहीं दिया जा सकता। मेरा यही निवेदन है। अन्य मामलों में भी मैंने यह उल्लेख किया है कि सीमा शुल्क अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी आदि अन्य अधिकारियों के मामलों में भी, यदि सम्भव हो, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके द्वारा अपराधी को दण्ड दिया जा सके। इस मामले में मेरा यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट बिल इस समय विचाराधीन है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। जो बात मैं निवेदन करने जा रहा हूं, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। भारत की सीमाओं पर अनधिकृत, अवैधानिक प्रवेश बड़ी तेजी से बढ़ा हुआ है। मेरे जिले से सटा हुआ भैरहवा और कृष्ण नगर नेपाल के क्षेत्र में है। जहां से बहुत सा अनधिकृत काम होता है। हमारे यहां के डकैत, बदमाश अपराध करके हिन्दुस्तान से नेपाल भाग जाते हैं और इसमें बहुत हद तक हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों का हाथ रहता है। चाहे वह पैसे के प्रलोभन से हो,

चाहे किसी एप्रोच में आकर उन्हें वहां से निकल जाने या भाग जाने की अनुमति दे दी जाती है। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से इस तरह की प्रक्रियाओं के कारण अपराधों में निरन्तर वृद्धि हुई है।

दूसरी बात स्मगलिंग की है। जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस एक्ट में अब तक यह व्यवस्था थी कि स्पेशल जज की कोर्ट में ऐसे लोगों को ट्रायल किया जाएगा, जिसका परिणाम यह होता था कि न्याय होने में बहुत विलम्ब हो जाता था। मुकद्दमों की तारीखें लगती रहती थीं और फैसले नहीं हो पाते थे। लेकिन अब जो अमेंडमेंट लाया गया है, इसके द्वारा इस तरह के अपराधों का ट्रायल जल्दी होगा तथा फैसले जल्दी हो सकेंगे। इस दृष्टि से यह अमेंडमेंट वास्तव में बहुत सराहनीय है। अब इस कानून के तहत जल्दी दंड दिया जा सकेगा और फैसला होने में अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। एक विशेष लाभ यह भी है कि बहुत सी बातें ऐसी गोपनीय होती थीं जो सर्वसाधारण के समक्ष नहीं जानी चाहिए थीं, पहले कानून के अन्तर्गत वे सब बातें गोपनीय नहीं रह पाती थीं। लेकिन अब वे बातें कॉमन मैन तक नहीं आ पायेंगी, और सिकेसी बनी रहेगी तथा मुकद्दमों का निस्तारण जल्दी होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : श्रीमान् मैं इस संशोधनकारी विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है। इस संशोधन का उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी द्वारा किए गए किसी सिविल अपराध के लिए, जिन पर धारा 46 और 47 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है, मुकदमा चलाने सम्बन्धी कार्य को दंड विधि न्यायलयों के क्षेत्राधिकार से निकाल देना है और इन मुकदमों को केवल सुरक्षा बल न्यायालयों में ही चलाया जा सकेगा।

उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में यह बताया गया है कि वर्ष 1961 में उच्चत्तम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आर्मी एक्ट भी इस प्रकार के अपराधों पर पूर्णतःया लागू नहीं होता है और कानून के उपबन्धों के अनुसार दंड न्यायालय भी ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने को सक्षम है जिन मामलों में सैनिकों को इन अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हो। इस सम्बन्ध में एक अध्यादेश जारी किया गया था जो बाद में एक अधिनियम बन गया था। यह अधिनियम 1966 में बना था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस संशोधनकारी विधेयक को लाने में इतनी देरी क्यों हुई। मन्त्री महोदय ने बताया है कि हाल में सरकार अथवा प्राधिकारियों के ध्यान में यह बात आई है कि बल के कर्मचारियों की मिली भगत से तस्करी होती है। यद्यपि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री बीरबल नाथ ने हिचकिचाते हुए यह स्वीकार कर लिया है कि हथियारों और मादक एवं अन्य पदार्थों की तस्करी में वृद्धि हुई है और उन्होंने बताया कि यह तस्करी न केवल बल कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अपितु सीमा पर तैनात अन्य कार्मिकों की मिली भगत से भी हुई है। यह एक गम्भीर मामला है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अथवा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है अथवा क्या सरकार ने इस विधेयक को इस लिए लिए प्रस्तुत किया है कि केवल सुरक्षा बल न्यायालयों को ही नहीं अपितु दंड न्यायालयों को भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से इसी विषय में जानना चाहता हूँ।

मैं इस संशोधनकारी विधेयक का समर्थन करता हूँ और इस सम्बन्ध में मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूँगा। श्रीमान, हाल ही में अथवा पिछले कुछ समय से सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी संवर्ग

के असन्तोष व्याप्त रहा है । अभी हाल में आपने 'स्ट्रेटसमेन' में इस विषय पर एक लम्बा-चौड़ा समाचार छपा था क्योंकि वे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना ससंद नहीं करते हैं। 1978 के सीमा सुरक्षा बल (वरिष्ठता तथा पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति) संबंधी नियमों के पैरा 6 (तीन) के अन्तर्गत 11 नवम्बर, 1978 को सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना के अनुसार समान रैंक के वे सभी कमाण्डेंट और अधिकारी जिन्होंने इस स्तर पर 8 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया है, उपमहानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। यह आशा की गई थी कि अधिकांश पद इन्हीं अधिकारियों द्वारा भरे जायेंगे। अत: गृह मन्त्रालय ने एक परिपत्र जारी किया है जिसके अनुसार उपमहानिरीक्षक के 75 प्रतिशत पद भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी संवर्ग के लिए आरक्षित हैं। यह स्वाभाविक ही है कि इस बात से इन अधिकारियों में असन्तोष उत्पन्न हो गया है। यह एक लड़ाकू बल है। हम इस बल में अनुशासन और इसका मनोबल बनाये रखना चाहते हैं हम सीमा सुरक्षा बल का चरित्र और व्यक्तित्व बनाये रखना चाहते हैं । यह आवश्यक है कि सरकार को जितना जल्दी हो सके स्वयं इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि इस बात के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को बीच में लाया जाना आवश्यक हो तो उन्हें भी इस बल में नियुक्त किया जाना चाहिए लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ न कुछ निर्णय अवश्य लेना चाहिए और उन्हें एक अवसर देना चाहिए ताकि ये अधिकारी या तो सीमा सुरक्षा बल के लिए अथवा किसी अन्य संवर्ग के लिए अपना विकल्प दे सकें। इस समस्या का समाधान करना होगा। अन्यथा इससे बल के हौंसला और अनुशासन कमजोर होगा। सरकार को तुरन्त इस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरे, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के वास्ते सिविल प्रशासन की मदद के लिए सीमा सुरक्षा बल का बार-बार उपयोग किया गया है। मैं इस तथ्य से भली भाँति परिचित हूँ कि अधिकृत क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल का कर्त्तव्य कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना भी है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि यह एक लड़ाकू बल है और इस बल का बार-बार उपयोग करना ठीक नहीं है। यह मुख्य रूप से सीमा पर चौकसी बनाए रखने और तस्करी तथा सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बल का बार-बार उपयोग करने से इस बल को बनाने का उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा इस बल का उपयोग भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जब इस बल को कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाया जाता है तो वास्तव में घटिया और कड़ा तरीका कर्मचारियों में अक्सर असंतोष उत्पन्न कर देता है। इस बल के भूतपूर्व महानिदेश श्री श्रवण टंडन ने भी यह कहा है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बल का बार-बार उपयोग करना उचित नहीं है। अत: मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल का उपयोग करना उचित है लेकिन उसका इस बात के लिए बार-बार उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि आजकल किया जा रहा है क्योंकि इसके घटिये और कड़े तरीके के फलस्वरूप कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त हो गया है। सीमा सुरक्षा बल एक लडाकू बल है और इसे लोगों के समर्थन और सदभावना की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय में दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 की धारा 11 के लिए यह एक अत्यन्त महत्वहीन संशोधन है। इस विधेयक का विरोध करने की कोई आवश्यकता नही है और वस्तुत: इस विधेयक को बिना किसी चर्चा तथा विरोध के पारित कर दिया जाना चाहिए था लेकिन जब आपने इस विधेयक के लिए दो घंटे नियत किए हैं तो हमें इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ तो बोलना है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह समय की बर्बादी नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। दूसरे सदस्य इस बारे में कहना चाहेंगे।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : महोदय, मैं भूल दन्डविधि संशोधन अधिनियम, 1952 के बारे में कुछ कहना चाहूँगा जिसमें अब हम छूट की माँग कर रहे हैं। यह अधिनियम 1952 के बारे में सरकारों कर्मचारियों द्वारा या उनसे सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा घूस लेने के अपराधों के सम्बन्ध में भारतीय दन्ड संहिता की धारा 161, 162, 163, 164, 165 और 165 क के अन्तर्गत सुनवाई के उद्देश्य से विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पारित किया गया था। इस दन्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 को पारित हुए 33 वर्ष हो चुके हैं।

1952 में इस अधिनियम के पारित होने से पहले इस प्रकार के सभी अपराधों पर दन्ड प्रक्रिय संहिता के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जाती थी। दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 में यह बताया गया है कि :

> "(1) भारतीय दन्ड संहिता के अन्तर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण जांच और विचारण इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा और अन्यथा इस सम्बन्ध में इससे आगे अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
>
> (2) किसी भी अन्य कानून के अन्तर्गत सभी अपराधों की छानबीन, पूछताछ और उन पर मुकदमा उन्हीं उपबन्धों के अनुसार अथवा इन्हीं उपबन्धों के अनुसार इन अपराधों पर अन्यथा कार्यवाही की जाएगी परन्तु ऐसे तरीके अथवा जांच स्थल, पूछताछ, मुकदमा चलाना अथवा ऐसे मामलों पर कार्यवाही करने का विनियमन किसी अधिनियमन के थोड़े समय पर लागू होने के अधीन रहते हुए होगा।"

दन्ड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची में इस बात की व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा या उनसे सम्दन्धित अपराधों अर्थात धारा 161, 162, 163, 164, 165 तथा 165 क के अन्तर्गत भ्रष्टाचार तथा घूस खोरी से सम्बन्धित अपराधों के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा चलाया जा सकेगा।

1952 से पहले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, घूस खोरी आदि के मामले कुल मिलाकर बहुत कम होते थे और इन मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाती थी। लेकिन 1952 में, इस बात पर बल देने के लिए कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों का विशेष महत्व है, अत: दन्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 पारित किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित अपराधों की सुनवाई के लिए से विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकी थी। इसके फलस्वरूप राज्यों की राजधानी में दो अथवा तीन न्यायालयों की स्थापना की गई। यदि किसी छोटे मे कर्मचारी द्वारा भी राज्य के किसी दूरन्दराज के क्षेत्र में मामूली सा अपराध किया गया हो तो उसकी सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है। उसे दूरन्दराज के क्षेत्र से उस राज्य की राजधानी में व्यक्तिगत रूप से आना पड़ता है। ये विशेष न्यायालय प्राय: राज्यों की राजधानियों में हैं, इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है और क्यों कि ये न्यायालय विशेष न्यायाधीशों की श्रेणी के होते हैं इसलिए राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए दो-तीन से अधिक न्यायालय निर्धारित नहीं किए हैं। इसका स्पष्ट परिणाम यह निकला है कि साक्षियों को इन न्यायालयों में आना पड़ता है और इस सम्बन्ध में उन्हें कई बार 400 से 500 मील तक की यात्रा करनी पड़ती है और यदि मामले की सुनवाई स्थगित हो जाए तो उन्हें वापस जाना पड़ता है। मैं केवल माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन सभी मामलों के आँकड़े मगवाएं जिनकी सभी राज्यों में विशेष न्यायालयों में सुनवाई हो रही है, ऐसे मामलों की संख्या भी बतायें जिनको

निपटाया जा रहा है और इस बात की समीक्षा भी की जाए कि न्यायालय कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं।

1.00 म० प०

वास्तव में वही न्यायाधीश जो सत्र न्यायाधीश है, अधिसूचना के द्वारा विशेष न्यायाधीश बन जाता है चूंकि वह न्यायाधीश के विशेष न्यायाधीश बन जाता है और चूंकि वह राज्य की राजधानी में नियुक्त रहता है इसलिए उसे सरकारी कर्मचारियों सम्बन्धी प्राय: सभी मामलों की सुनवाई करने का अधिकार मिल जाता है और इससे साक्षियों को बहुत असुविधा होती है। इससे मामलों के निपटाने में भी देरी होती है। हमने बहुत कम मामलों में दोष सिद्ध होने की बात सुनी है। यदि माननीय मन्त्री महोदय आंकड़े मंगवाएं तो उन्हें पता चलेगा कि कुछ मामलों में अत्यधिक देरी हुई है। 5 वर्ष, 6 वर्ष और 10वर्ष से भीअधिक समय से मामले लम्बित पड़े हैं। जिन सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वे राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके निलम्ब को समाप्त किया जाए और उनको वापस नौकरी में ले लिया जाए। बड़ी संख्या में ऐसे मामले जहां 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष के निलम्बन के पश्चात कर्मचारियों को दोषमुक्त कर दिया गया और पिछली तिथि से उनको उनका वेतन तथा भत्ते आदि मिल गया।

अत: 1952 के इस विशेष अधिनियम की अब कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या भी बढ़ गई है। इन मामलों की सुनवाई आसानी से विशेष मजिस्ट्रेटों द्वारा ताल्लुक स्तर पर और कुछ गम्भीर मामलों में जिला स्तर पर की जा सकती है। अत: मेरा सुझाव यह है कि यही उचित समय है जब दन्ड विधि संशोधन अधिनियम को ही देखा जाना चाहिए। कोई विशेष उपबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है।भ्रष्टाचार के इन सभी मामलों की जांच सामान्य दंड न्यायालयों में की जा सकती है। वही मजिस्ट्रेट वही न्यायपालिका तथा वही नियम लागू होते हैं और उनका निपटान ताल्लुक स्तर पर ही संभवत: अधिक प्रभावशाली ढंग से, अधिक कुशलता तथा अधिक तत्परता से किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित की जाती है तथा सभा दो बजे पुन: समवेत होगी।

1.02 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

2.09 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर नौ मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दण्ड विधि संशोधन (संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बसवराजू बोलेंगे।

* **श्री जी० एस० बसवराजू** (हुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मन्त्री जी ने एक बहुत अच्छा विधेयक पेश किया है और मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूँ। कई अपराधों जैसे सीमा पार अपराध, भारतीय क्षेत्र में अनधिकृत ढंग से प्रवेश करने अथवा यहां से बाहर जाने, तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों, को दृढ़ता से निपटा जाना चाहिए और इसलिए यह विधेयक बहुत आवश्यक है। यहां तक कि विपक्षी सदस्यों ने भी इस विधेयक का स्वागत किया है। वास्तव में मैं ऐसे संशोधित विधेयक की बहुत पहले ही अपेक्षा कर रहा था।

इस विधेयक पर बोलते समय मैं कुछ मुख्य बातों को बताना चाहूँगा। सीमा सुरक्षा बल के समान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल आदि अन्य बलों को भी इस संशोधनकारी विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाया जा सकता था। तथापि मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त सभी बलों को सम्मिलित करके एक व्यापक विधेयक लायें।

दूसरे, मैं आपका ध्यान कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री स्वर्गीय केंगल हनुमन्तैया की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार समिति की रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। मैं नहीं जानता कि समिति की इस रिपोर्ट का क्या हुआ। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह इस समिति की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को कार्यान्वित करें। यदि इस रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर कार्यान्वयन होता है तो मुझे विश्वास है कि प्रशासन में ईमानदारी, अनुशासन, कड़ा परिणाम, सच्चाई इत्यादि से काफी सुधार लाया जा सकता है।

इस विधेयक से निश्चय ही तस्करों, अवैध औषध व्यापारियों और सीमा सुरक्षा बल के कुछ तत्वों की अवैध मिलीभगत रोकी जा सकेगी। मैं तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा इस सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता में समय से संशोधन लाने के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं इ संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं जो कि इसके क्षेत्र अधिकार की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। वस्तुतः यह संशोधन विधेयक बहुत समय पहले लाया जाना चाहिए था। तथापि, मैं माननीय मन्त्री महोदय का इतने समय बाद भी यह संशोधन विधेयक लाने के लिए आभारी हूँ। सीमा सुरक्षा बल का हमारे विभिन्न अर्द्ध सैनिक बलों में विशेष महत्व है। वस्तुतः यह लड़ाई न होने देने के लिए सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों को अपने को संयत रखना है, यह उनकी राजनीति ही है यह उनके बोलने का ही ढंग है जो दोनों ओर की लड़ाई को रोकता है। वरना आप जानते हैं कि यह लड़ाई कितनी विनाशक हो सकती है। अतः इस दृष्टि से इस बल का अत्यधिक महत्व है। इस संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था है कि यदि सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी की सुनवाई भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अथवा भारतीय दण्ड संहिता की किसी धारा के अन्तर्गत, जो भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है, की जाती है तो इस प्रस्तावित संशोधन की शक्तियां सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारियों को दी जाती है, जैसाकि इस समय भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम अथवा दंड विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीशों को प्रदान की गई है। अतः इस कारण सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के कर्मचारियों को सामान्य दण्ड न्यायालयों के समक्ष नहीं पेश किया जाना चाहिए, इस दृष्टि से इस संशोधन विधेयक का स्वागत है।

दूसरे, जब यह मामला उन विशेष न्यायाधीश के पास जाता है जो सामान्यतः जिला अदालतों

* कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

के न्यायाधीश होते हैं तथा जिलों में नियुक्त होते हैं; उनके समक्ष अनेक महत्वपूर्ण मामले होते हैं जिनको निपटाने में वर्षों लग जाते हैं। जिसके फलस्वरूप सेना तथा सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा इससे उनके मनोबल पर भी प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से यह संशोधन विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है।

तथापि, इस उपबन्ध के और अच्छे ढंग से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा।

सर्वप्रथम मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि जब भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाया जाता है, तो न्यायाधीशों,—उपयुक्त वरीयता प्राप्त वरिष्ठ न्यायाधीशों—जो ताल्लुक के मुख्यालयों में नियुक्त रहते हैं, को शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए ताकि गरीब मुकदमा लड़ने वाले लोगों को जैसा कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, मीलों दूर चलकर जिला मुख्यालयों में मुदकमा लड़ने के लिए तथा साक्ष्य देने के लिए न जाना पड़े।

दूसरे, ये मामले केवल तभी प्रकाश में आते हैं अथवा उनकी सुनवाई की जाती है जब प्रभावित व्यक्ति पुलिस स्टेशन में स्वयं आकर यह शिकायत करता है कि अमुक अधिकारी उनसे धन की अथवा रिश्वत की माँग कर रहा है। केवल तभी मामला बनता है तथा चार्ज शीट दायर की जाती है। तथापि, पुलिस प्राधिकारियों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल लोगों को पकड़ा जाये; उन्हें स्वयं पहल करनी चाहिए तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 अथवा 165 क के अन्तर्गत मुकदमा चलाना चाहिए। जब तक व्यक्ति पार्टी पहल नहीं करेगी तब तक ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे।

फिर भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के कुछ तरीके हैं। जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि अमुक अधिकारी उससे रिशवत अथवा किसी प्रकार के प्रतिफल की माँग कर रहा है तो उसे पकड़ा जाता है। ऐसा किया जाता है कि शिकायत करने वाले को पुलिस दल अथवा छापामार दल से विशेष समय अथवा स्थान पर मिलने के लिए कहा जाता है। फिर शिकायत करने वाले को नोटों का बंडल दिया जाता है। कभी-कभी चूने के पानी का प्रयोग भी किया जाता है। शिकायत करने वाले व्यक्ति को ये नोट दिए जाते हैं। रिश्वत माँगने वाले अधिकारी से मिलने के लिए शिकायत करने वाले व्यक्ति तथा अधिकारियों के बीच कोई समय निश्चित किया जाता है। मान लीजिए, यदि 3.00 बजे का समय निश्चित किया गया है तो उस समय पुलिस अधिकारी भी उस निश्चित स्थान पर पहुँच जाते हैं और शिकायत करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट अधिकारी को नोट देता है। तब पुलिस अधिकारी उस अधिकारी को पकड़ लेते हैं तथा उससे नोट वापिस ले लेते हैं। इस प्रकार वह अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा जाता है। सामान्यत: नोटों पर चूने का पानी छिड़का जाता है जिससे नोट गुलाबी रंग के हो जाते हैं, तथा इससे यह साबित हो जाता है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को यह रुपए दिए गए थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सम्पूर्ण प्रक्रिया बड़ी जटिल है। पंचों द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य अदालत में तथा एक के बाद एक बात का वर्णन करने में समर्थ नहीं होते और यदि कोई पंच साक्ष्य के दौरान कहीं लड़खड़ा जाता है तो मामला खारिज हो जाता है। अत: होता यह है कि भ्रष्टाचार के कुछ ही मामले साबित हो पाते हैं। केवल 10 प्रतिशत मामलों के सम्बन्ध में ही अन्त तक मुकदमा चलता है। 50 से 60 प्रतिशत लोगों को कोई दण्ड नहीं मिलता। अत: यह आवश्यक है कि इन तरीकों अथवा पद्धतियों को बदला जाए, ताकि दोषी व्यक्ति दण्ड से न बच पाए। वरिष्ठ जाँच अधिकारियों को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए।

संघ राज्य क्षेत्रों में, हम यह देखते हैं कि सामान्यत: जांच अधिकारी उप सामान्य निरीक्षक के पद का आई० पी० एस० अधिकारी होता है। ऐसे अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं परन्तु दुख की बात यह है कि उन्हें प्राय: बार-बार स्थानान्तरित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जांच अधिकारी भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज करता है तथा कार्यवाही शुरू करता है परन्तु छह माह के भीतर उसका दिल्ली अथवा अन्य किसी संघ राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरण कर दिया जाता है। तब ही मामला वास्तव में समाप्त हो जाता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अन्तर्गत मैं विशेष सरकारी वकील था। मेरे द्वारा चलाए गए एक मामले में जांच अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया। मैं निस्सहाय हो गया। जांच अधिकारी के स्थानान्तरण के विभिन्न स्थानों पर मैंने उसकी खोज की। बाद में उस अधिकारी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। बाद में वह अधिकारी राजनीति के क्षेत्र में आ गया तथा संसद बन गया। तत्पश्चात् मैंने भी चुनाव लड़ा तथा मैं भी संसद में आ गया। परन्तु वह मामला अभी तक लम्बित पड़ा है। कभी-कभी इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं। इसलिए पुलिस निरीक्षक के पद के अधिकारियों को भी अपराधी से निपटने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि उनके संघ राज्य क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थानान्तरण न किया जाए और मामलों में विलम्ब न हो।

पिछले संशोधन के सम्बन्ध में, जो कि 1966 में प्रस्तुत किया गया था, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। दण्ड विधि अधिनियम के खण्ड 11 में कहा गया है :

> "सेना नौसेना अथवा वायु सेना कानून के अन्तर्गत किसी न्यायालय अथवा किसी प्राधिकारी पर लागू प्रक्रिया अथवा न्याय अधिकार के क्षेत्र पर इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

यद्यपि आज इस संशोधन से हमारा सीधा सम्बन्ध नहीं है, मैं समझता हूँ कि इसमें प्रयुक्त सेना, नौ सेना अथवा वायु सेना' शब्द यहाँ ठीक नहीं हैं और सम्बन्धित अधिनियम का उल्लेख किया जाना चाहिए था जैसा कि वर्तमान संशोधन में किया गया है।

श्री के० पी० सिंह देव : यह सेना, नौ सेना तथा वायु सेना अधिनियम के रूप में जाना जाता है।

श्री शान्ताराम नायक : परन्तु अधिनियम का उल्लेख नहीं किया गया।

अन्त में, भ्रष्टचार निवारक अधिनियम में जो भी अस्पष्टता अथवा कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के लिए धन राशि की मंजूरी के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है ? अधिनियम में इस पहलू को उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। श्री अन्तुले के मामले में हमने देखा है कि अस्पष्टता के कारण मामला लगातार बहुत महीनों तक लटकता रहा। इस प्रकार के अस्पष्ट उपलब्ध से अधिक विलम्ब होता है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। अत: इस अवस्था में, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में संशोधन से यद्यपि हमारा सीधा सम्बन्ध नहीं है, मैंने प्रसंगवश इन बातों का उल्लेख किया है और मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय, संशोधी विधेयक बहुत समय से लम्बित पड़ा है। वास्तव में, मुझ से पहले बोलने वाले कुछ अन्य सदस्यों के समान मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि इस संशोधी विधेयक को लाने में इतना अधिक समय क्यों लगा। इस संशोधी विधेयक के सीमित उद्देश्य है

अर्थात् सीमा सुरक्षा बल के उन कार्मिकों, जो तस्करी, तस्करों के साथ सांठ-गांठ, भ्रष्टाचार इत्यादि के अपराधों में दोषी पाए गए हैं, के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के बारे में विद्यमान कानूनी कमियों तथा असंगतियों को दूर करना आदि है। परन्तु मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय हमें बताएं कि अब वह एकदम क्यों सचेत हो गये हैं, क्या इसलिए कि उच्चतम न्यायालय ने 1961 में अपना निर्णय दिया था। उसके पश्चात्, 1966 में दंड विधि में संशोधन किया गया। अब वर्ष 1985 है। इतने समय तक यह असंगति अथवा जो कुछ भी यह थी, इसमें रही। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तविकता यह है कि सरकार ने अब इस मामले में कार्रवाई करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि इस बीच सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की तस्करों, घुसपैठियों के साथ सांठ-गांठ तथा भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या इस हद तक बढ़ गई है कि यह बात सरकार के ध्यान में आई कि कोई संशोधन करना आवश्यक है। मेरा विचार है कि विधेयक को पुरःस्थापित करते समय, मंत्री महोदय को हमें कुछ ऐसी वास्तविक जानकारी प्रदान करके, कि उन कार्मिकों की वास्तविक संख्या क्या है जिनके विरुद्ध मुकदमा चलाए गए तथा ऐसे अपराधों के लिए कार्यवाही की गई है, सभा की सहायता करनी चाहिए। ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। मन्त्री महोदय द्वारा दी गई प्रारम्भिक जानकारी में केवल उद्देश्यों और कार्यों का वक्तव्य शामिल है जो किसी भी मामले में हमें दिया जाता है। उन्हें इसे पढ़ने का कष्ट नहीं करना चाहिए था। निश्चय ही, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ परन्तु यह केवल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का ही प्रश्न नहीं है। प्रत्येक सदस्य यह भी जानना चाहता है कि क्या वास्तव में कोई कार्यवाही की जा रही है। मुझे माननीय मंत्री महोदय तथा सभा के ध्यान में यह लाने का अवसर प्राप्त हुआ है कि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा हमारे देश की सीमाओं पर किए जाने वाले कार्यों से जनता में कोई विश्वास उत्पन्न नहीं हो रहा। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि सीमा सुरक्षा बल से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है अथवा बेईमान है अथवा अपने कर्त्तव्यों को नहीं निभा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ने भी अनेक अवसरों पर श्रेष्ठ सेवा की है। परन्तु मेरा निर्वाचन क्षेत्र, उदाहरण के तौर पर, बगला देश की सीमा के निकट है। इनमें से अधिकतर स्थानों पर भूमि पर कोई सीमा रेखा नहीं है, केवल नदियों तथा नहरों की सीमा रेखा बनी हुई है। उस सीमा पर अक्सर नौकाओं से गश्त लगानी पड़ती है। सीमा सुरक्षा बल के पास विशेष प्रकार की नौकाएं और विमान हैं जिनका वे इस्तेमाल करते हैं। किन्तु फिर भी मैं यह जरूर कहूँगा कि निस्संदेह सीमा के दोनों ओर काफी बड़े पैमाने पर तस्करी जारी है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सीमा के इंच-इंच पर नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल है किन्तु तस्करी में बढ़ोत्तरी हो रही है। हर कोई इस बारे में जानता है। सीमा सुरक्षा बल की इन तस्करों के साथ सांठ-गांठ है। अभी इसके बारे में बात करते हैं और हर कोई यही कहता है कि इसे नहीं रोका जा सकता। इससे भी बुरी बात यह है कि सीमा-पार अपराध हो रहे हैं जिसको रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल कुछ भी नहीं कर सकता है। कभी-कभी बंगला देश की ओर से सशस्त्र गिरोह हमारी सीमा में आ जाते हैं। मेरा निर्वाचन-क्षेत्र जैसोर और खुलना जिलों के बिल्कुल सामने पड़ता है और वहां कई ऐसी वारदातें हुई हैं जहां उस पार से सशस्त्र डाकू आए और उन्होंने वहां डकैती डाली। एक मामले में तो उन्होंने कुछ लोगों का अपहरण भी किया है। वे मवेशी भी ले जाते हैं और ऐसी ही कई वारदातें करते रहते हैं। वे बिना किसी रोक-टोक आ-जा रहे हैं। केवल एक ही ऐसा मामला है जिसके बारे में मुझे मालूम है। सीमा सुरक्षा बल उनके आने-जाने पर रोक लगाने में असफल रहा है। जैसाकि उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है सीमा सुरक्षा बल के अनेक कर्त्तव्यों में से एक कर्त्तव्य भारत के सीमा क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश और बहिर्गमन को रोकना भी है। वह इस अनाधिकार प्रवेश और बहिर्गमन को रोकने

में बिल्कुल असमर्थ रहा है। यही नहीं वरन् यह भ्रष्टाचार का स्रोत बन गया है, जिससे सीमा सुरक्षा बल तो प्रभावित ही है। जिन लोगों के पास इस तरह आने-जाने के लिए बैध कागजात नहीं हैं वे सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को रिश्वत देकर आ जा सकते हैं और ऐसा अक्सर हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इन बातों का पता लगाने के लिए उसने क्या उपाय किए हैं। उदाहरण के लिए एक दिन हमने सुना कि पंजाब सीमा के पास बहुत ज्यादा घुस पैठ हो रही है और शायद यह अभी भी जारी है। यह बताया जाता है कि आतंकवादियों और उग्रवादियों के लिए पाकिस्तान जाना बहुत आसान बात है और वे जब चाहें वापस भी आ जाते हैं। लेकिन वहां सशस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आ जा रहे हैं या वे बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए ही आ-जा रहे हैं।

कल मैं अमृतसर के पास वाघा सीमा पर गया था। मैं सीमा पर जरा जायगा लेने गया था। मैंने ऐसा पहले भी किया है। हमारी सीमा सुरक्षा बल सीमा चौकी पर तैनात है यह इससे स्पष्ट है कि उसके जवान यूनीफार्म में बड़े चुस्त-चौकस दिखाई दे रहे थे और सीमा के उस पार कुछ फुट की दूरी पर पाकिस्तानी रेंजरों के साथ-साथ गश्त लगा रहे हैं। किन्तु यदि वाघा चौकी के पास घुस पैठ नहीं हो रही तो भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ कहीं और ऐसा जरूर हो रहा है। और यदि इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से अनेक तरह के हथियार भी आ रहे हैं और आप जानते हैं कि पिछले दो-तीन सालों में क्या हुआ। इन आतंकवादियों और उग्रवादियों के दल जब बे रोक-टोक आ जा रहे हैं, तो सीमा सुरक्षा बल क्या कर रहा है? यह तो एक सशस्त्र बल है, एक प्रशिक्षित बल है, एक अर्द्धसैनिक बल है जो इस प्रकार की अवैध घुसपैठ का सामना करने के लिए विरोध रूप से प्रशिक्षित हैं। किन्तु यहां हर कोई पंजाब सीमा के बारे में यही बात करता है जैसे वहां सीमा पार जाना या आना बहुत आसान हो; और इस प्रकार इन आतंकवादियों और उग्रवादियों पर नियन्त्रण रखना या उन्हें पकड़ना कठिन है जो जब जी चाहे सीमा पार चले जाते हैं और वापिस आ जाते हैं। अतः सीमा सुरक्षा बल इस मामले में भी असफल रहा है।

असम और नागालैंड पुलिस वालों के बीच हुई मेरापानी मुठभेड़ अत्यधिक लज्जाजनक और दुःखद घटना है। यह सचमुच राष्ट्रीय एकता के लिए दुर्भाग्य की बात है। यह सच है कि जब कुछ दिन पहले मामला उठाया गया तो मंत्री महोदय ने सभा में इस तथ्य की जानकारी से अनभिज्ञता जाहिर की कि उस मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक शामिल थे, किन्तु मैं सरकार से पूरी तरह आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी रिपोर्ट सामने आई है, और प्रकाशित हुई है, उससे तो यही स्पष्ट होता है कि कम से कम नागालैंड की ओर से सीमा सुरक्षा बल ने अवश्य ही इस संघर्ष में भाग लिया था। नागालैंड सरकार ने मेरापानी क्षेत्र में असम के गांवों पर हमले के लिए निश्चय ही उनका इस्तेमाल किया था। उस घटना में सम्भवतः मोर्टार शैलों के इस्तेमाल का सबूत भी मिला है। ये मोर्टार शैल सामान्यतः आम सशस्त्र पुलिस को नहीं दिए जाते हैं। यदि यह सही है कि सीमा सुरक्षा बल ने इस संघर्ष में भाग लिया था तो इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं उन सदस्यों की इस बात से सहमत हूँ जिन्होंने यह कहा है कि सीमा सुरक्षा बल का सीमा से बहुत दूर या सीमा से नितांत असम्बद्ध क्षेत्रों में सामान्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाना बिल्कुल गलत है। तथाकथित शांति या कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक प्रशासन की मदद के लिए पुलिस बल का ही प्रयोग किया जाता है। कभी-कभार सेना का भी प्रयोग करना पड़ता है। मैं इसे बहुत अनुचित समझता हूँ। सेना का कम से कम उपयोग होना चाहिए। इसका पुलिस बल के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु कम से कम सीमा सी० सु० ब० को, जिसका नाम ही सीमा की सुरक्षा करने वाला

बल है, जिसे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के प्रयोजन से ही गठित और प्रशिक्षित किया गया है यदि सीमा से दूर देश में किसी आंतरिक क्षेत्र या दूर-दराज के इलाके में कुछ दंगों या नागरिक झगड़ों का मुकाबला करने के लिए कुछ राज्यों या राज्य प्राधिकारियों की सहायता के लिए सक्रिय पाया जाए, तो मेरे विचार से यह बड़ी अवांछित बात है । यदि उन्हें इस प्रयोजन हेतु अधिकाधिक तैनात किया जाएगा तो निश्चित रूप से सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों का मनोबल गिरेगा। और वे उस, प्रयोजन, अर्थात् सीमा की सुरक्षा बनाए रखने और अवैध आक्रमणों और तस्करी इत्यादि रोकने, के योग्य नहीं रह पाएंगे, जिसके लिए उन्हें गठित किया गया है। अत: ऐसा ही किया जाना चाहिए। यथासम्भव सीमा सुरक्षा बल को इस प्रयोजन से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक इन अपराधों के लिए दोषी लोगों पर मुकदमा चलाने के बारे में न्यायिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के बारे में संदिग्धता अथवा संदेह को दूर करने का सम्बन्ध है, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ, किन्तु केवल यही पर्याप्त नहीं है। हमें इस सम्बन्ध में यह भी बताया जाना चाहिए कि क्या कोई कार्यवाही की गयी है या नहीं, क्योंकि स्वयं सरकार ने यह बात मानी है। इसमें यह कहा गया है :

> "अभी हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की धन या सामान के बदले में तस्करों और घुस पैठियों के साथ सांठ-गांठ थी।"

यह वक्तव्य स्वयं सरकार ने दिया है, जो कि काफी चिंता की बात है और हमें उसकी जानकारी दी जानी चाहिए चूंकि इन मामलों की आपको जानकारी हो गई है, अत: कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए और सम्भवत: कार्यवाही की जा चुकी है। किंतु अनेक मामलों में कार्यवाही नहीं भी की गयी है उनके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। अत: मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस मामले में हमें और अधिक जानकारी दें और वे यह भी आश्वासन दें कि सीमा सुरक्षा बल में अनुशासन हो—जिसका वस्तुत: अभिप्राय सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी संवर्ग में अनुशासन से है। अधिकारी संवर्ग को अपने कर्त्तव्यों के प्रति और सजग बनाया जाए और सख्ती से अनुशासन का पालन करवाया जाए तथा यथावश्यक कार्यवाही की जाए। इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं।

कम से कम सीमावर्ती क्षेत्र की जनता में, जिनका मैं इस सभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ, सीमा सुरक्षा बल के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं है। लोग कहते हैं : जब तक सीमा सुरक्षा बल है तब तक बड़े पैमाने पर तस्करी का फलना-फूलना जारी रहेगा। जनता के अनुसार सीमा सुरक्षा बल इस बात की गारंटी है कि तस्करी बेरोक-टोक जारी रहेगी। सीमा-सुरक्षा बल के प्रति ऐसी धारणा ठीक नहीं है।

महोदय, इसी लिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मेरी राय है कि इसे काफी पहले प्रस्तुत हो जाना चाहिए था। किन्तु केवल विधेयक पास कर देने से और फिर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में कुछ न करने से यह बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसका मूल्य उस कागज से भी कम हो जाएगा जिस पर कि इसे लिखा गया है, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसके बारे में हमें और जानकारी देंगे।

[हिन्दी]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्रिमिनल लॉ अमेंडिंग बिल, 1985 जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ।

अभी मैं श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी के विचारों को सुन रहा था, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मेरी बिल्कुल सहमति है। मेरा भी सीमावर्ती क्षेत्र है। बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में बी० एस० एफ० के काम को हम बराबर देख रहे है। यह पाया गया है कि जो भी स्मगलिंग की ट्रांसेक्शन्स होती हैं या जो पाकिस्तान से अवैध रूप से काम किया जाता है, उनमें अगर उनकी साजिश न हो और उनकी मिली-भगत न हो तो इस प्रकार के स्मगलिंग के केसेज नहीं हो सकते हैं। हमारे क्षेत्र से गायें भी जाती हैं। गायें इतनी तादाद में जाती हैं और बी० एस० एफ० एक्शन न ले सके, यह बहुत ही ताज्जुब की बात है। वहां बीड़ी जाती है, शक्कर जाती है, उसके बदले में कपड़ा, कैसेट्स, मैडिसीन्स वगैरह आती हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर बी० एस० एफ० पूरी दिलचस्पी से काम करे तो कोई शक्ति नहीं है कि वहां स्मगलिंग की ट्रांसेक्शंस हो। बी० एस० एफ के कमांडेंट्स और एसिस्टेंड कमांडेंट्स जनरली पुलिस के आफिसर होते हैं और वही आफिसर्स जाते हैं, जिनकी रेपोटेशन खराब होती है। पोसीशन यह है कि पुलिस के अन्दर आफिसर यही चाहेगा कि वह डिस्ट्रक्ट हैडक्वार्टर पर ही रहे। इस प्रकार के आफिसर की जब पोस्टिंग हो जाती है तो यह स्मगलिंग आपरेशन बढ़ता है और स्मगलिंग को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए यह सबसे आवश्यक और जरूरी है कि जो कमान्डेंट, एसिस्टेंट कमांडेंट और कैप्टीन की नियुक्ति की जाए, उनकी इन्टिग्रिटी और आनेस्टी का रिकार्ड अच्छा होना चाहिए। छांटकर उनका सिलैक्शन करना चाहिए। जिनका रिकार्ड अच्छा नहीं है, उनकी भी छंटनी करनी चाहिए। यह बात पहले ही मान ली गई है और बिल के उद्देश्य में भी मान लिया गया है कि इनकी मिलीभगत है। इस प्रकार के केसेस सामने आने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इस कानून में जो अमेंडमेंट लाया गया है, यह बहुत अच्छा कदम है और अब सैक्शन-40 के अन्तर्गत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक बात विचारणीय है, अगर अधिकारी ओनैस्ट नहीं है, तो भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। इसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, उनमें डिसिप्लिन कायम रखने के लिए और गोपनीयता को कायम रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है। हम नहीं चाहते हैं कि बी० एस० एफ० का इस प्रकार से अपमान हो। उनकी इस प्रकार की कार्यवाहियों का पर्दाफाश हो, लेकिन क्या करें, जब वे खुल्लमखुल्ला लोगों के बीच में रिश्वत लेते हैं, तो इससे उनका इमेज बहुत बिगड़ा हुआ है। इस इमेज को सुधारने की बहुत आवश्यकता है।

कहीं-कहीं पर बी० एस० एफ० ने बहुत शानदार काम किया है, जिसकी बहुत सराहना हुई है। अभी हाल में 17 जुलाई को बाड़मेर जिले में 329 किलो हिरोइन पकड़ी गई, जिसका मूल्य 16 करोड़ रुपए है। यह उनका बहुत शानदार काम है और ऐसा शानदार काम करने वालों को न सिर्फ एप्रिशिएन हो, न सिर्फ उनको इन्क्रेजमेंट दिया जाए, बल्कि उनका प्रमोशन भी होना चाहिए। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि बी० एस० एफ० के सभी लोग खराब है। उनमें भी अच्छे लोग हैं और ईमानदारी से काम करने वाले हैं। ऐसे लोगों को हर तरह का एन्क्रेजमेंट देने की आवश्यकता है।

मैंने भी बी० एस० एफ० के क्षेत्र में दौरा किया है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि उनकी स्ट्रेन्थ को बढ़ाने की आवश्यकता है। खास तौर से मेरे राजस्थान का बार्डर एरिया बहुत बड़ा है, 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ पर जो फोर्स लगाई गई है, उस क्षेत्र की लम्बाई को देखते हुए बहुत कम है। वहाँ पर 15 या 20 बटेलियन और बढ़ायें, तब उस एरिए में सही तरीके से काम हो सकता है। उस एरिये को सील करे तब पूरी तरह से प्रोटैक्शन दिया जा सकता है, ताकि स्मगलर या उग्रवादी वहाँ से न आ सकें। आप जानते हैं कि पंजाब में काफी उग्रवादी ट्रेंड होकर आर्म्स के साथ हमारे क्षेत्र में पहुँच गए हैं और वहां भी उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाहियां की हैं, जो निन्दनीय हैं।

केन्द्रीय सरकार को इस मामले में काफी जागरूक होने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी होम मिनिस्टर साहब का ध्यान बी० एस० एफ० की गतिविधियों के बारे में दिलाया था और अनुरोध किया था कि वहाँ उचित कदम उठाए जायें, लेकिन अभी तक ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं, और इसीलिए ऐसी स्थिति पैदा हुई है।

मेरी यह भी राय है कि जब पुलिस फोर्स ला एंड आर्डर की स्थिति कन्ट्रोल न कर सके, तो बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० की सहायता लेनी चाहिए। बी० एस० एफ० ने ऐसी स्थिति में जहाँ भी काम किया है, उसके कामों की तारीफ हुई है और पुलिस से ज्यादा अच्छे तरीके से जिम्मेदारी को सम्भाला है। न सिर्फ पंजाब में बल्कि दूसरी जगहों पर भी उन्होंने ठोस और सही कदम उठा कर अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। इसलिए हमें उनकी सहायता लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर आर्मी के उपयोग में भी कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर ला एंड आर्डर कन्ट्रोल न हो रहा हो, तो हमें आर्मी को यूज करने में हिचकना नहीं चाहिए। ऐसा कोई इशू नहीं बनाना चाहिए कि आर्मी की सुविधाओं को ला एंड आर्डर के कन्ट्रोल करने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे डैजर्ट एरियाज में जनरली स्मगलिंग का काम रात के वक्त में चलता है, लेकिन हमारे लोगों के पास रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उनके पास आधुनिकतम, सौफैस्टिकेटेड वैपन्स, हथियार भी नहीं हैं। हमें उनको सभी आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करानी चाहिए। मेरी यह भी मान्यता है कि इनके कैडर को इम्प्रूव करना चाहिए। पे-स्केल्स और दूसरी सुविधायें जो मिलिटरी को जाती हैं, वे इन्हें भी मिलती चाहिए। उन्होंने जो मेमोरेण्डा दिया है, उस पर गौर करना चाहिए और गौर करके यह कोशिश करनी चाहिए कि जो सुविधाएं आर्मी वालों को मिलती हैं, वे उन्हें भी मिलना चाहिए और इसके बारे में प्रावधान करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ यह जो क्रिमिनल ला एमेण्डमेंट (एमेंडिंग) बिल प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्रिमिनल ला एमेंडमेंट (एमेंडिंग) बिल, 1985 में प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

यह बिल जिस मकसद से लाया गया है, वह मकसद बहुत ही स्वागत योग्य है और उसका मैं स्वागत करता हूँ मगर जिस प्रकार के हालात पिछले दिनों बी० एस० एफ० में रहे हैं, उन्हीं के कारण यह एमेंडमेंट आया है और उनके सम्बन्ध में विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी पंजाब के अन्दर जितने आर्म्स आए हैं, वे तमाम राजस्थान के बोर्डर से स्मगल हो कर पंजाब में पहुंचे हैं और जितने एक्सट्रीमिस्ट्स पाकिस्तान से आए हैं, वे तमाम के तमाम राजस्थान के बोर्डर से हो कर आए हैं। अगर बी० एस० एफ० वहाँ सतर्क रहती, तो जितनी परिस्थिति पंजाब में बिगड़ी है, इस स्मगलर्स की वजह से, एक्सट्रीमिस्ट्स की वजह से और आर्म्स के स्मगल होने की वजह से, उतनी परिस्थिति शायद न बिगड़ती। तो यह मुख्य कारण है, जिसकी वजह से पंजाब में इस प्रकार के वारदात हुए हैं, अभी बुद्धि चन्द्र जैन जी बोल रहे थे। इनके एरिया में खास तौर से अफ़ीम की स्मगलिंग बहुत बड़ी मात्रा में होती है। सरकार चाहती है कि इसको बन्द किया जाए लेकिन उसका स्मगल होना बन्द नहीं हो रहा है। हमारे वित्त महोदय यहाँ बैठे हैं, जिनका ताल्लुक कस्टम वालों से है। इनका महकमा भी उनको नहीं पकड़ पाता है और बोर्डर सेक्यूरिटी फोर्स भी उनको नहीं पकड़ पाती है। करोड़ों रुपये की अफीम वहाँ पर स्मगल होती है हर साल लेकिन उसके बारे में आज तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है, कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। बड़े-बड़े गैंग्स बने हुए हैं और वे करोड़ों रुपये की स्मगलिंग करते हैं। पता नहीं, बी० एस० एफ०

वालों को इसकी जानकारी है या नहीं ? अगर जानकारी है, तो उसके बारे में कार्यवाही करते। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, जिन को देखने की आवश्यकता है।

ये दो विभाग ऐसे हैं, जिन पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। कस्टम विभाग पर बहुत खर्च होता है और बी० एस० एफ० पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है और इनको स्मगलिंग को रोकना चाहिए। जो सामान स्मगल होकर आता है, उसका बहुत बड़ा असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। अभी कल परसों यह बताया गया था कि 37 हजार करोड़ रुपये ब्लैक मनी के इकट्ठा हो गये हैं। 37 हजार करोड़ रुपये ब्लैक मनी इक्ट्ठा हो गया है, यह तो रिपोर्ट देने वाले कहते हैं और दूसरे लोग यह कहते हैं कि 70 हजार करोड़ रुपये ब्लैक मनी इक्ट्ठा हो गया है। इसकी वजह यह है कि यह सारा सामान गलत तरीके से आता है और जो 2 नं० का काम करते हैं, उन की वजह से ब्लैक मनी इकट्ठा हो गया है और आपकी बोर्डर सेक्यूरिटी फोर्स इसका इन्तजाम सुचारू रूप से नहीं कर पाई है और सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गयी है। अगर आप इस पर रोक लगा दें, तो देश की अर्थ व्यवस्था बहुत मजबूत बन सकती है। इसके पीछे एक कारण यह भी है जैसाकि श्री बुद्धि जैन ने कहा कि पुलिस के जो रिजेक्टेड अफसर होते हैं, डी० एस० पी०, एस० पी० और डी० आई० जी० वगैरह होते हैं, जिनको राज्य सरकार नहीं चाहती और उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट हैं, उनको बी० एस० एफ० में बड़े बड़े ओहदों पर बैठा दिया जाता है। वे नाखुश हो कर वहां जाते हैं और वे कोई कार्यवाही नहीं करते हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की गतिविधियां निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। मेरा सुझाव यह है कि बी० एस० एफ० में रिजेक्टेड पुलिस अफसरों को न पोस्ट किया जाए। अगर उनको आप वहां पोस्ट करेंगे, तो यह जो व्यवस्था चल रही है, इसको आप कभी नहीं रोक सकते। आप कितने ही बड़े कानून बना दो, आप चाहे कितने ही अमेंडमेंट कर दो उनसे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कि आप उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं जिनके खिलाफ करप्शन के आरोप हैं, स्मगलिंग में सहायता करने के आरोप हैं। आपकी बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जब सब इस तरह के अफसर मिलेंगे तो कौन किसके खिलाफ एक्शन लेगा।

अगर आप आर्मी की तरह का यह एक्ट बनाना चाहते हैं तो आर्मी की तरह के अफसर इसमें लाइये। उनके लिए अलग तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिए जिससे कि वे ऐसे काम कर सकें। आप बार्डर सिक्योरिटी फोर्स में जिस काम के लिए अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं उसी तरह के काम की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तब तो जा कर आपकी यह व्यवस्था सही हो पायेगी। वरना आप कितने ही अमेंडमेंट लाइये, चाहे स्पेशल जज बिठाइये, चाहे डाइरेक्टर जनरल, बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पावर दो, इसमें कुछ अन्तर पड़ने वाला नहीं है। जब तक कर्मचारियों और अधिकारियों में इस तरह का भरोसा नहीं आयेगा, कांफिडेंस नहीं आयेगा कि जो हम काम करते हैं उसकी सरकार और जनता द्वारा सराहना की जाएगी तब तक इस व्यवस्था में कोई सुधार होने वाला नहीं है। इस तरह की भावना के साथ अगर वे काम करते हैं तो निश्चित तरीके से इसमें सुधार आयेगा। आप इस तरह की व्यवस्था में सुधार कीजिए कि पुलिस के जिन बड़े-बड़े अधिकारियों को राज्य सरकार नहीं चाहती है, जिनको वह भगाना चाहती है, उनको बार्डर सिक्योरिटी फोर्स में न भेजा जाए। ऐसे अफसरों को वहां भेजने की व्यवस्था में आप सुधार कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके यहां कानून तो पहले से बने हुए है। उनमें व्यवस्था है—

[अनुवाद]

"(एक) सीमा-पार अपराध, भारत के क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश या भारत के क्षेत्र से बहिर्गमन को रोकना;

(दो) तस्करी और किसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना।"

[हिन्दी]

ये जितनी भी बातें हैं आपके कानून में दी हुई हैं। 1969 से यह कानून चला आ रहा है। तब से आपने कितने ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की और कितने लोगों को सजाएँ दीं? इस बारे में अपने इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस में कुछ नहीं बताया। आप अपने इस आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस के स्टेटमेंट में स्वयं यह तो मानते हैं कि बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों ने स्मगलरों और घुसपैठियों के साथ सांठगांठ करके उन्हें प्रोत्साहन दिया और आपकी नजर में ऐसे मामले आए हैं। फिर आप यह क्यों नहीं बताते हैं कि आपने कितने अधिकारियों को ऐसे कामों में लगा पाया, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की और कितनों को सजा दी? आप इसके बारे में हम लोगों को बताएँ ताकि हमें मालूम पड़े कि किस तरह के हालात हो रहे हैं और अब आप किस तरह से इन हालात को ठीक करना चाहते हैं। आपको हम लोगों को यह बताना चाहिए ताकि हम लोगों को इस बात की तसल्ली हो कि अब मन्त्री महोदय ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि आगे अब इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी और देश को इस तरह की गड़बड़ियों से जो नुकसान हो रहा था वह अब नहीं होगा।

डिसीप्लीन के मामले में इस बिल में कहा गया है कि बार्डर सिक्योरिटी फोर्स में डिसीप्लीन मेन्टेन करने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसमें जो भी अफसर रखे जाएँ वे निश्चित तरीके से बियांड डाऊट होने चाहिए। वे इन्टेग्रिटी वाले और ईमानदार होने चाहिएं। आपने एम्स एण्ड आबजेक्ट्स में यह नहीं बताया कि यह सब करने के लिए क्या आप इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई खास ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि बार्डर सिक्योरिटी फोर्स डिसीप्लीन के मामले में मजबूत हो जाए और देश दुश्मनों और बदमाशों से बच सके जो कि इसको नुकशान पहुँचाते हैं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं बंगला में बोलूंगा। सरकार ने दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उप-धारा (1) में संशोधन करने की दृष्टि से दण्ड विधि संशोधन (संशोधी) विधेयक, 1985 प्रस्तुत किया है मैं और मेरा दल इसका विरोध नहीं करते। हम सभी उस स्थिति को जानते हैं जिसमें सीमा सुरक्षा बल को गठित किया गया था। एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गयी थी जिसके सदस्य थे— मध्य प्रदेश के तत्कालीन महानिरीक्षक, श्री के० एस० रुस्तम जी, पश्चिमी कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टीडेंट जनरल कैंडेश तथा गृह मन्त्रालय के एक संयुक्त सचिव। इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार से यह सिफारिश की थी कि सारे समय देश के सीमावर्ती क्षेत्रों और विभिन्न भागों में सेना की मौजूदगी वांछनीय नहीं है अतः सीमा सुरक्षा बल जैसा एक अर्द्ध सैनिक बल गठित किया जाए। इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुरूप 1965 में एक अर्द्ध सैनिक बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल गठित किया गया था। इस समय सीमा सुरक्षा बल में कुल 1 लाख कार्मिक हैं। इसका अर्थ है नियमित थल-सेना की तुलना में लगभग 1/10 कार्मिक सीमा सुरक्षा बल में हैं। सरकार को इतने लम्बे अर्से बाद 1985 में यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा है क्योंकि जैसाकि उन्होंने स्वयं विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्वीकार किया है, "सीमा

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

सुरक्षा बल के कार्मिकों ने धन और माल के रूप में कुछ स्वीकार करके तस्करों और घुसपैठियों के साथ मिली भगत की है।"

ये बात केवल सरकार ने ही नहीं मानी है, बल्कि सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व महानिदेशक श्री बीरबल नाथ ने दिनांक 22.6.84 के ट्रिब्यूट में प्रकाशित एक साक्षात्कार में यह स्वीकार किया है कि "इस बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल के भारी संख्या में कार्मिकों की भारत-पाकिस्तान तथा भारत-नेपाल सीमाओं पर अस्त्र-शस्त्र बारूद और अन्य सामान के तस्करों से साँठ-गाँठ हो सकती है।" भूतपूर्व महानिदेशक ने स्वयं यह मंजूर किया कि सीमा सुरक्षा बल तस्करी से सम्बद्ध हैं तथा यह तस्करी सीमा के आर-पार अस्त्र-शस्त्र और बारूद की तस्करी के रूप में है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है और इस हद तक खतरनाक है कि हमें सावधान हो जाना चाहिए इसीलिए सरकार यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए विवश हो गयी। महोदय पहले भी तस्करी होती थी, घुसपैठ भी होती थी। धन और अन्य वस्तुओं के बदले सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की तस्करों से मिली भगत होने की बात से सरकार अनभिज्ञ नहीं थी। इन सबके बावजूद सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत करने में इतनी ज्यादा देर क्यों कर दी? माननीय मन्त्री को यह बात बतानी ही चाहिए, यह बेहतर होता यदि वे इसके बारे में विधेयक पुरःस्थापित करते समय ही बता देते कि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के बारे में उन्हें किस तरह की शिकायतें और आरोप प्राप्त हो रहे हैं? तस्करी का वास्तविक स्वरूप क्या है और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक हथियारों की तस्करी से किस तरह सम्बद्ध हैं? हथियारों की तस्करी के बारे में उन पर क्या आरोप हैं। सरकार ने पाया कि इस प्रकार का संशोधन न किए जाने के कारण जब कभी सीमा सुरक्षा बल के किसी कार्मिक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी वे सामान्य आपराधिक न्यायालयों में पहुँच गए इस प्रकार विभागीय कार्यवाही में अड़चन आई। इसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बल के प्राधिकारियों को लम्बे अर्से तक खिंचते चले जाने वाले मुकदमों के लिए न्यायालयो के चक्कर लगाने पड़ते थे जिससे भी दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही करने में देर हो जाती थी। उन कार्मिकों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने में कठिनाई होने लगी। जिनकी तस्करों और घुसपैठियों से मिलीभगत थी। सरकार यह जानकर चिंतित हुई कि सीमा सुरक्षा बल के वे कार्मिक हथियारों की तस्करी में लिप्त हैं जिन्हें हमारी सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने का भारी काम सौंपा गया है, क्योंकि सारे समय सीमाओं पर सेना की उपस्थिति वांछित नहीं है। यदि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक स्वयं हथियारों की तस्करी आदि जैसे घृणित कार्यों में लगे रहेंगे तो निश्चयतः चिंतनीय स्थिति उत्पन्न होगी और इसी से सरकार इतने लम्बे अर्से के बाद यह संशोधन प्रस्तुत करने के लिए विवश होगी।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : असम में भी अवैध रूप से लोग आ रहे हैं (**व्यवधान**)।

श्री अनिल बसु : जी हां, सभी जगह यही हो रहा है। सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व महानिदेशक ने भी अपने प्रतिवेदन में इसे स्वीकार किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे मामले का सबसे ज्यादा दुःखद पहलू है। किंतु इस सम्बन्ध में एक अन्य बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। क्या केवल संशोधनकारी अधिनियम को पारित करने मात्र से इस बल का मनोबल बढ़ाया जा सकता है या उनके अनुशासन में सुधार किया जा सकता है? ऐसा करना सम्भव नहीं है। केवल कानूनी उपबन्धों में कठोरता लाकर अनुशासन में सुधार करना या मनोबल बढ़ाना सम्भव नहीं है। मूलतः सीमा सुरक्षा बल को हमारे सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गठित किया गया था, क्योंकि सारे समय सेना की वहां उपस्थिति अवांछित है। किंतु बाद के वर्षों में यह पता चला कि हमारी सीमा की रक्षा के लिए इसे प्रयोग करने के बजाए देश के अन्दरूनी भाग में जनता द्वारा अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए

किए गए प्रजातांत्रिक आंदोलनों को दबाने के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा है। हमने देखा है कि रेलवे की हड़ताल समाप्त करने के लिए सीमा सुरक्षा बल का प्रयोग किया गया। यह सही है कि बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्य सरकारों की सहायता के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है किंतु एक पक्ष यह भी है कि रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल जैसे जनता के प्रजातांत्रिक आंदोलनों को दबाने के लिए भी इस बल का प्रयोग किया गया है। यह बिल्कुल अवांछनीय और अनुचित है। स्वाभाविक है कि इसका इस बल के अनुशासन और मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

3.00 म० प०

सरकार को एक अन्य बात पर भी गम्भीरता से विचार करना होगा। जब इस बल का गठन किया गया था तो इसमें 1 लाख कार्मिक थे। यदि इस बल के निम्नतम रैंक से उच्चतम रैंक तक के अर्थात् सिपाही से महानिदेशक के पद तक के सेवा प्रशासन सम्बन्धी मामले सुस्पष्ट, सुपरिभाषित और अनुशासित ढंग से नहीं निपटाए जायेंगे तो हम निश्चयत: इस बल से श्रेष्ठतम कार्य-निष्पादन की अपेक्षा नहीं कर सकते और उनसे देश की अपेक्षाएँ पूरी नहीं करवाई जा सकतीं।

महोदय, पिछले 7 वर्षों से सीमा सुरक्षा बल के असिटेन्ट कमांडेंट के पद पर भरती नहीं की गई है। पिछले वर्ष ही कुछ नियुक्तियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त इस बल के कान्स्टेबलों, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी संवर्ग आदि को सेना या पुलिस कर्मिकों के समान सुविधा और पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं हैं। महोदय, सीमा सुरक्षा बल के अनेक कार्मिक बहुत दूर-दराज के, दुर्गम और कठिन परिस्थितियों वाले सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात है। जहां वह हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करते हैं। कुछ कश्मीर में, कुछ लद्दाख और कुछ नागालैंड आदि में तैनात हैं। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनके लिए अधिक सुविधाओं, पदोन्नति के अवसरों तथा काम के लिए बेहतर सुविधाओं, आवास सुविधाओं आदि की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। सरकार द्वारा उनकी वैध मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल की सुविधाएं धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। महोदय, सीमा सुरक्षा बल के एक कान्स्टेबल के पदोन्नति के लिए 12 वर्ष से 14 वर्ष तक इन्तजार करना पड़ता है, एक कमांडेट बिना किसी पदोन्नति के अवसर के 20 वर्षों तक एक ही पद पर बना रहता है। सीमा सुरक्षा बल में महानिदेशक के 27 पद हैं। एक पद की महानिरीक्षक के साथ में श्रेणी बढ़ा दी गई है। किन्तु शेष अधिकारियों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है। उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि उनकी पदोन्नति किस पद पर होगी भविष्य में उन्हें पदोन्नति की कोई आशा नहीं है। इसीलिए इस संशोधनकारी विधेयक के साथ-साथ सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों का मनोबल कैसे ऊँचा किया जाए। इसके अतिरिक्त महोदय, केवल 'तस्करी' कहना ही पर्याप्त नहीं है। पूरी सभा को यह मालूम होना चाहिए कि सीमा पार कौन से अपराध होते हैं और कितनी घुसपैठ होती है। सीमा सुरक्षा बल के कितने कार्मिक तस्करी से सम्बन्ध हैं? उन्हें हमारी सीमाओं की सुरक्षा का भार सौंपा गया है। उनके खिलाफ वस्तुत: क्या आरोप हैं? मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री इस बहस का उत्तर देते हुए इन सबके बारे में जानकारी देने की कृपा करेंगे। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ किन्तु मैं सरकार से फिर आग्रह करूंगा कि सीमा सुरक्षा बल जो मूलत: सीमाओं की सुरक्षा के लिए गठित की गयी थी उसका देश में जनता के आन्दोलन, कामगारों के आन्दोलन और अन्य वैध प्रजातांत्रिक आन्दोलन को दबाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाए। इस पर निश्चयत: गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। हमारा देश प्रजातान्त्रिक देश है तथा जनता के प्रजातान्त्रिक आंदोलनों को दबाने के लिए सीमा

सुरक्षा बल का प्रयोग करने से वातावरण दूषित ही होगा। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना ही होगा।

श्री राजमंगल पांडे (देवरिया) : मैं इस संशोधनकारी विधेयक का, जो वास्तव में एक प्रशंसनीय विधेयक है, समर्थन करता हूँ। जिस उद्देश्य से सभा में यह संशोधन पेश किया गया है उससे इसके निहित उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

संसद अपने कार्य संचालन के लिए 1 वर्ष में करीब 6 माह के लिए अपनी बैठक करती है। इस दौरान प्रत्येक वर्ष सैंकड़ों कानून बनाए जाते हैं और मेरी जानकारी के अनुसार शायद ही कोई ऐसा कानून हो जिसमें व्यापक परिवर्तन न हुआ हो। चाहे यह परिवर्तन विधेयक में कुछ परन्तुक न जोड़े जाने के रूप में हुआ हो अथवा कुछ और जोड़े जाने के रूप में हुआ हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब लोगों पर सामान्यकानून द्वारा मुकदमा चलाया जाता था तब इतने अपराध नहीं होते थे जितने कि आजकल हो रहे हैं। अतः सरकार अथवा प्रशासन के किसी भी प्रभारी से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब से सभी प्रकार के अपराधियों पर सामान्य न्यायालयों अथवा विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालयों अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों द्वारा मुकदमा चलाया जाता था तो उस समय अपराधों की स्थिति इतनी गम्भीर नहीं थी जितनी आजकल है और लोग उस प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे जैसा कि आजकल कर रहे हैं। जो भी संशोधन हम करने जा रहे हैं, उससे अपराध की दर में वृद्धि हो रही है और इस बात की भी कोई गारन्टी नहीं है कि इस संशोधन के होने पर भी सीमा सुरक्षा बल में तस्करी में मिली भगत और हमारी सीमाओं में की जाने वाली घुसपैठ जैसे अपराधों की दुर्भावनाओं को रोका जा सकेगा। क्योंकि इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए हमारे पास अन्य बहुत से कानून हैं। लेकिन इसके बावजूद अपराधों में वृद्धि हुई है और निरन्तर वृद्धि हो रही है। हमें जिस प्रश्न पर विचार करना है वह यह है कि हम अपने समाज और लोगों को किस प्रकार शिक्षित कर सकते हैं ताकि लोगों के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके और उन लोगों को जो इस प्रकार के अपराध करते हैं, बल प्रयोग के द्वारा अथवा ऐसी कोई युक्ति से जो इनके अन्दर शिक्षा की ऐसी भावना पैदा करें कि राष्ट्र के हितों और सामाजिक व्यवस्था के हितों को देखते हुए ऐसे अपराध न किए जाएं। इससे मानव आचरण और हमारी सामाजिक व्यवस्था के स्तर को ऊपर उठाने में सहायता मिलेगी क्योंकि जिन अन्य देशों ने हमसे सबक लिया है उनकी आध्यात्मिक साधना और अखंडता उतनी उच्च नहीं थी जितनी कि हमारी थी। लेकिन अब वह अध्यात्मिक स्तर अथवा अखंडता में हम से काफी आगे हैं और हम जो कभी संसार को प्रेरणा देते थे आज इस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। यह हमारे लिए एक बड़ा चिन्ता का विषय है।

हम अब जो नियम और विनियम बनाने जा रहे है, मैं नहीं समझता कि उससे सीमा सुरक्षा बल के ढांचे में तब तक किसी प्रकार का असाधारण परिवर्तन होगा। जब तक कि हमारे पास यह देखने के लिए इन कानूनों का पूरी ईमानदारी से और कड़ाई के साथ लागू किया जा रहा है, कोई सक्षम, दक्ष और ईमानदार तन्त्र न हो। इन सब अपराधों को रोकने के लिए कानूनों की कमी नहीं है लेकिन इसके बावजूद यदि अपराधों में वृद्धि होती है तो हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि केवल कानून के द्वारा अपराधों को नहीं रोका जा सकता। इसके लिए कुछ और चाहिए और वह है लोगों की इच्छा, सरकार की इच्छा, राजनीतिज्ञों की इच्छा जिनसे मिलकर देश बनता है अतः यह हर एक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि ऐसी बातें न तो सीमा सुरक्षा बल के रूप में घटित हों और न ही सैनिक संगठन के रूप में।

अब क्या केवल सीमा सुरक्षा बल को ही दोषी ठहराया जाय ? क्या सैनिक बलों में ऐसा नहीं है

जहां इस प्रकार के बहुत से मामले होते हैं। अनेक कर्नलों और मेजर जनरलों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी करार किया गया है। और अभी भी बहुत से ऐसे मामले चल रहे हैं। अत: केवल कानून बनाकर अथवा कानून में संशोधन करके हम अपराधों की रोकथाम नहीं कर सकते। इससे भी ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है। और वह चीज है इच्छा, सरकार की राजनैतिक इच्छा, संसद की राजनैतिक इच्छा। हम यहां संसद में बहुत सी बातें करते हैं लेकिन संसद के बाहर हम भी इन अपराधों में हमारे किसी न किसी रूप में सहायता कर रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में हम उनकी मदद करते हैं, हम उनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हम उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें संरक्षण देते हैं। अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि मात्र कानून बनाने से अथवा कानून में व्यापक परिवर्तन या संशोधन करने से सीमा सुरक्षा बल में अथवा किसी अन्य संगठन में अपराध रुकने वाले नहीं हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पंजाब में हुई घटनाओं से यह बात साफ हो गयी है कि सीमा पार सीमा सुरक्षा बल उतना सतर्क नहीं रहा है अथवा उसने इतनी अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं किया है जितना कि उससे अपेक्षा की गयी थी।

लेकिन साथ ही हमारे सम्पूर्ण राष्ट्रीय चरित्र में थोड़ी गिरावट आई है। आप सेना, राजनीतिज्ञों, साधारण पुलिस कर्मियों और उन लोगों का उदाहरण ले लिजिए जिन्हें आयकर सीमा में छूट दी गई है। अब ऐसी धारणा बन गई है कि हमारी आशाएँ पूरी नहीं होंगी क्योंकि ये लोग अपनी विवरणियों को स्पष्ट रूप से नहीं भरेंगे।

अत: जब राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट आई है तो केवल कानून के द्वारा ही इसमें आवश्यक परिवर्तन नहीं किया जा सकता अपितु इसके लिए शिक्षा, राजनैतिक इच्छा और उन सभी के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है जो मिल कर देश बनाते हैं मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ लेकिन केवल विधेयक बनाने मात्र से ही कानून का प्रवर्तन नहीं होगा। इसके लिए तन्त्र को मजबूत बनाना होगा यदि कार्यान्वयन तन्त्र को मजबूत नहीं किया गया तो कुछ भी होने वाला नहीं है।

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान संशोधन इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें इस बल के पुनर्गठन या इसके कृत्यों या इसके कर्तव्यपालन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी नहीं दी गई है। जिस मुद्दे को इस संशोधन में सम्मिलित किया गया है वह सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों केप्रति मुकदमा चलाने से है जो दन्ड विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं और क्यों कि यह पाया गया है कि इन कर्मचारियों द्वारा कुछ ऐसे अपराध किए जाने की सम्भावना है जिन्हें आमतौर पर सिविल अपराध कहा जाता है और इन अपराधों के सम्बन्ध में किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा दन्ड विधि (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाने की व्यवस्था है।

मेरा निवेदन है कि सीमा सुरक्षा बल एक सैनिक संगठन नहीं है। इस बल में सेना जैसी परम्परा अथवा अनुशासन नहीं है। सीमा सुरक्षा बल का स्वरूप सेना नौसेना और वायुसेना से बिल्कुल भिन्न है। सीमा सुरक्षा बल स्वयं अपने आप में एक 'खिचड़ी' है। इस बल में भिन्न-भिन्न सेवाओं से कर्मचारियों को लिया गया है। विशेषतया उच्च पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को लाया गया है। इन कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी ? क्या इन पर नए उपबन्धों के अधीन मुकदमा चलाया जाएगा अथवा उन पर उनकी सेवा के अन्तर्गत बनाए गए उपबन्धों के अधीन मुकदमा चलाया जाएगा। इस बल में निम्न पदों के कर्मचारियों पर यह कानून अनिवार्य रूप से लागू होगा। मैं समझता हूँ कि इस कानून में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। यह कानून कर्मचारियों को बाहर से कानूनी सहायता लेने अथवा उनके यह समझने पर कि मुकदमा निष्पक्ष रूप से नहीं चलाया जा रहा है अथवा

यह मुकदमा पक्षपातपूर्ण है इसलिए मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरित करने के उद्देश्य के उनके अधिकार को कम करता है। अत: इस संशोधन में ये सब अड़चनें हैं।

इस बल का अनुशासन सेना के समान नहीं है। मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करें कि इस बल के कार्मिकों को सैनिकों के समान क्यों माना जाए। रक्षा कार्मिकों में सेना प्रमुख से लेकर निम्नतम रैंक तक एक पदानुक्रम है। यदि आप इस बल का गठन उसके अनुरूप करें और उसी के समान अनुशासन लागू करना चाहें तो यह अलग बात है। हम जो देखते हैं वह यह है कि सीमा सुरक्षा बल केवल सीमा पर ही ड्यूटी नहीं करता वरन् जरूरत पड़ने पर और आपात् स्थिति में अन्य प्रकार के कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करता है। उसको गठन रक्षा-कार्मिकों के समान नहीं है। अत: उसके मुकदमों पर उनके समान कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। सिविल अदालतों को भी कुछ अधिकार होने चाहिए अन्यथा उनके निष्पक्ष विचारण के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मेरा ख्याल है कि सीमा सुरक्षा बल के वायु सेना के समान व्यापक प्रबन्ध भी नहीं हैं। यह एक मिलाजुला बल है और जैसाकि मैंने कहा पुलिस कार्मिकों का देश में जो सम्मान है वह हम सभी जानते हैं। जनता को विभिन्न राज्यों की पुलिस की निष्पक्षता और व्यवहार पर इतना विश्वास नही है ! जितना कि होना चाहिए और सामान्यत: जनता को उन पर थल-सेना, वायु-सेना या नौसेना के कार्मिकों के समान विश्वास नहीं है। पुलिस इसके योग्य नहीं है। इसीलिए मेरा यह निवेदन है कि यदि इस कानून में संशोधन किया गया तो उनके अधिकार कम हो जाएंगे। अन्यथा उन्हें अधिक सुविधाएं और सहायता मिलनी चाहिए। उद्देश्यों और कारणों के कथन में उच्चतम न्यायालय के जिस निर्णय का हवाला दिया गया है वह निर्णय थल-सेना के कार्मिकों से सम्बन्धित है और चूंकि वह सेना अधिनियम के अनुरूप नहीं था, इसी-लिए यह स्वाभाविक ही था कि उसमें संशोधन किया जाता और थल सेना के कार्मिकों के मामले में उसमें संशोधन किया भी गया था। किन्तु मेरा ख्याल है कि यह निर्णय इस मामले में अर्थात् सीमा सुरक्षा बल के मामले में लागू नहीं होता और सुरक्षा बल न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र उनके सेवा या शाखा से ही सम्बद्ध छोटे-मोटे अपराधों तक ही सीमित होना चाहिए उन्हें गम्भीर अपराधों तक व्यापक नहीं होना चाहिए क्योंकि उद्देश्यों और कारणों के कथन में सीमा सुरक्षा बल के जिन कर्त्तव्यों के बारे में बताया गया है उनका नियमों में पहले से उपबन्ध है अर्थात् वे सीमा-पार अपराधों, तथा भारत-क्षेत्र में अवैध प्रवेश या वहां से बहिर्गमन को रोकने के लिए है तथा दूसरी बात यह है कि वे तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए हैं। सामान्य पुलिस, तट-रक्षक तथा सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क विभाग के अधिकारी भी यही काम करते हैं। ये काम केवल सीमा सुरक्षा बल द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य संगठनों द्वारा भी निभाए जाते हैं। यदि यह सिद्धान्त सीमा सुरक्षा बल के मामले में लागू होता है तो यह अन्य के मामले में भी लागू क्यों नहीं हो सकता ? वे भी यह कहेंगे कि उनका अपना न्यायालय होना चाहिए और अदालती कार्यवाही का अपना ही तरीका होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल नौसेना या थल-सेना के समान बड़ा बल नहीं है जिनका कि अपना न्यायालय है। इसीलिए सीमा सुरक्षा बल के मामले में दिया गया उदाहरण समुचित नहीं है। इससे उन अधिकारियों को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी जो अधिकांशत: सामान्य पुलिस बल से आते हैं। इसी सेवा के कार्मिक एक निश्चित स्तर तक ही पदोन्नत होते हैं—सम्भवत: पुलिस अधीक्षक के स्तर तक ही पदोन्नत होते हैं। अब आप पुलिस से इसमें अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं न कि सेना से ले रहे हैं। आप सेना से अधिकारी क्यों नहीं लेते क्योंकि पुलिस वाले तो इसके लिए अयोग्य माने गये हैं। उन्होंने जनता में विश्वास पैदा नहीं किया है। आप सीमा सुरक्षा बल में इन अक्षम अधि-कारियों को क्यों लेते हैं ? स्थल सेना से कार्मिक क्यों नहीं लेते, भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त क्यों नहीं करते जिन्होंने आम जनता में अगाध विश्वास पैदा किया है। उनमें अनुशासन की भावना है और

निष्पक्षता की भावना भी है फिर भी आप उन्हें यहां नहीं ला रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल अर्द्धसैनिक कार्य के लिए हैं। यदि पुलिस के बजाए स्थल सेना के कार्मिक लिए जाएं तो बेहतर होगा और वे अधिक कुशल, अधिक ईमानदार होंगे तथा वे अधिक कुशलता से अपने कर्त्तव्य निभा सकेंगे। धन्यवाद।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, संशोधन से कोई विरोध नहीं है किन्तु इसके स्वरूप, अकुशलता के मामले तथा समुचित दृष्टिकोण के अभाव तथा इस सभा के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत करने में सामने आई अन्य अनेक बातों के कारण मेरा सरकार से विरोध है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया गया है कि :

> "अभी हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने धन या वस्तु के रूप में तस्करों से और घुसपैठियों से प्रतिफल प्राप्त कर मिली भगत दिखाई है।"

सीमा सुरक्षा बल पर यह बहुत बड़ा आरोप है। यदि सीमा सुरक्षा बल इतना खराब है तो इतने समय तक सरकार क्या कर रही ? क्या इन लोगों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए रखा गया है और यदि हां तो उन पर विशेष न्यायालयों में मुकदमा चलाने में क्या बाधा है ? यह कानून क्यों बनाने की जरूरत पड़ी ? उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

मेरा ख्याल है कि यह कानून अपूर्ण और भ्रामक है। सीमा सुरक्षा बल के खिलाफ बढ़ा-चढ़ा कर आरोप लगाया गया है मेरी राय है कि सरकार जो भी करें इस तरह से अपराधों को नहीं रोक सकती।

जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ बड़ा भ्रामक है। इससे पहले जिन पर अवैध रूप से रिश्वत लेने के अपराध आदि का आरोप लगाया जाता था उन पर दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 161 से 165 क के अन्तर्गत मुकदमा किया जाता था। फिर 1952 में सरकार ने सोचा कि नियमित अदालतों द्वारा अदालती कार्यवाही की नियमित प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है और उसने चाहा कि विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं और उसके लिए दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 पास किया गया। फिर 1965 में सरकार ने सोचा कि यह कानून पर्याप्त नहीं है और उसने सोचा इस अधिनियम की परिधि से स्थल सेना और नौ-सेना आदि के कार्मिकों को निकाल दिया जाए इसीलिए उसने एक और कानून बनाया। अब उसने एक और विधेयक पेश किया है कि 1952 और 1965 के अधिनियम पर्याप्त नहीं हैं और इसीलिए हम सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किए गए अपराधों को भी इसके परिधि से निकालना चाहते हैं। क्या यह भ्रामक नहीं है ? इस वर्तमान कानून को लागू करने में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। क्या विशेष न्यायालय काम नहीं कर रहे या वे अपराधियों को दंड देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं इन सब प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है।

वकील के रूप में मैं आपराधिक और सिविल मामलों के सम्बन्ध में पिछले बत्तीस वर्षों से वकालत कर रहा हूं, अतः मैं कह सकता हूं कि हम पर कानूनों का बहुत भारी बोझ है लेकिन हम उचित रूप में लागू नहीं कर पाते। यही कारण है कि सरकार खंडों में, बेतरतीब ढंग से भ्रामक रूप में इस प्रकार कानून बनाना चाहती है। इससे अवश्य बचना चाहिए : आप हर क्षेत्र के लोगों में से रिश्वत खोरों को सजा देने के लिए एक व्यापक विधेयक पेश क्यों नहीं करते ? अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कानून क्यों हैं ? आप सभी श्रेणी के लोगों के लिए एक व्यापक कानून क्यों नहीं प्रस्तुत करते ?

जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है मैं इसे समझ नहीं पाया हूँ। हालांकि मैं संशोधन का विरोधी नहीं हूँ किन्तु मैं यह विधेयक प्रस्तुत किए जाने के तरीके से सहमत नहीं हूँ। इसे क्यों प्रस्तुत किया गया है, इसके उद्देश्य और कारण क्या हैं—ये सब बातें नहीं बताई गई हैं। उन्हें यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि इन कानूनों का बहुत भारी बोझ है और हमें कम-से-कम कानून बनाने की कोशिश करनी चाहिए किन्तु हमें उनका समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। आपको चाहिए कि भविष्य सापेक्ष व्यापक कानून प्रस्तुत करें। मुझे आशा है कि विधि मंत्री इस पक्ष पर विचार करेंगे और हमें जानकारी देंगे।

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय एवं संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस संशोधन का सभा के दोनों पक्षों की ओर एक मत से समर्थन किए जाने का माननीय सदस्यों का आभारी हूँ, हालांकि कुछ सदस्यों ने काफी ठोस सुझाव दिए हैं और अपने भाषणों में उन्होंने संशोधन की बात कही है। कुछ माननीय सदस्यों ने सीमा सुरक्षा बल की आलोचना तथा प्रशंसा की है। उन्होंने उनके प्रशिक्षण, मनोबल, अनुशासन, सेवा की शर्तों, वेतन और भत्ते तथा कानून और व्यवस्था के लिए उनकी सेवाओं के उपयोग तक का उल्लेख किया है। महोदय, मैं फिर से इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ—हालांकि मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि कुछ पढ़ने पर श्री इन्द्रजीत गुप्त फिर से मेरी खिंचाई करेंगे तो भी मैं यही कहूँगा कि मेरी याददाश्त हमारे जाने माने सांसद श्री इंद्रजीत गुप्त की तरह कम्प्यूटर जैसी नहीं है—

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने कहीं पढ़ने पर आपत्ति की थी जो पहले से लिखित रूप में हमारे पास है। वह निश्चयत: उसे पढ़ सकते हैं जो लिखित रूप में हमारे पास नहीं है।

श्री के० पी० सिंह देव : उन्होंने जो कहा उसका मैंने बुरा नहीं माना है, मैंने उसे उसी रूप में लिया है जिस रूप में उन्होंने कहा है। मैं माननीय सदस्य जो कि एक वरिष्ठ सदस्य है से सीखने के लिए इच्छुक हूँ और जब मैं कोई दूसरा विधेयक या संशोधन अगली बार पेश करूँगा तो निस्सन्देहमैं उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। महोदय जहाँ तक माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है वे प्रामाणिक या अप्रामाणिक, किसी भी तरह की बात कह सकते हैं जबकि मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उसका विरोध होगा, मेरी ही खिंचाई हो जाएगी सम्भव है मेरे प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाये और फिर मैं सरकार का रवैया किसी और तरह से प्रस्तुत भी नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा। इसीलिए मुझे अपने नोट्स में से पढ़ना होगा और मैं केवल अपनी याददास पर ही भरोसा नहीं करना चाहता।

सीमा सुरक्षा बल 1 दिसम्बर, 1965 में गठित किया था। नवम्बर, 1965 तक अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं पर पुलिस की नियुक्ति का काम सम्बन्धित राज्य सरकारों की सशस्त्र बटालियनों को सौंपा गया था जिन्हें कि केन्द्रीय अनुदान से धनराशि प्राप्त होती थी और प्रत्येक राज्य की इन बटालियनों का प्रशिक्षण, गतिशीलता तथा प्रभावशीलता एक दूसरे से भिन्न है। माननीय सदस्य श्री यादव ने खिचड़ी का जो उल्लेख किया है वह इसके बारे में ही है। किन्तु ऐसा 1965 में लगभग 20 साल पहले था। इसीलिए बलों में एकरूपता लाने के लिए तथा उन पर सीधे नियंत्रण के लिए दिसम्बर 1965 को सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया जिसमें कि राज्य की सशस्त्र बटालियनों को बाद में गठित केन्द्रीय बल में किया गया। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1963 तथा सीमा सुरक्षा बल नियम, 1964 के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल के उद्देश्य और महत्वपूर्ण कार्य थे—(1) सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना; (2) सीमा-पार होने वालों अपराधों को रोकना

भारत के क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश अथवा यहां से अवैध निर्गमन को रोकना; तथा (3) सरकारी और किसी अन्य प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकना।

इसलिए यह बल जम्मू और कश्मीर से लेकर पूर्वी क्षेत्र तक के सीमावर्ती इलाकों की भूमि सीमाओं पर तैनात किया गया है, सम्भवतः उनमें से कुछ क्षेत्र माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त के निर्वाचन क्षेत्र में भी हो सकते हैं। जहां तक नदतटीय या समुद्री क्षेत्रों का सम्बन्ध है वह सीमा सुरक्षा बल के काम की परिधि में नहीं आता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सीमा सुरक्षा बल उस क्षेत्र में गश्त लग रहा है।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं भूमि सीमाओं की बात कर रहा था।

महोदय दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार तथा दुरुपयोग सम्बन्धी सभी मामलों पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा किसी अन्य विधि में कैसी भी व्यवस्था होने के बावजूद विशेष न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई की जा सकती है। इसके लिए जिन अपराधों को विनिर्दिष्ट किया गया है वे दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय हैं जिसका प्रत्येक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। व्यावहारिक रूप में सभी सदस्यों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 का ही उल्लेख किया है, जो सरकारी काम के मामले में वैध पारिश्रमिक के अलावा रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 162 सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए भ्रष्ट या अवैध तरीकों से रिश्वत लेना; भारतीय दण्ड संहिता की धारा 163 —सरकारी कर्मचारियों पर व्यक्तिगत प्रभाव डालने के लिए रिश्वत लिया जाना; भारतीय दण्ड संहिता की धारा 164, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 162 या 163 के अंतर्गत परिभाषित अपराधों के लिए सरकारी कर्मचारियों को उकसाने के बारे में है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 1955, जो सरकारी कर्मचारी द्वारा बिना किसी औचित्य के कार्यवाही मे सम्बद्ध व्यक्तियों से मूल्यवान वस्तुएँ प्राप्त करने अथवा ऐसे सरकारी कर्मचारियों लेन देन करते हैं, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 165 (क) धारा 161 अथवा 165 में परिभाषित अपराधों को उकसाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 अपराधिक कदाचार के बारे में है। 1961 में मेजर ई० जी० वारसे बनाम बम्बई राज्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 1952 की धारा 7 को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया गया। विशेष न्यायधीश को ऐसे किसी भी (अपराध) मामले की जाँच करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और यह बात कि इस प्रकार का कोई अपराध सेना अधिनियम के अन्तर्गत आता है, का उस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं होगा जहां सामान्य अधिनियम के अन्तर्गत साफ शब्दों में यह कहा गया हो कि ऐसे विशिष्ट मामलों की किसी अन्य कानून के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा जाँच की जाएगी। अतः रक्षा मन्त्रालय ने यह महसूस किया कि कोर्ट मार्शल के ऐसे मामलों को न्यायालय से अलग रखने का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से सेना बल के कार्मिकों के अनुशासन तथा कार्यक्षमता पर पड़ता है। इन मामलों की सिविल न्यायालयों द्वारा जाँच व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि इन मामलों की जाँच को अत्यधिक लम्बा खींचा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप गवाहों तथा रिकार्ड को तब तक रोक कर रखा जाता है। सेना मुख्यालयों द्वारा यह पद्धति अपनाई जाती है कि यदि केवल सेना कार्मिक का ही मामला हो तो कोर्ट मार्शल द्वारा जाँच की जाती है और यदि सैनिक तथा सिविल दोनों प्रकार के कार्मिक शामिल हों तो दण्ड न्यायालयों द्वारा जाँच करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए 1965 में एक अध्यादेश द्वारा दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1952 में संशोधन किया गया तथा

की गई जांच को मान्य बनाए रखने तथा सेना, नौसेना अथवा वायु सेना कानूनों के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी अथवा कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाए जाने के अधिकार की सुरक्षा के लिए दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 1966 प्रतिस्थापित किया गया। अतः इस मामले में, सेना कानून, नौसेना कानून तथा वायुसेना कानून के उल्लेख पर आपत्ति उठाई गई है। परन्तु बोलचाल की भाषा में यह प्रचलित है तथा मेजर ई० जी० बारसे के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से भी यह प्रतिबिम्बित होता है। अतः मुझे आशा है कि यह स्पष्ट होगा कि "सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम तथा वायु सेना अधिनियम" शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया तथा "कानून" शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है।

महोदय, मैंने उल्लेख किया है कि भारत की सीमाओं पर देखभाल करने के लिए दिसम्बर, 1955 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई तथा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के उच्च स्तर के अनुशासन के लिए 1968 में संसद द्वारा सीमा सुरक्षा बल अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम बहुत कुछ सेना अधिनियम, 1950 के समान है। तथा जब यह किया जाना आवश्यक है कि सेना कानून तथा नौसेना कानून और वायुसेना कानून के समनुरूप लाने के लिए 'वायुसेना कानून' शब्दों के बाद "सीमा सुरक्षा बल" शब्द जोड़ दिये जाएं ताकि इसे सेना, नौसेना और वायुसेना कानून के समान बनाया जा सके परन्तु छोटी सी बात को बड़ा बल दे दिया गया है तथा सीमा सुरक्षा बल के कार्यों, अनुशासन, सक्षमता तथा उसके कारगर होने के बारे में बहुत आलोचना तथा टिप्पणियां की गईं। महोदय, मेरे विचार से इस प्रकार के सामान्य वक्तव्य न तो किसी बल के मनोबल को उठाने में सहायक हैं न ही उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में। माननीय सदस्य अपने कथन का सबूत दिए बिना ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल द्वारा एक अथवा दो जगह गलती हो सकती है जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा स्पष्ट किया गया है, परन्तु कुल मिलाकर, सीमा सुरक्षा बल जहां भी कार्यरत है, बहुत प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहा है चाहे 1971 के युद्ध में सेना के साथ किया गया कार्य हो अथवा शान्ति के समय के दौरान जब शत्रु सेना से हमारा कोई युद्ध नहीं होता, परन्तु तब भी सीमा सुरक्षा बल विरोधी शक्तियों को दबाने का काम करता है। मैं नहीं समझता कि यह कथन सीमा सुरक्षा बल के मनोबल बढ़ाने अथवा उसमें सुधार लाने में सहायक हैं। इसलिए महोदय, यह जो सामान्य टिप्पणियां की गई हैं, मैं उनका पूरी तरह खण्डन करता हूं।

सरकार ने इस सभा में संशोधन प्रस्तुत किया है, क्योंकि अभी हाल ही में, 1982 में, ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने धन अथवा वस्तुओं के रूप में प्रतिफल स्वीकार करके (व्यवधान) तस्करों तथा घुसपैठियों को सहयोग दिया है।

यदि मैं संसद में आकर सच्चाई नहीं बताता, तो भी मेरी खिंचाई की जाएगी; यदि मैं सच्चाई छपाता हूं, तो भी मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। वास्तव में मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि मैं सच बोलूं··· (व्यवधान)

उन्होंने जो कुछ भी कहा है मैंने कभी उस पर आपत्ति नहीं की; न ही मैंने कभी लगातार टीका टिप्पणी की है। क्या मैं भी माननीय सदस्यों से ऐसे ही शिष्टाचार की आशा कर सकता हूं?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह क्या प्रकट करना चाहते हैं तथा क्या छुपाना चाहते हैं, इस पर उन्हें विचार करने दीजिए।

श्री के० पी० सिंह देव : मैंने प्रत्येक बात प्रकट कर दी है, मैंने कुछ भी गुप्त नहीं रखा है। न ही मैं माननीय सभा के समक्ष ऐसा कुछ बताने से डरता हूं जो राष्ट्र के हित में बताया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या तब से कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री के० पी० सिंह देव : यदि आप मुझे आगे बोलने की अनुमति दें तो मैं इस बारे में बताता हूँ। अत: मामलों को संक्षिप्त रूप से तथा शीघ्र जांच करने के लिए, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों में अनुशासन तथा कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात हैं तथा विशेष न्यायाधीशों द्वारा बहुत से लम्बित मामलों की जांच सम्बन्धी आशंका, जिससे लड़ाई करने वाली सेनाओं की कार्यक्षमता का नुकसान होगा—जिसके बारे में बहुत से सदस्यों ने बोला है—का ध्यान भी रखा जा सकता है।

सीमा सुरक्षा बल की एक प्रणाली है, जिसे सीमा सुरक्षा न्यायालय कहा जाता है, जो सेना में कोर्ट मार्शल के समान है तथा 1983 में सीमा सुरक्षा न्यायालय ने 94 मामलों की जांच की, 1984 में 140 की तथा 1985 में 71 मामलों की जाँच की। इन वर्षों में 2210, 2178 तथा 1372 लोगों को तुरन्त सजा दी गई। तुरन्त सजा की विभिन्न श्रेणियां हैं यदि आप चाहें तो मैं सम्पूर्ण अधिनियम को पढ़कर सुना सकता हूँ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह बहुत छोटा बल है अत: यह अनावश्यक है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सेना बलों के आकार के सम्बन्ध में संसद के सदनों में आँकड़े प्रकाशित किए गए हैं। इस समय सीमा सुरक्षा बल में 90,000 कार्मिक हैं। यह भी प्रकाशित किया गया है। अत: यह छोटा बल नहीं है। हम यह संशोधन कर रहे हैं ताकि माननीय सदस्यों ने सेना बलों तथा सीमा सुरक्षा बल की कार्यक्षमता, ईमानदारी तथा अनुशासन के बारे में जो कुछ कहा है उसके अनुसार इसके स्तर को ऊँचा बनाए रखा जा सके।

क्या मैं माननीय सदस्यों द्वारा कहे गए प्रश्नों के बारे में कह सकता हूं ? कल सबसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार को विभिन्न अर्द्ध सैनिक बलों की जांच करनी चाहिए तथा बहुत से बलों द्वारा किए जा रहे एक ही से कार्य की एक समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए। चूंकि गृह मन्त्रालय सीमा सुरक्षा बल के संवर्ग का नियन्त्रण करता है, मैं माननीय सदस्यों का यह सुझाव निश्चित रूप से सम्प्रेक्षित गृह मन्त्रालय को करूँगा कि क्या वह इस प्रकार की समिति की स्थापना करने के पहलू की जांच करेंगे।

श्री त्रिपाठी ने नेपाल का उल्लेख किया है और उन्होंने इस संशोधन का स्वागत किया है। इसके बाद श्री एम० एन० सिन्हा जानना चाहते हैं कि क्या कोई गिरफ्तारियां की गयी हैं तथा क्या सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा सहयोग अथवा साँठ-गाँठ की गई है तथा क्या यह गम्भीर मामला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह यह सोच रहे हैं कि हम यह संशोधन ला रहे हैं तथा मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि 1982 से ऐसे 47 मामले हमारी जानकारी में आए हैं। अब वर्ष 1985 है अत: इस संशोधन को लाने में कोई अनावश्यक रूप से अधिक समय नहीं लगा है। इन सभी मामलों में दण्ड दिया गया तथा 32 व्यक्तियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है।

1965 में जब सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ था उस समय हमने यह कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार की घटना घटेगी, क्योंकि विभिन्न छोटे बलों में से इस बल का एक अनुशासित बल के रूप में गठन किया गया था। अत: यही वजह है कि 1982 में जब हमें इस बात का पता चला है तो हमने इस संशोधन को पेश किया है। श्री सिन्हा ने भी यही कहा है कि यह एक लड़ाकू बल है, अत: इस बल के हौसले, अनुशासन और इसे बनाए रखने का विशेष महत्व है। मैं उससे शत प्रतिशत सहमत हूं। तत्पश्चात् उन्होंने इस बल में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का भरती के बारे में

भी कहा है। श्री यादव ने सैनिक अधिकारियों तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भरती का भी उल्लेख किया है। आजकल, भरती के वर्तमान स्वरूप के अनुसार कांसटेबल से लेकर सहायक कमांडेंट तक के पद पर सीधी भरती की जाती है। उप महानिरीक्षक तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति सेना तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में से प्रति नियुक्ति पर की जाती है और बाकी के पदों जैसे कमांडेंट और अतिरिक्त उपमहानिरीक्षक आदि की नियुक्ति उनके अपने संवर्ग में से पदोन्नति के आधार पर की जाती है। अतः प्रत्येक बल अपना संवर्ग अलग रखना चाहता है। ऐसा ही सीमा सुरक्षा बल के साथ है। इस प्रकार मतभेद बना हुआ है।

कुछ सदस्य चाहते हैं कि अधिकारियों की भरती सेना से और भारतीय पुलिस सेवा से की जानी चाहिए। कुछ अन्य सदस्य चाहते हैं कि इसके लिए अपना अलग संवर्ग होना चाहिए। अतः इसमें सबकी राय अलग हो सकती है मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्रालय ने इस मामले को समझ लिया है और वह इस पर आगे कार्यवाही करेगा।

श्री राजू ने इस संशोधन का स्वागत किया है। उन्होंने इस संशोधन की प्रशंसा के साथ-साथ इसे अपना पूर्ण समर्थन भी दिया है। उन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लाने के लिए भी कहा है। उन्होंने श्री हनुमन्तैया द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रशासनिक सुधार आयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया है मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्रालय इस मामले की जांच-पड़ताल करेंगे और उनकी बात पर विचार करेगा।

श्री शांताराम नायक ने इस बात पर आपत्ति की थी कि 'सेना कानून' शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस शब्द का प्रयोग पहले से इस्तेमाल की जा रही भाषा के कारण हुआ है और मुझे विश्वास है कि वे कानूनी व्यवसाय का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं अतः इस बात को समझेंगे और मैं इस बात की ओर विधि मन्त्रालय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि क्या वह ऐसा कर सकते हैं कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने प्रारूप में इस शब्द को बदल दें। उन्होंने आरोप लगाने सम्बन्धी प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है। मैं इसके बारे में यहां कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्रालय इसकी जांच-पड़ताल करेंगे।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्ता के इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि यह मामला काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है। यह मामला हमारे ध्यान में 1982 में आया और अब यह बार-बार घटने लगी है। हमें इस संशोधन को लाने का सर्वप्रथम मौका 1985 में मिला। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी तक हमने उन लोगों के प्रति क्या कार्यवाही की है जिनके मामले हमारे ध्यान में आए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनमें से कितने मामले अधिकारी वर्ग के थे ?

श्री के० पी० सिंह देव : मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं इसका पता लगा सकता हूँ और अगर आप चाहें तो मैं इस सम्बन्ध में आपको बता सकता हूँ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ने भी इस संशोधन का स्वागत किया है। मैं बल के संवर्ग और हौसले के लिए संशोधित दरों पर उन्हें वेतन तथा भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां और कल्याण सम्बन्धी सुविधाएं दिए जाने के वास्ते दिए गए उनके सुझावों के लिए उनका आभारी हूँ। मैं उनसे सहमत हूं और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार हमारे अर्द्ध सैनिक बलों और सशस्त्र बलों की सेवा शर्तों में सुधार करने के प्रति वचनबद्ध है और मैं निश्चित रूप से उनसे आशा करता हूँ कि सभा में जब कभी इस प्रकार के प्रस्ताव पेश किए जायें तो उन्हें पारित करने में वह सरकार की मदद करें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : विशेष तौर पर आवास सम्बन्धी सेवा शर्तों को।

श्री के० पी० सिंह देव : आवास, बच्चों की शिक्षा, छात्रावास सुविधाएं ऐसे मामले हैं जिनके बारे में प्रधान मन्त्री जी ने विभिन्न मन्त्रालयों को जांच-पड़ताल करने का निर्देश दिया है और हम इस सम्बन्ध में काम कर रहे हैं।

व्यास जी ने अलग से प्रशिक्षण देने के बारे में कहा है। जैसा कि आप जानते हैं, सीमा सुरक्षा बल को टीकमपुर में प्रशिक्षित किया जा रहा है जहां उनकी अपनी अकादमी है और उन्हें वहां सशस्त्र बलों के कर्मचारियों अथवा पुलिस कर्मचारियों से अलग प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्री अनिल बसु ने भी सुविधाओं का उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार सेवा शर्तों में सुधार, उनके हौसले और सत्य निष्ठा को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है।

श्री राजमंगल पांडे ने भी विधेयक का समर्थन करते समय यह पूछा था कि इसकी क्या गारंटी है कि इस विधेयक से सीमा पर तस्करी करना समाप्त हो जायेगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी गारन्टी न मैं दे सकता हूं और न ही मेरे विचार से यह सभा उनके कानून बनाए जाने के बावजूद भी अपराध हो रहे हैं और आजकल अपराध संसार खुफिया, धूर्त और दुष्ट लोगों से परिपूर्ण हैं। अतः हमारा प्रयास अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस बलों को उचित प्रशिक्षण तथा आधुनिक साधनों से लैस करने का होगा ताकि अत्यन्त समाचार और अति आधुनिक अपराधिक प्रवृति वाले लोगों का कारगर रूप से मुकाबला किया जा सके जिन्होंने हमारे सामने समस्याएं खड़ी कर दी हैं और बाहरी आक्रमण अथवा आन्तरिक अशांति के द्वारा देश में अस्थिरता पैदा कर दी है। मैं समझता हूं कि श्री यादव द्वारा किए गए अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। मैं पुनः इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि यह कहना ठीक नहीं है कि सीमा सुरक्षा बल में अधिकारियों को आदर के योग्य नहीं हैं, उनमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा नहीं है और वे असक्षम हैं। एकाध ऐसे मामले हो सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा संगठन है जहां प्रत्येक पद पर बुरे अथवा असक्षम अधिकारी नहीं हैं यहां तक कि हमारी पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं हैं। हमारे दोनों हाथ भी एक जैसा कार्य नहीं करते हैं जब तक कि किसी को दोनों हाथों से कार्य करने का अभ्यास न हो।

श्री रेड्डी को इस संशोधन के बारे में कोई आपत्ति नहीं है उनका विरोध तो सरकार से है। उनका केवल यह कहना है कि उन्होंने अपने 32 वर्ष के कानूनी व्यवसाय में यह देखा है कि अनगिनत कानून बनाए गए हैं। विधि न्यायालय के बारे में अनुभव न होने के कारण मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

एक बार फिर मैं इस माननीय सभा को और सदस्यों को उनके सहर्ष समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहुंगा और सरकार ने उनके अत्यन्त मूल्यवान सुझावों को नोट कर लिया है जिनकी हम छानबीन करेंगे और उनको उचित पाने पर कार्यान्वित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

महन्ती जी आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं, या उन्हें वापिस ले रहे हैं ?

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ पृष्ठ 1, पंक्ति 6 और 7 में,—

'"(जिसके अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 है) कोष्ठक, शब्द और अंक" जोड़े जायेंगे शब्दों के स्थान पर

"या सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968" शब्द जोड़े जायेंगे।'

प्रतिस्थापित किए जायें। (1)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बृजमोहन महन्ती द्वारा खंड दो के लिए पेश किए गए संशोधन सं० 1 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 1 मतदात के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि—

"खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि : "विधेयक पारित किया जाए।"

श्री बृज मोहन महन्ती (पुरी) : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे अपने संशोधन का उद्देश्य बताने का अवसर नहीं दिया गया। मैंने प्रारूप में कुछ सुधार किए जाने का सुझाव दिया था। वास्तव में उसे नकार दिया गया है, अन्यथा मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करने पर विचार करते। जहाँ तक इस धारा का प्रश्न है जिसमें यह संशोधन करना है, मेरे विचार से विधेयक अधिक व्यापक होना चाहिए था।

पहली बात तो यह है कि विधेयक भविष्य की तिथि से लागू होगा। इसका क्या मतलब है ? इसका मतलब है कि यदि कल कोई अपराध हुआ हो तो उस पर दण्ड विधि की वर्तमान धारा 7 लागू होगी न कि यह संशोधन। मेरे विचार से इसे पूर्व तिथि से लागू होना चाहिए। अन्यथा 1982 में किया गया अपराध इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आएगा। यह इस विधेयक की सीमा है। दूसरे, धारा 11 के हाशिए में दिए गए नोट में संशोधन किया जाना चाहिए। वहाँ 1968 का सीमा सुरक्षा बल अधिनियम जोड़ा जाना चाहिए था और संशोधन करना चाहिए था।

तीसरे, जहां तक वायु सेना कानूनों का सम्बन्ध है, यह 1968 के सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के समान नहीं है। अतः इसमें 'शामिल करना' की अपेक्षा 'अथवा' होना चाहिए।

मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इन बातों को स्पष्ट करें।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : 1952 के दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, बाद में जारी 1965 अध्यादेश और 1966 के संशोधन ने सामान्य न्यायालयों से सामान्य कानून पर विचार करने का क्षेत्राधिकार छीन लिया है। 1952 के इस संशोधन से विशेष न्यायाधीश को फैसला करने का अधिकार दिया गया है। इस वर्तमान संशोधन से सीमा सुरक्षा बल 1952 के संशोधन की सीमा से बाहर निकल जाएगा। यदि ऐसा होता है तो मूल दण्ड प्रक्रिया संहिता ही लागू होगी अतः इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि इस अधिनियम को अपनाया जाये अथवा 1968 के सीमा सुरक्षा बल अधिनियम को। ऐसा संशोधन करने की अपेक्षा आपको 1968 के सीमा सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करना चाहिए था और इसमें एक खण्ड जोड़ते कि "किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के बावजूद यह अधिनियम लागू होगा।"

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, यह क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं करता। उससे केवल यही होगा कि भ्रष्टाचार जैसे अपराधों और उनके कारणों पर विशेष न्यायालय में विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई होगी। हम इसे थल सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम के अनुसार बना रहे हैं। यह ऐसे अपराधों पर सुनवाई करके न्यायालयों को सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा दस्तों का कोर्ट मार्शल करने में सक्षम बनाने वाला विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.55 म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1985-86

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 पर विचार करेंगे जो कि अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) के सम्बन्ध में हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

"मांग संख्या 4, 8, 9, 11, 12, 25, 30, 31, 35, 39, 41, 44, 49, 52, 58, 70, 80, 83, 84, 90, 92 तथा 99"

लोक-सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1985-86 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय		
4.	पशु पालन और डेरी विकास	5, 57,00,000	...
8.	ग्रामीण विकास विभाग	121,54,71,000	...
	रसायन और उर्वरक मन्त्रालय		
9.	रसायन और उर्वरक मन्त्रालय	2,00,00,000	14,54,04,000
	वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय		
11.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	10,10,000	3,45,80,000
12.	वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	...	45,00,00,000
	शिक्षा मन्त्रालय		
25.	शिक्षा	110,06,75,000	...
	वित्त मन्त्रालय		
30.	सीमा शुल्क	6,00,00,000	...
31.	संघ उत्पाद शुल्क	12,50,00,000	...
35.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	...	55,38,00,000
39.	वित्त मन्त्रालय का अन्य व्यय	1,000	400,00,00,000
	खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय		
41.	खाद्य विभाग	250,00,00,000	...
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय		
44.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	3,00,00,000	
	गृह मन्त्रालय		
49.	अन्य प्रशासनिक और सामान्य सेवाएं	12,00,000	...
52.	दिल्ली	5,00,00,000	75,00,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय		
58.	उद्योग	27,50,00,000	...
	पेट्रोलियम मन्त्रालय		
70.	पेट्रोलियम मन्त्रालय	19,00,00,000	10,00,00,000
	नौवहन और परिवहन मन्त्रालय		
80.	पतन, दीप स्तम्भ और नौवहन	...	7,00,00,000
	इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय		
83.	इस्पात विभाग	...	300,00,00,000
84.	खान विभाग	1,000	290,00,00,000
	निर्माण और आवास मन्त्रालय		
90.	लोक निर्माण	...	1,000
92.	आवास और नगर विकास	...	15,00,01,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
99.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	2,12,86,000	2,47,00,000

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अनुदान मांगों का पहली खेप सभा के समक्ष है। 3873 करोड़ रुपये की मांगें तीन मास के भीतर सभा के समक्ष लाई गई हैं यद्यपि अधिकांश मांगें पूंजी लेखा की हैं। मैं कुछ सुझावों का स्वागत करता हूं, विशेषतौर पर गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं पर लगाई जाने वाली पूंजी में वृद्धि की लेकिन मेरी राय में केवल 300 करोड़ रुपयों में, जो कि विशाखापट्टनम स्टील योजना के लिए आवंटित किए गए थे, इस वर्ष शुरू की गई सभी योजनायें पूरी करना सम्भव नहीं होगा। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपये और चाहिए।

3.56 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

इसी प्रकार भारत एल्युमीनियम कम्पनी को 290 करोड़ रुपए दिए गए हैं लेकिन मुझे आशा है कि इस कम्पनी को जो कि विशाखापटनम में एल्युमिना परियोजना चला रही है, कुछ और धन दिया जाएगा। बहुत समय पहले सोवियत विशेषज्ञों द्वारा एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी और यह सोचा गया था कि शीघ्र ही इस परियोजना पर स्वीकृति मिल जाएगी किंतु यद्यपि पिछले छह वर्षों से परियोजना रिपोर्ट तैयार है, सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की और कहा जाता है कि सोवियत विशेषज्ञों और सोवियत सरकार के साथ अभी भी बात-चीत जारी है।

जहां तक ओवरड्राफ्ट का प्रश्न है, लगभग 1628 करोड़ रुपए राज्यों को मध्यम अवधि ऋण के रूप में दिए गए हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि इससे राज्यों के राजकोषों पर बोझ

कम हो गया है। 28 जनवरी 1985 तक के 1628 करोड़ रुपए के ओवरड्राफ्ट का 90 प्रतिशत, 8 प्रतिशत ब्याज की दर पर मध्यम अवधि ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है। यह वास्तव में सहायता है, क्योंकि राज्यों को ओवरड्राफ्ट पर 13 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था।

इसी प्रकार अर्थोपाय अग्रिम में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस प्रकार अर्थोपाय अग्रिम के लिए कुल धन 1200 करोड़ रुपए हो जाएगा। यह पहले बजट में 800 करोड़ रुपए था अब इस 400 करोड़ रुपए के साथ यह 1200 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ कि क्योंकि आपने ओवरड्राफ्ट बन्द कर दिए हैं और रिजर्व बैंक को निर्देश दिए हैं यदि राज्य सरकारों के खातों में धन न हो तो किसी चैक का भुगतान न किया जाए, राज्य सरकारों के लिए कभी कभी आवश्यक खर्च पूरे करना अत्यन्त कठिन हो जाएगा, जब तक कि उन्हें अधिक अर्थोपाय अग्रिम की स्वीकृति न दी जाए। कभी-कभी उन्हें केवल कुछ महीनों में ही राजस्व की प्राप्ति होती है और इस प्रकार प्राप्त धन भुगतान करने के लिए काफी नहीं होता। अर्थोपाय अग्रिम राशि लम्बी अवधि के लिए नहीं दी जाती वह 15 दिन या एक माह की अवधि के लिए होती है। लेकिन राज्यों को जब भी नकद धन की आवश्यकता होती यह उपलब्ध हो जाता है। इस समय लगभग 800 करोड़ रुपये अर्थोपाय अग्रिम धन के रूप में राज्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश को 60 करोड़ रुपये अर्थोपाय अग्रिम के रूप में मिले हैं। मैं चाहता हूँ कि इसे और भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि राज्यों को अपनी धन सम्बन्धी समस्याओं से निपटने में कोई कठिनाई न हो। एक बार यदि ओवरड्राफ्ट की इस सुविधा को हटा लिया जाता है तो केन्द्र सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे राज्यों को साधन जुटाने हेतु अतिरिक्त ऋण प्रदान करे।

4.00 म० प०

मैं महसूस करता हूँ कि साधन जुटाने हेतु ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट घाटे की अर्थव्यवस्था से भिन्न नहीं है जबकि केन्द्र के पास घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेने का विशेषाधिकार है तथापि राज्यों को ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें ओवरड्राफ्ट पर ही निर्भर करना पड़ता है। मार्च के बजट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि 3,349 करोड़ रु० का घाटा होगा। किन्तु इन पूरक मांगों से यह लगभग 6.225 करोड़ रु० हो जायेगा। कुछ प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ भी हो सकती हैं। यदि इसको ध्यान में रखा जाता है तो अनुदानों पर वास्तविक व्यय 2,876 करोड़ रु० होगा। और आप इस राशि को कैसे प्राप्त करेंगे ? इसके सिर्फ तीन तरीके हैं—या तो आप कर बढ़ा दें अथवा आपको अतिरिक्त ऋण लेने पड़ेंगे। और यदि ये दोनों ही सम्भव नहीं है—तो तीसरा उपाय है घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लेना। मैं इस बात पर अधिक जोर नहीं देना चाहता क्योंकि अधिकांश व्यय पूंजीगत है और मैं इसका समर्थन करता हूँ, किन्तु कुछ बातें हैं जिन्हें सभा के समक्ष रखी गई मांगों या विश्लेषण करते समय ध्यान में रखना है।

सभा इस बात से अवगत है कि सातवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। राज्यों को कहा गया है कि उन्हें अतिरिक्त संसोधन को जुटाने पड़ेंगे। ऐसा करना राज्यों के लिए बहुत कठिन है। इस सम्बन्ध में मुझे केन्द्र के समक्ष रखे गए पारेषण कर लागू करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव का ध्यान आ रहा है। जैसाकि सभा को ज्ञात है, राज्य काफी समय से इस बारे में कोई कानून बनाने की बात कर रहे हैं योजना आयोग तथा विधि आयोग ने इस कर को लगाने के लिए सिफारिस की है। और इसके लिए 1982 में 46वें संशोधन के माध्यम से संविधान में संशोधन किया गया जिससे केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ एक विधान लाने में समर्थ हो सकी पिछले दो वर्षों से सरकार इस पर

विचार कर रही है किन्तु सभा के समक्ष कोई भी विधान नहीं रखा गया है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि राज्य विक्रय कर जो राज्य सरकारों का एकमात्र बड़ा कर है, के बड़े पैमाने पर अपवंचन के कारण यह बहुत आवश्यक हो चुका है। यह कर-अपवंचन पारेषण के नाम पर चलता है तथा कर देने के स्थान पर लोग पारेषण भेजते हैं और राज्यों की सीमाओं से बाहर बिक्री करते हैं। वे सामान को पारेषणों के रूप में राज्यों के बाहर ले जाते हैं। उन्होंने अन्य राज्यों में फर्जी डिपो स्थापित कर रखे हैं और बिक्री वहीं करते हैं। राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने बार-बार केन्द्र सरकार को इस तथ्य से अवगत कराया था। राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के एक सम्मेलन में इस विषय की जाँच के लिए एक समिति बनाई गई और समिति ने सिफारिश की कि 4 प्रतिशत पारेषण कर लगाया जाना चाहिए; और इस प्रयोजनार्थ संसद के समक्ष एक विधेयक रखा जाना चाहिए। किन्तु बड़े अफसोस की बात है कि कई सिफारिशों तथा राज्य सरकारों की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त संसाधनों की इतनी अधिक आवश्यकता होने के बावजूद भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई प्रारूप विधेयक नहीं बनाया।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् सहमत है।

श्री सी० माधव रेड्डी : जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहले तो सिद्धान्त रूप में इसे स्वीकार कर लिया था। किन्तु यदि आप परिषद के समक्ष विधेयक को सविस्तार रखना चाहते हैं तो मैं निश्चय ही यह कहूँगा कि आप राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाएं और इस विधेयक को उनके समक्ष रखें। किन्तु बात यह है कि सिद्धान्त रूप में इससे राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और वित्त आयोग सहमत हो गए थे। अतः इस पर केन्द्र सरकार के दबाव को छोड़ कर और कोई झिझक नहीं है। मैं व्यापारियों द्वारा डाले गए दबाव को समझ सकता हूँ क्योंकि वे ही कर अपवंचन करते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि आप व्यापारियों के दबाव में क्यों आये? आखिरकार, करापवंचन रोकने के लिए ही विधेयक को लाया जा रहा है। ऐसे दबावों में वे क्यों आयें? मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग आकर वित्त मंत्री तथा प्रधान मन्त्री से मिलते हैं और इसको लागू न करने के बारे में दबाव डालते हैं कि यह एक प्रतिगामी विधेयक है आदि-आदि। यह सब बकवाद है। हम सभी जानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके कारण राज्यों के 1200 करोड़ रु० से 1500 करोड़ रुपए तक का घाटा हो रहा है। उन्हें इससे लाभ होगा विशेषतया मेरे राज्य को लगभग 150 करोड़ रूपये तक का तुरन्त लाभ होगा जिसकी अभी हमें हानि हो रही है क्योंकि—बिक्री कर का अपवंचन हो रहा है। इस विधेयक को पेश करने में और विलम्ब नहीं होना चाहिए। और आवश्यक संसाधनों को पूरा कर पाने में यह बहुत सहायक होगा सरकार ने ओवर ड्राफ्ट देना रोक दिया है और उनके संसाधन सीमित हैं। अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि विधेयक लाने में और विलम्ब नहीं होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय वित्त मन्त्री को, कुछ दिन पहले कर्मचारियों के द्वारा शेयर खरीदने की योजना की घोषणा करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इसे कर्मचारियों के लिए 'स्टाक आप्शन स्कीम' कहते हैं। मैंने योजना को पढ़ा है जिसे सभा पटल पर रखा गया था। मैं बहुत निरुत्साहित हुआ था। महोदय, सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने औपचारिक रूप से यह वचन दिया था कि कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाली ऐसी योजना को तुरन्त लागू करना चाहिए। किन्तु मैं देखता हूँ कि योजना से कर्मचारियों को पाँच वर्षों के बाद ही थोड़ा सा ही लाभ होगा। यह कोई योजना ही नहीं है। हमने सोचा था कि वे प्रबन्ध तथा पूंजी व्यवस्था में कर्मचारियों के भाग लेने के लिए एक योजना चालू कर रहे हैं। किन्तु हम देखते हैं कि यह एक बेजान योजना है; जो भी हो

इस योजना का पांच वर्षों तक कोई महत्त्व नहीं है। कर्मचारी कुछ अंशदान करते रहेंगे जो उनके नाम पर जमा होता रहेगा और उसे शेयर दे दिए जायेंगे। और 5 वर्षों के अन्त में यह राशि शेयर पूंजी खाते में अन्तरित कर दी जायेगी और उसे शेयर दे दिए जायेंगे। इस प्रकार की योजना बेकार है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वे कर्मचारियों के पूंजी व्यवस्था ही नहीं बल्कि प्रबन्ध में भी भाग लेने के बारे में गम्भीरता से विचार करे। इसका एक मात्र लक्ष्य यह है कि इन शेयरों को एलॉट करने से कर्मचारी कड़ी मेहनत करेगा संगठन में उनकी रुचि होगी, वे व्यर्थ ही हड़ताल आदि का आश्रम नहीं लेंगे। परिणामतः क्षमता तथा उत्पादकता बढ़ेगी। किन्तु हम देखते हैं कि यह योजना जो हमारे समक्ष रखी गयी है, उस प्रयोजन को ही निष्फल कर देती है जिसके लिए यह तैयार की गई थी।

इस संबंध में मैं सभा को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि केन्द्रीय योजनाओं की काफी आलोचना की गई है। पूरक अनुदानों की इन मांगों में मैंने पाया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम इत्यादि के लिए अत्यधिक राशि का प्रावधान किया जा रहा है। ये आलोचना हुई थी कि ये योजनायें जिनकी राज्य इतनी आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, उन पर लादी जा रही है और लागू की जा रही है—क्योंकि हमने पाया कि योजना को लागू करते समय बहुत विकृत कर दिया जाता है। सभा में यह आलोचना हुई थी कि इस विषय पर दुबारा विचार किया जाना चाहिए और इस योजना के लिए और धनराशि नहीं दी जानी चाहिए। बहुत से राज्य इस प्रकार की योजना का विरोध कर रहे थे। राज्य चाहते हैं कि इन योजनाओं का उन पर लादने की बजाय ये राशि उन्हें अन्य उत्पादक कार्यों के लिए इकमुश्त अनुदान के रूप में दी जायें।

पूरक अनुदानों की मांगों से मैंने यह पाया कि आन्ध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पूंजी खाते में कोई व्यय नहीं निर्धारित किया गया इनमें से कई जैसे पोलावरम और तेलगू गंगा परियोजनाओं आदि, के लिए केन्द्र सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। अन्य परियोजनाओं के साथ इन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए था और मामूली अनुदान दे दिए जाने चाहिए थे ताकि यह एक नई सेवा न बने। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स, 1985 की पहली मांग इस हाउस के सामने है और ये जो मांग फायनेंस मिनिस्टर साहब ने इस एवान के सामने रखी है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और साथ ही चन्द एक ग्राण्ट पर अपने ख्यालात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस साल आपने 3872.54 करोड़ की डिमांड जो कि 26 डिपार्टमेंट पर मेहदूद हैं, पेश की हैं और उसमें से 565.90 करोड़ रैवेन्यू पर और 3306.56 करोड़ कैपीटल अकाउण्ट्स में पेश की हैं जिसमें 1628 करोड़ रुपए स्टेट्स को जिन्होंने ओवरड्राफ्ट्स ले लिए थे, उसको क्लियर करने के लिए रखा गया है। इसका समर्थन हमारे मुअज्जिज साथी रेड्डी साहब ने किया है और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ और मैं यह भी समझता हूँ कि जितनी भी स्टेट्स हैं, उनकी फायनेंशयल मुश्किलात हैं, वे हल हो जायेंगी बशर्ते कि वे इस अमाउन्ट को सही ढंग से इस्तेमाल करें और सेण्टर भी इसको सही ढंग से मानिटर करे और यह देखे कि वाकई स्टेट्स इसको यूटिलाइज कर रही है या कि नहीं और वे फिर ओवर ड्राफ्ट तो नहीं ले रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे स्टेट्स ओवर ड्राफ्ट भी ले लें और सेण्टर से भी रुपया लेती रहें, तो इस पर आपको नजर रखनी होगी। डिमांड-25221 करोड़, सेण्ट्रल सैक्टर में प्लान आउट ले, जो एजूकेशन पर रखी गई हैं, जिसमें आपके मुस्तालिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ स्कीम्स हैं।

इस सम्बन्ध में मैं खासकर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो मॉडल स्कूल्स की योजना है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहेब, श्री राजीव गांधी ने हाल ही में अनाउंस की थी कि हमारे देश में जो एजूकेशन सिस्टम है, उसमें कुछ तब्दीलियां लाई जाएंगी। उनके इस अनाउंसमेंट को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम रखी गई है। मैं इसका समर्थन करता हूँ और साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे सिस्टम आफ एजूकेशन में थोड़ी सी तब्दीली अगर नहीं लाई गई, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब्दीली से मेरा मतलब यह है कि इस वक्त खासकर प्रायवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं, जैसे पब्लिक स्कूल्स हैं, उनमें जो स्टेंडर्ड आफ एजूकेशन है, वह काफी हाई है, उनमें खर्चा भी काफी आता है और उनमें जो बड़े-बड़े आफिसर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट्स या कैपिटलिस्ट्स हैं, ऐसे लोग ही उनका फायदा उठा सकते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जितने भी हाई जॉब्स हैं, जैसे कि आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आई एफ० एस०, या फिर जो पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंज या प्राइवेट कम्पनीज है, उन्हीं लोगों को ही फायदा मिलता है। नतीजा यह होता है कि हमारी गरीबी और अमीरी का गैप ज्यादा बढ़ जाता है। सरकार को ऐसी पालिसी बनानी चाहिए जिससे गांव में रहने वाले ट्राइबल एरिया, और पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोगों के बच्चों को फायदा मिले। उनको भी बराबर का हिस्सा मिले और यह मौका भी मिले कि वह भी ऐसे-ऐसे इदारों में जाने के काबिल बनें। इसके लिए आपने कुछ रकम रखी है, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

इसी तरह कम्प्यूटर, लिट्रेसी जो आप स्कूलों में इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसके लिए आपने 56.72 करोड़ रुपया रखा है। यह एक वैलकम स्टैप है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया है कि हम 21 वीं सदी में कम्प्यूटर और मार्डन टैक्नोलाजी के साथ दाखिल होंगे, तो इससे उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

एजूकेशन के मामले में मैं अपनी स्टेट से ताल्लुक रखने वाली एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। मेरी इत्तिला है कि हमारी फारूख अब्दुल्ला साहब की पिछली सरकार ने एक प्रोपोजल भेजा था कि एन० सी० ई० आर० टी० की टैक्स्ट बुक्स में कुछ तब्दीलियां लाई जायें। इस मामले में उन्होंने अपनी रिकमैंडेशन की थी। अब सुनने में आ रहा है कि इस सरकार ने भी उसकी ताईद की है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वह टाप-सीक्रेट रखा जाता है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे डाक्यूमेंट्स को लोगों के सामने रखना चाहिए कि उन्होंने क्या तब्दीलियां चाही हैं।

हम तो चाहेंगे कि नेशनल लेवल पर जो टैक्स्ट बुक एप्रूव करके रखी गई हैं, वह सारे देश में एक ही लैवल पर होनी चाहियें और किसी एक स्टेट के लिए स्पेशल टैक्स्ट बुक नहीं बननी चाहिए। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है तो आपको उसे हाउस के सामने रखना चाहिए कि इसमें कौन सी तब्दीलियों की मांग की गई है ?

कस्टम्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी के लिए कुछ रकम रखी गई हैं। अगर कोई शख्स या आफिसर स्मग्लिंग, होर्डिंग, या ऐसी चीजों को पकड़ने या उनको अन-अर्थ करने में अच्छा काम करता है तो उनको कुछ इन्सेंटिव देने के लिए वह पैसे रखे गये हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

इस सिलसिले में अभी अभी जो बिल स्मग्लिंग को रोकने के मुताल्लिक इस हाउस में पास हुआ। उसके बारे में बहुत से साथियों ने अपने ख्यालात रखे। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के बार्डर्स पर स्मग्लिंग काफी जोर-शोर से चल रही है, खासकर इंडो-नेपाल बार्डर और लद्दाख तिब्बत बार्डर के सैक्टर्स को आपने आज तक निग्लैक्ट करके रखा था। उस पर आपको ज्यादा विजिलेंस रखने की जरूरत है।

हमारे नोटिस में एक बात यह आई है कि लोग नेपाल से यहां सामान आसानी से स्मगल करके यू० पी० बार्डर से लाया जाता है, फिर यहां से हमारे देश के बड़े-बड़े शहरों में उनकी बिक्री या उनको डिसपोजल किया जा रहा है, इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के बार्डर की बात बताता हूँ। आज तक लद्दाख सेक्टर से ऐसी बातें हमारे नोटिस में नहीं आई थीं, लेकिन पिछले 1-2 सालों से हमारे एरिया के अन्दर काफी पशमीना और वूल जो कि हमारे लद्दाख का मेन रा-मैटिरियल है, सारी कश्मीर वैली के हैंडलूम इंडस्ट्री और शाल इंडस्ट्री को फीड करता है, तिब्बत के बार्डर से स्मगलिंग होकर लद्दाख में दाखिल होता है। उनकी प्राइसिज हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत कम हो गई है क्योंकि तिब्बत के बार्डर से काफी तादाद में पशमीना और वूल स्मगल होकर आ रहे हैं और हमारी जानकारी यह है कि जो चाइनिज फोर्सिज हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, उनको आसान बनाने के लिए उनको यदि अपनी तरफ पूश करते हैं और उसके बदले में हमारे यहां से फूड-ग्रेन्स और जो दूसरी चीजें हैं, वह हमारे यहां से चली जाती हैं तो सरकार को चाहिए कि वह इसकी तरफ अपनी तवज्जह दे और फौजी तौर पर बन्द करे, क्योंकि उससे हमारे उस सेक्टर में जो रा-मैटिरियल है, उस पर बुरा असर पड़ रहा है। उससे एक तो प्राइसिज डाउन हो गई हैं और दूसरा बहुत सा-मैटिरियल यहां स्टेट के अन्दर पड़ा है, उसका कोई खरीदार नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट से पशमीने को बाहर ले जाना कानूनन मना है।

हमारे यहां कुल्लू में शाल इंडस्ट्री है और जम्मू में बसौली में वूल इंडस्ट्री है, इनकी तरफ से मांग आ रही है इसके अलावा स्टेट के बाहर के वूलन फैक्ट्रीज और सिल्क फैक्ट्रीज से भी मांग है कि सिल्क के साथ पशमीने को मिक्स किया जाये या वूल के साथ पशमीने को मिक्स करके दूसरी प्रोडेक्टस बनायी जाये, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी पशमीना शाल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए यह करना नहीं चाहती। इसका नतीजा यह होता है कि जो पशमीना प्रोडयूसर है वह नुकसान में जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार उस तरफ तवज्जह दे।

करेंसी क्वायनेज के बारे में अपनाने में न्यू मशीनरी खरीदने जा रहे हैं। नौएड़ा में नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं कुछ क्वाइन्स इंपोर्ट भी कर रहे हैं। यह कदम राइट डायरेक्शन में है। आपको जल्दी से जल्दी यह कदम उठाना चाहिए क्योंकि मार्किट में इस वक्त छोटे क्वाइन और छोटी करेंसी नोटों की बहुत कमी है। इसके कारण दूकानदार लोग अपना टोकन इशू कर देते हैं। यह एक गलत तरीका है। इसको बन्द करने का तरीका यह है कि इसकी तरफ आपको तवज्जह देनी चाहिए और मार्किट में जो कमी है, उसको दूर करना चाहिए।

स्टेट्स के लिए 1628 करोड़ रुपये जो 90 प्रतिशत को मध्यमावधिक ऋणों में परिवर्तित करने के लिए रखे हैं, जिसको कि मेरे साथी श्री माधव रेड्डी ने आपोज किया है और उन्होंने कहा है कि एन० आर० ई० पी० जितनी स्कीमें हैं, इनको इम्पोज किया जा रहा है मैं समझता हूँ कि यह उनकी गलतफहमी है या इसलिए वह ऐसा कहते हैं क्योंकि वह 20 प्वाइंट प्रोग्राम के साथ क्लोजली रिलेट हैं तो उसको शेडो करने के लिए वह इसको अपोज कर रहे हैं। वाकई में यह जो गरीबों के इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं या ट्राइबल इलाके है उनमें रहने वालों के फायदे के लिए है, शहरों में रहने वाले बड़े-बड़े जो विग गन्स हैं उनके लिए नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह अच्छा स्टेप है। इसकी यूटिलाइजेशन के बारे में आप को स्टेट वालों से प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी चाहिए और जहां-जहां कमी है उसको दूर करना चाहिए।

इसके अलावा कुछ आपने अपग्रेडेशन और स्टेंडडाइजेशन आफ डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन से आठवें फाईनेंस कमीशन ने कमेंडेशन किया था उसके लिए कुछ रकम प्रोवाइड की है। इसमें एक

वारया में अपनी कांस्टीच्यूएंसी को बताना चाहता हूं कि हर एक स्टेट को एटव फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पास्ट परफार्मेंस की बेसिस पर कुछ अपनी नयी स्कीम्स और इंसेंटिव के लिए प्रोजेक्टस तैयार करने को कहा था। मेरी कांस्टीच्यूएसी में दो डिस्ट्रिक्टस हैं। एक के ऐडमिनिस्ट्रेशन ने 1 करोड़ 94 लाख की स्कीम भेजी थी। लेह डिस्ट्रिक्ट वालों ने यह स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस को सेंक्शन कर दिया था। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मेरी कांस्टीच्यूएंसी में है उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ढीलेपन के कारण या नालायकी के कारण कोई प्रोपोजल सबमिट नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन जब लेह डिस्ट्रिक्ट को रकम मिलते हुए देखा तो स्टेट गवर्नमेंट ने यह किया कि 1 करोड़ 94 लाख जो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए था उसके लिए कहा कि दोनों डिस्ट्रिक्टस को बांट कर लेना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि लेह डिस्ट्रिक्ट का सारा प्रोजेक्ट बिगड़ गया मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि आप उस के लिए कुछ ऐडीशनल फण्ड दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए दे दीजिए। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट ने कोई अच्छा काम किया और उस के एवज में उनको कुछ ज्यादा इन्सेंटिव मिली तो उसको बांट कर दूसरे डिस्ट्रिक्स को दे दिया जाय यह ठीक नहीं हैं। इस तरह से उन्होंने जो अच्छा काम किया, मेहनत की और नए प्रोजेक्टस बनाए, फयूचर के लिए इसका रीऐक्शन अच्छा नहीं होगा। तो मेरी तो गुजारिश है कि स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइड करें कि वह अपने स्टेट प्लान से उस कारगिल डिस्ट्रिक्ट को कम्पेन्सेट करें, नहीं तो जो लेह डिस्ट्रिक्ट को मिला है उसको बांट कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिया जाना चाहिए।

मेरी कांस्टीच्यूएन्सी खास कर जो लद्दाख रीजन है जिसमें जैसा कि मैंने बताया दो जिले हैं उनके लिए जो फन्ड मिलता है वह 90 परसेंट ग्रान्ट और 10 परसेन्ट लोन की शक्ल में मिलता है। उसके लिए प्लानिंग कमीशन ने हमेशा यह इंस्ट्रक्शन दी है कि स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से लद्दाख रीजन के लिए जो भी प्लान प्रोपोजल्स होंगे उनको वह पूरा सेंक्शन देंगे। जब भी स्टेट की किसी मजबूरी की वजह से वह अपने बजट में से कुछ कर्टेल करना चाहते हों। लद्दाख रीजन जिसमें लेह और कारगिल दो जिले हैं वहां से कोई कर्टेलमेंट नहीं होना चाहिए। यह डायरेक्टिव बार-बार दिया गया है। लेकिन होता ऐसा रहा है कि हमेशा सेंटर के इंस्ट्रक्शन के बावजूद स्टेट वाले करते रहे हैं।

सभापति महोदय : नामग्याल जी आप 2 मिनट ले चुके हैं। दो तीन मिनट में कान्क्लूड कीजिए।

श्री पी० नामग्याल : मैं पांच सात मिनट में कान्क्लूड कर रहा हूं। जब भी स्टेट वालों का बजट कैंसिल होता है तो स्टेट गवर्नमेंट 10 परसेन्ट जो लोन के बोझ बचाने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्टस जो हैं उनको उस दायरे में ले आते हैं। मेरी आप से गुजारिश यह है कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां से कोई कर्टेलमेंट नहीं होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन ने जो सेंक्शन किया है, उसी को पूरी तरह रखा जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि इस साल सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान के खात्मे पर जो भी हमारे प्रोजेक्ट और स्कीमें थीं उनको नान-प्लान में जाना चाहिए था, सेविंथ फाइव ईयर प्लान के शुरू में एनुअल प्लान में उनको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ प्लान के लास्ट ईयर में जितनी भी प्लान में स्कीमें थीं उनको प्लान में ही रखा गया और नान-प्लान में ट्रांसफर नहीं किया गया है। जिसकी वजह से हमारी कांस्टीटुऐन्सी में पांच करोड़ का नुकसान पड़ रहा है। हमारे लिएतो नयी स्कीमें लेने की गुंजाइश ही नहीं रखी है। दूसरी स्टेट्स का तो मुझे पता नहीं लेकिन हमारे स्टेट तो यही डायरेक्टिव है और यह, आपने जो फिसकल पालिसी बनाई है, उसके खिलाफ जाता है। यह नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ प्लान के लास्ट ईयर में जो भी प्लान्स स्कीम थी उनको नान-

प्लान में ट्रांसफर होना चाहिए ताकि स्टेट की और हमारे डिस्ट्रिक्स को फायदा मिले।

फूड सप्लाइज के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया सब्सीडी दे रहे हैं, हमारी कांस्टीटुएन्सी के लिए भी एक स्टोरेज गोडाउन का प्रपोजल पड़ा हुआ है लेकिन एफ० सी० आई० ने आज तक उस रकम को मन्जूर नहीं किया है। नतीजा यह है कि फूड स्टाक्स ओपेन में पड़े हैं और उनको नुकसान पहुंच रहा है। इसकी तरफ भी आपको तवज्जह देने की जरूरत है।

आपने हिली और ट्राइबल एरियाज में इण्डस्ट्रीज के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 25 करोड़ की रकम रखी है। इस सिलसिले में मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी हिली और ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर कोई बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज तो लग नहीं सकती है इसलिए जो छोटी छोटी फैक्टीज हैं जैसे वाच-असेम्ली फैक्टरी है, टी० वी०, रेडियो असेम्बली फैक्टरीज, जोकि छोटी इण्डस्ट्रीज होती हैं, उनको उन एरियाज में तरजीह दी जानी चाहिए जो कि अभी तक नहीं हो रहा है।

आखिर में मैं डिमाण्ड नं० 48 और डिमाण्ड नं० 90 पर दो एक बातें कहना चाहूंगा। गवर्नमेंट आफ इण्डिया और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में पिछले चार सालों से लद्दाख रीजन को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के बारे में खतो-किताबत चल रही है और इस हाउस में बार-बार यह बातें उठाई गई हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट, स्टेट गवर्नमेन्ट के ऊपर डाल रही है और स्टेट गवर्नमेन्ट सेन्टर पर डाल रही है। चार साल की करेस्पोडन्स का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे यहां से किसी मिनिस्टर को श्रीनगर भेजें और वहां के चीफ मिनिस्टर व कैबिनेट से डिस्कस कराके आर्टिकल (342) को हमारी स्टेट पर लागू करायें। मेहरबानी करके इसमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हमारे लोग अभी तक बड़ी पेशंस के साथ बैठे हुए हैं। आपको पता ही है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वह काफी सेंसिटिव बार्डर पर है और वहां साईचिन, सेक्टर और कारगिल सेक्टर में रोज क्या हो रहा है। आपको महसूस होना चाहिए कि 20-22 हजार फीट की ऊँचाई पर हमारे जवान बैठे हुए हैं और बर्फ में रहने से किसी की बाजू कट गयी है तो किसी का पैर कट गया है। अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। इस थोड़ी सी कन्सैशन के लिए चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, पता नहीं कौन सी मुश्किलात पैदा हो रही है। यह एक आर्मी स्टैप है जिस तरह से आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर पांच दस साल के लिए कन्सैशन एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो हमें भी यह सुविधा दे दीजिए। हमारी केन्द्रीय सरकार से गुजारिश है कि वह इस मुद्दे की ओर तवज्जह दे। हमारा रीजन आज तक के देश के इतिहास में लिए लड़ रहा है। जब भी हमारे देश से किसी ने लड़ाई लड़ी है, हमारा क्षेत्र देश के प्रति लॉयल रहा है। हमारे सैक्टर में सन् 1948 में लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद 1949, 1965, 1971 में जंग हुई, इन सब लड़ाइयों में-ही हमारे लोग सबसे आगे रहे हैं। वहां के लोगों ने देश के प्रति कुर्बानियां दी हैं। बहुत से जवान मारे गए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे ही सैक्टर को आगे भविष्य में लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। मेरी आपसे अपील है कि आप इस ओर ध्यान देकर कोई जल्दी से जल्दी डिसीजन लें।

अब एक बात मैं सिर्फ हिल्ली क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। कमला नेहरू गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक विशेष केन्द्रीय विद्यालय है। इस विद्यालय में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मनीपुर आदि प्रदेशों से 40-50 बच्चे हर साल लाकर शिक्षा के लिए दाखिल किए जाते हैं। इस स्कूल में वे अभी हाल ही में पुराने स्कूल से शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उस बिल्डिंग की हालत खराब होने लगी है। इलैक्ट्रिक की फिटिंग खराब है, ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं है। मेरी हाउसिंग मिनिस्टर से गुजारिश है कि वे वहां जाकर वहां की हालत को देखें कि वहां क्या हो रहा है और जरूरी कार्यवाही करें।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंट्री डिमांड का समर्थन करता हूं।

श्री पी - नाम गیال (لداخ) سبھاپتی مہودے ۔ سپلیمنٹری ڈمانڈس فار گرانٹس ۱۹۸۵ کی پہلی مانگ اس ہاؤس کے سامنے ہے اور میں یہ جو مانگ فائنینس منسٹر صاحب نے اس ایوان کے سامنے رکھی ہے میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں اور ساتھ ہی چند ایک گرانٹ پر اپنے خیالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ۔ اس سال آپ نے ۳۸۷۲٫۵۴ کروڑ کی ڈمانڈ جو کہ ۲۶ ڈیپارٹمینٹ پر محدود ہیں پیش کی ہیں اور اس میں سے ۵۶۵٫۹۰ کروڑ ۔ ریونیو پر اور ۶٫۵۶ ۳۳۰ کروڑ کیپٹل اکاؤنٹس میں پیش کی ہیں جس میں ۱۶۲۸ کروڑ روپے اسٹیٹس کو جنھوں نے اوور ڈرافٹس لے لیے تھے اس کو کلیئر کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں ۔ اس کا سمرتھن ہمارے معزز ساتھی ریڈی صاحب نے کیا ہے اور میں بھی اس کا سمرتھن کرتا ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کی فائنینشیل مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی بشرطیکہ وہ اس اماؤنٹ کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں اور سینٹر بھی اس کو صحیح ڈھنگ سے مانیٹر کرے اور دیکھے کہ واقعی اسٹیٹس اس کو یوٹیلائز کر رہی ہیں یا کہ نہیں اور وہ پھر اوور ڈرافٹ تو نہیں لے رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسٹیٹس اوور ڈرافٹ بھی لے لیں اور سینٹر سے بھی روپیہ لیتی رہیں تو اس پر آپ کو نظر رکھنی ہوگی ۔ ڈیمانڈ ۔ ۲۵ میں ۲۲۱ کروڑ سینٹرل سیکٹر میں پلان آؤٹ لے جو ایجوکیشن پر رکھی گئی ہیں جس میں آپ کے مختلف پراجیکٹس میں مختلف اسکیمیں ہیں اس سمبندھ میں میں خاص کر دھیان دلانا چاہتا ہوں جو ماڈل اسکولس کی یوجنا ہے جس کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب شری راجیو گاندھی نے حال ہی میں اناؤنس کی تھی کہ ہمارے دیش میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں گی ۔ ان کے اس اناونسمینٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ اسکیم رکھی گئی ہے ۔ میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں اور ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن میں تھوڑی سی تبدیلی اگر نہیں لائی گئی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ۔ تبدیلی سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت خاص کر پرائیویٹ ـــــ انسٹیٹیوشنس ہیں جیسے پبلک اسکولس ہیں ان میں جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے وہ کافی ہائی ہے ۔ اُن میں خرچہ بھی کافی آتا ہے اور اُن میں جو بڑے بڑے آفیسرس یا انڈسٹریالسٹس

یا کیپٹلسٹس ہیں ایسے لوگ ہی ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہائی جابس ہیں جیسے کہ آئی اے ایس۔ آئی پی ایس۔ آئی ایف ایس۔ یا پھر جو پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگز یا پرائیویٹ کمپنیز ہیں انھیں لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری غریبی اور امیری کا گیپ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سرکار کو ایسی پالیسی بنانی چاہیئے جس سے گاؤں میں رہنے والے ٹرائبل ایریا اور پہاڑی شیز کے رہنے والے لوگوں کے بچوں کو فائدہ ملے۔ ان کو بھی برابر کا حصہ ملے اور یہ موقع بھی ملے کہ وہ بھی ایسے ایسے اداروں میں جانے کے قابل بنیں۔ اس کے لیے آپ نے کچھ رقم رکھی ہے میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں۔

اسی طرح لیپ ٹاپ اسکیم جو آپ اسکولوں میں انٹروڈیوس کرنے جارہے ہیں اس کے لیے آپ نے ۵۶،۷۸ کروڑ روپیہ رکھا ہے۔ یہ ایک ولکم اسٹیپ ہے ہمارے پرائم منسٹر نے فرمایا ہے کہ ہم ۲۱ ویں صدی میں کمپیوٹر اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ داخل ہوں گے تو اس سے اس میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔

ایجوکیشن کے معاملے میں میں اپنی اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والی ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ میری اطلاع ہے کہ ہماری فاروق عبداللہ صاحب کی پچھلی سرکار نے ایک پرپوزل بھیجا تھا کہ این سی ای آر ٹی کی ٹیکسٹ بکس میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں اس معاملے میں انھوں نے اپنی رکمنڈیشن کی تھی۔ اب سننے میں آرہا ہے کہ اس سرکار نے اس کی تائید کی ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ ٹاپ سیکریٹ رکھا جاتا ہے۔ میں سرکار سے درخواست کرونگا کہ ایسے ایسے ٹاکو مینٹس کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ انھوں نے کیا تبدیلیاں چاہی ہیں۔

ہم تو چاہیں گے کہ نیشنل لیول پر جو ٹیکسٹ بک اپروو کر کے رکھی گئی ہیں وہ سارے دیش میں ایک ہی لیول پر ہونی چاہیئے اور کسی ایک اسٹیٹ کے لیے اسپیشل ٹیکسٹ بک نہیں بننی چاہیئے۔ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ کو اسے ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہیئے کہ اس میں

कौन सी तब्दीलियों की मांग की गई है।

कस्टम्स और यूनियन एक्साइज़ ड्यूटी के लिये कुछ रकम रखी गई हैं। अगर कोई शख्स या आफिसर स्मगलिंग हो रही है या ऐसी चीज़ों को पकड़ने या उन को इन्टरसेप्ट करने में अच्छा काम करता है तो उन को कुछ इन्सेंटिव देने के लिये यह पैसे रखे गये हैं। मैं इस का समर्थन करता हूं।

इस सिलसिले में अभी जो बिल स्मगलिंग को रोकने से सम्बन्धित इस हाउस में पास हुआ में बहुत से साथियों ने अपने ख्यालात रखे। मैं समझता हूं कि हमारे देश के बार्डर्स पर स्मगलिंग काफी ज़ोर शोर से चल रहा है। खास कर नेपाल बार्डर और लद्दाख तिब्बत बार्डर के सेक्टर्स को आप ने आज तक नेगलेक्ट कर के रखा है इस पर आप को ज़्यादा वेजीलेंस रखने की ज़रूरत है।

हमारे नोटस में एक बात यह आई है कि नेपाल से यहां सामान आसानी से स्मगल कर के यू पी बार्डर से लाया जाता है फिर यहां से हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में उन की बिक्री या उन को डिस्पोज़ल किया जा रहा है। इस पर आप को नज़र रखना चाहिये। मैं आप को अपने नरवाचन सैक्टर के बार्डर की बात बताता हूं। आज तक लद्दाख सैक्टर से ऐसी बातें हमारे नोटस में नहीं आती थीं लेकिन पिछले एक दो सालों से हमारे एरिया के अन्दर काफी पश्मीना और वूल जो कि हमारे लद्दाख का मेन मैटीरियल है सारी कश्मीर वैली के हैन्डलूम इन्डस्ट्री और शाल इन्डस्ट्री को फीड करता है तिब्बत के बार्डर से स्मगल हो कर लद्दाख में दाखिल होता है उन की परचेसिज़ हमारे नरवाचन सैक्टर में बहुत कम हो गई है क्योंकि तिब्बत के बार्डर से काफी तादाद में पश्मीना और वूल स्मगल हो कर आ रहे हैं और हमारी जानकारी में यह है कि जो चाईनीज़ फोरसिज़ हैं उन की भी अपनी मजबूरियां हैं। उन को आसान बनाने के लिये उन को वैल्यू अपनी तरफ पेश करते हैं और उस के बदले में हमारे यहां से फूड ग्रेनस और जो दूसरी चीज़ें हैं वह

हमारे यहां से चली जाती हैं तो सरकार को चाहिये कि वह इस की तरफ अपनी तवज्जो दे और फौरी तौर पर बन्द करें क्योंकि इस से हमारे इस सैक्टर में जो रामेटीरियल है इस पर बुरा असर पड़ रहा है। इस से एक तो पैरालिसिज डाउन हो गई है और दूसरा बहुत सारा मेटीरियल यहां स्टेट के अन्दर पड़ा है उस का कोई खरीदार नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट से पशमीने को बाहर ले जाना कानूनन मना है।

हमारे यहां कलीन शाल इंडस्ट्री है और जम्मू के बसोली में वूल इंडस्ट्री है उन की तरफ से मांग आ रही है। उस के अलावा स्टेट के बाहर वूलन फैक्टरीज और सिल्क फैक्टरीज से भी मांग है कि सिल्क के साथ पशमीने को मिक्स किया जाये या वूल के साथ पशमीने को मिक्स करके दूसरी प्रोडक्शन बनाई जाये लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी पशमीना शाल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिये यह करना नहीं चाहती। इस का नतीजा यह होता है कि जो पशमीना प्रोड्यूस रहे वह नुकसान में जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ तवज्जो दे।

करंसी कवायज के बारे में आप नई मशीनरी खरीदने जा रहे हैं— नोएडा में नई फैक्टरी लगाने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। यह कदम राईट डायरेक्शन में है। आप को जल्दी से जल्दी यह कदम उठाना चाहिये क्योंकि मार्केट में इस वक्त छोटी ५ TEN और छोटी करंसी नोटों की बहुत कमी है इस के कारण दुकानदार लोग अपना टोकन इशू कर देते हैं। यह एक गलत तरीका है। इस को बन्द करने का तरीका यह है कि इस की तरफ आप को तवज्जो देनी चाहिये और मार्केट में जो कमी है उस को दूर करना चाहिये।

स्टेशनों के लिये १६२८ करोड़ रुपये जो ९० परसेंट को मद्देनजर रखते हुये दो तीन दिनों में प्रयोरिटी करने के लिये रखे हैं जिस को कि मेरे साथी श्री माधो रेड्डी ने अपोज किया है उन्होंने कहा है कि अपनी आर. ई. पी. जितनी स्कीमें हैं उन को अपोज किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह उन की गलत फहमी है या इस लिये वह ऐसा कहते हैं क्योंकि वह २० पाइंट प्रोग्राम के साथ

कोजली रिलेटेड हैं तो उस को शेयर करने के लिये वह उस को अपोज कर रहे हैं। वाकई में यह जो गरीबों के इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं या ट्राइबल इलाके हैं उन में रहने वालों के फायदे के लिये है। शहरों में रहने वाले बड़े बड़े जो बिग गन्स हैं उनके लिये नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह अच्छा स्टेप है इस की यूटिलाइजेशन के बारे में आप आप को स्टेट वालों से प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी चाहिये और जहां जहां कमी है उस को दूर करना चाहिये — UPGRADATION OF STANDARD OF ADMINISTRATION

इस के अलावा कुछ आप ने अपग्रेडेशन और स्टैंडर्डाइजेशन आफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस से कि आठवीं फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी उस के लिये कुछ रकम प्रोवाइड की है। इस में एक वाकई में अपनी कांस्टीचुएंसी का बताना चाहता हूं कि हर एक स्टेट को आठवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बासिस पर फार्मूले की बेसिस पर कुछ अपनी नई स्कीम और इनिशियेटिव के लिये प्रोजेक्ट्स तैयार करने को कहा था। मेरी कांस्टीचुएंसी में दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक करोड़ 49 लाख की स्कीम भेजी थी। ये डिस्ट्रिक्ट वालों ने यह स्कीम सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजी थी और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उस को सेंक्शन कर दिया था। लेकिन जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट मेरी कांस्टीचुएंसी में है उस के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ढीलेपन के कारण या नालायकी के कारण कोई प्रोपोजल सबमिट नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि उन को कुछ नहीं मिला। लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट को रकम मिलते हुये देखी तो स्टेट गवर्नमेंट ने यह किया कि एक करोड़ 49 लाख जो एक डिस्ट्रिक्ट के लिये था उस के लिये कहा कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को बांट कर लेना चाहिये। नतीजा यह हुआ कि यह डिस्ट्रिक्ट का सारा प्रोजेक्ट बिगड़ गया। मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि आप इस के लिये कुछ एडीशनल फंड दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिये दे दें। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट ने कोई अच्छा काम किया और इस के एवज में उन को कुछ ज्यादा INCENTIVE रकम मिली तो उस को बांट कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट दिये जायें यह ठीक नहीं है। इस तरह से उन्होंने जो अच्छा काम किया मेहनत की और नये प्रोजेक्ट्स बनाये फ्रेश जो के लिये उस का वैसी एक्शन अच्छा नहीं होगा। तो मेरी गुजारिश है कि स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज करें कि वह अपने एस्टीमेट प्लान से उस करेक्ट डिस्ट्रिक्ट को कंपनसेट करें नहीं तो जो यह डिस्ट्रिक्ट को मिला है उस को बांट कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिया जाना चाहिये।

मेरी कांस्टीचुएंसी खास कर जो लद्दाख रीजन है जिस में जैसा कि मैं ने बताया दो जिले हैं उन के लिये

جو فنڈ ملتا ہے وہ ۹۰ پرسینٹ گرانٹ اور ۱۰ پرسینٹ لون کی شکل میں ملتا ہے۔ اس کے لیے پلاننگ کمیشن نے ہمیشہ یہ انسٹرکشن دی ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے لداخ ریجن کے لیے جو بھی پلان پروپوزلس ہوں۔ گو ان کو وہ پورا سینکشن دینا چاہیئے۔ جب بھی اسٹیٹ کی کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی بجٹ میں سے کچھ کرٹیل کرنا چاہتے ہو۔ لداخ ریجن جس میں لیہ اور کارگل دو ضلعے ہیں وہاں سے کوئی کرٹیلمینٹ نہیں ہونا چاہیئے۔ یہ ڈائریکٹیو بار بار دیا گیا ہے۔ لیکن ہوتا ایسا رہا ہے کہ ہمیشہ سینٹر کے انسٹرکشن کے باوجود خلاف اسٹیٹ والے خلافت کرتے رہے ہیں۔ ..

سبھاپتی مہودے: نام گیال جی آپ ۲۰ منٹ لے چکے ہیں۔ دو تین منٹ میں کانکلوڈ کیجیے۔

شری پی نام گیال: میں پانچ سات منٹ میں کانکلوڈ کر رہا ہوں۔

جب بھی اسٹیٹ والوں کا بجٹ کرٹیل ہوتا ہے تو سٹیٹ گورنمنٹ ۱۰ پرسینٹ جو دن کا بوجھ کو بچانے کے لیے ہمارے ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کو اس دائرے میں لے آتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے یہ کہ جو بیک ورڈ ایریاز ہیں وہاں سے کوئی کرٹیلمینٹ نہیں ہونا چاہیئے۔ پلاننگ کمیشن نے جو سینکشن کیا ہے اس کو پوری طرح جانا چاہیئے۔

اس کے ساتھ ساتھ مجھے دوسری بات یہ کہنی ہے کہ اس سال سکستھ فائو ایئر پلان کے خاتمے پر جو بھی ہمارے پراجیکٹس اور اسکیمیں تھیں ان کو نان پلان میں جانا چاہیئے تھا سیونتھ فائو ایئر پلان کے شروع میں انوول پلان میں ان کو پراجیکٹ نہیں کرنا چاہیئے تھا۔ سکستھ پلان کے لاسٹ ایئر میں جتنی بھی نان پلان میں اسکیمیں تھیں ان کو پلان میں بھی رکھا گیا اور نان پلان میں ٹرانسفر نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری کانسٹی چوینسی میں پانچ کروڑ کا نقصان پڑ رہا ہے۔ ہمارے لیے تو نئی اسکیمیں لینے کی گنجائش ہی نہیں رکھا ہے۔ دوسری اسٹیٹس کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن ہمارے سٹیٹ میں تو یہی ڈائریکٹیو ہے اور یہ آپ نے جو فنسل پالیسی بنائی ہے اس کے جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیئے۔ سکستھ پلان کے لاسٹ ایئر میں جو بھی پلان سکیمیں ہو ان کو نان پلان میں ٹرانسفر ہونا چاہیئے تاکہ اسٹیٹ کو اور ہمارے ڈسٹرکٹس کو فائدہ ملے۔

فوڈ سپلائیز کے بارے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر اسٹوریج کپیسٹی بڑھانے کے لیے موڈکارپوریشن آف انڈیا سبسڈی دے رہے ہیں ہماری کانسٹی چوینسی کے لیے بھی ایک اسٹوریج گودام کا پرپوزل پڑا ہوا ہے لیکن ایف سی آئی نے آج تک اس رقم کو منظور نہیں کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے

कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग में पड़े हैं और इन को नुकसान पहुंच रहा है। इस की तरफ भी आप को तवज्जो देने की जरूरत है।

आप ने हिल और ट्राइबल एरियाज में इंडस्ट्रीज के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए २५ करोड़ की रकम रखी है। इस सिलसिले में मेरी आप से गुजारिश है कि जहां भी हिल्ली और ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो लग नहीं सकती है इस लिए जो छोटी छोटी फैक्टरीज हैं जैसे वाच असेम्बली फैक्टरी है। टी वी रेडियो असेम्बली फैक्टरीज जो कि छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उन को उन एरियाज में तरजीह दी जानी चाहिए जो कि अभी तक नहीं हो रहा है।

आखिर में मैं डिमांड नम्बर ४८ और डिमांड नम्बर ९० पर दो एक बातें कहना चाहूंगा गवर्नमेंट आफ इंडिया और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में पिछले चार सालों से लद्दाख रीजन को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के बारे में खत व किताबत चल रही है और इस हाउस में बार बार यह बातें उठाई गई हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल रही है और स्टेट गवर्नमेंट सेन्ट्रल पर डाल रही है। चार साल की कारसपांडेंस का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। मैं जनरल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वह यहां से किसी मिनिस्टर को श्री नगर भेजें और वहां के चीफ मिनिस्टर व कैबिनेट से डिसकस करा के आर्टिकल ३४२ को हमारी स्टेट पर लागू कराने की मेहरबानी करें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हमारे लोग अभी तक बड़ी पेशेन्स के साथ बैठे हुए हैं। आप को पता ही है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वह काफी सेन्सेटिव बार्डर पर है और वहां साइन सेक्टर और कारगिल सेक्टर में जोर किया हो रहा है। आप को महसूस होना चाहिए कि २०-२२ हजार फुट की ऊंचाई पर हमारे जवान बैठे हुए हैं और बर्फ में रहने से किसी की बाजू कट गई है तो किसी का पैर कट कट गया है। अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। इस थोड़ी सी कन्सेशन के लिए चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो पता नहीं क्यों मुश्किलात पैदा हो रही हैं यह एक ज्वलंत स्टेप है जिस तरह से आप ने सोचा है और जन जाति के लिए पर पांच दस साल के लिए यह कन्सेशन एक्सटेंड करने जा रहे हैं तो वहां भी यह सुविधा दे दीजिए। हमारी केन्द्र व राज्य सरकार से गुजारिश है कि वह इस मुद्दे की ओर तवज्जो दें। हमारा रीजन आज तक देश के इतिहास के लिए लड़ रहा है, जब भी हमारे देश से किसी ने लड़ाई लड़ी है हमारा सिपाही देश के प्रति लायल रहा है। हमारे सेक्टर में सन १९४८ में लड़ाई लड़ी गई उस के बाद १९६२ - १९६५ - १९७१ में जंग हुई उन सब लड़ाइयों में भी हमारे लोग

سب سے آگے رہا ہے

وہاں کے لوگوں نے دیش کے پرتی قربانیاں دی ہیں۔ بہت سے جوان مارے گئے ہیں۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہی سیکٹر کو آگے بھوشے میں لڑائیاں لڑنی پڑیں گی۔

میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس اور دھیان دے کر کوئی جلدی سے جلدی ڈسیزن لیں۔

اب ایک بات میں صرف ہلی شیتر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ کملا نہرو غازی آباد اتر پردیش میں ایک وشیش کیندریہ ودیالے ہے۔ اس ودیالے میں لداخ ہماچل پردیش اتر پردیش کے پہاڑی علاقے سکم اروناچل پردیش اور منی پور آدی پردیشوں سے ۵۰۔ ۴۰۔ بچے ہر سال لاکر شکشا کے داخل کیے جاتے ہیں۔

اس اسکول میں وہ ابھی حال ہی میں پرانے اسکول سے شفٹ ہوئے ہیں لیکن اس بلڈنگ کی حالت خراب ہونے لگی ہے۔

الیکٹرک فٹنگ خراب ہے۔

ڈرینیج کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے۔

میری ہاؤسنگ منسٹر سے گزارش ہے کہ وہ وہاں جاکر وہاں کی حالت کو دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ضروری کاروائی کریں۔

ان چند شبدوں کے ساتھ میں منتری مہودے دارا پرستت سپلیمنٹری ڈمانڈ کا سمرتھن کرتا ہوں۔

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने जो विनियोग विधेयक, 1985 सदन में उपस्थापित किया है, मैं उसका स्वागत और समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय, जिन विभागों के लिए निधि का प्रयोजन आवंटित है, वे सही कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ इतनी ही कमी है कि महिलाओं के विकास के दर पर अलग प्रावधान नहीं हैं। विकास पर ध्यान तो दिया जा रहा है, जिसके लिए हमारे प्रधान मन्त्री जी भी चिन्तित हैं, उनकी चेष्टा है कि महिलाओं का चतुर्दिक विकास हो, महिलाओं में शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इन सब बातों के लिए अलग से प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गई है, यदि यह अलग से प्रावधान किया जाता तो और भी अच्छा होता। फिर भी मुझे आशा है कि जिस प्रकार से हमारे वित्त मन्त्री जी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील है, वह सराहनीय है।

मैं आंकड़ों में न जाकर, सिर्फ दो-चार बातों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। विकास के कामों की ओर हमारी सरकार की काफी राशि व्यय होती रही है, लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी के कारण जो लाभ जनता को होना चाहिए था, वह लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतने वर्षों के बाद भी हम अगर आज गांवों में जाते हैं, तो देखते हैं कि उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। अनेक माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों के भवन ही नहीं हैं। अगर भवन है भी, तो बेमरम्मती की हालत में है, बच्चे वर्षा में बाहर पढ़ते हैं। महिलाओं को मीलों चल कर स्वास्थ्य उपकेन्द्र में आना पड़ता है, यातायात के साधन नहीं हैं। यह सोचने की बात है, 38 वर्षों की आजादी के बाद, छः पंच वर्षीय योजनाओं के बाद भी यह स्थिति है, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं कोई त्रुटि अवश्य रह गई है, कहीं न कहीं कोई खामी नीति में अवश्य रह गई है जिसके कारण हमारे गरीब लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आने में सन्तोषप्रद उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी भी हमारे गावों में रहने वाले लोगों का जीवनस्तर सन्तोषप्रद नहीं है।

इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि बजट को उपस्थापित करने का जो समय है उसमें परिवर्तन किया जाय। आमतौर पर जो समय अभी निर्धारित है, उसके बाद क्या होता है ? मई महीने में बड़ी बड़ी राशियों का आवंटन राज्य सरकार की तरफ से किया जाता है, चाहे वे सिंचाई की हों, शिक्षा की हों, पेय जल की हों, उसके बाद सरकारी प्रक्रिया शुरू होती है तथा सचिवालय से लेकर नीचे प्रखण्ड तक पहुंचते पहुंचते दो-तीन महीने लग जाते हैं, उसके बाद वर्षा होने लगती है और सारा काम ठप्प हो जाता है। मोटे तौर पर अभियन्ता, ठेकेदार तथा सरकारी अधिकारियों को लाभ होता हो, लेकिन हमारी जनता को कोई लाभ नहीं होता है। मैं उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहती हूं —हमारे यहां, मेरे संसदीय क्षेत्र में, बढ़हिया—मुकामा, ताल योजना बीस-बाईस वर्षों से चली आ रही है। हर वर्ष 40-50 हजार का आवंटन होता है, लेकिन वह सारा आवंटन प्रतिवर्ष किसी भी विकास पर नहीं लगता है। वह सारी राशि कहां जाती है, कैसे उपयोग होती है —पता नहीं चलता है। जो योजना 20-25 सालों से चली आ रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, सरकार को विचारना चाहिए कि वास्तव में वह योजना कारगर है या नहीं ? यदि कारगर नहीं है, तो समाप्त कर दी जानी चाहिए और यदि कारगर है तो कार्यबद्ध तरीके से निर्धारित समय के अन्दर उसको पूरा किया जाए। मैं एक दूसरा उदाहरण देती हूं। हमारे यहां एक पेय जलपूर्ति योजना है। 1967 में सूखा पड़ता था और भारत सरकार ने करोड़ों रुपयों की राशि राज्य सरकार को दी थी। इस समय 1985 चल रहा है और वे योजनाएँ अभी तक पूरी नहीं हुई

है। जब मैं विधान सभा में थी, तब भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था। उसके बाद 1980 में यहां पर उठाया था और अब फिर इस प्रश्न को उठा रही हूं । मैं चाहती हूं कि 1967 से चल रही ऐसी योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए।

सरकार ने एक नीति निर्धारित की थी कि जिस गांव की आबादी 1500 होगी, वहां सड़क निर्माण का कार्य होगा और उसको लिंक-रोड की संज्ञा दी गई थी। आज भी काम जारी है और सड़कें अधूरी पड़ी हुई है। हर साल लाखों लाख रुपए का मैटीरियल खरीद लिया जाता है, और काम कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से इन योजनाओं पर बहुत बड़ी राशि प्रत्येक वर्ष खर्च की जाती है और परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। राशि लाख से करोड़ में परिवर्त होती जाती है। लाभ जनता को शून्य के बराबर इसलिए मेरा सबसे पहला निवेदन है कि बजट के सैशन का समय बदला जाए और सितम्बर तक सारी फार्मेलिटिज को समाप्त किया जाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बजट जुलाई में पेश किया जाए और सारी फार्मेलिटीज सितम्बर में पूरी होने के बाद सितम्बर से लेकर मई तक विकास का काम हो । दूसरा सुझाव—दीर्घकालीन योजनायें बनाई जायें। हमारे यहां बाढ़ और सूखे से लोग बहुत परेशान हैं। प्रतिवर्ष इस पर यहां भी चर्चा होती है और सरकार अरबों की राशि बाढ़ और सूखे पर खर्च करती है, सब लोग इस बात को जानते हैं कि इसका वास्तविक कारण प्राकृतिक असन्तुलन है। हमारी नदियां और नालों की सफाई नहीं होती है, उनमें पत्थर भर गए हैं, जिससे नदियों का बहाव ऊपर होता जा रहा है और बाढ़ें आ रही हैं। इसलिए ड्रेजर्ज कारपोरेशन कायम होने चाहिए, जो राज्य स्तर पर हों और केन्द्रीय स्तर पर भी हों। ये ड्रेजर्स कारपोरेशन जो नदी में सिल्ट हो जाती है, उसकी सफाई करेंगी। जो छोटी नदियां होंगी, उनको राज्य सरकारें करेंगी लेकिन जो बड़ी बड़ी नदियां हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं है, उनको केन्द्रीय सरकार करेगी। आप को यह देखना होगा कि अगर यह ड्रेजर्स कारपोरेशन बनता है, तो जो दूसरे कारपोरेशन्स हमारी स्टेट में बनाए गए हैं जैसे स्टेट ट्यूबवैल कारपोरेशन बिजली बोर्ड हुआ, उनकी तरह न हो जाए। आज उनकी दुरदर्शा है और उन से जनता को लाभ कम और दूसरे लोगों को ज्यादा लाभ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रयोजन से , जिस हेतु, जिस उद्देश्य से यह ड्रेजर्स कारपोरेशन बनेगा, उसका लाभ जनता को होना चाहिए।

तीसरी बात यह है, जैसा कि हमारे साथी ने कहा है, कि स्टेट्श को हमारी भारत सरकार ने जो ओवरआल एसिसटेंस दी है, वह पहले 13 परसेन्ट थी और उस को बढ़ा कर उन्होंने 39 परसेन्ट कर दिया है और यह एक बहुत अच्छी बात है। इस से हम आशा करते है कि विकास की सम्भावनायें बढ़ेंगीं। यह बात सही है कि सारा काम राज्य सरकारों को एक्जीक्यूट करना है लेकिन भारत सरकार के ऊपर भी एक भारी बोझ पड़ जाता है। आए दिन मूल्य वृद्धि की चर्चा होती है और राज्य सरकारें जो हैं उनको देखना है कि हार्डिंग को किस तरह से बन्द करें और उसके ऊपर कार्यवाही करें ताकि होर्डिंग का काम बन्द हो जाए। हमारी जो अन्य योजनाएं हैं, जैसे कटाव की योजना है, इरोजन हो रहा है और मीलों तक इरोजन होता है, इसके लिए पैसा भारत सरकार देती है, राशि भारत सरकार के द्वारा मिलती है लेकिन एक्जीक्यूट राज्य सरकारों को करना है । मेरा कहना यह है कि भारत सरकार जब राज्य सरकारों को पैसा देती है, तो इन की एकाउन्टेबिलिटी रहती है। यह सही है कि स्टेट्स को यह करना है लेकिन साथ ही साथ पैसे देने के बाद उनकी जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती है बल्कि उन्होंने यह देखना है कि इन सारी योजनाओं के लिए जो पैसा दिया गया है, वह गैर योजनाओं पर तो खर्च नहीं हुआ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। विकासोन्मुख योजना होनी चाहिए। इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहती हूं कि 100 जिलों में जो मोडल स्कूल बनाने का

प्रस्ताव है, मेरा अनुरोध यह है कि 100 जिलों में ही नहीं बल्कि हमारे देश में जितने जिले हैं, उन सभी जगहों पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाए। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इसके लिए अगर अधिक राशि भी आपको खर्च करनी पड़े, तो वह की जाए लेकिन सारे देश के जिला स्तरों पर इस योजना को लागू किया जाए। बड़ी बड़ी योजनायें तो होती ही रहेंगी और उनमें कोई व्यवधान करने की आवश्यकता मैं नहीं समझती हूं लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि छोटी योजनायें जो पहले हुआ करती थीं, वे आजकल नहीं होती हैं। लोग कहते हैं कि ब्लाक स्तर पर विकास पदाधिकारी इनको किया करेंगे जैसे कुओं की सफाई है, खुदाई है, छोटी छोटी बोरिंग हैं, हैंड-पम्प्स हैं या ट्यूबवेल्स हैं, ये सब लगाने का जो काम है, वह आजकल ठप्प पड़ गया है। वहां पर काम नहीं चल रहा है और लगता ही नहीं है कि गांव में विकास की गति है। इसलिए इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर छोटी छोटी सारी समस्याओं का मैं यहां उल्लेख करूँ, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा लेकिन बीमारी का इलाज करना है, तो बीमारी के जो सिम्पटम्स हैं, उनका इलाज करने के पहले। बीमारी की जो जड़ है, उस जड़ को मन्त्री महोदय नहीं निकालेंगे, तो यह समाप्त होने वाली नहीं है।...(व्यवधान)...मैंने पहले बताया है कि राज्य सरकारों को केवल निर्देश नहीं देने हैं बल्कि टाइम्स बाऊन्ड प्रोग्राम उनको करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए और उनसे लेखा-जोखा आपको लेना है।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि आर० एल० ई० जी० पी० के अन्दर स्टेट्स वहाँ से योजनायें भेजती हैं चाहे सड़क की योजना हो या सिंचाई की योजना हो राज्य सरकार को 5 हजार किलोमीटर सड़क बनानी है और यहां से स्वीकृत हो कर वह चली जाती है लेकिन मेरा कहना यह है कि ब्लाक-वाइज मास्टर प्लान बनाना चाहिए। हम रोज क्षेत्रीय असन्तुलन की यहां बात करते हैं लेकिन हम अपने यहाँ देखते हैं कि एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड के विकास में असन्तुलन है। इसलिए चाहे, सड़कें हों, चाहे स्कूल हों, चाहे अस्पताल हों, ब्लाक का मास्टर प्लान बनना चाहिए। यह मास्टर प्लान, हमारी जो एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० या और जो ऐसी योजनायें हैं उनका बनना चाहिए और इसमें अलग अलग प्रखंडों की योजनायें यहां आनी चाहियें। इसमें इन्सेन्टिव देने का भी प्रावधान होना चाहिए। जिस ब्लाक का काम अच्छा हो, उस ब्लाक को प्रोत्साहन देना चाहिए, विशेष मदद उसकी होनी चाहिए।

अन्त में मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने दो सौ करोड़ रुपए की केपरो लेक्टम प्रोजेक्ट की योजना हमारे क्षेत्र में दी है। हमें आशा है कि इससे हमारे यहां के बहुत सारे नौजवान लोगों को नौकरी मिलेगी। इसके बारे में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस योजना का क्रियान्वयन समय पर किया जाए, इसे सही जमीन पर उतारा जाए ताकि जो लोगों को आशा बंधी है कि हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा वह उनकी आशा पूरी हो। इसको एक टाइम-बाऊण्ड प्रोग्राम के अन्तर्गत पूरा किया जाना चाहिए। नहीं तो जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे इस योजना का खर्चा बढ़ता जाएगा।

इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय, जब इस वर्ष मार्च में मैंने बजट पर भाषण दिया तो मैंने कहा था कि 1984 की भांति, जो घाटा बजट में दिखाया गया था वह स्वतः ही तीन चार गुणा हो जाएगा। 1984 के बजट में शुरू में करीब 1600 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया

था जो कि अन्त में तीन गुणा हो गया। और इस वर्ष भी मैंने ऐसा ही कहा था। हमें इन अनुपूरक मांगों के रूप में इसकी पहली किस्त प्राप्त हो गई है।

यदि मुझे ठीक से याद है तो शुरू में बजट में 3349 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था और अब इस घाटे में 3872 करोड़ रुपये की और वृद्धि करने का प्रस्ताव है। हमें इस समस्त राशि को घाटे के रूप में मानना है क्योंकि इसके विपरीत और कोई टिप्पण नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार के बेहतर कार्यकरण के तथाकथित प्रयासों अथवा उनके कर प्रस्तावों को बेहतर ढंग से लागू करने से वह इस घाटे में कुछ कमी कर पाएंगे और इसलिए घाटा उतना नहीं होगा जितना कि ऐसे मालूम होता है। इन पत्रादि में इस प्रकार के किसी वक्तव्य अथवा नोट के न होने से हम यह मान कर चलते हैं कि यह राशि बजट घाटे में जोड़ दी जाएगी जो कि पहले से ही बजट प्रस्तावों में मौजूद है। इसका मतलब होगा कीमतों पर और दबाव। मैं घाटे के बजट के विरुद्ध नहीं हूँ लेकिन यह देखिए कि हम किस प्रकार का खर्च कर रहे हैं और यह अतिरिक्त राशि किसलिए चाहते हैं। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त 121 करोड़ रुपये देकर ग्रामीण क्षेत्र के स्रोतों में छोटे मोटे अन्तरण के विरुद्ध नहीं हूं। ठीक है, लेकिन इससे 3800 करोड़ रुपये का जवाब नहीं मिल जाता। इसमें से 1600 करोड़ रुपये जो कि राज्यों को अपने ओवर ड्राफ्ट का 90 प्रतिशत कवर करने के लिए मध्यम अवधि ऋण के रूप में दिया जा रहा है, वह अनावश्यक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राज्य रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रहे थे और आप कह सकते थे कि इस सीमा से आगे आप धन नहीं ले सकते। अब इसे मध्यम अवधि ऋण में बदलने से मैं नहीं जानता कि किसका भला होगा और किस प्रकार भला होगा और उस पर ये कहना कि उनकी सीमा इतनी है। उसके लिए भी राज्यों को अर्थोपाय ऋण देने पड़ेंगे। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री हमें यह बता सकेंगे कि इससे किसका लाभ होगा। क्या यह केवल राज्यों पर एक प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने के लिए है अथवा इससे वास्तव में किसी को वित्तीय आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचता है हम इस बात को जानना चाहेंगे।

कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें यदि पहले ही कार्यान्वित किया जाता तो यह अतिरिक्त बोझ न पड़ता। राज्यों को राजस्व के लिए नया स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष संविधान में संशोधन किया गया था। मेरे विचार से यह छियालीसवां संशोधन था जो कि परेषित माल पर कर लगाने के लिए किया गया था। परन्तु उस विधान को अभी तक संविधि पुस्तक में शामिल नहीं किया गया है। केवल संसद ही यह काम कर सकती है। लगभग एक वर्ष बीत गया है और अब तक विधेयक यहां पुरःस्थापित नहीं किया गया। इससे राज्यों को ये धन देने की इतनी आवश्यकता न रहती क्योंकि उन्हें वित्त प्राप्ति के लिए एक और स्रोत मिल जाता। यद्यपि आपने (संविधान) संशोधन विधेयक शीघ्रता में पारित किया, तथापि आपने यह विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया। इस पर आप अब विचार कर रहे हैं!

श्री पुजारी जी ने संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था, जिसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया गया है, कि ये एक नई सरकार है और इसलिए इस पर दोबारा विचार करना होगा कि परेषित माल पर कर लगाया जाये या नहीं, जैसे कि जब नया प्रधान मन्त्री का मन्त्री मण्डल बने तो सरकार की निरन्तरता टूट जाती है। मन्त्री महोदय जितनी जल्दी यह समझ जायेंगे कि सरकार का कार्य निरन्तर चलता रहता है उतना ही यह हमारे और देश के लिए बेहतर होगा। मुझे आशा है कि परेषित माल पर कर प्रस्ताव सम्बन्धी विधेयक को एक तरफ नहीं रख दिया जाएगा और इसे

राज्यों में स्रोतों में वृद्धि करने के लिए पुनःस्थापित किया जाएगा ताकि केन्द्रीय सरकार के लिए प्रतिपूर्ति अथवा उन्हें अधिक धन देने की अनिवार्यता न रहे।वो राज्यों को हमेशा अधिक धन दे सकते हैं और हमने सदा यही दावा किया है कि राज्यों को स्वास्थ्य शिक्षा, जलपूर्ति, कृषि और न जाने किन-किन संवैधानिक कर्तव्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है क्योंकि वह लोगों के अधिक नजदीक है और उन्हें लोगों की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकारों को स्रोत उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं और केन्द्रीय सरकार ऐसा शीघ्र ही करे। अन्यथा राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकेंगी।

कुछ ऐसे खर्च हैं जो केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सरकार सक्षम नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। भारतीय खाद्य निगम को 250 करोड़ रुपये की राज सहायता दी जा रही है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद और बिक्री की कीमत में क्या अन्तर है? यह अन्तर 90 पैसे प्रतिकिलो है और फिर भी भारतीय खाद्य निगम को यह राज-सहायता दी जा रही है। इसका मतलब है उनके अतिरिक्त व्यय, अत्याधिक है और सामान की सार-संभाल और भंडारण आदि में होने वाला घाटा काफी है। इसलिए यह पैसा राजकोष से देना पड़ता है। यह सक्षमता न होने के कारण है। राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम को लगभग 45 करोड़ रुपया राजकोष से देना पड़ता है। क्यों? कारण वही है, सक्षम न होना। राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम जितनी बड़ी सभी गैर-सरकारी जूट मिलों ने लाभ कमाया है। राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम में सात या नौ मिलें हैं—मुझे ठीक से याद नहीं है। वे मिलें पटसन उद्योग की अगुआ थीं। वे मिलें कुप्रबन्ध अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा स्रोत ले लिए जाने के कारण रुग्ण हो गईं। अच्छे प्रबन्ध के साथ ये मिलें मुनाफा कमा सकती हैं और यदि परम्परागत तरीके से खरीद-फरोख्त न हो और यदि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के साथ-साथ कीमतों में भी वृद्धि न हो तो कार्य में परिवर्तन लाने की सम्भावना हमेशा रहती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये मिलें, जो कि सरकारी नियंत्रण के अधीन श्रेष्ठतम मिलें हैं, कार्य में विविधता क्यों नहीं ला सकतीं जिससे वे लाभ भी कमा सकें और सरकारी कोष से सहायता प्राप्त किए बिना ही चल सकें। महोदय, मुझे मालूम है कि बांग्ला देश में नई मिलें जूट के ऐसे कालीन बना सकती हैं जो कि ऊनी कालीनों जैसे हैं। उसे ऊनी-जूट कहा जाता है। थाईलैंड में ही दो जूट मिलें हैं जिनमें से एक में केवल कालीन ही बनाए जाते हैं। भारत में हम जूट उद्योग में सबसे पुराने हैं और तकनीकी जानकारी होने के बावजूद हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यदि सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है तो या तो सरकार सक्षम नहीं है या फिर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आत्म-निर्भर, लाभकारी और कार्यकुशल बनाने की सरकार की नीति नहीं है।

तीसरे 3.46 करोड़ रुपये की छोटी-सी राशि रुग्ण चाय एककों के राष्ट्रीयकरण के लिए दी

5.00 म० प०

गई है। ये रुग्ण चाय एकक एक अम्बे अर्से से, कम से कम पिछले 8 या 10 वर्षों से, केन्द्र-सरकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और आज वे कहते हैं कि इनके राष्ट्रीयकरण पर 3.46 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जानी है। क्यों? जब ये एकक सरकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत काम कर रहे थे तो हमने पहले ही इससे काफी अधिक धन खर्च कर दिया था। क्या आपने उन मालिकों को क्षतिपूर्ति देनी है जो काम छोड़कर भाग गए थे? मैं खुद इनमें से दो बागानों में गया हूँ। इनमें से एक पशोक चाय बागान है। मुझे नहीं मालूम कि आपने पशोक चाय बागान के लिए कितनी क्षतिपूर्ति का हिसाब लगाया है। जब मैं वहाँ गया और मैंने पूछा कि सरकार द्वारा प्रबन्ध अपने हाथ में लेने से पहले क्या स्थिति थी। उन्होंने बताया कि चाय बागान का मालिक वर्ष में केवल दो माह के लिए वहाँ आते थे

और जितना भी अधिक से अधिक सम्भव होता, चाय की पत्ती लेकर चले जाते थे और केवल उन्हीं दो महीनों के लिए कामगरों को तनख्वाह या मजदूरी मिलती थी और अगले दस माह इन मजदूरों को अपने लिए खुद इन्तजाम करना पड़ता था क्या आपने इस प्रकार के नियोक्ताओं को क्षतिपूर्ति देनी है जिनके लिए ये 3.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ? आज जब चाय उद्योग की हालत बेहतर है तो कोई अपने चाय बागान छोड़कर नहीं जाएगा । किंतु दस वर्ष पूर्व जब टी० टी० सी० आई० ने इन चाय बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया तो इनकी हालत बहुत खराब थी इसलिए इनके मालिकों ने इन्हें छोड़ दिया था । अब उन्हीं चाय बागानों के लिए जिन्हें उनके मालिकों ने छोड़ दिया था आप 3.46 करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के लिए रख रहे हैं । अतः यह सरकार की अयोग्यता है जिसके कारण वे सार्वजनिक धन का अपव्यय कर रहे हैं । दूसरी वे आपत्तियां हैं जो कि वास्तव में आपत्तिजनक व्यय के बारे में हैं जिनके लिए सरकार धन मांग रही है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेष के लिए 400 करोड़ रुपये । क्यों ? क्या राष्ट्रीयकृत बैंक धन नहीं कमा सकते ? एक वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया जाता है ? यह 50,000 करोड़ के लगभग नहीं है और 50,000 करोड़ में से क्या वे इतना लाभ नहीं कमा सकते कि वे अपनी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें । वे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए धन चाहते हैं । क्यों ? ऐसा या तो अयोग्यता, कल्पना शक्ति की कमी, कार्यकुशलता में कमी अथवा अदूरदर्शिता के कारण है या फिर इन सभी के अलग-अलग संयोजन के कारण ।

साथ ही दिल्ली नगर निगम को विद्युत उत्पन्न करने के लिए 75 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है । आप और किस राज्य सरकार को 75 करोड़ या लगभग इतना ही ऋण दे रहे हैं ? किसी को नहीं ? तो आप दिल्ली नगर निगम को ही इतना ऋण क्यों दे रहे हैं ? हजारों नगर निगम हैं और कम से कम 4 या 5 ऐसे महानगर हैं जहां पर लोग बिजली की कमी के कारण परेशान हैं परन्तु आप इन्हें ऋण नहीं दे रहे । क्या भारत सरकार द्वारा सरकारी निधि केवल दिल्ली के लिए ही एकत्रित की जाती है ? सभी महानगरों में लोग बिजली की कमी के कारण परेशान है । राजधानी होने का अर्थ यह नहीं कि यहां के लोगों को अधिक बिजली की आवश्यकता है या उन्हें अधिक बिजली की सप्लाई की जानी चाहिए । आप ऐसा प्रबन्ध कीजिए कि सभी सरकारी दफ्तरों में बिजली हो । आप सभी महानगरों को 75-75 करोड़ रुपये देते हैं अन्यथा यह साफ तौर पर भेदभाव है ।

इसी प्रकार आप दिल्ली विकास प्राधिकरण को अर्थोपाय ऋण के रूप में 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं । क्यों ? प्रत्येक महानगर में विकास प्राधिकरण हैं । क्या आप उन्हें एक पैसा भी दे रहे हैं ? नहीं । आप केवल दिल्ली को ही दे रहे हैं । दिल्ली तो पहले ही भारत का सर्वाधिक विकसित शहर है और आप यहां और धन दे रहे हैं ।

एक और अजीब बात यह है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भारत सरकार के उपक्रमों में सबसे अधिक धनाढ्य है । इस आयोग को अपने जहाजों तट से दूर संचालन करने के लिए एक नए शिपयार्ड की आवश्यकता है । इस शिपयार्ड के लिए सरकार को 19 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे । पुजारी जी, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कितना लाभ हो रहा है । क्या यह 700 से 900 करोड़ रुपये हैं ? किन्तु वे शिपयार्ड के लिए भुगतान नहीं कर सकते । मैं प्रत्येक मद के बारे में नहीं बोल रहा । मैं केवल कुछ मदों के बारे में बोल रहा हूँ । लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये व्यय बिल्कुल आपत्तिजनक है क्योंकि क्या एक निगम जो कि 700 करोड़ से 900 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा है, अपने लिए एक शिपयार्ड बनवाने के लिए धन नहीं दे सकता जो कि केवल इसके ही काम आएगा ?

यहां यह बताया गया है : इसे अन्य कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वो जहाज ही इसमें रखे जायेंगे जो तट पर नहीं हों। इस काम के लिए शिपयार्ड की आवश्यकता है और इसका भुगतान सरकार करेगी।

साथ ही सबसे अधिक हास्यास्पद बात है सिक्कों का आयात करना। हमारे पास कितनी टकसालें हैं ? एक बात मैं जानता हूँ कि कलकत्ता स्थित एक साल की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है। एक बार मुझे इस टकसाल की जांच करने का अवसर मिला था। यह अपनी क्षमता का एक-चौथाई भी उपयोग नहीं करता जाता। आप इस देश में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग नहीं करते और विदेश से सिक्कों का आयात करते हैं। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में भी सिक्कों का आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्हें यहीं बनाया जाता था। सरकार इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब वह यह काम भी नहीं कर सकती।

कुछ व्यय ऐसे है जिन्हें मैं अविवेकपूर्ण कहूंगा अर्थात् आप विशाखापटनम इस्पात सयन्त्र के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये और नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी के लिए अरिरिक्त 290 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। आपको यह बताना ही होगा कि कुल अनुमानित व्यय कितना है, कितना खर्च किया जा चुका है; और इस अतिरिक्त धन के साथ कुल व्यय कितना होगा। इस व्यय का क्या प्रभाव होगा इस बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। क्या यह ऐसा व्यय है जिसका परिणाम अगले वर्ष या उससे भी एक वर्ष बाद सामने आएगा या फिर इसके परिणाम के लिए हमें 10 वर्ष इन्तजार करना पड़ेगा ? विशाखापटनम इस्पात संयंत्र को पूरा करने के बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है ? मुझे बताया गया है कि कुल अनुमानित व्यय 7000 करोड़ रुपये से अधिक है, और इस अतिरिक्त 300 करोड़ के साथ इस पर इस वर्ष का व्यय लगभग 485 करोड़ रुपये हो जाएगा। इससे आपको क्या प्राप्त होगा ? क्या इसका यह मतलब है कि इसे अगले वर्ष पूरा किया जाएगा; या इसे अगले दस वर्षों बाद पूरा किया जाएगा। यदि यह अगले वर्ष पूरा हो जाएगा तो मैं इस अतिरिक्त व्यय के लिए आपकी पूर्ण सहमति देता हूँ क्योंकि अगले वर्ष तक आपको इसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। परन्तु यदि यह अगले दस वर्षों में पूरा होगा तो आपको अभी यह व्यय नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप पहले ही ऐसे व्यय के कारण अर्थ-व्यवस्था पर काफी दबाव डाल रहे हैं जो कि कम समय में तो निष्फल ही रहेंगे। इससे अभी कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा; आप यह कार्यक्रम 3 या 4 वर्ष के लिए बना सकते थे और उसमें अधिक व्यय करने से आप शीघ्र परिणाम प्राप्त कर सकते थे।

मैं विशाखापटनम इस्पात संयंत्र के विरुद्ध नहीं हूं। हमें उस इस्पात संयंत्र की आवश्यकता है। लेकिन पहले से मौजूद इस्पात संयंत्रों को मरम्मत करने से हमें बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। सरकार ऐसा नहीं सोच रही है। हो सकता है वे सोच रहे हों लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आज भी इतने ही इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं जितना कि 20 वर्ष पहले करते थे। मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन में, 15 वर्ष पूर्व, 1970 में बोकारो इस्पात संयंत्र में काम चालू होने के बाद से वृद्धि नहीं हुई है। अतः यह स्थिति है; और वहां भी हम 60 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अतः क्यों न शेष क्षमता का उपयोग किया जाये। उसके लिए हमें ऐसे बड़े उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे जिनमें इस्पात का प्रयोग होता है। यदि हम जितने इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं उसके अतिरिक्त 50 लाख टन का और उत्पादन करें तो इससे इस्पात की भरमार हो जाएगी। क्यों ? क्योंकि ऐसे अधिक उद्योग नहीं हैं जो इस्पात का प्रयोग करें। इसलिए इसमें पैसा लगाने की बजाए हमें ऐसे उद्योग लगाने चाहिए जिससे इस्पात का इस्तमाल बढ़े। हम इस्पात बनाने में धन लगा रहे हैं अर्थात उल्टा काम कर रहे हैं जो कि सरकार आम तौर पर करती है।

मैं इसे अविवेकपूर्ण व्यय समझता हूँ क्योंकि यह समय इस व्यय के लिए उचित नहीं है, हमने पहले ही पिछले बजट में लगभग 3349 करोड़ रुपए का दबाव अर्थव्यवस्था पर डाला हुआ है। अब आप अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त 3800 करोड़ रुपए का दबाव डाल रहे हैं। आप पहले ही बता चुके हैं कि इस वित्तीय वर्ष में अनुपूरक माँगों का यह पहली खेप है। तो आप हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अनुपूरक मांगों का दूसरा और तीसरा बैच भी आएगा। और यही अन्त नहीं होगा। अगली बार सम्भव है आप 5000 करोड़ रुपए और बाद में और अधिक धन राशि वाली अनुपूरक मागें पेश करें। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप अगली अनुपूरक मांग करें तो इससे मार्ग निर्देश प्राप्त करें। इस तरह के खर्च नहीं करिए जिनके परिणाम अब से सात, आठ या दस साल बाद मिलें। अनुपूरक मांगों में ऐसी मदों पर आप को ऐसे खर्च का प्रावधान करना चाहिए जिसका परिणाम शीघ्र मिले। ऐसी अनेक परियोजनाएँ जो 7 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए जैसी राशि की कमी के कारण रुकी पड़ी हैं। आप उन्हीं पर खर्च केन्द्रित करें और परिणाम पाने के लिए उन्हें पूरा करें, न कि इस प्रकार अनुपूरक बजट पेश करें। हाँ, यह अवश्य है कि मंजूरी मिलने का यह अर्थ नहीं है कि आप धन खर्च कर सकेंगे, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। जिस बात की मुख्य रूप से कमी है, वह है— धन को कहाँ खर्च किया जाना है उसके प्रति सजगता। अर्थात् इस बात के प्रति सजगता की कमी है कि 70 प्रतिशत भारतीय अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। धन को ग्रामीण उद्योगों और कृषि पर व्यय किया जाना चाहिए। कुल 3,800 करोड़ रुपयों में से हम ग्रामीण क्षेत्रों पर कितना खर्च करते हैं? अर्थात्, 300 करोड़ रुपए भी हम उन पर खर्च नहीं करते। यह तो सरकार का रवैया है। यह जनता की सरकार नहीं है, यह सरकार बड़े व्यापारियों के लिए है और इसीलिए इस्पात-संयंत्रों पर बल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आंध्र से मांग आई है ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके सभी ठेके पहले से तैयार हैं, इन ठेकों पर जल्दी हस्ताक्षर होने हैं अतः ससंद द्वारा इस धनराशि के लिए मंजूरी दी जानी है। अतः यह सरकार बड़े व्यापारियों के लिए है। मूल बजट भी ऐसा ही था और अनुपूरक बजट भी ऐसा ही है। इसीलिए यह अनुपूरक बजट जो हमारे सामने रखा गया है मूलतः व्यापारियों के लिए है और उसी वजह से मैं आपकी माँगों का विरोध करता हूँ हालांकि सभी का तो विरोध नहीं करता, खास तौर से उन माँगों का विरोध नही करता जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ और मेरी इच्छा है कि अगली बार जो अनुपूरक मांगों का बैच प्रस्तुत किया जाए— जिनके लिए कि आप पहले ही सूचना दे चुके हैं—और कभी-न-कभी आप उन्हें पेश करेंगे ही, तब आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कुल धनराशि का 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुपूरक मांगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नियत किया जाए।

[हिन्दी]

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स समर्थन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि जब बजट प्रस्तुत हुआ और इसकी जानकारी लोगों में गई, तो उसका परिणाम सभी के सामने है। सभी तबके के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, इसे एक व्यापक बजट बताया तथा इससे काफी उम्मीदें जोड़ीं। आज यह सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत हुआ है, यह भी एक स्वागत-योग्य बजट है। यह बात तो आप जानते ही हैं कि जब एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का वार्षिक बजट बनाता है, उसके लिए यह कितना कठिन कार्य होता है कि पूरे वर्ष का लेखा-जोखा और खर्च वगैरह का वह किस प्रकार से पूर्वानुमान लगाये।

5.15 म० म०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब पूरे देश की बात होती है तो सहज में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह कार्य कितना कठिन है और अनायास ही यह कह देना कि बेतुका बजट है, यह कोई गम्भीर बात नहीं है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट से जब यह कहा जाता है कि मूल्य में वृद्धि हुई है, मेरे अनुसार यह गलत बात है, क्योंकि यह बात तो अपने आप में स्पष्ट है कि मूल्य वृद्धि का इस बजट से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। यह बात दीगर है कि कुछ वस्तुओं में मूल्य-वृद्धि है और उसके कारण भी अपने आप में स्पष्ट हैं जो पूर्णतः क्षणिक हैं और इसका असर स्थाई नहीं है।

अपने देश में 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और किसानी से अपना जीवनोपार्जन करते हैं। यदि हम यह देखें कि कुछ अंशों में खाद्यान्न के विक्रय के माध्यम से उनके पल्ले कुछ पड़ गया तो कोई चौंकने वाली बात नहीं। यह एक हकीकत है कि हमारी पूरी शक्ति और अपनी सरकार की सम्पूर्ण शक्ति देश के उन तमाम गरीबों को ऊपर उठाने में लगी है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, किसानी करते हैं, लघु-कृषक हैं, भूमिहीन या सीमान्त कृषक हैं। यदि खाद्यान्न की कीमत में कुछ अंशों में वृद्धि हुई तो मैं इसे गलत बात नहीं मानता। इससे अपने देश के गरीब लोगों की अर्थ-व्यवस्था में कुछ फर्क होगा, सुधार आयेगा।

जहां तक ऐसे गरीबों की बात है, जिनके पास खेती की भूमि नहीं है, दीगर साधन नहीं है, मजबूरी से वह अपना उदर-पोषण करते हैं, उनके लिए भी समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। उचित मूल्यों की दुकान के माध्यम से, और यदि ज्यादा गहराई से अपन देखें, मध्य प्रदेश की बात मैं कहता हूँ कि प्रति व्यक्ति 200 रुपए सहकारिता के माध्यम से अपने खर्च करते हैं। यह एक काफी बड़ी बात है कि प्रति व्यक्ति अनुदान के रूप में उचित मूल्य की दुकानों से चीजें मुहैया कराने के लिए हम इतनी बड़ी रकम प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं। जाहिर है इसी प्रकार की व्यवस्था अन्यत्र भी होगी। यह एक अच्छी बात है और इसमें और बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता प्रतीत होती है जो हमें आवश्यक रूप से करनी चाहिए।

इस बात का उल्लेख करना भी मैं अपना कर्त्तव्य मानता हूँ कि उचित मूल्य की दुकानों में कुछ विसंगति पाई जाती है, गड़बड़ी देखने को मिलती है और वह चीजें जो गरीबों को उचित मूल्य से मिलनी चाहियें वह नहीं मिल पातीं कहीं और चली जाती है। ऐसी स्थिति में इसका बहुत ही खराब असर होता है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित मूल्य की दूकानों में जो गड़बड़ी पैदा करते हैं, उन्हें जेल की सजा देना आवश्यक है। ऐसी चीजें जो हम साधारण लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं उसे यदि कोई डकार जाये या गड़बड़ी पैदा करे, तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे अपने देश में छोटे सिक्कों और नोटों की काफी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिये यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने कारगर कदम उठाए। यहाँ तक कि विदेशों से करेंसी नोट मंगाने की व्यवस्था की, किन्तु एक बात मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि यह चूंकि करेंसी का मामला है, हमें अपने देश में ही समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी इन नोटों को और छोटी करेंसी को मार्किट तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आप जानते होंगे कि जब छोटे क्वायन तथा नोट उपलब्ध नहीं होते तो मजबूरन लोगों को राउंड फीगर में बात करनी पड़ती है। जिस चीज का मूल्य एक रुपया 10 पैसे है, उसकी दो रुपये की मांग कर बैठते हैं। इससे अनायास मूल्य वृद्धि हो जाती है जिसके बाद में गम्भीर

परिणाम निकलते हैं। इस दिशा में आप जल्दी से जल्दी कदम उठायें।

आप देखते होंगे कि प्राइवेट सेक्टर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है, लेकिन यही बात जब कुछ पब्लिक सेक्टर की ओर देखते हैं तो काफी गड़बड़ी महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन के कारण तथा अत्यधिक ओवर हेड्स के कारण पब्लिक सेक्टर में उत्तरोत्तर घाटा देखा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए सख्त कार्यवाही की जाय तथा घाटे के तमाम सौदे कैंसिल करें तथा रिसपांसिबिलटी फिक्स करें कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए उत्तरदायी है वह अपना काम ठीक ढंग से करे।

आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्षेत्रफल की हैसियत से सबसे बड़ा प्रान्त माना जाता है और इसमें अनेक विकास खण्ड हैं, जिसमें 110 नये विकास खण्ड बनाने की मांग मध्य प्रदेश शासन ने केन्द्र से की थी, लेकिन किन्हीं कारणों-वश वह अभी लम्बित पड़ी है। उसे अति शीघ्र स्वीकृति देने की कृपा की जाये क्योंकि आप जानते हैं कि इसके माध्यम से काफी कुछ हम गरीब लोगों को ऊपर उठा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है, बहुत सी बातें करना चाहता था, लेकिन अब शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। शिक्षा का एक अहम सवाल हमारे अपने सामने हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्रान्त में सिंगल टीचर स्कूल बहुतायत से पाये जाते हैं। इस पर निश्चित तौर पर आपको ध्यान देना होगा। इनको फूल-टाइम स्कूल बनाने की आवश्यकता है। रेलवे लाइन का जाल हमें पूरे देश में बिछाना चाहिए। एयर सर्विसेज की बात को गम्भीरता से सोचना चाहिए। जगह जगह पर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध हों इसलिए हवाई अड्डे बनाने की आवश्यकता है। टी० वी० सेंटर की बात तो बहुत जोरों से उठायी जाती है और खास कर पिछड़े क्षेत्रों में जहां से मैं चुनकर आता हूं, मेरे सरगुजा जिले में टी० वी० सेंटर का होना बहुत आवश्यक है।

इसी प्रकार से नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट जो हैं जहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां पर इंडस्ट्री स्थापित करने की व्यवस्था निश्चित तौर से होनी चाहिए। पेय जल के मामले में अपना देश बहुत पीछे है, उसमें भी समुचित विकास की आवश्यकता है। सिंचाई के साधनों पर भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्त में एक बात और कहूंगा कि वन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके लिए भी हमें समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सप्लीमैंट्री डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड्स का मैं अनुमोदन करता हूं लेकिन मुझे दो तीन बातें इस विषय में कहनी है। मैं प्रोफेशनल पालिटिशियन नहीं हूं। अखबार की दुनिया से राजनीति में आया हूं। इसलिए बहुत सी बातें अखरती हैं। मैं जब अपने क्षेत्र में जाता हूं या अन्य देहातों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जो पैसा खर्च हो रहा है उसका सौंवा भाग भी गरीबों को नहीं मिल पाता है।...(**व्यवधान**)...बिहार की बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसको साबित कर सकता हूं कि उसका सौवां हिस्सा भी गरीबों को नहीं मिल पाता है। वह पैसा कान्ट्रैक्टर को मिलता है, इंजीनियर को मिलता है या बिचौलियों को मिलता है जो इनकी दलाली का काम करते हैं। आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स में रूलर लैंडलेस एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम पर 121 करोड़ रुपया दिया है और रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट को 42 करोड़ रुपया दिया है। और भी बहुत सा खर्चा दिया है लेकिन मैं यही कहूंगा कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था है उसको मानिटर करने की, सुपरवाइज करने की और पता लगाने की कि यह रुपया कहां खर्च होता है? मैं उत्तरी बिहार से

आता हूँ। वहाँ प्रति वर्ष बाढ़ से हजारों लाखों लोग पीड़ित होते हैं और करोड़ों रुपया खर्च होता है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल उसमें हो रहा है। सड़क बनाने का काम बाढ़ के ठीक पहले शुरू होता है और फिर वह सारी सड़कें बाढ़ में बह जाती हैं। कितनी सड़कें बनती हैं यह किसी ने पता करने का प्रयास नहीं किया। यह बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। दुर्भाग्य यह है कि सारा देश इसको समझ नहीं रहा है। एक छोटा सा तबका अमीर से अमीर होता जा रहा है। इससे लोगों में आक्रोश है। एक आदमी जो सिविल इंजीनियर है वह पाँच छः साल में करोड़ों का आदमी बन जाता है, एक बी० डी० ओ० दसियों लाख का आदमी बन जाता है। क्या यह व्यवस्था कभी खत्म नहीं होगी ? देश को हम आगे ले जा रहे हैं, हम लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं लेकिन वास्तविकता से हम बहुत पीछे हैं। वह फायदा लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कल कहा कि नेपाल और उत्तर प्रदेश के कारण उत्तरी बिहार के लोग बाढ़ से तबाह हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात तो मैं नहीं करूँगा, वे अपने ही लोग हैं लेकिन नेपाल के कारण हर साल हमारे हजारों लाखों लोग बाढ़ से तबाह हो जायें और इस बाढ़ को लोग अपनी आमदनी का जरिया बनावें—इससे बढ़कर दुःखद बात और क्या हो सकेगी ? कभी किसी ने पता लगाने का प्रयास किया कि उन लोगों की क्या गल्ती है जो साल में तीन से छः महीने बाढ़ की चपेट में पड़े रहते हैं, या तो मचान बनाकर रहते हैं या नावों में रहते हैं। वे आदमी की जिंदगी नहीं जी सकते और उनको राहत पहुंचाने के लिए जो पैसा आता है वह ब्यूरोक्रैट्स की जेब में जाता है, दूसरे लोगों की जेबों में जाता है और उनको कभी कुछ नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, अब 5.30 बज गए हैं। वे कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष तो मैं हूँ, इसे मैं ही करूँगा। मैं आपके हित का भी ध्यान रखूंगा। आप बैठ जाइए। डा० राजहंस यदि आप अपनी बात कहना चाहते हैं। तो कल कहिएगा।

5.32 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा

चीनी के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा करेंगे। विषय है चीनी के मूल्य में वृद्धि। श्री मूलचन्द डागा, जरा संक्षेप में प्रश्न में बोलिए और केवल प्रश्न ही पूछिए।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने 29 जुलाई के तारांकित प्रश्न संख्या 85 के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा उठा रहा हूं।

मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज भी बाजार में 8 रुपए 50 पैसे प्रति किलो चीनी मिल रही है। मेरे पास यह कैशमेमो है—गोयल स्टोर्स ग्रासरीज, जनरल प्राविजन मर्चेन्ट्स. कृष्णा मेनन मार्ग, नयी दिल्ली का—वन किलो शुगर—रूपीज 8.50। यह मेरे पास परसों का कैशमेमो है, आप चाहें तो टेबल पर भी रख सकता हूँ।

दूसरी तरफ आज लन्दन में दो रुपए प्रति किलो चीनी मिल रही है और यहां पर साढ़े 8 रुपए का भाव है। आप चाहें तो इस बिल को बेरीफाई कर सकते हैं।

मैं समझता हूँ सरकार की कोई शुगर की नीति नहीं है। सरकार कहती है कि हम कन्ट्रोल से चीनी बेचना चाहते हैं लेकिन क्या मन्त्री जी मुझे बतायेंगे कि दूर-दराज के गांवों में हमारे जो उपभोक्ता हैं, उन तक आपकी चीनी पहुँच जाती है ? एक चीनी तो कन्ट्रोल में मिलती है। दूसरी सुपर मार्केट में मिलती है और तीसरी ओपेन मार्केट में मिलती है। यह जो आपकी इम्पोर्टेड शुगर है उसको आपने किस प्रकार से रेलीज किया है ? आपके पास जो शुगर स्टाक है उसका साल 1 अक्तूबर से शुरू होता है और 30 सितम्बर को समाप्त हो जाता है। इस साल के शुरू में आपके पास लगभग 24 लाख टन चीनी का स्टाक बचा था और 60 लाख टन का उत्पादन हुआ है। इसके बाद आपने दस लाख टन चीनी आयात करने का निर्णय ले लिया। आपके पास 95 लाख टन चीनी मौजूद थी और आप का कन्जम्पशन 83 लाख टन हुआ। मेरे विचार में यह बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी जो आप कहते हैं, वह सही है।

एक माननीय सदस्य : गलत और सही दोनों हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जी, दोनों हैं। लेकिन बाजार में भाव सस्ते थे, इसलिए लोग शक्कर ज्यादा खाते थे, अब शक्कर कड़वी हो गई है, मीठी नहीं रह गई है। बाजार में शक्कर 8.50 रु० प्रति किलो बिक रही है। इसलिए आजकल कोई दावत नहीं करता है। न कर्नाटक वाले करते हैं और न केरल वाले करते हैं। उन्होंने सोच लिया है कि शक्कर के भाव मंहगे हो गए हैं। सरकार की दोहरी नीति अब काम नहीं दे सकती है।

प्रो० संफुद्दीन चौधरी : इसके लिए सरकार की नीति जिम्मेदार है।

श्री मूलचन्द डागा : इसको बिगाड़ने वाले जिम्मेदार हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर हमको जनता के लिए आवश्यक वस्तुयें मुहैया करनी हैं। उन गरीब लोगों के लिए जो दूर-दराज गांवों बैठे हुए हैं। मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि एक-एक राज्य में कितने उपभोक्ता हैं और उन उपभोक्ताओं की संख्या क्या है ? उनको कितनी शक्कर चाहिए ? आपने कहा कि शक्कर पर लैवी मुकर्रिर की है। भगवान उन मिल-मालिकों की रक्षा करे, 368 मिलें काम करती हैं। उन मिलों में माल को अंडर-वेट तोला जाता है। माल को वे इस तरकीब से कम तौलते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है, तराजू को देखने वाला नहीं है। वेट और मेजरमेंट सरकारी एक्ट फेल हो गया है। कुछ लोग अपनी को-आपरेटिव बना लेते हैं और गन्ने को कम तोलते हैं। तोलने के बाद गन्ना जाता है कैमिकल प्रोसैस में, जो कि हर दो घण्टे के बाद होती है कि उसमें कितनी शक्कर निकलनी है, वहाँ वह कैमिकल एनालिसैस होता ही नहीं है, इसके बाद जब शक्कर बोरियों में भरी जाती है, तब फिर वहाँ पर चोरी की जाती है। इस प्रकार मिल मालिक तीन तरह से शक्कर की चोरी करते हैं। इसके बाद एक्साइस ड्यूटी वाले लोग मिल जाते हैं। शक्कर ज्यादा निकलती है, लेकिन कम बताई जाती है। मिल-मालिक माला-माल होता जाता है। इसके बावजूद भी कहते रहते हैं कि हम घाटे में जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने और किस्म की फैक्ट्रीज लगा ली है और अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां पर शक्कर महंगी हो रही है। इस प्रकार की बात वैस्ट बंगाल में ज्यादा होती है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि शुगर की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है, प्रति एक किलोग्राम ? भाव बढ़ जाने की वजह से आपने शक्कर को इम्पोर्ट किया। आपने इम्पोर्ट इसलिए किया कि उपभोक्ता को ठीक दाम पर शक्कर मिले। आपका उद्देश्य था कि शक्कर उपभोक्ताओं को सही दाम पर मिले, तब फिर उसको नीलाम करने के लिए क्यों सोचा ? किसने कहा था कि आप नीलाम करो ? मेरा पहला सवाल यह है

कि उपभोक्ताओं के साथ अन्याय क्यों किया गया ? दूसरा सवाल, जब आपके पास शुगर नहीं थी, तो आपको कब मालूम हुआ कि आपके पास शुगर कम है, कौन से महीने में मालूम हुआ, जनवरी में, फरवरी में, कब मालूम हुआ और आपने इम्पोर्ट कब की ? इम्पोर्ट करने के आर्डर कब प्लेस किए, उसके बाद किस भाव पर खरीदी, जब वह भारतीय जमीन पर लैंड हुई तो यहां किस भाव पड़ी ? क्या आप वहां 1 रुपए 60 पैसे में खरीद कर 8 रुपये 50 पैसे हम को बेचेंगे ? आपने मई में ऐलान कर दिया कि हम शक्कर देंगे। 9-10 लाख टन इम्पोर्ट करना चाहते थे लेकिन तीन लाख टन यहां पहुंची।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा आप प्रश्न करें। मन्त्री महोदय को आपके प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं और फिर चार सदस्यों को भी बोलना होगा। अत: आप प्रश्न करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो अभी बोलना शुरू ही किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चीनी की कीमत जानना चाहते हैं···

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : अब अभी तो केवल भूमिका ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीधे प्रश्न करिए। नहीं तो आधे घण्टे की चर्चा में और ज्यादा समय लगेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : आपने मई महीने में कितनी शुगर की घोषणा की थी और कितनी शुगर मिली ? आपने कहा है कि तीन लाख टन की घोषणा की थी तो आप बतलाइये कि कितनी उपलब्धता की ? जून में कितनी घोषणा की और कितनी आई ? जब शुगर देश में नहीं थी और आपने घोषणा कर दी तो यह बात व्यापारियों को मालूम हो गई, सरकार सिर्फ आवाज कर रही है···

श्री नारायण चौबे : उनको मालूम हो गया कि सरकार आवाज कर रही है।

श्री मूलचन्द डागा : यह झूठी आवाज है, इस बात को व्यापारी समझ गए और उन्होंने सोचा कि अब ब्लैक मार्केट करो। आपने नीलाम क्यों किया ? उन्होंने सारी शुगर लेकर होर्ड कर ली और उसके बाद देखिए कि क्या भाव बिकी। जब आपको मालूम था कि शुगर कम है, तो वह सबसे पहले उपभोक्ताओं के पास आनी चाहिए थी। आप ऐलान करते गए, मई में तीन लाख टन का ऐलान किया, जून में पौने तीन लाख टन का ऐलान किया, लेकिन मिली कम और रिलीज करने में भी ढिलाई हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि शुगर के दाम बढ़ते गए।

फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि यह हमारे परब्यू में नहीं है। इसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। यह देरी से रिलीज हुई, इस बात को उन्होंने एडमिट किया। उन्होंने कहा है कि जुलाई में दो लाख टन रिलीज होनी चाहिए, लेकिन एक लाख टन हुई। मई के ऐलान के बाद व्यापारी होशियार हो गए, नीलामी का सारा माल होर्ड हो गया। उसके बाद जून में एक लाख टन कम रिलीज हुई। जुलाई में भी कम रिलीज हुई और उसका नतीजा यह है कि आज 8.50 रु० किलो में मिल रही है। मेहरबानी करके आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। मेरा पहला प्रश्न यह है कि शूगर की प्रोडक्शन कास्ट क्या है। पर क्वींटल कितने रुपए में वह प्रोड्यूस होती है और शूगर उपभोक्ता को कितनी

चाहिए। कृपा करके आप यह बताइए। आप को मालूम होगा कि शूगर की कास्ट प्राइस 2.98 रुपए भी नहीं होती है यानी वह 2.71 रुपए पर किलो होती है लेकिन इतनी कास्ट प्राइस होने के बाद आज शूगर किस भाव मिल रही है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आप को कब मालूम हुआ कि शार्टेज है और ऐसा क्यों हुआ जब कि आपके पास आल्रेडी 95 लाख टन शूगर मौजूद थी। आप ने मई में, जून में और जुलाई में जो एलान किया, तो जो आपके फैक्टस एण्ड फीगर्स हैं, उनके आधार पर एलान क्यों नहीं किया। मैं यह कहना भी चाहता हूँ कि जो नीलामी शूगर की गई, तो नीलाम होने के कारण भाव घटे नहीं बल्कि और बढ़ गए और लोगों ने शूगर को होर्ड कर लिया। अपना वर्डन शिफ्ट करने से पहले आप यह बताइए कि कितने होर्डर्स, कितने ब्लैक-मार्केटियर्स और कितने प्रोफीटियर्स को, एक का भी आप बता दीजिए, दिल्ली या बाहर इस साल में सजा दी गई। किन किन को आपने सजा दी और किन किन को आपने जेल में भेज दिया और कितनी चोरियाँ आपने सीज की और कितनों की आप ने चैकिंग की।

एक बात मैं आपकी नीति के बारे में भी कहना चाहता हूं। सरकार ने क्या कानून बना दिया। सरकार ने कह दिया कि चीनी को नई मिल आसानी से नहीं खोली जाएगी। अभी सरकार परमिट नहीं देती है एसेंशल कोमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत। कोई शूगर फैक्टरी लगाना चाहता है तो पहले कोआपरेटिव को देंगे। कोआपरेटिव में भी मोटे मोटे लोग हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और आप की जो पब्लिक अन्डरटेकिंग फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया है, इसको 2 करोड़ 14 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है और फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया का यह काम है कि वह इस को डिस्ट्रीब्यूट करे लेकिन उसने नीलामी के वक्त कुछ ख्याल नहीं रखा और सारे नार्म्स तोड़ कर नीलाम कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया ?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि आप ने सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। शूगर का कब तक राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। इसके कारण क्या हैं। शूगर का आप नेशनेलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं जबकि यह एसेंशल चीज है और जीवन की आवश्यक वस्तु बन चुकी है। सारी फैक्टरीज को आप क्यों नहीं ले लेते हैं जबकि आप कह रहे हैं कि यह आप की नीति बन चुकी है, आपका प्रस्ताव बन चुका है। मुनाफाखोर मुनाफा उठा रहे हैं और लोगों को शक्कर महंगी मिल रही है जबकि जो गन्ना पैदा करने वाला किसान है, उसको उसके उत्पादन का सही दाम नहीं मिल रहा है और समय पर उसको पैसा नहीं मिलता है। सरकार की यह डुअल पालिसी है। कहीं डी-कन्ट्रोल है और फिर लेवी कन्ट्रोल है।

[अनुवाद]

65 प्रतिशत लेवी चीनी होगी और 35 प्रतिशत खुली बिक्री के लिए चीनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री मूल चन्द डागा : आप घंटी बजाने का कष्ट क्यों कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मर्जी के मुताबिक समय नहीं दे सकता। कृपया अपनी बात खत्म करें।

श्री मूल चन्द डागा : समस्या तो यह है कि चीनी और मंहगी हो जाएगी। मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ।

अक्तूबर 1981-82 में लेवी चीनी 50 प्रतिशत थी और खुली बिक्री वाली चीनी 41 प्रतिशत थी। अक्तूबर 1982-83 में लेवी चीनी 55 प्रतिशत और खुली बिक्री वाली चीनी 45 प्रतिशतथी अक्तूबर 1983-84 में लेवी चीनी 49 प्रतिशत और 51 प्रतिशत खुली बिक्री वाली चीनी थी। अक्तूबर 1984-85 में 49 प्रतिशत लेवी चीनी थी और 51 प्रतिशत खुली बिक्री वाली चीनी थी।

[हिन्दी]

अब यह बताइये कि आपकी पालिसी क्या है ? शूगर की मिलें खोलने की इजाजत नहीं है। इसका क्या कारण है ? लेवी की शूगर कौन तय करता है ?

ये मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन किए हैं। आप मेरे इन क्वेश्चन्स का उत्तर देंगे, ऐसी आशा है। हमारे लोगों में इस बात का चर्चा चलता है कि आप शूगर का नीलाम करना बन्द कीजिए और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कीजिए। आप शूगर किस भाव खरीदते हैं यह भी बतलाइए।

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय, चीनी की कीमत के बारे में सभा में काफी बहस हुई है। मैं स्वीकार करता हूँ कि सरकार के भरसक प्रयास के बावजूद पिछले कुछ समय मे चीनी की कीमत बढ़ती ही जा रही है।

इस स्थिति का मुख्य कारण है मांग और पूर्ति के बीच बहुत बड़ा अन्तर होना। गत वर्ष चीनी का उत्पादन घट कर 59 लाख टन रह गया। हम उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको यह जानकर खुशी होगी कि गन्ने की बुआई का क्षेत्र गत वर्ष से 2 लाख हैक्टेयर कम होने के बावजूद इस वर्ष हम 2 लाख टन तक की वृद्धि कर पाए हैं और यह सब चौकसी, समुचित निगरानी तथा किसानों को गन्ने के लिए देय राशि का समय पर भुगतान करने से हुआ है। हमने ये उपाय कमी दूर करने के लिए किया है और यह कमी देश में खपत का स्तर बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा हो गयी थी।

पिछले चार पाँच वर्षों में चीनी काफी कम कीमत पर बिक रही थी। केवल 1979 और 1980 में ही हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। त्यौहार के समय चीनी 12-14 रुपए के भाव से बिक रही थी। किन्तु फिर 1980 में इन्दिरा गांधी सरकार बनने पर हमने वायदा किया था कि अगली दीवाली तक लोगों को राहत मिलेगी और एक वर्ष के लिए ही हम 5 रुपए और 5.30 रुपए तक मूल्य घटा पाए थे और एक वर्ष में इसका उत्पादन 84 लाख टन तक बढ़ गया था और स्वाभाविक है कि खपत में वृद्धि होती। हम बढ़े हुए उत्पादन और खपत के बीच ताल-मेल नहीं बैठा पाए हैं। मांग पूरी करने का एकमात्र उपाय यही है कि चीनी का आयात किया जाए।

श्री मूल चन्द डागा ने अपने अनेक प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि उन्होंने बहुत समय ले लिया।

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसा प्रतीत होता है कि श्री मूल चन्द डागा वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी सभी कारणों के बारे में जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे फैक्ट्रीयों और व्यापारियों द्वारा की गई सभी प्रकार की हेरा-फेरी के बारे में जानते हैं। मैं भी समय-समय पर यही कहता रहा हूँ। किन्तु जब मैं वही बात कहता हूँ तो माननीय सदस्य स्वयं सन्तुष्ट नहीं होते। उन्होंने ही बीमारी का पता लगाया है। मैं उनसे सहमत हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सन्तुष्ट हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह यह जानना चाहते हैं कि चीनी के आयात के लिए कब निर्णय लिया गया। आप जानते हैं कि स्थिति का जायजा लेने में ही कुछ समय लगा, फिर एक निर्णय मार्च के बिल्कुल शुरू में लिया गया कि क्योंकि खुले बाजार में हमारे पास पर्याप्त चीनी नहीं होगी इसीलिए हमें उसका आयात करना चाहिए यह एक कठिन निर्णय था क्योंकि वर्ष 981-82 में भारत चीनी उत्पादन में ब्राजील और क्यूबा को पीछे छोड़कर विश्व में सबसे आगे पहुँच गया था, हम इस बात पर अप्रसन्न थे कि चीनी का उत्पादन इतने निम्न स्तर तक गिर गया है। उस समय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आयात करना अनिवार्य था। हमने निर्णय लिया कि 10 लाख टन चीनी का आयात किया जाएगा। वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन काम कर रहे राज्य व्यापार निगम को निविदाएं आमन्त्रित करने, करार करने, नौवहन का प्रबन्ध करने और देश में चीनी पहुंचाने में समय लगता है। मई 1985 के मध्य में चीनी पहुँचनी शुरू हुई और हमने आयातित चीनी उपभोक्ताओं को राज्य सरकारों के अभिकरणों के माध्यम से तथा खुले बाजार में चीनी की सप्लाई चालू करने के लिए इसका आवंटन करने के लिए एक नीति निर्धारित की। यह चीनी की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए बहु-आयामी प्रयत्न था ताकि हम केवल एक ही माध्यम अर्थात व्यापार के माध्यम पर निर्भर न रहें क्योंकि उसमें जोखिम था। श्री डागा स्वयं ही व्यापार को दोष देते रहे हैं किन्तु साथ ही वे मुझ से पूछते हैं कि हमने नीलामी क्यों करवाई। हमें चीनी बाजार तथा देश के सभी हिस्सों में पहुँचाने के उपाय ढूंढने थे। इसीलिए हमने यह निर्णय लिया कि राज्यों के तन्त्र से काम लिया जाए। राज्यों को 1,25,00 टन चीनी जून में और फिर जुलाई में आवंटित की गई। उन्हें बड़े उपभोक्ताओं का ध्यान रखने के लिए कहा गया था ताकि बाजार में इसकी मांग के दबाव में कमी आ सके और होटल मालिक, रेस्तरां मालिक हास्टल, कालेज, अस्पतालों आदि को चीनी 6 रुपए से कम की निर्धारित कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके। उन्हें यह आयातित चीनी जिलों तथा छोटे कस्बों में, जहां कहीं वे बेच सकें, उपभोक्ता स्टोर्स के माध्यम से बेचने के लिए भी कहा गया। राज्यों को आवंटित मात्रा 5.40 रुपए की दर पर उठाने के लिए कहा गया जो कि अब घटा कर 5.20 रुपए कर दी गई है—मेरे सहकर्मी, वित्त मन्त्री ने उस दिन अपने भाषण में यह घोषणा की। हम कीमत घटा सकते हैं क्योंकि हमें बाहर से बहुत सस्ती चीनी मिल रही है। श्री डागा ने सही कहा है कि इसकी कीमत लगभग 2 रुपए प्रति किलो पड़ती है। लेकिन इतना ही शुल्क लग जाता है—2 रु० और—फिर आवंटन प्रभार, राज्य व्यापार निगम का प्रशासन प्रभार···

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : शुल्क किसे मिलता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : शुल्क सरकार को मिलता है किन्तु श्री चौधरी यह प्रश्न नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछ रहा हूँ। यह चीनी की सीमित मात्रा को कम कीमत पर सप्लाई करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि आप यह मानेंगे कि आयातित चीनी और देश में निर्मित चीनी की कीमतों में जितना अधिक अन्तर होगा उतने ही अधिक कदाचार होंगे। यह भी खुले बाजार में ऊंची कीमतों पर बिकनी शुरू हो जाएगी। हम यह अन्तर कम से कम रखना चाहते हैं। यहां तक कि चीनी की लेवी कीमत जो कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देते हैं और खुले बाजार की कीमत में अन्तर के कारण भी कुछ लेवी चीनी खुले बाजार में अथवा बड़े उपभोक्ताओं के पास पहुँच जाती है। इसलिए हमने सोचा कि राज्यों को स्वयं ही अधिक से अधिक वितरण करना चाहिए।

साथ ही खुले बाजार में इसे उपलब्ध कराने के लिए हमने प्रति माह 50000 टन चीनी की नीलामी की प्रणाली अपनाई। कोई भी थोक विक्रेता जो अपना व्यापार जारी रखना चाहता है और

जिसे मिलों से पर्याप्त चीनी न मिलती है आयातित चीनी लेकर इसे खुले बाजार में बेच सकता है। उसके द्वारा इसे बेचने के लिए रखी जाने वाली कीमत पर कोई नियन्त्रण नहीं है ।

महोदय, यह सही है कि प्रारम्भ में जून में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, राज्य सरकारों के अभिकरणों ने पूरी तरह काम करना शुरू नहीं किया था भारतीय खाद्य निगम को भी इसका समुचित प्रबन्ध करने में कुछ समय लगा। चीनी पहुँचाने वाले जहाजों से चीनी उतारना, रेलवे बैगनों का प्रबन्ध करना इसे सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाना विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ चीनी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं । और नीलामी के आदेश देना ताकि कीमतें कम हों और अधिक चीनी उपलब्ध हो।

महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि वित्त मन्त्री द्वारा चर्चा के दौरान यह पहले ही घोषित किया जा चुका है कि अगस्त के महीने में चीनी की उपलब्धता किसी अन्य माह अथवा पिछले कई वर्षों की तुलना में अधिकतम है। पहले खुले बाजार के लिए दी जाने वाली औसतन 350000 से 380000 टन चीनी की तुलना में हमने अगस्त में खुले बाजार के लिए चार लाख टन चीनी दी है।

6.00 म० प०

इसके अलावा 3,13,000 टन की बजाय, जो कि लेवी कोटा है, हमने इस महीने में त्यौहारों के कारण 50,000 टन का अतिरिक्त कोटा दिया है। आने वाले महीनों में भी हम इतनी ही सप्लाई रखना चाहते हैं क्योंकि उनमें भी त्यौहार है। त्यौहारों के दिनों में हम सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं।

मैं मानता हूँ कि सारी 10 लाख टन चीनी हमारे हाथों में नहीं पहुंची है। ऐसा एक दम सम्भव नहीं था। हमें जहाजों का प्रबन्ध करना पड़ता है जिसके लिए एक अनुसूची तैयार करनी पड़ती है हमें पत्तनों की क्षमता देखनी पड़ती है और कई दूसरी अड़चनें भी हैं। हमारे देश में केवल चीनी का आयात नहीं किया जाता औरपत्तनों पर केवल यही काम नहीं है। हम निर्यात भी करते है। इस लिए हम चीनी के आयात को केवल उच्च प्राथमिकता ही दे सकते हैं। चीनी पहुंचने के बाद वितरण भी करना होता है।

महोदय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वे राज्य जो जून में आवंटन के लिए अपना हिस्सा नहीं ले सके जुलाई में काफी बेहतर काम कर रहे हैं। वे चीनी उठा रहे हैं। उनका तन्त्र पूरी तरह से काम में लगा है। हम प्रतिदिन स्थिति को निगरानी कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत रूप से राज्यों के प्राधिकारियों से यहां तक कि मुख्य मन्त्री के स्तर पर भी बातचीत कर रहे हैं। मैं खुद इस बारे में बात करता रहा हूं।

हम आशा करते हैं कि चीनी की उपलब्धता के बढ़ने तथा हमारी सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक मात्रा में चीनी का वितरण करने से उपभोक्ताओं को 4.40 रु० की दर से अधिक मात्रा में वितरण होने से स्थिति में सुधार होगा। वस्तुत: पहले से ही ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं। आपने अवश्य ही अखबार में पढ़ा होगा। मेरे पास "हिन्दु" तथा "टाइम्स आफ इण्डिया" की कुछ कतरनें हैं जिनमें लिखा है कि "चीनी के मूल्यों में तीव्रता से कमी आ रही है।" "बम्बई में चीनी के मूल्य में गिरावट आई है।" ये तीन तारीख की रिपोर्टें हैं।

श्रीमान् इस बात से कोई इन्कार नहीं है कि हमेशा की तरह व्यापारी स्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मिल मालिक भी अपने लाभ को नाजायज रूप से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

यह भी एक सच्चाई है कि उपभोक्ता, इस बड़े दानों वाली देशी चीनी को, आयातित चीनी की तुलना में, यद्यपि यह अधिक शुद्ध, सफेद तथा मीठी है, अधिक पसन्द करते हैं, सम्भवत: लोग इसके स्वाद के आदी हो चुके हैं···

श्री संफुद्दीन चौधरी : क्योंकि वे राष्ट्रीयतावादी हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : लोगों को इस बड़े दाने वाली चीनी खाने की आदत पड़ी हुई है और सम्भवत: इसका कारण कुछ तो व्यापारियों तथा मिल मालिकों द्वारा फैलाई गई अफवाह और कुछ उपभोक्ताओं का अपना अनुभव हो सकता है, क्योंकि छोटे दाने वाली देशी चीनी में मिलावट करना आसान होता है। यह चीनी नमी को भी आसानी से सोख लेती है। बड़े दाने वाली चीनी को पानी से गीला नहीं किया जा सकता तथा इसमें आसनी से कोई अन्य चीज नहीं मिलाई जा सकती। अत: उपभोक्ता इसके लिए कुछ अधिक मूल्य दे देते हैं। इस समय जो हम मूल्यों की बात कर रहे हैं वह इस बड़े दाने वाली देशी चीनी की कीमतों के बारे में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ—मैंने स्वयं आयातित चीनी का स्वाद चखा है—कि यह आयातित चीनी वास्तव में बहुत अच्छी है तथा शुद्ध और मीठी चीनी है। इसकी शुद्धता 99.8 प्रतिशत है···(**व्यवधान**) 99.9 प्रतिशत हो सकती है। आपका अनुभव मुझसे अच्छा हो सकता है। परन्तु मुझे चिन्ता यह है कि उपभोक्ताओं के इसके स्वाद के आदी हो जाने पर सम्भवत: भविष्य में देश में ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस अच्छी चीनी का आयात करना पड़े··· (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : हम ऐसा नहीं चाहते।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस बात से फैक्ट्रियों तथा मिल मालिकों को चिन्ता होनी चाहिए। हमें वह आयातित चीनी प्राप्त हो रही है जो आप हमेशा पसन्द करते हैं जब भी आप विदेशों में भ्रमण करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेना में भी आपको चाय अथवा कॉफी के लिए यही अच्छी चीनी मिलती है। विदेशों में सभी होटलों में आपको यह चीनी मिलती है और हम नहीं समझते कि यह इतनी मीठी नहीं है। फिर भारत में ऐसा क्यों है? महोदय, उद्योगपति तथा व्यापारी सरकार द्वारा वितरण करने के लिए इस आयातित चीनी को देश में बन्द करने का प्रयास करने के लिए करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च कर रहे हैं।

श्री संफुद्दीन चौधरी : फिर आप उन्हें अपने अधिकार में क्यों नहीं लेते?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं आपको समाचार पत्र का हाल ही का यह विज्ञापन दिखा सकता हूँ। यह हिन्दुस्तान टाइम्स का विज्ञापन है। इस दो-तिहाई पृष्ठ का विज्ञापन इण्डियन शूगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा दिया गया है। इस विज्ञापन में चित्रित किया गया है कि एक व्यक्ति विदेशी चीनी की चाय पी रहा है तथा यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि विदेशी चीनी उतनी मीठी नहीं है। वह अपनी नाक सिकोड़ता दिखाया गया है। क्या यह पैसा उपभोक्ताओं के लाभ के लिए खर्च कर रहे हैं? उद्योगपति तथा व्यापारी केवल अधिकतम लाभ प्राप्त करने तथा अपनी चीनी का उच्चतम मूल्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तथा सरकार को दोष दे रहे हैं ताकि सरकार अपनी नीति को बदल दे जिनसे सारी चीनी इन मिलों तथा व्यापारियों को दे दी जाए। कुछ सीमा तक, इधर उधर कुछ जगहों की माँग के कारण तथा माननीय सदस्यों की आलोचना के कारण हम इस दबाव से कुछ सीमा तक झुक गए हैं···

कुछ माननीय सदस्य : यह क्या है?···क्यों?···आपको किसने बताया?

राव बीरेन्द्र सिंह : क्योंकि मैं आप सबको सन्तुष्ट करना चाहता हूँ। 50,000 टन देशी

चीनी व्यापारियों को खुली बिक्री के लिए दी गई है। सम्भवत: वह हमारा कुछ खून चूस चुके हैं। हम देखते हैं कि स्थिति में कहां तक सुधार होता है। यदि मूल्यों में गिरावट नहीं आती, तो सरकार को किसी और तरीके से सोचना होगा। हमारे पास अन्य तरीके भी हैं। परन्तु हमारा यह विश्वास है कि भारत में चीनी उद्योग को बनाए रखना है। केवल उपभोक्ताओं के हित के लिए ही इसे समर्थन नहीं देना है, क्योंकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा चीनी का आयात करने को जा सकती है बल्कि ऐसा किसानों, गन्ना उगाने वाले किसानों के हितों के लिए करना है। उद्योग तथा किसानों को एक दूसरे को समर्थन देना चाहिए। इसलिए मैं अपने माननीय मित्र श्री डागा से यह प्रश्न पूछता हूँ कि इतने अधिक विकल्पों में से उनके सम्मुख तथा सभा के समक्ष मैं कौन सा विकल्प रख सकता हूँ जो पूरी सभा को मान्य हो।

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रीयकरण।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस सरकार ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि अब तक यह दोहरी मूल्य नीति, यह आंशिक नियन्त्रण पद्धति अच्छी सिद्ध हुई है। जनता सरकार ने 1978 में इसे समाप्त कर दिया था। 1979 में उन्हें पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने दुबारा इस पद्धति को अपनाया। क्या हम उनके अनुभव से नहीं समझ सकते ? क्या हमें भी ऐसी ही गलती करनी चाहिए ? सम्पूर्ण चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का अर्थ है—राशन प्रणाली; सम्पूर्ण देश में चीनी के राशन की व्यवस्था करना। पहले, मिलों का राष्ट्रीयकरण करना है। दूसरे, चीनी का पूर्ण नियन्त्रण तथा राशन प्रणाली को शुरू करना है।

महोदय, मैं स्वयं भी अपनी वितरण प्रणाली—चीनी की लघु मात्रा जो हम गरीब उपभोक्ताओं को 4.25 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन देना चाहते हैं—से सन्तुष्ट नहीं हूँ। मैं श्री डागा से सहमत हूँ कि यह प्रत्येक उपभोक्ता को नहीं मिल रही है अथवा प्रत्येक गरीब ग्रामीणवासी को अपना उचित हिस्सा नहीं मिल पा रहा। बड़े बड़े शहरों तथा नगरों में ही इसे बेचा जा रहा है क्योंकि यहां के लोग अधिक शोर मचा सकते हैं। गरीब ग्रामीणवासियों के राशन कार्डों में इसकी झूठी प्रविष्टि कर दी जाती है। मैं यह सब जानता हूं परन्तु मेरी सीमाएँ हैं। एक बार जब हम राज्यों को चीनी बांट देते हैं तो राज्य सरकारों का कहना है कि अब यह उनका काम है। हम जानते हैं कि हमें कहाँ बांटना है। इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ ?

राष्ट्रीयकरण अधिक कठिन कार्य होगा। खुले बाजार में कीमतों के नियन्त्रण तथा जाँच के लिए कम मूल्य पर चीनी देनी इस लघु वितरण प्रणाली से कठिन कार्य राशन प्रणाली शुरू करना होगा। महोदय, हम उन कुछ चीनी मिलों की उपयुक्त देखभाल करने में समर्थ नहीं हैं, जो रुग्ण हैं तथा जिन पर हमने अधिकार कर लिया है। हम उनमें से कुछ मिलों को उनके मालिकों को वापिस कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते है कि कोई सरकार 350 मिलों की देखभाल कर सकती है ? कपड़ा मिलों का क्या हो रहा है ? क्या हम उन्हें सही ढंग से चलाने में समर्थ हैं ? क्या हमें चीनी मिलें अपने हाथों में ले लेनी चाहिए तथा क्या किसानों की देख-भाल का कार्य अपने कन्धों पर लेनी चाहिए ? सरकार के पास अन्य अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने को है ? केवल चीनी ही एक वस्तु नहीं है।

चीनी सम्पूर्ण आहार नहीं है। खाद्यान भी उतने आवश्यक हैं। उपभोक्ताओं के लिए कपड़ा, कोयला तथा मिट्टी का तेल भी उतना ही आवश्यक है।

महोदय, हम राज्य सरकारों को काला बाजारी करने वालों तथा जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पिछले दो महीनों के आँकड़े प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि वह नाजुक समय में क्या करते रहे हैं। मुझे सभा को जानकारी देने में कोई

एतराज नहीं हैं। केवल 9 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से मुझे उनके द्वारा मारे गए छापों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त हुए हैं। ये राज्य हैं आन्ध्र प्रदेश, चण्डीगढ़ मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी पंजाब, महाराष्ट्र और गोवा।

श्री वी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) :कर्नाटक के सम्बन्ध में क्या हुआ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम बता दिए हैं तथा उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 2 महीनों के दौरान 2267 छापे मारे गए। 1330 क्विंटल माल पकड़ा गया तथा 86 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मैं नहीं जानता कि गिरफ्तार किए गए लोगों का क्या हुआ। 301 लाइसेंसों की जांच की गई तथा 4 लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अब मैं नहीं जानता कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूं। मैं श्री डागा से पूछना चाहता हूं कि वह मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए ?

एक माननीय सदस्य : कितने लोगों को दण्ड दिया गया ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह पुनः केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का प्रश्न है। क्या हम एक रात में संविधान को बदल सकते हैं तथा सम्पूर्ण देश में वितरण सम्बन्धी शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं ? क्या देश में वितरण प्रणाली को हम चला सकते हैं ? हम केन्द्र सरकार की ओर से केवल कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की सप्लाई करते हैं तथा फिर उनके लिए निर्धारित मूल्य निश्चित करते हैं। चीनी एक ऐसी चीज है जो जनता को सरकारी वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जाती है। उपभोक्ताओं से 4.40 पैसे प्रति किलो मूल्य लिया जाता है। उपभोक्ताओं से एक समान 4.40 पैसे प्रति किलो मूल्य लिया जाता है चाहे वह उपभोक्ता गांवों में, हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्व क्षेत्रों में अथवा चाहे लद्दाख में रहते हों। हम ढुलाई का खर्च स्वयं वहन करते हैं। हम अत्यन्त भीतरी स्थानों में भी इसे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। परन्तु यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वह इन आन्तरिक स्थानों पर उचित मूल्यों की दुकानें खोलें। हम उनसे अनुरोध करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि प्रत्येक 2000 लोगों के लिए एक उचित दर की दुकान होनी चाहिए। हमने यह भी कहा कि आन्तरिक स्थानों, पहाड़ी क्षेत्रों में जन-संख्या इधर उधर बिखरी हुई होती है। इन क्षेत्रों के मामले में तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के मामले में उन्हें इस 2000 लोगों के मानदण्ड पर स्थिर नहीं रहना चाहिए। वह कम जन-संख्या के लिए भी उचित दर की दुकानें खोल सकते है। हम दुकानों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु मैं बस इतना ही कर सकता हूं।

भारत में उत्पादन लागत बहुत अधिक है। यही कारण है कि जब इस देश में अत्यधिक मात्रा में चीनी थी तब भी हम चीनी का निर्यात नहीं कर सके। यह एक कारण है जिससे चीनी का उत्पादन कम हुआ। यह एक अद्भुत घटना है तथा शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है। जब यहां अत्यधिक मात्रा में चीनी होती है, तो सम्पूर्ण विश्व में अत्यधिक मात्रा में चीनी होती है तथा जब पहले यहां चीनी की कमी थी, तब सम्पूर्ण देश में चीनी की कमी थी। इस बार, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की भरमार है, तथा भारत में चीनी की कमी है। पहली बार हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य कम हो रहे हैं। तथा इससे हमें चीनी का आयात करने में आसानी हो गई है, परन्तु मैं पुनः श्री डागा से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कि क्या वह चाहते हैं कि हमारे कारखाने बन्द हो जाएं तथा हमें सारी चीनी आयात करनी चाहिए तथा चीनी को इकट्ठा करना चाहिए जिससे किसानों को कुछ न मिले ? गन्ने का वह किसान लोग क्या करेंगे ? चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना इसका समाधान नहीं है, हमें सन्तुलन बनाए रखना होगा।

यद्यपि हमें मूल्यों को नीचे रखना है तथापि हमें कारखानों की दशा पर भी नजर रखनी है और यह भी सुनिश्चित करना है कि कारखानों में कतिपय आचरण संहिता का पालन किया जाए। हम कारखानों में अनुशासन लाने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों ने बार-बार मुझे परेशान किया कि मेरी बार बार चेतावनी देने से क्या हुआ। मैं स्वयं यह सोचने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस चेतावनी को किस प्रकार प्रभावी बनाया जाए। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से प्राप्त किसी भी सुझाव का अत्यधिक स्वागत किया जाएगा। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँगा।

एक माननीय सदस्य : भारत में चीनी की उत्पादन लागत क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : भारत में राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार किसानों को गन्ने के लिए दिए जाने वाले 22 रुपये के आधार पर चीनी की उत्पादन लागत का हिसाब लगाया जाता है तथा यह लगभग 405 रुपये प्रति क्विंटल है। हम कारखानों से 351 रु० प्रति क्विंटल के औसत मूल्य के हिसाब से लेवी चीनी लेते हैं। यही कारण है कि हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि जब उत्पादन लागत लगभग 405 रु० प्रति क्विंटल है तो हम 65 प्रतिशत चीनी 351 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से ले रहे हैं। हम कारखानों को अच्छे मूल्य प्राप्त करने से किसी तरह रोक नहीं सकते तथा खुले बाजार में चीनी की बिक्री से हानि की वसूली नहीं कर सकते। श्री डागा द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अन्य देशों में उत्पादन लागत बहुत कम है। यह अन्तर क्यों है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अन्य देशों में कम उत्पादन लागत होने के कारण, अच्छा गन्ना, गन्ने से अच्छी वसूली होने के कारण यह अन्तर है। हमारे देश में पैदावार कम है, हमारी वसूली कम है। मेरे विचार से श्री डागा जी अब सन्तुष्ट हैं यद्यपि उन्हें पूर्ण सन्तुष्ट करना सम्भव नहीं है।

स्थिति में सुधार हो रहा है तथा महोदय, आपके माध्यम से मैं पुनः यह निवेदन करता हूँ, यद्यपि पहले जब मैंने यही बात कही थी तो सम्भवत् मेरी बात का गलत अर्थ लगाया गया था।

मैं सभा के माननीय सदस्यों से फिर यह अनुरोध करूँगा कि वे इस बारे में विचार करें कि ऊँचे दामों के बारे में बात करने से, चीनी के बारे में बात करने से, आयातित चीनी की आलोचना करने से उन्हें मदद मिलेगी जो इनसे सम्बन्धित कानून लागू कर रहे हैं। इसीलिए हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा—और यह तथ्य जाँचों पर आधारित है—कि यह चीनी मीठी और शुद्ध है यह सुपर बाजार की खुदरा दुकानों, उचित दर की दुकानों तथा उपभोक्ता भंडारों पर उपलब्ध है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के आस-पास के कस्बों में भी एन० सी० सी० एफ० से ट्रकों द्वारा चीनी भेजी जाती रहे, ये ट्रक-गाजियाबाद, रोहतक, सोनीपत, गुडगाँव, फरीदाबाद आदि जैसे पड़ोसी कस्बों में जा रहे हैं, ताकि दिल्ली बाजार पर दबाव कम हो जाए। बम्बई में जितनी भी चीनी, लगभग 8,000 टन हाल ही में आई थी उसे तीन तारीख के आस-पास नीलाम कर दिया गया और यही कारण है कि ऐसे समाचार मिले हैं कि बम्बई में चीनी के दाम कम हो गए हैं। अब और चीनी आ रही है—और जैसाकि मैंने कहा धीरे-धीरे अधिकाधिक मात्रा में चीनी आती जा रही है। जहाज आते जा रहे हैं। अब भी कुछ जहाजों से चीनी उतारी जा रही है और अब हम उनका भंडारण कर रहे हैं। अब हम उन स्थानों पर ध्यान दे पाएंगे जहाँ मूल्य ज्यादा है। अब तो राज्य भी सक्रिय होने लगे हैं। उन्होंने रुचि लेनी शुरू की है और माननीय सदस्य के सहयोग से व्यापारी वर्ग भी अनुशासित हो जाएगा और मुझे आशा है कि कारखानों में भी अनुशासन आयेगा। यदि ऐसा नहीं

होता है तो सरकार के हाथ बड़े लम्बे हैं। हम इस अवधि में तो अविलम्ब उन्हें सजा नहीं दे पाएंगे, किन्तु तब यदि एक बार हम जान जाते हैं कि उन्होंने कैसा व्यवहार किया है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा सरकार को उनसे कोई सहानुभूति नहीं होगी। मैं बस यही कह सकता हूँ। और यह व्यवहार उनके हित में नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका और सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन, आप चाहें तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं। केवल प्रश्न और कोई बहस नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह बहुत ही सन्तोषजनक है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस साल 61 लाख टन शक्कर का प्रोडक्शन हुआ, इसके पहले 59 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ था, यह भी उन्होंने बताया कि शक्कर का कास्ट आफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, हम चाहते हैं कि देश शक्कर के मामले में आत्म-निर्भर बने और हमको शक्कर बाहर से न मँगानी पड़े, इस वक्त यह जरूरत पड़ गई कि हमें शक्कर बाहर से मंगानी पड़ रही है तो यह स्थिति हमेशा बनी न रहे, आत्म-निर्भर बने रहने के लिए शक्कर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप किसानों को किस प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे शक्कर का प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़े? इस साल जो 61 लाख टन शक्कर का प्रोडक्शन हुआ है वह आने वाले वर्षों में इस प्रकार से बढ़े कि जिसमें हमें शक्कर बाहर से न मंगानी पड़े, इसके लिए ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी क्या आप कुछ इस प्रकार की सलाह देने जा रहे हैं कि वह इसके लिए क्या स्टेप्स लें?

दूसरी बात यह है कि यह जो प्रचार चल रहा है ट्रेडर्स की तरफ से, जैसा कि "हिन्दुस्तान टाइम्स" में निकला है, आपने बतलाया तो इसको काउन्टर-एक्ट करने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट क्या स्टेप्स ले रही है? इसकी जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप जो जानकारी दे रहे हैं कि बाहर से जो शक्कर आई है वह बिल्कुल मीठी है, प्योर है, आपकी बात को हम मानते हैं परन्तु जनता भी इसको मान्यता दे और ट्रेडर्स के प्रचार का खण्डन हो—इस सम्बन्ध में आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं?

तीसरी बात यह है कि शक्कर के दाम बढ़े हैं, जो ट्रेडर्स हैं उन पर आप सख्ती से कंट्रोल करेंगे तो शक्कर के दाम कब तक थम जायेंगे, दो महीना पहले जो भाव था 6 रुपए प्रति किलो के करीब तो उसको कब तक वापिस ला सकेंगे—इसके बारे में भी आप प्रकाश डालें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बृजमोहन महंती (पुरी) : महोदय, चीनी की कुल मांग 83 लाख टन है। हम लगभग 62 लाख टन चीनी का उत्पादन कर रहे हैं और हमें 21 लाख टन की कमी पड़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उसके अनुसार कम हो गयी है। उत्पादन कम हो गया है।

श्री बृजमोहन महंती : किन्तु अब हमें 21 लाख टन की कमी पड़ रही है और मन्त्री जी के उत्तर के अनुसार हम 10 लाख टन का आयात कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से और अधिक आयात के लिए वायदा नहीं करवाना चाहता क्योंकि इसका बाजार पर असर पड़ेगा। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि पूर्ति-प्रबन्धन पर बहुत ज्यादा निर्भरता उचित नहीं होगी। चीनी के क्षेत्र में, तेल के क्षेत्र में और

चीनी के क्षेत्र में पूरी नीति पूर्ति-प्रबन्धक पर ही निर्भर है। पूर्ति में सुधार करें या निर्यात में कटौती करें और फिर संतुलन लाएं। किन्तु कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए वह हैं---आर्थिक नीति और वित्तीय नीति। मैं सरकार को सजग करना चाहता हूं। इसके लिए केवल केन्द्रीय सरकार ही दोषी नहीं है वरन् इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार पर सामूहिक रूप से है। इस वर्ष बजट घाटा गत वर्ष के मुकाबले दुगुना हो गया है। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या हमने भ्रष्ट दलालों तथा बेईमान व्यापारियों को सजा देने के लिए कोई कठोर कानून बनाया है। क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य के स्तर पर कौन से प्रभावी उपाय किए गए हैं? मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि यह दोनों की जिम्मेदारी है। मेरा निवेदन यह है कि क्या इस दिशा में सरकार कोई पहल करेगी? केन्द्रीय सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सचिवों की बैठक या मंत्रियों की बैठक आयोजित करने पर विचार करेगी और उनसे यह आग्रह करेगी कि वे बेईमान व्यापारियों या कालाबाजारी कर रहे प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करें। हाल ही के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चीनी के उत्पादन और वितरण में काफी भारी मात्रा में काला धन बढ़ रहा है। जब तक हम दोषियों, काला बाजारियों और बेईमान दलालों को सजा देने के लिए सख्ती से कानून लागू नहीं करेंगे तब तक हमें राहत नहीं मिलेगी। अतः क्या सरकार सभी सम्बन्धित मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों या यहां तक कि सचिवों का सम्मेलन आयोजित करेगी ताकि उनके मन में यह बात बिठाई जा सके कि उन्हें इस मामले में निर्णयात्मक ढंग से काम करना होगा।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, वे बहुत ही सन्तोजनक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चीनी के भाव बढ़े हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे देखें कि वास्तव में मूल्य वृद्धि क्यों हुई है। मेरी दृष्टि में मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण है किसानों को समय पर गन्ने का सही मूल्य न मिलना और समय पर उनकी पिराई का न होना। मैं निवेदन करूंगा कि जो गन्ने की कीमत कम मिलती है और गन्ने की पिराई नहीं होती है, तो गन्ने का उत्पादन कम होता है। जब उत्पादन कम होगा तो चीनी का भाव बढ़ेगा और चीनी विदेशों से आयात करनी पड़ेगी। इस समस्या को दूर करने के लिए किसानों को हर तरह की सुविधायें शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध करायें। क्योंकि जब तक उनकी समस्या हल नहीं होगी, हम लोग यहां पर इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे और विदेशों से आयात करना पड़ेगा। मैं मन्त्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि वे इस बात का—ध्यान रखेंगे कि गन्ने के मूल्य का किसानों को तत्काल भुगतान कराया जाए। माननीय मंत्री जी ने यह भी माना है कि पिछले वर्ष दो लाख एकड़ भूमि में गन्ने की खेती कम की गई है, क्योंकि किसानों को सुविधायें नहीं दी जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसमें सरकारी मशीनरी का दोष है या किसी और का दोष है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए किसानों को हर तरह की सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जिससे गन्ने का उत्पादन बढ़े और चीनी का उत्पादन बढ़े और दिन प्रति दिन जो चीनी का भाव बढ़ रहा है, उसको कन्ट्रोल कर सकें। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे किसानों को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? माननीय मंत्री जी खुद ही विद्वान हैं, इस क्षेत्र के माहिर हैं, किसान भी हैं, मुझे उम्मीद है कि वे किसानों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय एक प्रश्न मेरा भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यहां केवल पांच नाम ही हैं। मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने सभी संगत प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया है। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि हमें मन्त्रियों और सचिवों का सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। हम मुख्य मन्त्रियों को लगातार लिख रहे हैं; मैं उनसे लगातार इस बारे में बात कर रहा हूं। मेरे मंत्रालय में सचिवों को बुलाया गया है, और उनके साथ इन बातों पर बार-बार चर्चा की जा रही है, यहां तक कि टेलीफोन से भी उनसे बात की जा रही है। जहां कहीं हमें लगता है सब कुछ ठीक नहीं है, तो हम राज्य के प्राधिकारियों से सम्पर्क करते हैं। हम जल्दी ही खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करेंगे। मैं फिर से उस सम्मेलन में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा।

मेरे मित्र, पिछले वक्ता ने चीनी सम्बन्धी जिम बकाया राशि का जिक्र किया है, यह पिछले अनेक वर्षों की अपेक्षा बहुत कम है। यह केवल 38 करोड़ रुपए ही है और गन्ने के लिए किसानों को देय राशि का केवल 33 प्रतिशत ही है। पिछले वर्ष इसी समय यह बकाया राशि 10.9 प्रतिशत थी अत: चग 11 प्रतिशत की तुलना में यह 3.3 प्रतिशत ही है। हम राज्य सरकारों को प्रेरित करने की कोशि रहे हैं ताकि वे इसमें भी कमी लाने के लिए कार्यवाही करें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने कुछ मुद्दे उठाए थे, जिसके बारे में और अधिक स्पष्टीकरण देने की मेरे खयाल से कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कोई खास बात है जिसका वे उत्तर चाहते हैं। सभी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। मेरे विचार में एक और मुद्दे पर स्पष्टीकरण आवश्यक है। हम आयात के विरुद्ध हैं। मैं श्री महंती और श्री वृद्धि चंद्र जैन से सहमत हूं कि हम हमेशा आयात पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें आत्म-निर्भर बनना होगा। यह मन्जूर है लेकिन इस समय स्थिति कुछ असामान्य है। खपत बढ़ गई है, उत्पादन कम हो गया है, और हमें उपभोक्ताओं के हितों को भी देखना है और यदि दस लाख टन जिसमें से लगभग 9.3 लाख टन के लिए ठेका किया गया है और पूरी मात्रा सितम्बर के अन्त तक आ जाएगी, हम यही आशा करते हैं, हालांकि हम यही सोचते हैं कि यह मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए और अधिक आयात की जरूरत नहीं··· (व्यवधान)

श्री वृद्धि चंद्र जैन यह जानना चाहते थे कि क्या हम मूल्य निश्चित करने,···एक निश्चित स्तर तक मूल्य कम करने के बारे में गारण्टी दे सकते हैं··· (व्यवधान) मेरे लिए वह तारीख और समय बताना बड़ा मुश्किल है जबकि हम मूल्य को 6 रुपए प्रति किलो तक कम कर पाएंगे। किंतु हम इसे समुचित स्तर तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी इस मामले में कोई निश्चित राशि नहीं बताई जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे पूर्वाह्न में पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.41 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 6 अगस्त 1985, 15 श्रावण 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित।